

माध्यमिक विद्यालय

2012 मुख्य विषय खण्ड-1

२ पाठ्यचर्या*२०१२* पाठ्यचर्या*२०१२* पाठ्यचर्या*२०१२* पाठ्



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, २ समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-१९००९२

माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या 2012

खण्ड-1 **मुख्य विषय**

वर्ष 2012 में होने वाली बोर्ड परीक्षा (कक्षा-X) के लिए कक्षा-IX के शैक्षिक सत्र 2010-2011 से प्रभावी



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2 समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

© केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

मार्च. 2012

टिप्पणी : बोर्ड के पास पाठ्यक्रम व पाठ्यविवरण में जब भी आवश्यक समझा जाए, संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित परीक्षा और शैक्षिक सत्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्य-पुस्तकों का कड़ाई से अनुपालन करें। किसी भी परिवर्तन की अनुमित नहीं है।

प्रकाशक : सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

डिज़ाईनर : मल्टी ग्राफिक्स, 5745/81, रैगरपुरा करोल बाग्

पाठ्यचर्या को अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है अतः बोर्ड प्रत्येक वर्ष संशोधित पाठ्यक्रम प्रकाशित करता है। विद्यालयों तथा किसी विशिष्ट वर्ष की बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण व पुस्तकों का अनुसरण करें। एक बार निर्धारित होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं है। अतः समस्त संबंधितों को दृढ़ता से परामर्श दिया जाता है कि वे संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनी जानकारी व प्रयोग के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से खरीरें। अपेक्षित मूल्य तथा डाक खर्च की अपेक्षित राशि के साथ आदेश मुख्यालय के भंडारी/भंडार पालक (प्रकाशन) अथवा अंचल के क्षेत्रीय कार्यालय, जैसी भी स्थिति हो, को भेजा जा सकता है। पाठकों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस प्रकाशन के अंत में दिए गये विवरण को देख लें। क्षेत्रीय व विदेशी भाषाओं में पाठ्यक्रम और कोर्स, अलग से प्रकाशित खण्ड-2 में दिए गये हैं। यह भी एक समुल्य प्रकाशन है।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण 'प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

> सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

> > और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में,

> व्यक्ति की गरिमा और ² राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढाने के लिए

दृढ्संकल्प होकर अपनी इस सर्विधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई∘ को एतदृद्वारा इस सर्विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- सिंवधान (वयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- सिंवधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) , "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

_{भाग 4 क} मूल कर्त्तव्य

- 51 क. मुल कर्त्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -
- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदशों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं:
- (च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परीक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे:
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामृहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छु ले।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a 'SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ² unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

- Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic (w.e.f. 3.1.1977)
- 2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation (w.e.f. 3.1.1977)

THE CONSTITUTION OF INDIA

Chapter IV A

Fundamental Duties

ARTICLE 51A

Fundamental Duties - It shall be the duty of every citizen of India-

- (a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem:
- (b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
- (c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
- (e) To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;
- (h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (i) to safeguard public property and to abjure violence;
- to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.


अनुक्रमणिका

	_
Tarra	
खणड	

पात्रता तथा अध्ययन योजना	
 परीक्षार्थियों की पात्रता 	3
2. परीक्षा योजना और उत्तीर्णता मानदंड	12
3. अध्ययन की योजना	18
खण्ड II	
अध्ययन के पाठ्यक्रम	
1. हिंदी पाठ्यक्रम-'ए'	31
हिंदी पाठ्यक्रम–'बी'	49
2. English-Communicative	61
English-Language and Literature	80
3. गणित	101
4. विज्ञान	112
5. सामाजिक विज्ञान	122
6. अतिरिक्त विषय	140
7. आंतरिक मूल्यांकन के विषय	237
8. पूर्व व्यावसायिक शिक्षा	237
9. कार्य शिक्षा	239
10. कला शिक्षा	254
 शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा 	262
12. विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के लिए ढांचा	270
विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान-।	
अन्य सचना	

खण्ड−1

पात्रता एवं अध्ययन की योजना



1. परीक्षार्थियों की पात्रता

विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश, विद्यार्थियों का स्थानांतरण/प्रवजन (माइग्रेशन)

1. प्रवेश : सामान्य शर्तें

- 1.1. 'विद्यालय' में किसी भी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश के लिए केवल तभी पात्र होगा/होगी, जब वह
 - भारत में माध्यिमक शिक्षा के किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त अथवा उससे संबद्ध विद्यालय में पढ रहा हो,
 - (ii) उसने ऐसी अर्हक अथवा समकक्ष अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो जो उसे उस कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र बनाती हो.
 - (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा (न्यूनतम तथा अधिकतम) अपेक्षाओं को पूरा करता हो और उस स्थान पर लागु हो, जहाँ विद्यालय स्थित है।
 - (iv) निम्नलिखित को प्रस्तुत करे
 - (क) पिछली संस्था के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र/स्थानान्तरण
 प्रमाण पत्र.
 - (ख) अर्हक अथवा समकक्ष अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण होने के समर्थन में उसका दस्तावेज और
 - (ग) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार जहाँ कहीं विद्यमान हो, द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र।

स्पष्टीकरण

- (क) ऐसे व्यक्ति को जो किसी ऐसी संस्था में अध्ययन कर रहा हो, जो इस बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यिमक शिक्षा के बोर्ड द्वारा अथवा संबंधित स्थान के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो, ऐसी संस्था में पहले अध्ययन के प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (ख) 'अर्हक परीक्षा' का अर्थ है एक ऐसी परीक्षा जिसके उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी एक विशेष कक्षा में प्रवेश करने का पात्र बनता हो और 'समकक्ष परीक्षा' का अर्थ है माध्यमिक शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा अथवा ऐसे बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्ध अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा जिसे इस बोर्ड द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा की मान्यता दी गई हो अथवा इस बोर्ड से संबद्ध किसी 'विद्यालय' द्वारा यह परीक्षा ली गई हो।
- 1.2. इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय को छोड़कर विदेश में एक विद्यालय से प्रवजन करने वाला कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि इस बोर्ड से ऐसे विद्यार्थी के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया हो। बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, जहां प्रवेश लेना है, उस विद्यालय का प्रधानाचार्य मामले का पुरा

विवरण तथा अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ संगत दस्तावेज बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। पात्रता प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि अध्ययन का पाठ्यक्रम और उत्तीर्ण परीक्षा इस बोर्ड की सदृश कक्षा के समकक्ष है।

- 1.3. ऐसे व्यक्ति को इस बोर्ड से संबद्घ विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो निष्कासन की सजा के अधीन हो अथवा बोर्ड/विश्वविद्यालय/विद्यालय से निष्कासित किया गया हो अथवा किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण से परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया गया हो।
- 1.4. किसी भी विद्यार्थी को किसी भी विद्यालय में किसी अगली उच्च कक्षा में प्रवेश अथवा प्रोन्तित नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने शैक्षिक सत्र के आरंभ में जिस कक्षा में प्रवेश लिया था, उस कक्षा के अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लिया हो, और संबंधित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर उसने वह परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो, जिसके आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्ति के लिए उसकी योग्यता बनती हो।
- 1.5. कं.मा.शि.बो के अध्यक्ष/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा अधिनियम में पिरिभाषित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित के बिना किसी भी विद्यार्थी को अगस्त के 31वें दिन के बाद बोर्ड के साथ संबद्ध विद्यालय में कक्षा नौवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 31अगस्त के बाद प्रवेश की अनुमित के लिए अपिरहार्य कारणों का विशेष उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से दिया जाएगा। परीक्षा के लिए उसे पात्र बनाने के लिए बोर्ड की परीक्षा उपविधि के अनुसार अध्यर्थी को कक्षा IX तथा X के लिए उपस्थित की अपेक्षित प्रतिशतता पूरी करनी होगी। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड द्वारा पिरणाम देरी से घोषित किए जाने के कारण अध्यर्थी उच्चतर कक्षा में नियत तिथि तक प्रवेश नहीं ले सका तो ऐसी अनुमित की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि अध्यर्थी ने पिरणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर प्रवेश के लिए आवेदन किया हो।

2. प्रवेश : विशिष्ट अपेक्षाएं

- 2.1. कक्षा VIII तक (अर्थात् कक्षा VIII और उससे नीचे) के प्रवेश को उस विद्यालय के स्थान पर लागू राज्य/संघ शासित सरकार के आदेशों, विनियमों और नियमों द्वारा विनियंत्रित किया जाएगा।
- 2.2. विद्यालय में कक्षा IX के लिए प्रवेश केवल ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने इस बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध संस्था से कक्षा VIII की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा जिस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ऐसी संस्था स्थित है, वहाँ के सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा इसे मान्यता दी गई हो।

2.3 कक्षा X में प्रदेश

क्योंकि माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम दो वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम है, कक्षा X में सीधे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परंतु विद्यालय में कक्षा X में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी के लिए खुला रहेगा जिसने

- (क) कक्षा IX के लिए अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो;
- (ख) जिसने कक्षा IX का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा किया हो और इस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित कक्षा IX परीक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के आधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त करने के अलावा शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर)

में कम से कम डी ग्रेड प्राप्त किया हो और माता-पिता का स्थानांतरण होने पर एक शहर के अन्दर / राज्य से दूसरे में अन्तरण होने अथवा उसके परिवार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होने पर विद्यार्थी से रिपोर्ट बुक तथा बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो।

(ग) ऐसे विद्यार्थी को जिसने कक्षा IX के लिए अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और इस बोर्ड से अथवा भारत में किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से सबंद्ध/मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा IX की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इस बोर्ड द्वारा संबंद्ध विद्यालय में कक्षा X में तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब उसके माता-पिता का स्थानान्तरण हुआ हो अथवा उसका परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली हुआ हो तथा विद्यार्थी से संबंधित बोर्ड के शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाणपत्र और अंक तालिका प्राप्त की हो।

ऐसे प्रवेश के मामले में विद्यार्थी के प्रवेश लेने के एक माह के अंदर विद्यालय को बोर्ड से कार्योत्तर अनुमोदन लेना होगा। उपरोक्त नियमों में किसी बात के होते हुए अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अध्यर्थी को अनुचित परेशानी से बचाने हेतु बेहतर शैक्षिक निष्पादन अथवा चिकित्सा कारण इत्यादि के आधार पर विद्यालय में परिवर्तन की अनुमति प्रदान करे।

3. प्रवेश प्रक्रिया

- (i) संबंधित राज्य सरकार/केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय सिमिति जो भी हो, द्वारा निर्धारित रूप में 'विद्यालय' द्वारा प्रवेश रिजस्टर का रख-रखाव किया जाएगा जिसमें 'विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का नाम दर्ज किया जाएगा।
- (ii) विद्यार्थियों को उनके प्रवेश लेने पर क्रमांक संख्या आबंटित की जाएगी और प्रत्येक विद्यार्थी की विद्यालय में रहने के संपूर्ण समय के दौरान यह क्रमांक संख्या बनी रहगी। किसी अविध में अनुपस्थिति के बाद यदि विद्यार्थी विद्यालय में लौटता है तो उसकी मृल प्रवेश संख्या पुन: ग्रहण की जाएगी।
- (iii) यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में पढ़ा हो, तो प्रवेश रिजस्टर में उसका नाम दर्ज करने से पहले उसके पिछले विद्यालय से परीक्षा उपनियमों में दिए गए प्रारूप में विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए।
- (iv) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के अनुसार विद्यार्थी को जिस कक्षा के लिए वह हकदार है, उससे उच्च कक्षा में किसी भी मामले में विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (v) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय (कक्षा X) तथा वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र (कक्षा XII) परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी का नाम भेज दिए जाने के बाद सत्र के दौरान उसे एक 'विद्यालय' से दूसरे में परीक्षाओं में स्थानांतरित होने की अनुमित नहीं दी जाएगी। यह शर्त केवल अध्यक्ष द्वारा विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।
- (vi) सत्र के अंत में अपना विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी को अथवा जिस सत्र के दौरान विद्यालय छोड़ने की अनुमित दी जाती है, सभी देय धन राशियों का उस विद्यार्थी को भुगतान करने पर विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाएगी। अनुलिपि भी जारी की जा सकती है यदि संस्था के अध्यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं कि मूल प्रति खो हो गई है किंतु उसके ऊपर 'दूसरी प्रतिलिपि' अवश्य अंकित किया जाएगा।

- (vii) यदि एक विद्यार्थी बोर्ड की ऐसी संस्था से जो बोर्ड से संबद्ध नहीं हो, बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा उपनियमों में दिए गए प्रारूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (viii) विद्यार्थी के माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा स्वयं विद्यार्थी द्वारा, यदि विद्यालय में प्रवेश के समय विद्यार्थी वयस्क हो, विद्यार्थी के कैरियर से संबंधित दिए गए विवरण में तथ्यों को जानबूझकर गलत रूप में दिखाया गया पाया जाए तो संस्था का प्रमुख राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा अधिनियम या केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति की नियमावली के उपबंधों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, उसे सजा दे सकता है और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को दे सकता है।

4. परीक्षाओं में प्रवेश

सामान्य :

इन उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी जिस परीक्षार्थी को किसी कारण से विद्यालय से निकाल दिया हो अथवा निष्कासन का दण्ड दिया गया है, अथवा किसी परीक्षा में शामिल होने से रोका गया हो, उसे बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय/दिल्ली वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र/माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

5. अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा देने के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ

अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए एक परीक्षार्थी को

- (क) बोर्ड अथवा बोर्ड से संबद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालय से मिडिल (माध्यिमक) विद्यालय परीक्षा (कक्षा VIII) उत्तीर्ण होना चाहिए और यह परीक्षा बोर्ड द्वारा / बोर्ड से संबद्ध विरिष्ठ माध्यिमक विद्यालय द्वारा संचालित माध्यिमक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X) वाले वर्ष से कम से कम दो वर्ष पहले उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- (ख) अध्ययन योजना में शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अंतर्गत ग्रेड प्राप्त किए जाने चाहिए।
- (ग) अध्ययन योजना में निर्धारित अपेक्षा के अनुसार तीसरी भाषा उत्तीर्ण होनी चाहिए।

6. परीक्षाओं के लिए प्रवेश : नियमित उम्मीदवार

अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में ऐसे नियमित उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने संबंधित परीक्षा में प्रवेश के लिए अपना आवेदन पत्र विधिवत् प्रस्तुत किया हो और/अथवा उसका नाम बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से पंजीकृत हो और साथ में संस्था/विद्यालय के प्रधान द्वारा निर्धारित शुल्क परीक्षा नियन्त्रक को भेजा हो तथा ऐसे प्रधान द्वारा निम्नलिखित रूप में विधिवत् प्रमाणित करा कर भेजा हो कि

- (i) उसके पास परीक्षा उपनियमों में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं हैं,
- (ii) उसने अन्य किसी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय के समकक्ष अथवा उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है,
- (iii) वह विद्यालय की सिक्रय नामावली में है;
- (iv) उसने विद्यालय में उन विषयों में परीक्षा उपनियमों में निर्धारित और परिभाषित अध्ययन का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, जो उस पर लागू होते हैं।

- (v) उसका चरित्र और आचरण अच्छा है: और
- (vi) वह उस पर लागू, परीक्षा उपनियमों के सभी अन्य प्रावधानों और संबंधित परीक्षा में प्रवेश को नियन्त्रित करने वाले बोर्ड द्वारा बनाये गए अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, को पूरा करता है।
- 6.1. (i) बोर्ड से संबद्ध प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य है कि वह बोर्ड के परीक्षा उपनियमों का पूर्णत: अनुसरण करे।
 - (ii) बोर्ड की किसी भी परीक्षा के लिए कोई भी संबद्ध विद्यालय न तो ऐसे परीक्षार्थियों को जो उनके रिजस्टर में नामांकित नहीं है, प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा और न ही वह अपनी असंबद्ध शाखा/विद्यालय के अभ्यर्थी को प्रस्तुत करेगा।
 - (iii) यदि बोर्ड के पास विश्वास करने का कारण हो कि संबद्ध विद्यालय इस धारा की उपधारा (i) तथा (ii) का पालन नहीं कर रहे हैं. तो बोर्ड दण्ड का सहारा लेगा. जैसा उचित हो।

7. अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम

- 7.1. (i) परीक्षा उपनियमों में उल्लिखित अभिव्यक्ति 'अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम' से आशय है कक्षा XI/XII, में यथास्थिति शिक्षण कार्य आरंभ होने के दिन से गिनती करके विद्यालय/बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने वाले माह से पहले आने वाले माह की प्रथम तिथि तक आयोजित कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति हो। जिन परीक्षार्थियों ने ऐसे विषय लिये हैं, जिनमें प्रायोगिक शामिल हो, उनकी प्रयोगशाला में विषय से सर्बोधत प्रयोगात्मक कार्य की कुल उपस्थिति में से न्यूनतम 75% उपस्थिति दर्ज करनी अपेक्षित होगी। संस्थानों के प्रधान, ऐसे परीक्षार्थी को जिसने ऐसा विषय लिया है/लिये हैं, जिसमें/जिनमें प्रयोगात्मक शामिल हैं तब तक प्रयोगात्मक परीक्षा (ओं) में शामिल होने की अनुमित प्रदान नहीं करेंगे जब तक परीक्षार्थी उपस्थिति के संबंध में इस नियम में दी गई अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता।
 - (ii) जो परीक्षार्थी पिछले वर्ष की इसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा हो और जिसने कक्षा IX/X में फिर से प्रवेश लिया हो, उसके लिए उस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किए जाने के बाद के माह की प्रथम तिथि से गणना करके विद्यालय/बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने वाले महीने से पूर्व माह की प्रथम तिथि तक संभावित उपस्थिति में से 75% उपस्थिति परी करनी आवश्यक होगी।
 - (iii) अन्य संस्थानों से प्रवजन के मामले में उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विद्यालय जहां से परीक्षार्थी प्रवजन करता है, में दर्ज उपस्थित को भी उपस्थित के अपेक्षित प्रतिशत की गणना में जोड़ा जाएगा।

7.2. आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की आवश्यकता

(i) बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी माध्यमिक/उच्चत्तर विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा देने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने 75% उपस्थिति पूरी न की हो, और यह उपस्थिति कक्षा IX/X के आरंभ होने की तिथि से आंतरिक मूल्याकन वाले विषयों की परीक्षा आरंभ होने वाले माह से पहले आने वाले माह की प्रथम तिथि तक गिनी जाएगी।

इसके साथ ही बोर्ड से संबद्घ विद्यालय से कोई भी विद्यार्थी विद्यालय द्वारा आयोजित कक्षा IX/X/XI की परीक्षा देने का पात्र तब तक नहीं होगा, जब तक कि उसने कक्षा IX/X/XI में आंतरिक मूल्यांकन वाले विषयों में 75% उपस्थिति पूरी न कर ली हो।

- (ii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यिमक / विरिष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षाओं में शामिल होने वाले माध्यिमक तथा विरिष्ठ विद्यालय परीक्षार्थियों के संबंध में किसी परीक्षार्थी को चिकित्सा आधार पर कार्यानुभव / कला शिक्षा / शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि आवेदन पत्र के साथ कम से कम सहायक सर्जन के रैंक के किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र सिफारिश सहित प्रेषित किया गया हो।
- (iii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्चतर विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षाओं में शामिल हो रहे माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालय के अभ्यर्थी के संबंध में आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में उपस्थिति की कमी को माफ करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

8. उपस्थिति में कमी के संबंध में माफ करने के नियम

- (i) यदि किसी परीक्षार्थी की उपस्थित निर्धारित प्रतिशत से कम होती है तो विद्यालय प्रधान उस परीक्षार्थी का नाम अस्थाई तौर पर बोर्ड को भेज सकता है। यदि परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह के भीतर भी परीक्षार्थी की उपस्थित अपेक्षित प्रतिशत से कम है तो संस्थान के प्रधान द्वारा इस मामले की जानकारी तुरंत संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को दी जाएगी। यदि संस्थान के प्रधान के अभिमत के अनुसार परीक्षार्थी का मामला विचारणीय है, तो वे इसकी सिफारिश केन्द्रीय माध्यिमक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से उपस्थिति की कमी को माफ कराने के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को परीक्षा आरंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पहले प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष जैसा उचित समझेंगे, वैसा आदेश देंगे। विद्यालय का प्रधान उपस्थिति में कमी को माफ करने के अपने अनुरोध पत्र में विद्यार्थी द्वारा दर्ज की गई अधिकतम संमजित उपस्थिति का उल्लेख करेंगे। उपस्थिति की गणना कक्षा X का शिक्षण आरंभ होने की तिथि (सत्र के आरंभ) से करके, बोर्ड की परीक्षा होने वाले माह से पहले आने वाले माह की प्रथम तिथि तक की जाएगी। उक्त अविध के दौरान ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति की प्रतिशतता भी दी जाए।
- (ii) बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक तथा विरष्ट विद्यालय प्रमाणपत्र की परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों में अध्यक्ष द्वारा केवल 15% तक की कमी को माफ किया जाएगा। कक्षा X अथवा कक्षा XII में 60% से कम की उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के मामले पर अध्यक्ष द्वारा केवल चिकित्सा आधार पर विशेष पिरिस्थितियों में जैसे कि परीक्षार्थी गंभीर लंबी बीमारी, जैसे कैंसर, एड्स, टी.बी. से ग्रसित हो अथवा जिसमें लम्बी अविध के लिए अस्पताल में रहना अपेक्षित हो, पर विचार किया जा सकता है।
- (iii) प्रधानाचार्य उपस्थिति में कमी के मामले को बोर्ड के पास माफी की उपर्युक्त निर्धारित सीमा के भीतर या तो सिफारिश भेजेगा या मामले की सिफारिश न करने पर वैध कारण भेजेगा।
- (iv) निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थित वाले परीक्षार्थियों के मामलों की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित को वैध कारण माना जा सकता है:-
 - (क) लम्बी बीमारी;

- (ख) माता/पिता की मृत्यु अथवा विद्यालय से उसकी अनुपस्थित का कारण बनने वाली विशेष विचारणीय ऐसी कोई घटना, ऐसी ही गंभीर प्रकृति का कोई अन्य कारण
- (ग) कम से कम अंतर-विद्यालय स्तर के प्रायोजित टूर्नामेंट तथा खेलकूद प्रतियोगिता तथा एन.सी.सी/एन.एस.एस. शिविरों में प्राधिकृत प्रतियोगिताओं को यात्रा के दिनों सिंहत पूर्ण उपस्थिति माना जाएगा।

9. पात्र परीक्षार्थियों को रोकना

संबद्ध विद्यालयों के प्रधान किसी भी मामले में पात्र परीक्षार्थियों को बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने से नहीं रोकेंगे।

10. प्राइवेट परीक्षार्थी

परिभाषा : परीक्षा उपनियमों को देखें।

10.1 दिल्ली माध्यिमक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने के लिए पात्र व्यक्तिः

बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में निम्नलिखित श्रेणी के परीक्षार्थी नीचे उल्लिखित शर्तों पर संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यविवरण तथा पाठ्यक्रम में बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने के लिए पात्र होंगे:

- (क) जो परीक्षार्थी बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे;
- (ख) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक संस्थानों में सेवारत अध्यापक;
- (ग) (i) महिला परीक्षार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वास्तविक निवासी हैं और निम्निलिखित अतिरिक्त शर्ते पूरी करती हैं :
 - (क) कि उन्होंने उचित दिशा निर्देशन के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम का प्राइवेट तौर पर अनुसरण किया है; और
 - (ख) वे बोर्ड से संबद्ध माध्यिमक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो अथवा अन्य ऐसे कारण जो उन्हें परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने के लिए बाध्य करते हैं।
 - (ii) ऐसी महिला विद्यार्थी को जिसने पूर्व स्तर पर या कक्षा में ही विद्यालय छोड़ दिया था, उस वर्ष से पूर्व वर्ष में, जिसमें वह परीक्षा दे रही होती, यदि उसने माध्यमिक परीक्षा तक किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अपना अध्ययन जारी रखा होता, निजी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (घ) शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों की सामान्य संस्थान में ऐसे विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक प्रशिक्षण परीक्षा शामिल नहीं है, उपस्थित होने में कठिनाई होने के समुचित सबृत प्रस्तुत करने पर।
- (ड) नियम 20 (इ): पिछले वर्ष के ऐसे नियमित उम्मीदवार जिसने (जिन्होंने) अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तथा जिन्हों परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुक्रमांक आबंटित कर दिया गया है, किंतु जैसा परीक्षा उपनियमों में निर्धारित है, उसके अनुसार उपस्थिति में कमी को छोड़कर चिकित्सा कारणों से वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, वे भी उत्तरवर्ती परीक्षा में उस वर्ष की परीक्षा जिसमें वे शामिल होंगे, के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के अनुसार निजी परीक्षार्थी के रूप में पुन: शामिल होने के लिए पात्र हैं।

10.2 अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के लिए पात्र व्यक्ति

- (i) बोर्ड की अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में उत्तरवर्ती परीक्षा में पुन: शामिल होने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उस वर्ष की परीक्षा जिसमें वह पुन: शामिल होगा, के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का ही अध्ययन करना होगा, जिस वर्ष वह परीक्षा में पुन: शामिल हो रहा/रही है।
- (ii) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक संस्थानों में सेवारत अध्यापक।
- (iii) पूर्व वर्ष के ऐसे नियमित उम्मीदवार जिन्होंने अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और जिन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुक्रमांक आवंटित कर दिया गया है किंतु परीक्षा उपनियम में निर्धारित अनुसार उपस्थिति में कमी को छोड़कर चिकित्सा कारणों से वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, वे भी उत्तरवर्ती परीक्षा में प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में पन: शामिल होंगे।

11. अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (i) अध्यापकों के लिए आवेदन पत्रों पर संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा निदेशक प्रति हस्ताक्षर करेंगे और अन्यों के आवेदन पत्रों पर बोर्ड के शासी निकाय के सदस्यों अथवा बोर्ड से संबद्ध संस्थानों के प्रधान के प्रति-हस्ताक्षर होंगे।
- एक प्राइवेट परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क और परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित और ऊपर
 (i) में उल्लिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के तीन फोटोग्राफ के साथ निर्धारित रूप में आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए।
- (iii) यदि प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है तो उसे निर्धारित विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) जब किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन-पत्र परीक्षा में प्रवेश के लिए अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा अदा की गई परीक्षा शुल्क और विलंब शुल्क, यदि कोई हो, में से रु. 10/अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि काट कर शेष धन राशि उसे वापिस लौटाई जाएगी परन्तु ऐसे विद्यार्थियों के मामले में जिनके आवेदन पत्र जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा आवेदन पत्र में गलत विवरण देने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए हों, शुल्क की पूरी धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- (v) वे नियमित उम्मीदवार जो बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की कक्षा X में प्रोन्नित प्राप्त करने में असफल हो गए हों, उन्हें बोर्ड की दिल्ली माध्यिमक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (vi) प्रत्येक वर्ष सत्र के आरंभ में विद्यालय के प्रधान क्षेत्रीय अधिकारी, दिल्ली को महिला और विकलांग विद्यार्थियों की एक सूची भेजेंगे जिन्हें कक्षा IX में रोका गया है, और उस सूची में विद्यार्थी का नाम, जन्मितिथ, उसके पिता अथवा अभिभावक का नाम तथा निवास के स्थान का उल्लेख होगा।

- (vii) मिहला प्राइवेट परीक्षार्थी को प्रायोगिक कार्य के साथ विज्ञान विषय लेने की अनुमित नहीं होगी जब तक कि उन्होंने बोर्ड से संबद्ध किसी संस्था में नियमित पाठ्यक्रम पूरा न किया हो और बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया हो। तथापि, इस शर्त के होते हुए भी ऐसे प्रमाण-पत्र के बिना भी उन्हें प्रायोगिक कार्य के साथ गृह-विज्ञान विषय दिया जा सकता है।
- (viii) प्राइवेट अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा के लिए ऐसा विषय (भले ही परीक्षा के लिए वह विषय मान्यता प्राप्त हो) लेने की अनुमित नहीं होगी, जो संबद्ध संस्थानों में नहीं पढाया जा रहा हो।

13 परीक्षा योजना - ग्रेडिंग (माध्यमिक विद्यालय परीक्षा)

- (i) बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन विषयों का निर्धारण संख्यात्मक अंकों में किया जाएगा जिन्हें एक नौ बिन्दु स्केल के आधार पर ग्रेडों में रूपान्तरित किया जाएगा और उन्हें विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रमाणपत्र / विषयवार निष्पादन विवरण में दर्शाया जाएगा।
- (ii) शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में निर्धारण भी ग्रेडों में होगा। शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अंतर्गत प्रत्येक विषय में न्यूनतम अर्हरक ग्रेड डी होगा।
- (iii) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन विषयों में छात्रों का निर्धारण पारम्परिक संख्यात्मक अंकनविधि का प्रयोग करते हुए किया जाएगा और बाद में उसे ग्रेडों में रूपान्तरित किया जाएगा और उन्हें इस प्रकार प्रदान किया जाएगा:-

अंको की श्रेणी	ग्रेड	ग्रेड बिन्दु
91-100	ए।	10.0
81-90	ए2	9.0
71-80	बी1	8.0
61-70	बी2	7.0
51-60	सी1	6.0
41-50	सी2	5.0
33-40	डी	4.0
21-32	ई 1	
20 और कम	ई2	

संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सी.जी.पी.ए.) विषयवार निष्पादन के विवरण में भी दर्शाये जाएंगे।

टिप्पणी: संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सी.जी.पी.ए.) अध्ययन की योजना के अनुसार छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर सभी विषयों में प्राप्त ग्रेड बिन्दुओं का औसत है। अंकों की विषयवार और समग्र निर्देशात्मक प्रतिशतता निम्नानुसार निर्धारित की जा सकती है:

अंकों की विषयवार निर्देशात्मक प्रतिशतता = 9.5 x विषय का ग्रेड बिन्दु (जी.पी.)

अंकों की समग्र निर्देशात्मक प्रतिशतता = 9.5 x सी.जी.पी.ए.

14. उत्कृष्टता प्रमाण पत्र

बोर्ड ऐसे परीक्षार्थियों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिन्होंने अर्हक मानदंड के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में श्रेणी (ग्रेड) ए। प्राप्त किया हो।

15. परीक्षाओं (माध्यमिक विद्यालय परीक्षा) की योजना

- (i) सह-शैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में मूल्यांकन अध्ययन की योजना के अनुसार श्रेणियों (ग्रेड) के रूप में विद्यालयों द्वारा किया जाएगा।
- (ii) शैक्षिक क्षेत्र 'ख' तथा सह-शैक्षिक क्षेत्रों के अधीन विषयों के लिए मूल्यांकन विद्यालय में उसके सतत निर्धारण के दौरान विद्यार्थी के संचयी रिकॉर्ड पर आधारित होगा।
- (iii) विद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थी की उपलिब्धियों एवं प्रगति का नियमित अभिलेख रखें। जब बोर्ड उचित समझे, इन अभिलेखों की समीक्षा कर सकता है।
- (iv) शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन अध्ययन के विषयों का निर्धारण संयुक्त रूप से विद्यालय तथा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। प्रश्न पत्रों, अंकों एवं अवधि के ब्यौरे परीक्षा की योजना के अनुसार होंगे:

				अवधि-	-I	अवधि-II						
क्र.सं.	विषय	रचनात्मक रचनात्मक निर्धारण-I निर्धारण-II		योगात्मक निर्धारण-I	रचनात्मक निर्धारण-Ш	रचनात्मक निर्धारण-IV		यो गात्मक निर्धारण−II				
		भारित	п %,	अंक	भारिता %	अवधि	भारिता %		अंक	भारिता %	अवधि	
1	भाषा-I	10%	10%	80	20%	3 घंटे	10%	10%	80	40%	3 घंटे	
2	भाषा–II	10%	10%	80	20%	3 घंटे	10%	10%	80	40%	3 घंटे	
3	गणित	10%	10%	80	20%	3 घंटे	10%	10%	80	40%	3 घंटे	
4	विज्ञान	10%	10%	80	20%	3 घंटे	10%	10%	80	40%	3 घंटे	

प्रत्येक अविध में प्रयोगात्मक परीक्षा रचनात्मक निर्धारण के द्वारा कुल अंकों के 20% भारिता के साथ होगी। प्रयोगात्मक कौशलों का निर्धारण बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा प्रत्येक अविध के अंत में योगात्मक निर्धारण के अंतर्गत 20% भारिता का होगा।

5	सामाजिक विज्ञान	10%	10%	80	20%	3 घंटे	10%	10%	80	40%	3 घंटे
	अतिरिक्त विषय										
6	गृह विज्ञान	10%	10%	80	20%	2 1 - 3 घं	10%	10%	80	40%	$2\frac{1}{2}$ -3घंटे
	प्रयोगात्मक कौशलों और परियोजना का निर्धारण रचनात्मक निर्धारण द्वारा होगा।										
7	सूचना प्रौद्योगिकी के मूल आधार	10%	10%	80	20%	2 1 -3 घंटे	10%	10%	80	40%	2 1/2 -3 घंटे

प्रत्येक रचनात्मक निर्धारण में 10% में से 40% भारिता हस्त-परक कौशलों एवं परियोजना के द्वारा होगी। प्रत्येक अवधि के अंत में योगात्मक निर्धारण के अंतर्गत प्रायोगिक कौशलों का निर्धारण बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा 20% भारिता के साथ होगा।

8.	व्यवसाय के तत्व	10%	10%	80	20%	3 घंटे	10%	10%	80	40%	3 घंटे
9.	पुस्तपालन एवं लेखांकन के तत्व	10%	10%	80	20%	3 घंटे	10%	10%	80	40%	3 घंटे
10.	टंकण कला-अंग्रेजी अथवा हिंदी	10%	10%	सैद्धांतिक:20 अंक प्रयोगात्मक -60 अंक	20%	2 ਬਂਟੇ 1 ਬਂਟ <u>ਾ</u>	I	10% प्रयोगा –त्मक			3 ਬੰਟੇ 1 ਬੰਟਾ
11.	पेन्टिंग	10%	10%	60	30%	3 घंटे	10%	10%	60	30%	3 घंटे

केवल प्रयोगात्मक परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षा नहीं

	अतिरिक्त विषय	सैद्धांतिक	प्रयोगात्मक	कुल	भारिता %	अवधि	सैद्धांतिक	प्रायोगात्मक	कुल	भारिता %	अवधि
		अंक	अंक	अंक	प्रतिशत		अंक	अंक	अंक	प्रतिशत	
12.	कर्नाटक संगीत	10	30	40	40%	2 घंटे	20	40	6,0	60%	2 घंटे
13.	हिन्दुस्तानी संगीत	10	30	40	40%	2 घंटे	20	40	60	60%	2 घंटे
रचन	रचनात्मक निर्धारण प्रयोगात्मक परीक्षा का एक भाग है। रचनात्मक निर्धारण के लिए अलग से अंक नहीं हैं।										

निम्नलिखित बिन्दुओं को अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के ध्यान में लाया गया है। (कक्षा IX और X के लिए)

- प्रथम एवं द्वितीय अवधि, प्रत्येक में दो रचनात्मक निर्धारण हैं।
- प्रत्येक रचनात्मक निर्धारण के अंतर्गत छोटे निर्धारण होते हैं जो कि भिन्न अंक ले सकते हैं।
- प्रत्येक रचनात्मक निर्धारण की भारिता 10% है, जिसकी गणना सभी कार्यों में उपलब्ध अंकों की औसत लेकर अथवा बेहतरीन तीन या चार कार्यों की औसत ले कर की जाती है।
- चारों रचनात्मक निर्धारणों की कुल भारिता 40% है।
- प्रत्येक विषय के लिए वार्षिक योजनाकार में समय फ्रेम, चारों रचनात्मक निर्धारण के अनुसार पाठ्यक्रम का विभाजन, प्रत्येक रचनात्मक निर्धारण के लिए सुझाए गए कार्य दिए गए हैं। वार्षिक योजनाकार केवल सांकेतिक है और विद्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे रूपांतरित कर सकते हैं।

16. अर्हक मानदंड (माध्यमिक विद्यालय परीक्षा)

- (i) ऐसा विद्यार्थी अर्हक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि वह मुख्य अथवा निष्पादन के सुधार के उत्तरवर्ती पांच/एक प्रयास (प्रयासों) में शैक्षिक 'क' के आधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करता/करती है, जैसा भी मामला हो, और अध्ययन की योजना में निर्दिष्ट अनुसार सह-शैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त करता/करती है।
- (ii) कोई भी समग्र ग्रेड प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, संचयी ग्रेड बिन्दु औसत (सी.जी.पी.ए.) विषयवार निष्पादन के विवरण में दर्शाया जाएगा। अंकों की विषयवार और समग्र निर्देशात्मक प्रतिशतता ग्रेड बिन्द/संचयी ग्रेड बिन्द औसत के आधार पर निकाली जा सकती है।
- (iii) अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:-
 - (क) यदि विद्यार्थी जिसने भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में ली है और वह एक भाषा में अनुत्तीण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त भाषा उस (अनुत्तीण) भाषा को बदल सकती है बशर्ते कि बदलने के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी/हिन्दी में से एक भाषा हो और
 - (ख) एक विषय से दूसरे में परिवर्तन के लिए अध्ययन की योजना में यथानिधारित शर्तों को पूरा करना होगा।
- (iv) सह-शैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन एक अथवा अधिक विषयों में छूट प्राप्त विद्यार्थी रचनात्मक और योगात्मक निर्धारण में शामिल होने के पात्र होंगे और परिणाम की घोषणा अर्हक मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर की जाएगी।
- (v) कक्षा IX परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने का पात्र होने के लिए किसी विद्यार्थी को मुख्य अथवा निष्पादन में सुधार के उत्तरवर्ती प्रयास में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' तथा शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के अधीन विषयों में ग्रेड प्राप्त करनी होगी जैसा कि अध्ययन की योजना में निर्दिष्ट है।

17. माध्यमिक परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए पात्रता

बोर्ड तथा विद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने पर अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के अधीन किसी अथवा सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड ई। अथवा ई2 प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी किसी अथवा सभी पांच विषयों में निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होंगे।

18. निष्पादन में सुधार

- (i) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ हो और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत किसी अथवा सभी विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड ई। अथवा ई2 प्राप्त की हो, किसी अथवा सभी पांच विषयों में अपने निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होगा और बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में अनुवर्त्ती प्रयासों में शामिल हो सकता/सकती है। परीक्षार्थी को विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाण-पत्र / विषयवार निष्पादन का विवरण जारी किया जाएगा बशर्ते कि वह अध्ययन की योजना के अनुसार कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड 'डी' और सह-शैक्षिक क्षेत्रों और शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के तहत विषयों में ग्रेड प्राप्त करे।
- (ii) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यिमिक विद्यालय द्वारा संचालित माध्यिमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल हुआ हो और अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत किसी अथवा सभी पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ई। अथवा ई2 ग्रेड प्राप्त की हो, किसी अथवा सभी विषयों में अपने निष्पादन में सुधार के लिए पात्र है और बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यिमिक विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में एकमात्र प्रयास में शामिल हो सकता है। परीक्षार्थी को विद्यालय आधारित निर्धारण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा बशर्ते अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में ग्रेड 'डी' और सह-शैक्षिक क्षेत्रों तथा शैक्षिक क्षेत्र 'ख' के तहत विषयों में ग्रेड प्राप्त कर लेता/लेती है।
- (iii) ऐसा परीक्षार्थी जो माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में निष्पादन में सुधार के एक अथवा सभी अवसरों में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड डी प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे परीक्षा में अर्हक नहीं माना जाएगा और परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए संबंधित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए संबंधित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए संबंधित परीक्षा के वर्ष हेतु योगात्मक निर्धारण-II के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण के अनुसार उत्तरवर्ती वर्ष में मार्च में आयोजित होने वाली परीक्षा में सभी विषयों में पुन: शामिल होना होगा। मुख्य परीक्षा में सभी रचनात्मक निर्धारण और योगात्मक निर्धारण-1 में प्राप्त परीक्षार्थी के ग्रेड निष्पादन में सुधार के सभी अवसरों तक आगे ले जाए जाएगें।
- (iv) (क) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड द्वारा संचालित माध्यिमक विद्यालय परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे उस वर्ष आयोजित होने वाले निष्पादन में सुधार के उत्तरवर्ती प्रथम अवसर में उसके भाग लेने तक कक्षा XI में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा। उसका प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि वह निष्पादन के सुधार के प्रथम अवसर में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) पांच विषयों में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता/रहती है।
 - (ख) ऐसा परीक्षार्थी जो बोर्ड से संबद्ध वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय

परीक्षा में शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता है, उसे उस वर्ष आयोजित होने वाली निष्पादन में सुधार परीक्षा में भाग लेने तक कक्षा XI में अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा। उसका प्रवेश रद्द माना जाएगा यदि वह शैक्षिक क्षेत्र के तहत पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करने में असफल रहता/रहती है।

19. अतिरिक्त विषय

- (i) अभ्यर्थी जिसने बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्रमाण पत्र तथा अध्ययन की योजना के अनुसार शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत कम से कम पांच विषयों (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त किया है बोर्ड की विरष्ठ विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है, प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में अतिरिक्त विषय ले सकता है बशर्ते कि अध्ययन की योजना में वह विषय उपलब्ध हो और बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के छह वर्षों के अन्दर हो। छह वर्षों तक समय सीमा के बाद कोई छूट नहीं होगी। अतिरिक्त विषय में उपस्थित होने की सविधा केवल मख्य परीक्षा में ही उपलब्ध होगी।
- (ii) तथापि विष्ठि विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा में छह विषयों में बैठने वाले परीक्षार्थी नियम 40.1 (क) के अनुसार पांच विषयों में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के कारण उत्तीर्ण घोषित किए जाने पर उसी वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विषय में बैठ सकता है।

20. निष्पादन में उच्च ग्रेड-माध्यमिक परीक्षा

- (i) जो विद्यार्थी बोर्ड द्वारा संचालित माध्यिमक विद्यालय परीक्षा में अर्हता प्रमाण और शैक्षिक क्षेत्र 'क' के तहत पांच विषयों में न्यूनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त करता है निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए परीक्षा में केवल अनुवर्ती वर्ष की मुख्य परीक्षा में पुन: बैठ सकता है बशर्ते कि इसी बीच वह उच्च अध्ययन में नहीं लगा हो। वह प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठ सकता/सकती है। पूरी परीक्षा में पुन: बैठने वाले नियमित अध्यर्थी के रूप में भी बैठ सकते हैं। परीक्षा में उच्च ग्रेड के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी केवल उसी विषय (यों) में परीक्षा में बैठ सकते हैं, जिनमें उन्होंने न्युनतम ग्रेड 'डी' प्राप्त की है।
- (ii) निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए बैठने वाला परीक्षार्थी वर्ष की परीक्षा के लिए केवल योगात्मक निर्धारण-II के लिए पाठ्यक्रम में बैठेगा।
- (iii) निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए बैठने वाले परीक्षार्थी को कथित परीक्षा में प्राप्त ग्रेड दर्शाते हुए केवल विषयवार निष्पादन का विवरण जारी किया जाएगा।
- (iv) एक या अधिक विषयों में निष्पादन में उच्च ग्रेड के लिए बैठने वाला परीक्षार्थी एक ही समय अतिरिक्त विषय के लिए नहीं बैठ सकता।

21 पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थी

(i) माध्यिमक विद्यालय परीक्षा के लिए पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थियों को परीक्षा योजना में निर्धारित शर्त के अनुसार दो भाषाएं लेना अपेक्षित होगा किंतु गणित तथा विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान तथा वाणिज्य लेने की अनुमित होगी। (ii) माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के लिए दिल्ली से बाहर के पत्राचार विद्यालय परीक्षार्थियों को प्रायोगिक कार्य वाले विषय लेने की अनुमित नहीं होगी।

22 स्पास्टिक, नेत्रहीन, डिस्लेक्सिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को छूट

डिस्लेक्सिक, स्पास्टिक परीक्षार्थियों तथा दृश्य व श्रवण अक्षमता वाले परीक्षार्थियों को दो में से एक अनिवार्य भाषा के अध्ययन का विकल्प है। यह भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित तीन भाषा सूत्र की समग्र भावना के अनुरूप होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा निम्नलिखित विषयों में से चार विषय लेने हैं: गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दूसरी भाषा, संगीत, पेंटिंग, गृह-विज्ञान, परिचयात्मक सुचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य (बहीखाता लेखन और लेखाशास्त्र के तत्व)

23 परीक्षा उपनियम

परीक्षा में शामिल होने के लिए शेष शर्तों का निर्धारण समय-समय पर बोर्ड की परीक्षा उपनियमों में किया जाएगा।

3. अध्ययन की योजना

3.1. अध्ययन के विषय

अध्ययन विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं

(1) और (2) निम्नलिखित में से दो भाषाएं

हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी सिंधी, तिमल, तेलगु, उर्दू, लेप्चा, लिंबु, भूटिया, संस्कृत, अरबी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, रूसी, स्पेनिश, नेपाली, तिब्बती और मिजो (कृपया टिप्पणी (i)ए (ii) तथा (iii) भी देखें)।

- (3) गणित
- (4) विज्ञान
- (5) सामाजिक विज्ञान
- (6) कार्य शिक्षा अथवा पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा
- (7) कला शिक्षा
- (8) शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा

3.2 अतिरिक्त विषय

विद्यार्थी अतिरिक्त विषय के रूप में निम्नलिखित में से एक विषय ले सकते हैं,:

दो अनिवार्य भाषाओं के अतिरिक्त भाषा (अध्ययन विषयों के रूप में ली गई)

अथवा

वाणिज्य, पेंटिंग, संगीत, गृह-विज्ञान अथवा परिचयात्मक सुचना प्रौद्योगिकी।

टिप्पणियां

(i) यह अपेक्षा की जाती है कि सभी विद्यार्थियों ने कक्षा VIII तक तीन भाषाओं का अध्ययन किया होगा। जो विद्यार्थी कक्षा VIII में तीसरी भाषा उत्तीर्ण नहीं कर सके और कक्षा IX में प्रोन्नत हो गये हैं उनकी कक्षा VIII के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और उसी पाठ्यक्रम से कक्षा IX के अंत में संबंधित विद्यालय द्वारा परीक्षा ली जाएगी। जो विद्यार्थी कक्षा IX के अंत में भी तीसरी भाषा उत्तीर्ण करने में असमर्थ हों उन्हें कक्षा X में एक अन्य अवसर दिया जा सकता है। कोई भी विद्यार्थी कक्षा X के अंत में बोर्ड की माध्यिमक विद्यालय परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक उसने तीसरी भाषा उत्तीर्ण नहीं कर ली हो।

- (ii) जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित है, ली गई तीन भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन कम से कम कक्षा VIII तक किया जाना अनिवार्य है।
- (iii) कक्षा IX तथा X में अध्ययन की जाने वाली दो भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी एक भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषायें एक ही समय में ली जा सकती हैं। विद्यार्थी की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों मामलों में कक्षा IX और X के लिए दो पाठ्यक्रम दिये गये हैं। एक विद्यार्थी कम्यूनिकेटिव इंग्लिश (विषय कोड 101) अथवा लैंगूएज एंड लिटरेचर (विषय कोड 184) में से चुन सकता है। उसी प्रकार हिंदी में एक विद्यार्थी हिंदी-ए अथवा हिंदी-बी में से एक चुन सकता है।

3.3 शिक्षण समय

यह मानते हुए कि एक शैक्षणिक सप्ताह में 40-40 मिनट के 45 पीरियड होते हैं, प्रति सप्ताह पीरियडों का व्यापक वितरण इस प्रकार होगा

विषय	कक्षा X के लिए प्रस्तावित पीरियड
भाषा I	7
भाषा II	6
गणित	7
विज्ञान	9
सामाजिक विज्ञान	9
कार्य शिक्षा अथवा पूर्व-व्यावसयिक शिक्षा	3+3*/6
(कृपया पृष्ठ 109 को भी देखें)	
कला शिक्षा	2
शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	2

^{*} विद्यालय समय के बाहर का प्रत्याशित समय

टिप्पणी

पाठ्यक्रम बनाते समय यह अनुमान लगाया गया है कि छुट्टियों, सार्वजनिक अवकाशों और अन्य आकस्मिकताओं को देखते हुए वास्तविक शिक्षण के लिए प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 सप्ताहों का वास्तविक शिक्षण समय उपलब्ध होगा। तदनुसार इकाईयों और उप-इकाईयों में पीरियडों का वितरण किया गया है जो एक सुझाव के रूप में है। विद्यालय प्रत्येक विषय/क्षेत्र में पीरियडों की संपूर्ण संख्या वही रखते हुए व्यक्तिगत इकाईयों में उनके प्रासंगिक महत्व के अनुसार पीरियडों की अधिक अथवा कम संख्या नियत कर सकते हैं। प्रत्येक यूनिटवार इकाई महत्व पर अंकों का वितरण आदेशात्मक है अत:उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

3.4 विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान (साल्ड)

भारत सरकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों के अनुसरण में यदि आवश्यक समझें तो बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के जन आवेष्टन के माध्यम से विशेष उपाय के रूप में शैक्षिक सत्र 1991-92 से कक्षा IX तथा X से शुरू करके विशेष प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम अपनाया गया है। इसे विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान (साल्ड) कहा गया है साल्ड को निर्धारित पाट्यचर्या का अनिवार्य अंग बनाया गया है और कार्य अनुभव में आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया गया है। साल्ड के ढांचे के बारे में परिशिष्ट 'ए' में बताया गया है।

3.5 विशेष प्रावधान

3.5.1 पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान

- (क) पत्राचार विद्यालय के छात्रों को गणित तथा विज्ञान के स्थान पर गृह विज्ञान और वाणिज्य लेने की अनुमित है।
- (ख) दिल्ली के बाहर के पत्राचार विद्यालय के छात्रों को प्रायोगिक कार्य वाले विषय लेने की अनुमित नहीं है।

3.5.2 दृष्टिहीन एवं बधिर छात्रों के लिए प्रावधान

दृष्टिहीन और बिघर छात्रों के लिए दो अनिवार्य भाषाओं में से एक अनिवार्य भाषा के अध्ययन का विकल्प है। यह भाषा पढ़ाई जाने वाली भाषा, पूर्व पृष्टों में दी गई बोर्ड की भाषा शिक्षण योजना की संपूर्ण भावना के अनुरूप होनी चाहिए। एक भाषा के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय लिए जा सकते हैं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, पेटिंग तथा गृह विज्ञान।

3.6 अध्यापन का माध्यम


बोर्ड के साथ संबद्ध सभी विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। विषय परिवर्तन के लिए नियम

- (i) किसी भी विद्यार्थी को कक्षा IX उत्तीर्ण करने के बाद जैसा भी मामला हो उसके अध्ययन के विषय बदलने की अनुमृति नहीं दी जाएगी।
- (ii) किसी भी विद्यार्थी को कक्षा X में ऐसा विषय लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी जो उसने कक्षा IX में उत्तीर्ण तथा अध्ययन नहीं किया हो।
- (iii) उपर्युक्त नियमों में किसी भी बात के होते हुए विद्यार्थी की अनावश्यक कठिनाई को दूर करने के लिए विषय (विषयों) में परिवर्तन करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होगी बशर्ते कि परिवर्तन का ऐसा निवेदन 30 सितम्बर से पहले किया हो।

अतिरिक्त विषय

- (i) जो विद्यार्थी बोर्ड की माध्यिमक/उच्चतर विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो, वह प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में अतिरिक्त विषय ले सकता है बशर्ते कि अध्ययन की योजना में हो और बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के छह वर्षों के अंदर लिया हो। छह वर्ष के बाद समय सीमा में कोई छूट नहीं होगी। अतिरिक्त विषय में शामिल होने की सुविधा केवल वार्षिक परीक्षा में उपलब्ध होगी।
- (ii) तथापि, उच्चतर विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा में छह विषयों में शामिल होने वाला परीक्षार्थी, जो नियम 40. 1 (IV) के अनुसार पांच विषयों में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण घोषित हो जाता है, उसी वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित होने वाली पुरक अनुपरीक्षा में अनुत्तीर्ण विषय में शामिल हो सकता है।

खण्ड-2 अध्ययन के पाठ्यक्रम



हिंदी मातृभाषा

नवीं कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थी की भाषा शैली और विचार बोध का ऐसा आधार बन चुका होता है कि उसे उसके भाषिक दायरे के विस्तार और वैचारिक समृद्धि के लिए ज़रूरी संसाधन मुहैया कराए जाएँ। माध्यमिक स्तर तक आते—आते विद्यार्थी किशोर हो गया होता है और उसमें बोलने, पढ़ने, लिखने के साथ—साथ आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होने लगती है। भाषा के सौंदर्यात्मक पक्ष, कथात्मकता / गीतात्मकता, अखबारी समझ, शब्द की दूसरी शिक्तियों के बीच अंतर,राजनैतिक चेतना, सामाजिक चेतना का विकास, उसमें बच्चे की अपनी अस्मिता का संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त भाषा—प्रयोग, शब्दों के सुचितित इस्तेमाल, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति आदि से विद्यार्थी परिचित हो जाता है। इतना ही नहीं वह विभिन्न विधाओं और अभिव्यक्ति की अनेक शैलियों से भी वािक होता है। अब विद्यार्थी की पढ़ाई आस—पड़ोस,राज्य—देश की सीमा को लाँघते हुए वैश्वक क्षितिज तक फैल जाती है। इन बच्चों की दुनिया में समाचार, खेल, फिल्म तथा अन्य कलाओं के साथ—साथ पत्र—पत्रिकाएँ और अलग—अलग तरह की किताबें भी प्रवेश पा चुकी होती हैं।

इस स्तर पर मातृभाषा हिंदी का अध्ययन साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में कुछ इस तरह से हो कि उच्चतर माध्यिमक स्तर तक पहुँचते-पहुँचते यह विद्यार्थियों की पहचान, आत्मविश्वास और विमर्श की भाषा बन सके। प्रयास यह भी होगा कि विद्यार्थी भाषा के लिखित प्रयोग के साथ-साथ सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में भी सक्षम हो सकें।

इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से

- (क) विद्यार्थी अगले स्तरों पर अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप हिंदी की पढ़ाई कर सकेंगे तथा हिंदी में बोलने और लिखने में सक्षम हो सकेंगे।
- (ख) अपनी भाषा दक्षता के चलते उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, समाज विज्ञान और अन्य पाठ्यक्रमों के साथ सहज संबद्धता (अंतर्संबंध) स्थापित कर सकेंगे।
- (ग) दैनिक व्यवहार, आवेदन-पत्र लिखने, अलग-अलग किस्म के पत्र लिखने, तार (टेलिग्राम) लिखने, प्राथिमकी दर्ज़ कराने इत्यादि में सक्षम हो सकेंगे।
- (घ) उच्चतर माध्यिमक स्तर पर पहुँचकर विभिन्न प्रयुक्तियों की भाषा के द्वारा उनमें वर्तमान अंतरसंबंध को समझ सकेंगे।
- (ड) हिंदी में दक्षता को वे अन्य भाषा-संरचनाओं की समझ विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, अथवा स्थानांतरित कर सकेंगे।

कक्षा IX-X मातृभाषा के रूप में हिंदी-शिक्षण के उद्देश्य :

- कक्षा आठ तक अर्जित भाषिक कौशलों (सुनना, बोलना, पढ्ना, लिखना और चिंतन) का उत्तरोत्तर विकास।
- सृजनात्मक साहित्य के आलोचनात्मक आस्वाद की क्षमता का विकास।
- स्वतंत्र और मौखिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का विकास।
- ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति एवं क्षमता का बोध कराना।

- साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं (राष्ट्रीयताओं, धर्म, लिंग, भाषा) के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील रवैये का विकास।
- जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयताओं, क्षेत्र आदि से संबंधित पूर्वाग्रहों के चलते बनी रूढ़ियों की भाषिक अभिव्यक्तियों के प्रति सजगता।
- विदेशी भाषाओं समेत गैर हिंदी भाषाओं की संस्कृति की विविधता से परिचय।
- व्यावहारिक और दैनिक जीवन में विविध किस्म की अभिव्यक्तियों की मौखिक व लिखित क्षमता का विकास।
- संचार माध्यमों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से अवगत कराना और नए-नए तरीके से प्रयोग करने की क्षमता से परिचय।
- सघन विश्लेषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और तर्क क्षमता का विकास।
- अमूर्तन की पूर्व अर्जित क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास।
- भाषा में मौजुद हिंसा की संरचनाओं की समझ का विकास।
- मतभेद, विरोध और टकराव की पिरस्थितियों में भी भाषा के संवेदनशील और तर्कपूर्ण इस्तेमाल से शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता का विकास।
- भाषा की समावेशी और बहुभाषिक प्रकृति के प्रति ऐतिहासिक नज़िरए का विकास।
- शारीरिक और अन्य सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों में भाषिक क्षमताओं के विकास की उनकी अपनी विशिष्ट गति और प्रतिभा की पहचान।

शिक्षण युक्तियाँ

माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापक की भूमिका उचित वातावरण के निर्माण में सहायक की होनी चाहिए। भाषा और साहित्य की पढ़ाई में इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि

- विद्यार्थी द्वारा की जा रही गलितयों को भाषा के विकास के अनिवार्य चरण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी अबाध रूप से बिना झिझक लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करने में उत्साह का अनुभव करे। विद्यार्थियों पर शुद्धि का ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए कि वे तनावग्रस्त माहौल में पड़ जाएँ। उन्हें भाषा के सहज,कारगर और रचनात्मक रूपों से इस तरह परिचित कराना उचित है कि वे स्वयं सहजरूप से भाषा का सृजन कर सकें।
- गलत से सही दिशा की ओर पहुँचने का प्रयास हो। विद्यार्थी स्वतंत्र और अबाध रूप से लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करे। अगर कहीं भूल होती है तो अध्यापक को अपनी अध्यापन-शैली में परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
- ऐसे शिक्षण-बिंदुओं की पहचान की जाए जिससे कक्षा में विद्यार्थी निरंतर सिक्रिय भागीदारी करें और अध्यापिका भी इस प्रक्रिया में उनकी साथी बने।
- हर भाषा का अपना एक नियम और व्याकरण होता है। भाषा की इस प्रकृति की पहचान कराने में पिरवेशगत और पाठगत संदर्भों का ही प्रयोग करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं को शोध कर्ता समझे तथा अध्यापक इसमें मुख्यत: निर्देशन करें।

- हिंदी में क्षेत्रीय प्रयोगों, अन्य भाषाओं के प्रयोगों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है कि भाषा अलगाव में नहीं बनती और उसका परिवेश अनिवार्य रूप से बहुभाषिक होता है।
- शारीरिक बाधाग्रस्त विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण-सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तथा किसी भी प्रकार से उन्हें अन्य विद्यार्थियों से कमतर या अलग न समझा जाए।
- कक्षा में अध्यापक को हर प्रकार की विभिन्नताओं (लिंग, जाति, वर्ग, धर्म) के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील वातावरण निर्मित करना चाहिए।
- परंपरा से चले आ रहे मुहावरों, कहावतों (जैसे, रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी) आदि के ज़िरए विभिन्न
 प्रकार के पूर्वाग्रहों की समझ पैदा करनी और उनके प्रयोग के प्रति आलोचनात्मक दुष्टि विकसित करनी।
- मध्य कालीन काव्य की भाषा के मर्म से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए ज़रूरी होगा कि किताबों में आए काव्यांशों की संगीतबद्ध प्रस्तुतियों के ऑडियो-वीडियो कैसेट तैयार किए जाएँ। अगर आसानी से कोई गायक/गायिका मिले तो कक्षा में मध्यकालीन साहित्य के अध्यापन-शिक्षण में उससे मदद लें।
- वृत्तचित्रों और फी़चर फिल्मों को शिक्षण-सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इनके प्रदर्शन के क्रम में इन पर लगातार बातचीत के ज़िरए सिनेमा के माध्यम से भाषा के प्रयोग की विशिष्टता की पहचान कराई जा सकती है और हिंदी की अलग-अलग छटा दिखाई जा सकती है।
- कक्षा में सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक की भौतिक उपस्थिति से बेहतर यह है शिक्षक के हाथ में तरह-तरह की पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी देख सकें और शिक्षक उनका कक्षा में अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल कर सकें।
- भाषा लगातार ग्रहण करने की क्रिया में बनती है, इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद यह सिखा सकें कि वे भी शब्दकोश, साहित्यकोश, संदर्भग्रंथ की लगातार मदद ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में इनके इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता बढ़ेगी। अनुमान के आधार पर निकटतम अर्थ तक पहुँचकर संतुष्ट होनेकी जगह वे अधिकतम अर्थ की खोज करने का अर्थ समझ जाएँगे। इससे शब्दों की अलग-अलग रंगत का पता चलेगा, वे शब्दों के बारीक अंतर के प्रति और सजग हो पाएंगे।

व्याकरण बिंद

विद्यार्थियों को मातृभाषा के संदर्भ में व्याकरण के विभिन्न पक्षों का परिचय कक्षा 3 से ही मिलने लगता है। हिंदी भाषा में इन पक्षों और हिंदी की अपनी भाषागत विशिष्टताओं की चर्चा पाठ्यपुस्तक और अन्य शिक्षण-सामग्री के समृद्ध संदर्भ में की जानी चाहिए। नीचे कक्षा 6 व 10के लिए कुछ व्याकरणिक बिंदु दिए गए हैं जिन्हें कक्षा या विभिन्न चरणों के क्रम में नहीं रखा गया है।

संरचना और अर्थ के स्तर पर भाषा की विशिष्टताओं की परिधि इन व्याकरणिक बिंदुओं से कहीं अधिक विस्तृत है। वे बिंदु इन विशिष्टताओं का संकेत भर हैं जिनकी चर्चा पाठ के सहज संदर्भ में और बच्चों के आसपास उपलब्ध भाषायी परिवेश को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

कक्षा VI से X तक के लिए कुछ व्याकरण बिंदु

- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण
- लिंग, वचन, काल

- पदबंध में लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव
- वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का क्रिया पर प्रभाव
- परसर्ग 'ने' का क्रिया पर प्रभाव
- अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया
- सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य
- कर्त्वाच्य, कर्मवाच्य
- समुच्चयबोधक शब्द और अन्य-अविकारी शब्द
- पर्यायवाची, विलोम, समास, अनेकार्थी, श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे

फॉरमैटिव सुनने व बोलने की योग्यताएँ

श्रवण (सुनना)

- विर्णित या पिठत सामग्री, वार्ता, भाषण, पिरचर्चा, अथवा वार्तालाप, वाद-विवाद, किवता-पाठ आदि का सुनकर अर्थ ग्रहण करना, मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को जानना।
- वक्तव्य के भाव, विनोद, व उसमें निहित संदेश, व्यंग आदि को समझना।
- वैचारिक मतभेद होने पर भी वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक व शिष्टाचारानुकल प्रकार से सुनना व वक्ता के दृष्टिकोण को समझना।
- ज्ञार्नाजन, मनोरंजन व प्रेरणा ग्रहण करने हेतु सुनना।
- वक्तव्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सुनकर उसका सार ग्रहण करना।

श्रवण (सुनना) का मूल्यांकन

परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा। अनुच्छेद तथ्यात्मक या सुझावात्मक हो सकता है। अनुच्छेद लगभग 150 शब्दों का होना चाहिए। परीक्षक को सुनते–सुनते परीक्षार्थी अलग कागज़ पर दिए हुए श्रवण बोधन के अभ्यासों को हल कर सकेंगे। अभ्यास रिक्त स्थान पूर्ति, बहुविकल्पी अथवा सत्य /असत्य का चुनाव आदि विधाओं में हो सकते हैं।

वाचन (बोलना)

 बोलते समय भली प्रकार उच्चारण करना गित, लय, आरोह-अवरोह उचित बलाघात व अनुतान सिहत बोलना, सस्वर कविता-वाचन, कथा-कहानी अथवा घटना सुनाना।

- आत्मविश्वास, सहजता व धारा प्रवाह बोलना, कार्यक्रम-प्रस्तुति।
- भावों का सिम्मिश्रण जैसे हर्ष, विषाद, विस्मय, आदर आदि को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करना, भावानुकूल संवाद-वाचन।
- औपचारिक व अनौपचारिक भाषा में भेद कर सकने में कुशल होना व प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित व शिष्ट भाषा में प्रकट करना।
- मौखिक अभिव्यक्ति को क्रमबद्ध, प्रकरण की एकता सिहत व यथासंभव संक्षिप्त रखना।
- स्वागत करना, परिचय करना धन्यवाद देना, भाषण, वाद-विवाद, कृतज्ञता ज्ञापन, संवेदना व बधाई इत्यादि मौखिक कौशलों का उपयोग।
- मंच भय से मुक्त होकर प्रभावशाली ढंग से 5, 10 मिनट तक भाषण देना।

वाचन (बोलना) का परीक्षण

- चित्रों के क्रम पर आधारित वर्णन : इस भाग में अपेक्षा की जाएगी कि परीक्षार्थी विवरणात्मक भाषा का प्रयोग करें।
- किसी चित्र का वर्णन : (चित्र लोगों या स्थानों के हो सकते हैं)।
- किसी निर्धारित विषय पर बोलना, जिससे वह अपने व्यक्तिगत अनुभव का प्रत्यास्मरण कर सके।
- कोई कहानी सुनाना या किसी घटना का वर्णन करना।

यहाँ इस तथ्य पर बल देना आवश्यक है कि संपूर्ण सत्र के दौरान वाचन कौशालों का मूल्यांकन एक नियमित व सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। वार्तालाप कौशालों के मूल्यांकन के लिए एक मापक्रम नीचे दिया गया है। इसमें प्रत्येक कौशाल के लिए छात्रों को शून्य से दस के मध्य अंक प्रदान किये जाते हैं परंतु 1,3,5,7,तथा 9 पिट्टकाओं हेतु ही विनिर्दिष्टताएँ स्पष्ट की गई हैं इस मापक्रम का उपयोग करते हुए शिक्षक अपने छात्रों को किसी विशिष्ट पिट्टका में रख सकता है उदाहरणार्थ यदि किसी छात्र के कौशाल पिट्टका संख्या 3 व 5 के मध्य स्थित है तो उसे 4 अंक प्रदान किये जा सकते हैं विशिष्ट योग्यता वाले छात्रों को 10 अंक भी प्रदान किये जा सकते हैं। छात्रों को वर्ष के प्रारम्भ में ही यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि उनका कक्षा में सहभागिता का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाना है।

कौशलों के अंतरण का मुल्यांकन के लिए मापक्रम

(सूनना) वाचन (बोलना) 1. विद्यार्थी में परिचित संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों और पदों को शिक्षार्थी केवल अलग-अलग शब्दों और पदों के प्रयोग समझने की सामान्य योग्यता है, किन्तु सुसंबद्ध आशय की योग्यता प्रदर्शित करता है किन्तु एक सुसंबद्ध स्तर को नहीं समझ पाता। पर नहीं बोल सकता। 3. छोटे सुसंबद्ध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की 3. परिचित संदर्भो में केवल छोटे सुसंबद्ध कथनों का योग्यता है। सीमित शुद्धता से प्रयोग करता है। 5. परिचित या अपरिचित दोनों संदर्भों में कथित सूचना को 5. अपेक्षाकृत दीर्घ भाषण में अधिक जटिल कथनों के स्पष्ट समझने की योग्यता है। अशुद्धियाँ करता है जिससे प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है अभी भी कुछ अशुद्धियाँ करता है। जिससे प्रेषण में रुकावट आती है। प्रेषण में रुकावट आती है।

- दीर्घ कथनों की श्रृंखला को पर्याप शुद्धता से समझता है और निष्कर्ष निकाल सकता है।
- जटिल कथनों के विचार-बिंदुओं को समझने की योग्यता प्रदर्शित करता है, उद्देश्य के अनुकूल सुनने की कुशलता प्रदर्शित करता है।
- अपिरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से संगठित कर धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी गलितयाँ करता है जिनसे प्रेषण में रुकावट नहीं आती।
- 9. उद्देश्य और श्रोता के लिए उपयुक्त शैली को अपना सकता है, केवल मामुली गलतियाँ करता है।

टिप्पणी :

- परीक्षण से पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाए।
- विवरणात्मक भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग अपेक्षित है।
- निर्धारित विषय परीक्षार्थी के अनुभव संसार के हों, जैसे : कोई चुटकुला या हास्य-प्रसंग सुनाना, हाल में पढ़ी पुस्तक या देखे गए सिनेमा की कहानी सुनाना।
- जब परीक्षार्थी बोलना प्रारंभ कर दे तो परीक्षक कम से कम हस्तक्षेप करें।

पठन

पठन क्षमता का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने में निहित है जो स्वतंत्र रूप से चिन्तन कर सकें तथा जिनमें न केवल अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण की क्षमता हो अपित वे इसका आत्मावलोकन भी कर सकें।

- सरसरी दृष्टि से पढ पाठ का केन्द्रीय विचार ग्रहण कर लेना।
- एकाग्र चित्त हो एक अभीष्ट गति के साथ मौन पठन करना।
- पठित सामग्री पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर सकना।
- भाषा, विचार एवं शैली की सराहना कर सकना।
- साहित्य के प्रति अभिरुचि का विकास करना।
- संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ-भेदों को पहचान लेना।
- िकसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तत्सम्बन्धी विशेष स्थल को पहचान लेना।
- पठित सामग्री के विभिन्न अंशों का परस्पर संबंध समझना।
- पठित अनुच्छेदों के शीर्षक एवं उपशीर्षक देना।
- कविता के प्रमुख उपादान तुक, लय, यित आदि से पिरिचित होना।

टिप्पणी:- पठन के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, कलात्मक मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथा खेल-कूद और मनोरंजन संबंधी साहित्य के सरल अंश चुने जाएँ।

लिखने की योग्यताएँ

- लिपि के मानक रूप का ही व्यवहार करना।
- विराम-चिन्हों का सही प्रयोग करना।
- लेखन के लिए सिक्रय (व्यवहारोपयोगी) शब्द भण्डार की वृद्धि करना।

- प्रभावपूर्ण भाषा तथा लेखन-शैली का स्वाभाविक रूप से प्रयोग करना।
- उपयुक्त अनुच्छेदों में बाँटकर लिखना।
- प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, आदेश पत्र, आदि लिखना, तार लिखना और विविध प्रपत्रों को भरना ।
- विविध स्रोतों से आवश्यक सामग्री एकत्र कर अभीष्ट विषय पर निबन्ध लिखना।
- देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना और उन पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना।
- पढी हुई कहानी को संवाद में पिरवर्तित करना और संवाद को कहानी में।
- समारोहों और गोष्ठियों की सचना और प्रतिवेदन तैयार करना।
- सार, संक्षेपीकरण, भावार्थ लिखना।
- गद्य एवं पद्य अवतरणों की व्याख्या लिखना।
- स्वानुभूत विचारों और भावनाओं का स्पष्ट, सहज और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना।
- क्रमबद्धता और प्रकरण की एकता बनाए रखना।
- अभिव्यक्ति में सौष्ठव एवं संक्षिप्तता का ध्यान रखना।
- लिखने में मौलिकता और सर्जनात्मकता लाना।

रचनात्मक अभिव्यक्ति

• वाद-विवाद

विषय - शिक्षक विषय का चुनाव स्वयं करें।

आधार बिंदु - तार्किकता, भाषण कला, अपनी बात अधिकारपूर्वक कहना।

किव सम्मेलन – पाठ्यपुस्तक में संकलित किवताओं के आधार पर किवता पाठ

या

मौलिक कविताओं की रचना कर कवि सम्मेलन या अंत्याक्षरी।

आधार बिंदु:-

- अभिव्यक्ति
- गित, लय, आरोह-अवरोह सिहत कविता वाचन
- मंच पर बोलने का अभ्यास / या मंच भय से मुक्ति
- कहानी सुनाना/कहानी लिखना या घटना का वर्णन / लेखन
 - संवाद भावानुकूल, पात्रानुकूल
 - घटनाओं का क्रमिक विवरण
 - प्रस्तुतीकरण
 - उच्चारण

- परिचय देना और परिचय लेना पाठ्य पुस्तक के पाठों से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तरीके से किसी नए
 मित्र से संवाद स्थापित करते हुए अपना परिचय सरल शब्दों में देना तथा उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना ।
- अभिनय कला पाठों के आधार पर विद्यार्थी अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन कर भाषा में संवादों की अदायगी का प्रभावशाली प्रयोग कर सकते हैं, नाटक एक सामूहिक क्रिया है । अत: नाटक के लेखन, निर्देशन संवाद, अभिनय, भाषा व उद्देश्य इत्यादि को देखते हुए शिक्षक स्वयं अंकों का निर्धारण कर सकता है ।
- आशुभाषण- छात्रों की अनुभव परिधि से संबंधित विषय।
- सामूहिक चर्चा- छात्रों की अनुभव परिधि से संबंधित विषय।

मूल्यांकन के संकेत बिंदुओं का विवरण

प्रस्तुतीकरण

- आत्मविश्वास
- हाव-भाव के साथ
- प्रभावशाली
- तार्किकता
- स्पष्टता

विषय वस्तु

- विषय की सही अवधारणा
- तर्क सम्मत

भाषा

शब्द चयन व स्पष्टता स्तर और अवसर के अनुकूल हों ।

उच्चारण

स्पष्ट उच्चारण, सही अनुतान, आरोह अवरोह अधिक बल देना चाहिए ।

इस अवस्था पर बल दिए जाने योग्य कुछ जीवन मूल्य

- सच्चाई, आत्म-अनुशासन
- सहकारिता, सहानुभूति
- न्याय, समानता
- पहल, नेतृत्व
- ईमानदारी, निष्ठा
- जनतांत्रिकता, देशभिक्त
- उत्तरदायित्व की भावना

 हिंदी पाठ्यक्रम - 'ए' (कोड सं. - 002) कक्षा-9

संकलित परीक्षा । (एस 1) हेतु भार विभाजन (अ	कुल भार %	
विषयवस्तु	अंक	
अपठित बोध	20	20%
व्याकरण	20	
पाठ्यपुस्तक व पूरकपाठ्यपुस्तक	30	
लेखन	10	
फॉरमैटिव परीक्षा (एफ-1 व एफ 2)		20%
कुल भार		40%

संकलित परीक्षा 2 (एस 2) हेतु भार विभाजन (अक	कुल भार %	
विषयवस्तु	अंक	
अपठित बोध	20	40%
व्याकरण	20	
पाठ्यपुस्तक व पूरकपाठ्यपुस्तक	30	
लेखन	10	
फॉरमैटिव परीक्षा (एफ-3 व एफ 4)		20%
कुल भार		60%

टिप्पणी:

1. संकलित परीक्षाओं का कुल भार 60 प्रतिशत तथा फॉरमैटिव परीक्षाओं का कुल भार 40 प्रतिशत होगा। फॉरमैटिव परीक्षाओं के 40 प्रतिशत में से प्रत्येक सत्र में 5 प्रतिशत भाग(संपूर्ण वर्ष में 10 प्रतिशत) श्रवण व वाचन कौशलों के परीक्षण हेतु आरक्षित होगा। शेष 30 प्रतिशत फॉरमैटिव मूल्यांकन, पाठ्यचर्या के अन्य अंगों जैसे पठन, लेखन, व्याकरण, पाठ्यपुस्तक व पूरक पाठ्यपुस्तक, पर आधारित होगा। इसमें बोलने, सुनने, लिखने व बोध पर आधारित मौखिक, लिखित अथवा कार्यकलापों पर आधारित परीक्षण किया जा सकता है।

2. संकलित परीक्षा एक (एस-1) 80 अंकों की होगी। 80 अंकों को मूल्यांकन के पश्चात 20 अंकों में से परिवर्तित कर लिया जाएगा तदुपरांत ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा तथा संकलित परीक्षा दो (एस-2) 80 अंकों की होगी व 80 अंकों को मूल्यांकन के पश्चात 40 अंकों में से परिवर्तित करने के उपरांत ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

संकलित परीक्षाओं हेतु विभाजन

खण्ड	विभाग	अंक	कुल अंक
क.	 अपठित गद्यांश—बोध 	5 x 2=10	20
	2. अपठित पद्यांश—बोध	5 x 2=10	
ख.	व्याकरण	5 x 4=20	20
ग.	पाठ्यपुस्तक – क्षितिज भाग–1	25	30
	पूरकपाठ्यपुस्तक – कृतिका भाग–1	0.5	
ਬ.	लेखन	10	10

कक्षा नौवीं हिन्दी 'अ'- संकलित परीक्षाओं हेतु परीक्षा विनिर्देशन 2010-2011

खण्ड क - अपठित गद्यांश

20 अंक

प्रश्न संख्या 1-4

20

- 1. दो अपठित गद्यांश (100 से 150 शब्द)
- दो अपठित काव्यांश (100 से 150 शब्द)

उपर्युक्त गद्यांश व पद्यांश पर शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **चार** प्रश्न पूछे जाएँगे प्रत्येक प्रश्न के **पाँच** बहुविकल्पी भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा ।

खण्ड-ख : व्यावहारिक व्याकरण

प्रश्न संख्या 5-9

व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **पाँच** प्रश्न पूछे जाएँगे प्रत्येक प्रश्न के **चार बहुविकल्पी** भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा ।

खण्ड-ग : पाठ्यपुस्तक व पूरक पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग-1 व कृतिका भाग-1

प्रश्न संख्या 10-14

प्रश्न संख्या 10

क्षितिज से निर्धारित पाठों में से कोई एक गद्यांश दिया जाएगा (विकल्प सहित) तथा इस पर शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **एक प्रश्न** पूछा जाएगा तथा इस प्रश्न के **पाँच** बहुविकल्पी भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा । (5**X**1)

प्रश्न संख्या 11

इस प्रश्न के **पाँच** भाग होंगे। प्रत्येक भाग **लघुउत्तरीय** प्रकार का होगा तथा प्रत्येक **भाग दो अंक** का होगा। सभी प्रश्न क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर होंगे तथा यह छात्रों की उच्च चिंतन व मनन क्षमताओं का आकलन करने हेतु पूछे जाएँगे। इन प्रश्नों का कुल भार **दस अंक** होगा (2**X**5)

प्रश्न संख्या 12

क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से **कोई एक** काव्यांश दिया जाएगा (विकल्प सहित) तथा इस पर पाँच अति लघुउत्तरीय प्रश्न अथवा तीन लघुउत्तरीय प्रश्न पूछे जाएँगे। इन प्रश्नों का कुल भार पाँच अंक होगा। यह छात्रों की काव्य के बोध व उनकी काव्य पर स्वयं की सोच की परख करने हेतु पुछे जाएँगे।

(5)

प्रश्न संख्या 13

इस प्रश्न के दो या तीन भाग होंगे क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर लघुउत्तरीय / अतिलघुउत्तरीय **दो अथवा** तीन प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रश्नों का आधार छात्रों का काव्य बोध परखने पर होगा । इस प्रश्न के कुल अंक **पाँच** होंगे।(5)

प्रश्न संख्या 14

कृतिका से निर्धारित पाठों पर शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध आदि पर **पाँच** अंक का, **दो में से एक** निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। जो छात्रों के सामाजिक जीवन से जुड़ी जीवंत समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण व उच्च स्तरीय विचार कौशलों के परीक्षण हेतु बनाए जाएँगे।

खण्ड-घ : लेखन

प्रश्न संख्या 15-16 (10)

प्रश्न संख्या 15

समसामयिक विषयों पर **दो में से एक** निबन्ध (5 अंक) पूछा जाएगा। इसमें विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, भाषा की सफाई आदि पर अंक निर्धारण किया जाएगा। (5)

प्रश्न संख्या 16

वास्तविक जीवन से संबंधित विषयों पर **दो में से एक पत्र (5 अंक)** पूछा जाएगा। इसमें विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, भाषा की सफाई आदि पर अंक निर्धारण किया जाएगा। (5)

कक्षा नौवीं हिन्दी 'अ'- संकलित एवं फॉरमैटिव परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम का विभाजन

क्रम० स०	पाठ्य पुस्तक	प्रथम सत्र (अप्रैल से सितम्बर)		(अ	द्वितीय सत्र क्तूबर से म	ार्च)	
	क्षितिज भाग-1 गद्य खण्ड	FA 1 10	FA2 10	SA I 30	FA3 10	FA4 10	SA II 30
1	प्रेमचंद-दो बैलों की कथा	1		1			
2	राहुल सांकृत्यायन -ल्हासा की ओर		1	1			
3	श्यामचरण दुबे-उपभोक्तावाद की संस्कृति		1	1			
4	जाबिर हुसैन-साँवले सपनों की याद				1		1
5	चपला देवी-नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया				/		1
6	हरिशंकर परसाई- प्रेमचंद के फटे जूते					1	1
7	महादेवी वर्मा-मेरे बचपन के दिन					1	1
8	हज़ारी प्रसाद द्विवेदी-एक कुत्ता और एक मैना					1	1
	काव्य खंड	FA 1 10	FA2 10	SA I 30	FA3 10	FA4 10	SA II 30
9	कबीर-साखियाँ एवं सबद	1		1			
10	ललहाद-वाख	1		1			
11	रसखान-सवैये		✓	1			

		FA 1 10	FA2 10	SA I 30	FA3 10	FA4 10	SA II 30
12	माखनलाल चतुर्वेदी-कैदी और कोकिला		1	1			
13	सुमित्रानंदन पंत-ग्राम श्री				*		
14	केदारनाथ अग्रवाल-चंद्र गहना से लौटती बेर				*		1
15	सर्वेश्वर दयाल सक्सेना-मेघ आए					1	1
16	चंद्रकांत देवताले- यमराज की दिशा					1	1
17	राजेश जोशी-बच्चे काम पर जा रहे हैं					1	1
	कृतिका	FA 1 10	FA2 10	SA I 30	FA3 10	FA4 10	SA II 30
1	इस जल प्रलय में -फणीश्वरनाथ रेणु	1		1			
2	मेरे संग की औरतें–मृदुला गर्ग		1	1			
3	रीढ़ की हड्डी- जगदीश चन्द्र माथुर				1		1
4	माटी वाली-विद्या सागर नौटियाल					1	1
5	किस तरह आखिरकार मैं हिन्दी में आया- शमशेर बहादुर सिंह					1	✓

क्रम० स०	पाठ्य पुस्तक	प्रथम सत्र (अप्रैल से सितम्बर)			द्वितीय सत्र (अक्तूबर से मार्च)		
	व्याकरण	FA 1 10	FA2 10	SA I 30	FA3 10	FA4 10	SA II 30
1	शब्द निर्माण- उपसर्ग, प्रत्यय, समास	>		*	*		*
2	संज्ञा		1	1	1		1
3	सर्वनाम		1	1		1	1
4	मुहावरे		1	1			
6	लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव तथा परसर्ग 'ने' का क्रिया पर प्रभाव				>		*
7	कारक, समास, विलोम शब्द, श्रुतिसमभिन्नार्थक व पर्यायवाची शब्द					√	√

पुस्तकें

- 1. पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग-1
- 2. पूरक पुस्तक कृतिका-भाग-।

टिप्पणी:

- फॉरमैटिव मूल्यांकन का अभिप्राय अधिगम के मूल्यांकन से है। इसिलए विद्यालय उपर्युक्त विभाजन का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकते हैं।
- 2. फाॅरमैटिव मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यकलाप जैसे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक खेल, पहेली, प्रतियोगिता, परियोजना (Project), भूमिका निर्वहन (Roleplay), कहानी लेखन, नाट्य रचनांतरण (Dramatisation), आदि कक्षा में अथवा विद्यालय में करवाये जाने वाले कार्यकलाप हैं। यदि कोई ऐसा कार्यकलाप है जिसमें विद्यालय से बाहर जाकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में यह कार्य शिक्षक के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में होना चाहिए।

हिन्दी पाठ्यक्रम - 'ए' (कोड सं. - 002) कक्षा - 10

संकलित परीक्षा 1 (एस 1) हेतु भार विभाजन (अप्रै	कुल भार %	
विषयवस्तु	अंक]
अपठित बोध	20	20%
व्याकरण	20	
पाठ्यपुस्तक व पूरकपाठ्यपुस्तक	30	
लेखन	10	
फॉरमैटिव परीक्षा (एफ-1 व एफ 2)		20%
कुल भार		40%

संकलित परीक्षा 2 (एस 2) हेतु भार विभाजन (अव	कुल भार %	
विषयवस्तु	अंक	
अपठित बोध	20	40%
व्याकरण	20	
पाठ्यपुस्तक व पूरकपाठ्यपुस्तक	30	
लेखन	10	
फॉरमैटिव परीक्षा (एफ-3 व एफ 4)		20%
कुल भार		60%

टिप्पणी:

1. संकलित परीक्षाओं का कुल भार 60 प्रतिशत तथा फॉरमैटिव परीक्षाओं का कुल भार 40 प्रतिशत होगा। फॉरमैटिव परीक्षाओं के 40 प्रतिशत में से प्रत्येक सत्र में 5 प्रतिशत भाग(संपूर्ण वर्ष में 10 प्रतिशत) श्रवण व वाचन कौशलों के परीक्षण हेतु आरक्षित होगा। शेष 30 प्रतिशत फॉरमैटिव मूल्यांकन, पाठ्यचर्या के अन्य अंगों जैसे पठन, लेखन, व्याकरण, पाठ्यपुस्तक व पूरक पाठ्यपुस्तक, पर आधारित होगा। इसमें बोलने, सुनने, लिखने व बोध पर आधारित मौखिक, लिखित अथवा कार्यकलापों पर आधारित परीक्षण किया जा सकता है।

2. संकलित परीक्षा एक (एस-1) 80 अंकों की होगी। 80 अंकों को मूल्यांकन के पश्चात 20 अंकों में से परिवर्तित कर लिया जाएगा तदुपरांत ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा तथा संकलित परीक्षा दो (एस-2) 80 अंकों की होगी व 80 अंकों को मूल्यांकन के पश्चात 40 अंकों में से परिवर्तित करने के उपरांत ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

संकलित परीक्षाओं हेत् विभाजन

खण्ड	विभाग	अंक	कुल अंक
क.	 अपठित गद्यांश—बोध 	5 x 2=10	20
	2. अपठित पद्यांश—बोध	5 x 2=10	
ख.	व्याकरण	5 x 4=20	20
ग.	पाठ्यपुस्तक – क्षितिज भाग–1	25	30
	पूरकपाठ्यपुस्तक – कृतिका भाग–1	0.5	
ਬ.	लेखन	10	10

कक्षा दसवीं हिन्दी 'अ'- संकलित परीक्षाओं हेतु परीक्षा विनिर्देशन 2011-2012

खण्ड - क - अपठित गद्यांश बोध

20

दो अपठित गद्यांश (100 से 150 शब्दों के)

दो अपठित काव्यांश (100 से 150 शब्दों के)

उपर्युक्त गद्यांश व पद्यांश पर शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **बहुविकल्पी** प्रकार के **चार** प्रश्न पुछे जाएँगे प्रत्येक प्रश्न के **पाँच** भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा ।

खण्ड-ख : व्यावहारिक व्याकरण

प्रश्न संख्या 5-9

व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **पाँच** प्रश्न पूछे जाएँगें प्रत्येक प्रश्न के **चार बहुविकल्पी** भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा।

खण्ड-ग : पाठ्यपुस्तक व पूरक पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग-2 व कृतिका भाग-2

प्रश्न संख्या 10-14 30

प्रश्न संख्या 10

क्षितिज से निर्धारित पाठों में से कोई एक गद्यांश दिया जाएगा **(विकल्प सहित)** तथा इस पर शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रकार का **एक प्रश्न** पूछा जाएगा तथा इस प्रश्न के **पाँच** भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा। (5**X**1)

प्रश्न संख्या 11

इस प्रश्न के **पाँच** भाग होंगे। प्रत्येक भाग **लघुउत्तरीय** प्रकार का होगा तथा प्रत्येक **भाग दो अंक** का होगा। सभी प्रश्न क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर होंगे तथा यह छात्रों की उच्च चिंतन व मनन क्षमताओं का आकलन करने हेतु पूछे जाएँगे। इन प्रश्नों का कुल भार **दस अंक** होगा।

प्रश्न संख्या 12

क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से **कोई एक** काव्यांश दिया जाएगा (विकल्प सहित) तथा इस पर पाँच अति लघुउत्तरीय प्रश्न अथवा तीन लघुउत्तरीय प्रश्न पूछे जाएँगे। इन प्रश्नों का कुल भार पाँच अंक होगा यह छात्रों की काव्य के बोध व उनकी काव्य पर स्वयं की सोच की परख करने हेतु पूछे जाएँगे।

प्रश्न संख्या 13

इस प्रश्न के **दो या तीन** भाग होंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर लघुउत्तरीय/ अतिलघुउत्तरीय **दो अथवा** तीन प्रश्न पूछे जाएँगे प्रश्नों का आधार छात्रों का काव्य बोध परखने पर होगा । इस प्रश्न के कुल अंक **पाँच** होंगे। (5)

प्रश्न संख्या 14

कृतिका से निर्धारित पाठों पर शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, पर **पाँच** अंक का **दो में से एक** निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो छात्रों का सामाजिक जीवन से जुडी जीवंत समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण व उच्च स्तरीय विचार कौशलों के परीक्षण हेतु बनाए जाएँगे। (5)

खण्ड-घ : लेखन

प्रश्न संख्या 15-16 (10)

प्रश्न संख्या 15

समसामयिक विषयों पर **दो में से एक** निबन्ध (5 अंक) पूछा जाएगा। इसमें विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, भाषा की सफाई आदि पर अंक निर्धारण किया जाएगा। (5)

प्रश्न संख्या 16

वास्तविक जीवन से संबंधित विषयों पर **दो में से एक** पत्र (5 अंक) का पूछा जाएगा। इसमें विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, भाषा की सफाई आदि पर अंक निर्धारण किया जाएगा।

कक्षा दसवीं हिन्दी 'अ'- संकलित एवं फॉरमैटिव परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम का विभाजन

क्रम० स०	पाठ्य पुस्तक	प्रथम सत्र (अप्रैल से सितम्बर)			द्वितीय सत्र (अक्तूबर से मार्च)		
	क्षितिज भाग-2 गद्य खण्ड	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
10	स्वयं प्रकाश- नेताजी का चश्मा	1		1			
11	रामवृक्ष बेनीपुरी- बालगोबिन भगत	1		1			
12	यशपाल-लखनवी अंदाज		1	1			
13	सर्वेश्वर दयाल सक्सेना-मानवीय करूणा की दिव्य चमक				>		\
14	मन्नू भंडारी-एक कहानी यह भी				1		✓
15	महावीर प्रसाद द्विवेदी-स्त्री-शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन				1		1
16	यतींद्र मिश्र-नौबत खाने में इबादत					1	✓
17	भदंत आनंद कौसल्यायन- संस्कृति					1	1
	काव्य खंड	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	सूरदास-ऊधौ, तुम हौ अति बड्भागी	1		✓			
2	तुलसी दास- राम-लक्ष्मण- परशुराम संवाद				1		1

3	देव-पाँयनि नुपुर मंजू बजै	1		1			
4	जयशंकर प्रसाद -आत्मकथ्य		1	1			
5	सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'–उत्साह अट नहीं रही है		1	✓			
6	नागार्जुन-यह दंतुरित मुसकान, फसल				1		1
7	गिरिजा कुमार माथुर- छाया मत छूना मन				1		1
8	ऋतु राज - कन्यादान					1	1
9	मंगलेश डबराल- संगतकार					/	1
	कृतिका	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	शिवपूजन सहाय- माता का आँचल	/		1			
2	कमलेश्वर-जॉर्ज पंचम की नाक		1	1			
3	साना-साना हाथ जोड़ि- मधु कांकरिया				1		1
4	एही ढैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा - शिव प्रसाद मिश्र 'रुद्र'					1	1
5	मैं क्यों लिखता हूँ-अज्ञेय					*	/

क्रम० स०	पाठ्य पुस्तक	प्रथम सत्र (अप्रैल से सितम्बर)			द्वितीय सत्र (अक्तूबर से मार्च)		
	व्याकरण	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	क्रिया-भेद, अकर्मक/सकर्मक, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया	/		√			
2	विशेषण और क्रिया विशेषण		>	1			
3	पद-परिचय				1		1
4	वाक्य भेद: रचना के अनुसार, रचनान्तरण				1		1
6	वाच्य परिवर्तन					1	1
7	अलंकार : अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तथा मानवीकरण					✓	/

पुस्तकें

- 1. पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग-2
- 2. पूरक पुस्तक कृतिका-भाग-2

टिप्पणी:

- फॉरमैटिव मूल्यांकन का अभिप्राय अधिगम के मूल्यांकन से है। इसलिए विद्यालय उपर्युक्त विभाजन का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकते हैं।
- 2. फाॅरमैटिव मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यकलाप जैसे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक खेल, पहेली, प्रतियोगिता, पिरयोजना (Project), भूमिका निर्वहन (Roleplay), कहानी लेखन, नाट्य रचनांतरण (Dramatisation), आदि कक्षा में अथवा विद्यालय में करवाये जाने वाले कार्यकलाप हैं। यदि कोई ऐसा कार्यकलाप है जिसमें विद्यालय से बाहर जाकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में यह कार्य शिक्षक के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में होने चाहिए।

द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी

कक्षा IX-X

भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें बहुत-सी क्षेत्रीय भाषाएँ रची-बसी हैं। भाषिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न होने के बावजूद भारतीय परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो एक दूसरे को जोड़ता है। यही कारण है कि मातृभाषा के रूप में अलग भाषा को पढ़ने वाला विद्यार्थी जब दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का चुनाव करता है तो उसके पास अभिव्यक्ति का एक दृढ़ आधार पहली भाषा के रूप में पहले से ही मौजूद होता है। इसीलिए छठी से आठवीं कक्षा में सीखी हुई हिंदी का विकास भी वह तेज़ी से करने लगता है। आठवीं कक्षा तक वह हिंदी भाषा में सुनने, पढ़ने, लिखने और कुछ-कुछ बोलने का अभ्यास कर चुका होता है। हिंदी की बाल पत्रिकाएँ और छिटपुट रचनाएँ पढ़ना भी अब उसे आ गया है। इसीलिए जब वह नवीं, दसवीं कक्षा में हिंदी पढ़ेगा तो जहाँ एक ओर हिंदी भाषा के माध्यम से सारे देश से जुड़ेगा वहीं दूसरी ओर अपने क्षेत्र और पिवेश को हिंदी भाषा के माध्यम से जानने की कोशिश भी करेगा क्योंकि किशोर वय के इन बच्चों के मानसिक धरातल का विकास विश्व-स्तर तक पहुँच चुका होता है।

शिक्षण उद्देश्य

- दैनिक जीवन में हिंदी में समझने-बोलने के साथ-साथ लिखने की क्षमता का विकास करना।
- हिंदी के किशोर-साहित्य, अखबार व पत्रिकाओं को पढ़कर समझ पाना और उसका आनंद उठाने की क्षमता का विकास करना।
- औपचारिक विषयों और संदर्भों में बातचीत में भाग ले पाने की क्षमता का विकास करना।
- हिंदी के ज़रिये अपने अनुभव संसार को लिखकर सहज अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम बनाना।
- संचार के विभिन्न माध्यमों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रयुक्त हिंदी के विभिन्न रूपों को समझने की योग्यता का विकास करना।
- कक्षा में बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील सकारात्मक सोच बनाना।
- अपनी मातृभाषा और परिवेशगत भाषा को साथ रखकर हिंदी की संरचनाओं की समझ बनाना।

शिक्षण युक्तियाँ :

• द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही हिंदी भाषा का स्तर पढ़ने और पढ़ाने दोनों ही दृष्टियों से मातृभाषा सीखने की तुलना में कुछ मंथर गित से चलेगा। यह गित धीरे-धीरे बढ़ सके, इसके लिए हिंदी अध्यापकों को बड़े धीरज से अपने अध्यापन कार्यक्रमों को नियोजित करना होगा। िकसी भी द्वितीय भाषा में निपुणता प्राप्त करने-कराने का एक ही उपाय है- उस भाषा का लगातार रोचक अभ्यास करना-कराना। ये अभ्यास जितने अधिक रोचक, सिक्रय एवं प्रासंगिक होंगे विद्यार्थियों की भाषिक उपलब्धि भी उतनी ही तेज़ी से हो सकेगी। मुखर भाषिक अभ्यास के लिए वार्तालाप, रोचक कहानी सुनना-सुनाना, घटना वर्णन, चित्र-वर्णन, संवाद, वाद-विवाद, अभिनय, भाषण प्रतियोगिताएँ, कविता पाठ और अंत्याक्षरी जैसी गितविधियों का सहारा लिया जा सकता है।

- मध्यकालीन काव्य की भाषा के मर्म से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए ज़रूरी होगा कि किताबों में आए काव्यांशों की संगीतबद्ध प्रस्तुतियों के ऑडियो-वीडियो कैसेट तैयार किए जाएँ। अगर आसानी से कोई गायक/गायिका मिले तो कक्षा में मध्यकालीन साहित्य के अध्यापन-शिक्षण में उससे मदद ली जानी चाहिए।
- वृत्तचित्रों और फ़ीचर फ़िल्मों को शिक्षण-सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इनके प्रदर्शन के क्रम में इन पर लगातार बातचीत के ज़िरए सिनेमा के माध्यम से भाषा के प्रयोग की विशिष्टता की पहचान कराई जा सकती है और हिंदी की अलग-अलग छटा दिखाई जा सकती है।
- कक्षा में सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक की भौतिक उपस्थिति से बेहतर यह है शिक्षक के हाथ में तरह-तरह की पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी देख सकें और शिक्षक उनका कक्षा में अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल कर सकें।
- भाषा लगातार ग्रहण करने की क्रिया में बनती है, इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद यह सिखा सकें कि वे भी शब्दकोश, साहित्यकोश, संदर्भग्रंथ की लगातार मदद ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में इनके इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता बढ़ेगी। अनुमान के आधार पर निकटतम अर्थ तक पहुँचकर संतुष्ट होने की जगह वे अधिकतम अर्थ की खोज करने का अर्थ समझ जाएँगे। इससे शब्दों की अलग-अलग रंगत का पता चलेगा और उनमें संवेदनशीलता भी बढेगी। वे शब्दों के बारीक अंतर के प्रति और सजग हो पाएँगे।

व्याकरण के बिंदु

कक्षा IX

- वर्ण-विच्छेद, वर्तनी : रु के विभिन्न रूप, बिंदु-चंद्रबिंदु, अर्धचंद्राकार, नुक्ता।
- तरह-तरह के पाठों के संदर्भ में शब्दों के अवलोकन द्वारा उपसर्ग, प्रत्यय और समास शब्दों की पहचान।
- वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्दों का सुचिंतित प्रयोग।
- मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग और उनके लिए उचित संदर्भ स्थितियों का वर्णन।

कक्षा X

- शब्द. पद और पदबंध में अंतर।
- मिश्र और संयुक्त वाक्यों की संरचना और अर्थ, वाक्य रूपांतरण।
- शब्दों के अवलोकन द्वारा संधि की पहचान, कुछ और उपसर्गों, प्रत्ययों और समास शब्दों की पहचान और उनके अर्थ का अनुमान।
- मुहावरों और लोकोिक्तयों का अंतर और उनका प्रयोग।
- वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्दों का सुचिंतित प्रयोग।

फॉरमैटिव मूल्यांकन

श्रवण (सुनना) सुनने और बोलने की योग्यताएँ

- प्रवाह के साथ बोली जाती हुई हिन्दी को अर्थबोध के साथ समझना। वार्ताओं या संवादों को समझ सकना।
- हिन्दी शब्दों का ठीक उच्चारण कर सकना तथा हिन्दी के स्वाभाविक अनुतान का प्रयोग करना।
- सामान्य विषयों पर बातचीत कर सकना और परिचर्चा में भाग ले सकना।

- हिन्दी कविताओं को उचित लय, आरोह-अवरोह और भाव के साथ पढ सकना।
- सरल विषयों पर कुछ तैयारी के साथ दो-चार मिनट का भाषण दे सकना।
- हिन्दी में स्वागत कर सकना, परिचय दे सकना और धन्यवाद दे सकना।
- हिन्दी अभिनय में भाग ले सकना।

श्रवण (सुनना) का मूल्यांकन:- परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा। अनुच्छेद तथ्यात्मक या सुझावात्मक हो सकता है। अनुच्छेद लगभग 150 शब्दों का होना चाहिए। परीक्षक को सुनते-सुनते परीक्षार्थी अलग कागज़ पर दिए हुए श्रवण बोधन के अभ्यासों को हल कर सकेंगे। अभ्यास रिक्त स्थान पूर्ति, बहुविकल्पी अथवा सत्य /असत्य का चुनाव आदि विधाओं में हो सकते हैं।

वाचन (बोलना) का परीक्षण

- चित्रों के क्रम पर आधारित वर्णन : इस भाग में अपेक्षा की जाएगी कि परीक्षार्थी विवरणात्मक भाषा का प्रयोग करें।
- किसी चित्र का वर्णन
 : (चित्र लोगों या स्थानों के हो सकते हैं)।
- िकसी निर्धारित विषय पर बोलना, जिससे वह अपने व्यक्तिगत अनुभव का प्रत्यास्मरण कर सके।
- कोई कहानी सुनाना या किसी घटना का वर्णन करना। यहाँ इस तथ्य पर बल देना आवश्यक है कि संपूर्ण सत्र के दौरान वाचन कौशलों का मूल्यांकन एक नियमित व सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। वार्तालाप कौशलों के मूल्यांकन के लिए एक मापक्रम नीचे दिया गया है। इसमें प्रत्येक कौशल के लिए छात्रों को शून्य से दस के मध्य अंक प्रदान किये जाते हैं परंतु 1,3,5,7,तथा 9 पिट्टकाओं हेतु ही विनिर्दिष्टताएँ स्पष्ट की गई है। इस मापक्रम का उपयोग करते हुए शिक्षक अपने छात्रों को किसी विशिष्ट पिट्टका में रख सकता है उदाहरणार्थ यदि किसी छात्र के कौशल पिट्टका संख्या 3 व 5 के मध्य स्थित हैं तो उसे 4 अंक प्रदान किये जा सकते हैं। विशिष्ट योग्यता वाले छात्रों को 10 अंक भी प्रदान किये जा सकते हैं। छात्रों को वर्ष के प्रारम्भ में ही यह सूचित कर दिया जाना चाहिए कि उनका कक्षा में सहभागिता का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाना है।

कौशलों के अंतरण के मूल्यांकन के लिए मापक्रम

श्रवण (सुनना)	वाचन (बोलना)
 विद्यार्थी में परिचित संदर्भो में प्रयुक्त शब्दों और पदों को	 शिक्षार्थी केवल अलग-अलग शब्दों और पदों के प्रयोग
समझने की सामान्य योग्यता है, किन्तु सुसंबद्ध आशय	की योग्यता प्रदर्शित करता है किन्तु एक सुसंबद्ध स्तर
को नहीं समझ पाता।	पर नहीं बोल सकता।
 छोटे सुसंबद्ध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की	 परिचित संदर्भों में केवल छोटे सुसंबद्ध कथनों का
योग्यता है।	सीमित शुद्धता से प्रयोग करता है।
 परिचित या अपिरचित दोनों संदर्भों में कथित सूचना को	5. अपेक्षाकृत दीर्घ भाषण में अधिक जटिल कथनों के प्रयोग
स्पष्ट समझने की योग्यता है। अशुद्धियाँ करता है जिससे	की योग्यता प्रदर्शित करता है अभी भी कुछ अशुद्धियाँ
प्रेषण में रुकावट आती है।	करता है। जिससे प्रेषण में रुकावट आती है।

- 7. दीर्घ कथनों की श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता से समझता है और निष्कर्ष निकाल सकता है।
- जटिल कथनों के विचार-बिंदुओं को समझने की योग्यता प्रदर्शित करता है, उद्देश्य के अनुकूल सुनने की कुशलता प्रदर्शित करता है।
- 7. अपिरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से संगठित कर धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी गलितयाँ करता है जिनसे प्रेषण में रुकावट नहीं आती।
- उद्देश्य और श्रोता के लिए उपयुक्त शैली को अपना सकता है, केवल मामूली गलतियाँ करता है।

टिप्पणी :

- परीक्षण से पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाए।
- विवरणात्मक भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग अपेक्षित है।
- निर्धारित विषय परीक्षार्थी के अनुभव संसार के हों, जैसे : कोई चुटकुला या हास्य-प्रसंग सुनाना, हाल में पढ़ी पुस्तक या देखे गए सिनेमा की कहानी सुनाना।
- जब परीक्षार्थी बोलना प्रारंभ कर दे तो परीक्षक कम से कम हस्तक्षेप करें।

पठन

पठन क्षमता का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने में निहित है जो स्वतंत्र रूप से चिन्तन कर सकें तथा जिनमें न केवल अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण की क्षमता हो अपितु वे इसका आत्मावलोकन भी कर सकें।

पढ़ने की योग्यताएँ

- हिन्दी में कहानी, निबंध, यात्रा-वर्णन, जीवनी, पत्र, डायरी आदि को अर्थबोध के साथ पढ़ सकना।
- पाठ्यवस्तु के संबंध में विचार कर सकना और अपना मत व्यक्त कर सकना।
- संदर्भ साहित्य को पढ़कर अपने काम के लायक सूचना एकत्र कर सकना।
- पठित वस्तु का सारांश तैयार कर सकना।

लिखने की योग्यताएँ

- हिन्दी के परिचित और अपरिचित शब्दों की सही वर्तनी लिखना।
- विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग कर सकना।
- लिखते हुए व्याकरण- सम्मत भाषा का प्रयोग करना।
- हिन्दी में पत्र, निबंध, संकेतों के आधार पर कहानियाँ, वर्णन, सारांश आदि लिखना।
- हिन्दी से मातृभाषा में और मातृभाषा से हिन्दी में अनुवाद कर सकना।

रचनात्मक अभिव्यक्ति

- वाद-विवाद
 - विषय शिक्षक विषय का चुनाव स्वयं करें

- आधार बिंदु तार्किकता, भाषण कला, अपनी बात अधिकारपूर्वक कहना
- कवि सम्मेलन पाठ्यपुस्तक में संकलित कविताओं के आधार पर कविता पाठ

या

मौलिक कविताओं की रचना कर कवि सम्मेलन या अंत्याक्षरी

आधार बिंदु:-

- अभिव्यक्ति
- गति. लय. आरोह-अवरोह सहित कविता वाचन
- मंच पर बोलने का अभ्यास / या मंच भय से मुक्ति
- कहानी सुनाना/कहानी लिखना या घटना का वर्णन / लेखन
 - संवाद भावानुकूल, पात्रानुकूल
 - घटनाओं का क्रमिक विवरण
 - प्रस्तुतीकरण
 - उच्चारण
- पिरचय देना और पिरचय लेना पाट्य पुस्तक के पाठों से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तरीके से किसी नए
 मित्र से संवाद स्थापित करते हुए अपना पिरचय सरल शब्दों में देना तथा उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना।
- अभिनय कला पाठों के आधार पर विद्यार्थी अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन कर भाषा में संवादों की अदायगी का प्रभावशाली प्रयोग कर सकते हैं, नाटक एक सामूहिक क्रिया है । अत: नाटक के लेखन, निर्देशन संवाद, अभिनय, भाषा व उद्देश्य इत्यादि को देखते हुए शिक्षक स्वयं अंकों का निर्धारण कर सकता है ।
- आश्भाषण छात्रों की अनुभव परिधि से संबंधित विषय
- सामूहिक चर्चा- छात्रों की अनुभव परिधि से संबंधित विषय

मूल्यांकन के संकेत बिंदुओं का विवरण

प्रस्तुतीकरण

- आत्मविश्वास
- हाव भाव के साथ
- प्रभावशाली
- तार्किकता
- स्पष्टता

विषय वस्तु

- विषय की सही अवधारणा
- तर्क सम्मत

भाषा

अवसर के अनुकूल शब्द चयन व स्पष्टता ।

उच्चारण

• स्पष्ट उच्चारण, सही अनुतान, आरोह अवरोह ।

हिंदी पाठ्यक्रम - 'बी' (कोड सं. - 085) कक्षा - 9

संकलित परीक्षा 1 (एस 1) हेतु भार विभाजन	कुल भार %	
विषयवस्तु	अंक	
अपठित बोध	20	20%
व्याकरण	20]
पाठ्यपुस्तक व पूरकपाठ्यपुस्तक	30	
लेखन	10	
फॉरमैटिव परीक्षा (एफ-1 व एफ 2)		20%
कुल भार		40%

संकलित परीक्षा 2 (एस 2) हेतु भार विभाजन	कुल भार %	
विषयवस्तु	अंक	
अपठित बोध	20	40%
व्याकरण	20	
पाठ्यपुस्तक व पूरकपाठ्यपुस्तक	30	
लेखन	10	
फॉरमैटिव परीक्षा (एफ-3 व एफ 4)		20%
कुल भार		60%

टिप्पणी:

1. संकलित परीक्षाओं का कुल भार 60 प्रतिशत तथा फॉरमैटिव परीक्षाओं का कुल भार 40 प्रतिशत होगा। फॉरमैटिव परीक्षाओं के 40 प्रतिशत में से प्रत्येक सत्र में 5 प्रतिशत भाग(संपूर्ण वर्ष में 10 प्रतिशत) श्रवण व वाचन कौशलों के परीक्षण हेतु आरक्षित होगा। शेष 30 प्रतिशत फॉरमैटिव मूल्यांकन, पाठ्यचर्या के अन्य अंगों जैसे पठन, लेखन, व्याकरण, पाठ्यपुस्तक व पूरक पाठ्यपुस्तक, पर आधारित होगा। इसमें बोलने, सुनने, लिखने व बोध पर आधारित मौखिक, लिखित अथवा कार्यकलापों पर आधारित परीक्षण किया जा सकता है।

2. संकलित परीक्षा एक (एस-1) 80 अंकों की होगी। 80 अंकों को मूल्यांकन के पश्चात 20 अंकों में से परिवर्तित कर लिया जाएगा तदुपरांत ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा तथा संकलित परीक्षा दो (एस-2) 80 अंकों की होगी व 80 अंकों को मूल्यांकन के पश्चात 40 अंकों में से परिवर्तित करने के उपरांत ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

संकलित परीक्षाओं हेतु विभाजन

खण्ड	विभाग	अंक	कुल अंक
क.	 अपठित गद्यांश—बोध 	5 x 2=10	20
	2. अपठित पद्यांश—बोध	5 x 2=10	
ख.	व्याकरण	5 x 4=20	20
ग.	पाठ्यपुस्तक – क्षितिज भाग–1	25	30
	पूरकपाठ्यपुस्तक – कृतिका भाग–।	0.5	
ਬ.	लेखन	10	10

कक्षा नौवीं हिन्दी 'ब'- संकलित परीक्षाओं हेतु परीक्षा विनिर्देशन 2011-2012

खण्ड क - अपठित गद्यांश

प्रश्न संख्या 1-4 (20 अंक)

- दो अपठित गदुयांश 100 से 150 शब्द
- दो अपठित काव्यांश 100 से 150 शब्द

उपर्युक्त गद्यांश व पद्यांश पर शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **चार प्रश्न** पूछे जाएँगे प्रत्येक प्रश्न के **पाँच बहुवैकल्पिक** भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा ।

खण्ड-ख : व्यावहारिक व्याकरण

प्रश्न संख्या 5-9 (20 अंक)

निर्धारित विषयों पर विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **पाँच प्रश्न** पूछे जाएँगे प्रत्येक प्रश्न के **चार बहुवैकल्पिक** भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा ।

खण्ड-ग : पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग-1 व पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग-1

प्रश्न संख्या 10-16 (30 अंक)

प्रश्न संख्या 10

पाठ्यपुस्तक 'स्पर्श' के निर्धारित पाठों में से कोई **दो** पद्यांश दिए जाएँगे तथा इन पर विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर बहुवैकल्पिक **पाँच** प्रश्न पूछे जाएँगे तथा इस प्रत्येक प्रश्न के **चार विकल्प** होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा। छात्रों को कोई **एक पद्यांश** करना होगा। (5 अंक)

प्रश्न संख्या 11

पाठ्यपुस्तक 'स्पर्श' के गद्य पाठों के आधार पर **चार लघुउत्तरीय** प्रश्न पूछे जाएँगे। इन प्रश्नों का कुल भार **पाँच अंक** होगा (2.5+2.5) छात्रों को कोई **दो प्रश्न** करने होंगे। ये प्रश्न छात्रों की साहित्य को पढ़कर समझ पाने की क्षमता के आकलन पर आधारित होगे। (5 अंक)

प्रश्न संख्या 12

पाठ्यपुस्तक 'स्पर्श' के निर्धारित पाठों (गद्य) पर **पाँच अंक** का **एक** निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा **(विकल्प सहित)**। यह प्रश्न छात्रों की हिंदी के माध्यम से अपने अनुभव को लिखकर सहज अभिव्यक्ति कर पाने की क्षमता का आकलन करने पर आधारित होगा।

प्रश्न संख्या 13

पाठ्यपुस्तक 'स्पर्श' के निर्धारित पाठों (गद्य) में से **दो गद्यांश** दिए जाएँगे तथा इस में से छात्रों को कोई **एक करना होगा।** इस पर **तीन या चार लघुउत्तरीय प्रश्न** पूछे जाएँगे । इन प्रश्नों का कुल भार **पाँच** अंक होगा । यह प्रश्न हिंदी गद्य के संदर्भ में विषय तथा अर्थबोध की क्षमता का आकलन करने पर केंद्रित होंगे। (5 अंक)

प्रश्न संख्या 14

पाठ्य पुस्तक स्पर्श की निर्धारित कविताओं के विषय व अर्थ बोध और सराहना को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता पर आधारित **दो या तीन** लघुउत्तरीय प्रश्न पूछे जाएँगे। इन प्रश्नों का कुल भार **पाँच** अंक होगा। (5 अंक)

प्रश्न संख्या 15

पूरक पुस्तक 'संचयन' के निर्धारित पाठों में से **दो** प्रश्न देकर किसी **एक** का उत्तर पूछा जाएगा। इस प्रश्न का कुल भार **तीन** अंक होगा। यह प्रश्न छात्रों के पाठ पर आधारित अनुभवों व उनकी संवेदनशीलता को परखने के लिए होंगे।

(3 अंक)

प्रश्न संख्या 16

पूरक पुस्तक 'संचयन' के निर्धारित पाठों में से **एक** प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न का कुल भार **दो** अंक होगा यह प्रश्न पाठ की समझ व उनकी सहज अभिव्यक्ति की क्षमता पर आधारित होगा। (2 अंक)

खण्ड-घ : लेखन

प्रश्न संख्या 17-18 (10 अंक)

प्रश्न संख्या 17

इस प्रश्न में संकेत बिन्दुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर **80 से 100** शब्दों में **तीन** में से किसी **एक** विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा। यह अनुच्छेद **विभिन्न विषयों** और संदर्भों पर छात्रों के तर्कसंगत विचार **प्रकट** करने की क्षमता को परखने के लिए होंगे। (5 अंक)

प्रश्न संख्या 18

इस प्रश्न में **किन्हीं दो अनौपचारिक** विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा। यह प्रश्न अभिव्यक्ति की क्षमता पर केन्द्रित होगा। (5 अंक)

कक्षा नौवीं हिन्दी 'ब'- संकलित एवं फॉरमैटिव परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम का विभाजन

क्रम० स०	पाठ्य पुस्तक	(आ	प्रथम सत्र प्रैल से सितम	बर)	(अ	द्वितीय सत्र क्तूबर से म	
	पुस्तक स्पर्श (गद्य)	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	धूल	1		1			
2	दुख का अधिकार		1	1			
3	एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा		1	1			
4	तुम कब जाओगे अतिथि				1		✓
5	वैज्ञानिक चेतना के वाहक				1		1
6	कीचड़ का काव्य				1		1
7	धर्म की आड़					1	1
8	शुक्रतारे के समान					1	✓
	पुस्तक स्पर्श (पद्य)	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	रैदास के पद	1		1			
2	रहीम के पद		1	1			
3	आदमी नामा		1	1			
4	एक फूल की चाह				1		\
5	गीत-अगीत				1		1
6	अग्निपथ					1	✓
7	नए इलाके में, खुशबू रचते है हाथ					1	1

	पुस्तक संचयन	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	गिल्लू	✓		1			
2	स्मृति		1	1			
3	कल्लू कुम्हार		1	/			
	की उनाकोटी						
4	मेरा छोटा सा				1		✓
	निजी पुस्तकालय						
5	हामिद खां					1	✓
6	दिए जल उठे					1	1
क्रम०	पाठ्य पुस्तक		प्रथम सत्र			द्वितीय सत्र	
स०		(अ	प्रैल से सितम	बर)	(अ	क्तूबर से म	ार्च)
	व्याकरण	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	वर्ण विच्छेद	✓		1			✓
2	र्के विभिन्न रूप	1		1			
3	अनुस्वार	1		1			
4	अनुनासिक	1		1			
5	नुक्ता	1		1			
6	उपसर्ग-प्रत्यय		1	/			/
	से शब्द निर्माण						
7	पर्यायवाची, विलोम		1	1			✓
	अनेकार्थी शब्द,						
	वाक्यांशों के लिए						
<u> </u>	एक शब्द						
8	वाक्य के				/		/
	अंग-सरल वाक्य				,		,
	विराम चिह्नों का प्रयोग				1		/
	मुहावरे-वाक्य प्रयोग	/		/		/	/
	अपठित गद्यांश			<i>'</i>			<i>'</i>
	अपठित पद्यांश			/			<i>'</i>
\vdash	पत्र लेखन	,					
		✓	,	<i>'</i>	/		/
	अनुच्छेद लेखन		1	✓		✓	✓

पुस्तकें

- 1. पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग-1
- 2. पूरक पुस्तक संचयन-भाग-1

टिप्पणी:

- फॉरमैटिव मूल्यांकन का अभिप्राय अधिगम के मूल्यांकन से है। इसिलए विद्यालय उपर्युक्त विभाजन का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकते हैं।
- 2. फाॅरमैटिव मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यकलाप जैसे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक खेल, पहेली, प्रतियोगिता, पिरयोजना (Project), भूमिका निर्वहन (Roleplay), कहानी लेखन, नाट्य रचनांतरण (Dramatisation), आदि कक्षा में अथवा विद्यालय में करवाये जाने वाले कार्यकलाप हैं। यदि कोई ऐसा कार्यकलाप है जिसमें विद्यालय से बाहर जाकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में यह कार्य शिक्षक के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में होने चाहिए।

हिंदी पाठ्यक्रम - 'बी' (कोड सं. - 085) कक्षा - 10

संकलित परीक्षा 1 (एस 1) हेतु भार विभाजन	कुल भार %	
विषयवस्तु	अंक	
अपठित बोध	20	20%
व्याकरण	20	
पाठ्यपुस्तक व पूरकपाठ्यपुस्तक	30	
लेखन	10	
फॉरमैटिव परीक्षा (एफ-1 व एफ 2)		20%
कुल भार		40%

संकलित परीक्षा 2 (एस 2) हेतु भार विभाजन (कुल भार %	
विषयवस्तु	अंक	
अपठित बोध	20	40%
व्याकरण	20	
पाठ्यपुस्तक व पूरकपाठ्यपुस्तक	30	
लेखन	10	
फॉरमैटिव परीक्षा (एफ-3 व एफ 4)		20%
कुल भार		60%

टिप्पणी:

1. संकलित परीक्षाओं का कुल भार 60 प्रतिशत तथा फॉरमैटिव परीक्षाओं का कुल भार 40 प्रतिशत होगा। फॉरमैटिव परीक्षाओं के 40 प्रतिशत में से प्रत्येक सत्र में 5 प्रतिशत भाग(संपूर्ण वर्ष में 10 प्रतिशत) श्रवण व वाचन कौशलों के परीक्षण हेतु आरक्षित होगा। शेष 30 प्रतिशत फॉरमैटिव मूल्यांकन, पाट्यचर्या के अन्य अंगों जैसे पठन, लेखन, व्याकरण, पाट्यपुस्तक व पूरक पाट्यपुस्तक, पर आधारित होगा। इसमें बोलने, सुनने, लिखने व बोध पर आधारित मौखिक, लिखित अथवा कार्यकलापों पर आधारित परीक्षण किया जा सकता है।

2. संकलित परीक्षा एक (एस-1) 80 अंकों की होगी। 80 अंकों को मूल्यांकन के पश्चात 20 अंकों में से परिवर्तित कर लिया जाएगा तदुपरांत ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा तथा संकलित परीक्षा दो (एस-2) 80 अंकों की होगी व 80 अंकों को मूल्यांकन के पश्चात 40 अंकों में से परिवर्तित करने के उपरांत ग्रेड का निर्धारण किया जाएगा।

संकलित परीक्षाओं हेत् विभाजन

खण्ड	विभाग	अंक	कुल अंक
क.	1. अपठित गद्यांश—बोध	5 x 2=10	20
	2. अपठित पद्यांश—बोध	5 x 2=10	
ख.	व्याकरण	5 x 4=20	20
ग.	पाठ्यपुस्तक – क्षितिज भाग–1	25	30
	पूरकपाठ्यपुस्तक – कृतिका भाग–1	0.5	
ਬ.	लेखन	10	10

कक्षा दसवीं - हिन्दी 'ब'- संकलित परीक्षाओं हेतु परीक्षा विनिर्देशन 2011-2012

खण्ड-क : अपठित बोध

प्रश्न संख्या 1-4 (20 अंक)

- दो अपठित गद्यांश 100 से 150 शब्दों के
- दो अपठित काव्यांश 100 से 150 शब्दों के

उपर्युक्त गद्यांश व पद्यांश पर शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **चार प्रश्न** पूछे जाएँगे प्रत्येक प्रश्न के **पाँच बहुवैकल्पिक** भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का एक अंक होगा ।

खण्ड-ख : व्यावहारिक व्याकरण

प्रश्न संख्या 5-9 (20 अंक)

उपर्युक्त विषयों पर विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **पाँच प्रश्न** पूछे जाएँगे प्रत्येक प्रश्न के **चार बहुवैकल्पिक** भाग होंगे तथा प्रत्येक भाग का **एक अंक** होगा ।

खण्ड-ग : पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग-2 व पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग-2

प्रश्न संख्या 10 से 16 (30 अंक)

प्रश्न संख्या 10

पाठ्यपुस्तक 'स्पर्श' के निर्धारित पाठों में से कोई **दो** पद्यांश दिए जाएँगे तथा इन पर विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/संरचना आदि पर **पाँच** बहुवैकित्पिक प्रश्न पूछे जाएँगे तथा प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न का **एक अंक** होगा। छात्रों को कोई एक पद्यांश करना होगा।

प्रश्न संख्या 11

पाठ्यपुस्तक 'स्पर्श' के गद्य पाठों के आधार पर **चार लघुउत्तरीय** प्रश्न पूछे जाएँगे। इन प्रश्नों का कुल भार **पाँच अंक** होगा (2.5+2.5) छात्रों को कोई **दो प्रश्न** करने होंगे। ये प्रश्न छात्रों की साहित्य को पढ़कर समझ पाने की क्षमता के आकलन पर आधारित होंगे (5 अंक)

प्रश्न संख्या 12

पाठ्यपुस्तक 'स्पर्श' के पाठों (गद्य) पर **पाँच अंक** का **एक** निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा **(विकल्प सहित)**। यह प्रश्न छात्रों की हिंदी के माध्यम से अपने अनुभव को लिखकर सहज अभिव्यक्ति कर पाने की क्षमता का आकलन करने पर आधारित होगा।

प्रश्न संख्या 13

पाठ्यपुस्तक 'स्पर्श' के निर्धारित पाठों (गद्य) में से **दो गद्यांश** दिए जाएँगे तथा इस में से छात्रों को कोई **एक करना होगा** । इस पर **तीन या चार लघुउत्तरीय प्रश्न** पूछे जाएँगे । इन प्रश्नों का कुल भार **पाँच** अंक होगा । यह प्रश्न हिंदी गद्य के संदर्भ में विषय तथा अर्थबोध की क्षमता का आकलन करने पर केंद्रित होंगे। (5 अंक)

प्रश्न संख्या 14

पाठ्य पुस्तक स्पर्श की कविताओं के विषय व अर्थ बोध और सराहना व काव्य बोध को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता पर आधारित **दो या तीन** लघुउत्तरीय प्रश्न पृछे जाएँगे। इन प्रश्नों का कुल भार **पाँच** अंक होगा।(5 अंक)

प्रश्न संख्या 15

पूरक पुस्तक 'संचयन' के निर्धारित पाठों में से दो प्रश्न देकर किसी **एक** का उत्तर पूछा जाएगा। इस प्रश्न का कुल भार तीन अंक होगा। यह प्रश्न छात्रों के पाठ पर आधारित अनुभवों व उनकी संवेदनशीलता को परखने के लिए होंगे।
(3 अंक)

प्रश्न संख्या 16

पूरक पुस्तक 'संचयन' में से **एक** प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न का कुल भार **दो** अंक होगा यह प्रश्न पाठ की समझ व उनकी सहज अभिव्यक्ति की क्षमता पर आधारित होगा। (2 अंक)

खण्ड-घ : लेखन

प्रश्न संख्या 17 से 18 (10 अंक)

प्रश्न संख्या 17

इस प्रश्न में संकेत बिन्दुओं पर आधारित समसामयिक विषयों एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर **80 से 100** शब्दों में के **तीन** में से किसी **एक** विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाऐगा । यह अनुच्छेद **विभिन्न विषयों** और संदर्भों पर छात्रों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए होंगे । (5 अंक)

प्रश्न संख्या 18

इस प्रश्न में किन्हों दो औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाऐगा। यह प्रश्न अभिव्यक्ति की क्षमता पर केन्द्रित होगा। (5 अंक)

कक्षा दसवीं हिन्दी 'ब'- संकलित एवं फॉरमैटिव परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम का विभाजन

क्रम० स०	पाठ्य पुस्तक	(आ	प्रथम सत्र (अप्रैल से सितम्बर)		द्वितीय सत्र (अक्तूबर से मार्च)		
	स्पर्श (गद्य)	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	बड़े भाई साहब	✓		1			
2	डायरी का एक पन्ना	1		1			
3	तताँरा वामीरो कथा		1	1			
4	तीसरी कसम के शिल्पकार		1	1			
5	गिरगिट				1		1
6	अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले				1		1
7	पतझड़ में टूटी पत्तियाँ					1	1
8	कारतूस					1	1
	स्पर्श (पद्य)	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	कबीर (साखी)	1		1			
2	मीरा के पद	1		1			
3	पर्वत प्रदेश में पावस		1	1			
4	तोप		1	1			
5	बिहारी के दोहे				/		1
6	मनुष्यता				1		1
7	मधुर-मधुर मेरे दीपक जल				1		1
8	कर चले हम फिदा					1	1
9	आत्मत्राण					1	1

	संचय	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	हरिहर काका	1		1			
2	सपनों के से दिन				1		1
3	टोपी शुक्ला					1	1
क्रम० स०	पाठ्य पुस्तक	(आं	प्रथम सत्र प्रैल से सितम	बर)	(अ	द्वितीय सत्र क्तूबर से म	
	व्याकरण	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	शब्द पद	1		1			
2	पदबंध	1		1	1		1
3	पदपरिचय	1		1		1	\
4	मिश्र व संयुक्त वाक्य: वाक्यों का रूपांतरण		1	1	/		1
5	स्वर संधि		1	1		1	1
6	तत्पुरुष व कर्मधारय समास		1	1	1		\
7	मुहावरे व लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग (पाट्यपुस्तक के आधार पर)	/	1	✓	✓	✓	1
8	अशुद्ध वाक्यों का शोधन					1	1
9	पत्र लेखन		1	1	1		1
10	अनुच्छेद लेखन		1	1		1	1
11	अपठित गद्यांश			1			1
12	अपठित काव्यांश			1			1

पुस्तकें

- 1. पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग-2
- 2. पूरक पुस्तक संचयन-भाग-2

टिप्पणी:

- फॉरमैटिव मूल्यांकन का अभिप्राय अधिगम के मूल्यांकन से है। इसिलए विद्यालय उपर्युक्त विभाजन का अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकते हैं।
- 2. फॉरमैटिव मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्यकलाप जैसे विभिन्न प्रकार के शैक्षिक खेल, पहेली, प्रतियोगिता, पिरयोजना (Project), भूमिका निर्वहन (Roleplay), कहानी लेखन, नाट्य रचनांतरण (Dramatisation), आदि कक्षा में अथवा विद्यालय में करवाये जाने वाले कार्यकलाप हैं। यदि कोई ऐसा कार्यकलाप है जिसमें विद्यालय से बाहर जाकर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में यह कार्य शिक्षक के पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में होने चाहिए।

2. ENGLISH-COMMUNICATIVE

CODE NO. 101

This is a two-year syllabus for classes IX and X. The CBSE has prepared a package for this syllabus called **Interact in English.** It includes the following:

For Students

- 1 Main Course Book
- 2 Literature Reader
- 3 Work Book

Interact in English has been designed to develop the student's communicative competence in English. Therefore, content selection is determined by the student's present and future academic, social and professional needs.

The overall aims of the course are:

- (a) to enable the learner to communicate effectively and appropriately in real-life situations.
- (b) to use English effectively for study purposes across the curriculum.
- (c) to develop and integrate the use of the four language skills, i.e. listening, speaking, reading and writing.
- (d) to develop interest in and appreciation of literature.
- (e) to revise and reinforce structures already learnt.

Teachers may kindly keep the following in mind to develop these competencies:

Creativity

Students should be encouraged to think on their own and express their ideas using their experience, knowledge and imagination, rather than being text or teacher dependent.

Self-monitoring:

Students should be encouraged to monitor their progress, space out their learning, so students should be encouraged to see language not just as a functional tool, but as an important part of personal development and inculcation of values.

Teaching/Testing Objectives READING

By the end of the course, students should be able to:

- 1 read silently at varying speeds depending on the purpose of reading;*
- adopt different strategies for different types of text, both literary and non-literary;
- 3 recognise the organization of a text;
- 4 identify the main points of a text;
- 5 understand relations between different parts of a text through lexical and grammatical cohesion devices.
- 6 anticipate and predict what will come next in a text;*
- 7 deduce the meaning of unfamiliar lexical items in a given context;

^{*} Objectives which will not be tested in a formal examination

- 8 consult a dictionary to obtain information on the meaning and use of lexical items;*
- 9 analyse, interpret, infer (and evaluate*) the ideas in the text;
- 10 select and extract from a text information required for a specific purpose (and record it in note form*)
- 11 transcode information from verbal to diagrammatic form;
- 12 retrieve and synthesise information from a range of reference material using study skills such as skimming and scanning;*
- 13 interpret texts by relating them to other material on the same theme (and to their own experience and knowledge*); and
- 14 read extensively on their own.

WRITING

By the end of the course, students should be able to:

- 1 express ideas in clear and grammatically correct English, using appropriate punctuation and cohesion devices:
- 2 write in a style appropriate for communicative purposes;
- 3 plan, organise and present ideas coherently by introducing, developing and concluding a topic;
- 4 write a clear description (e.g. of a place, a person, an object or a system);
- 5 write a clear account of events (e.g. a process, a narrative, a trend or a cause-effect relationship);
- 6 compare and contrast ideas and arrive at conclusions;
- 7 present an argument, supporting it with appropriate examples;
- 8 use an appropriate style and format to write letters (formal and informal), biographical sketches, dialogues, speeches, reports, articles, e-mails and diary entries;
- 9 monitor, check and revise written work;
- 10 expand notes into a piece of writing;
- 11 summarise or make notes from a given text; and
- 12 recode information from one text type to another (e.g. diary entry to letter, advertisement to report, diagram to verbal form)

**LISTENING

By the end of the course, the students should be able to:

- adopt different strategies according to the purpose of listening (e.g. for pleasure, for general interest, for specific information);
- 2 use linguistic and non-linguistic features of the context as clues to understanding and interpreting what is heard (e.g. cohesion devices, key words, intonation, gesture, background noises);
- 3 listen to a talk or conversation and understand the topic and main points;
- 4 listen for information required for a specific purpose, e.g. in radio broadcast, commentaries, airport and railway station announcements;

^{*} Objectives which will not be tested in a formal examination.

^{**} These objectives will **not be tested** in a formal examination, but will be included for Continuous Assessment in Class IX.

- 5 distinguish main points from supporting details, and relevant from irrelevant information;
- 6 understand and interpret messages conveyed in person or by telephone;
- 7 understand and respond appropriately to directive language, e.g. instruction, advice, requests and warning; and
- 8 understand and interpret spontaneous spoken discourse in familiar social situations.

**SPEAKING

By the end of the course, students should be able to:

- speak intelligibly using appropriate word stress, sentence stress and intonation patterns;
- 2 adopt different strategies to convey ideas effectively according to purpose, topic and audience (including the appropriate use of polite expressions);
- 3 narrate incidents and events, real or imaginary in a logical sequence;
- 4 present oral reports or summaries; make announcements clearly and confidently;
- 5 express and argue a point of view clearly and effectively;
- 6 take active part in group discussions, showing ability to express agreement or disagreement, to summarise ideas, to elicit the views of others, and to present own ideas;
- 7 express and respond to personal feelings, opinions and attitudes;
- 8 convey messages effectively in person or by telephone;
- 9 frame questions so as to elicit the desired response, and respond appropriately to questions; and
- 10 participate in spontaneous spoken discourse in familiar social situations.

GRAMMAR

By the end of the course, students should be able to use the following accurately and appropriately in context

1. Verbs

Tenses:

present/past forms simple/continuous forms perfect forms future time reference

Modals

Moaais

Active and Passive voice

Subject-verb concord

*non-finite verb forms (infinitives and participles)

2. Sentence Structure

Connectors

Types of sentences:

affirmative/interrogative sentences

negation

^{*} Objective which will not be tested at Class IX level. They will, however, form a part of testing in Class X.

^{**} These objectives will not be tested in a formal examination, but will be included for Continuous Assessment in Class IX.

exclamations

*types of phrases and clauses

finite and non-finite subordinate clauses:

noun clauses and phrases

adjective clauses and phrases

adverb clauses and phrases

Indirect speech

*Comparison

* Nominalisation

3. Other Areas

Determiners

Pronouns

Prepositions

LITERATURE

By the end of the course, students should be able to understand, interpret, evaluate and respond to the following features in a literary text:

1 Character, as revealed through

appearance and distinguishing features,

socio-economic background

action/events.

expression of feelings,

speech and dialogues

2 Plot/Story/Theme, emerging through main events,

progression of events and links between them;

sequence of events denoting theme.

3 Setting, as seen through time and place, socio-economic and cultural background, people, beliefs and attitudes.

4 Form

rhyme

rhythm

simile

metaphor,

alliteration

pun

repetition

^{*} Objectives which will not be tested at Class IX level. They will, however, form a part of testing in Class X.

^{**} These objectives will not be tested in a formal examination, but will be included for Continuous Assessment in Class IX.

Assessment in class IX and X

The English curriculum aims at the harmonious development of the four language skills, and thus of the learners' communicative capacity. Teaching/testing objectives have been set for each of these skills, indicating the level of achievement expected of the learners. However, although it is possible to assess these skills and sub-skills, it is not possible to test all of them through a formal, time-bound examination. It is, therefore, essential to measure the level of attainment in these skills through Formative assessment, in addition to the Summative assessment. The overall pattern of the two modes of assessment at Class IX and X is as follows:

The academic year will be divided into two assessment periods:

Summative I- from April - September - 20 % weightage

Formative II- 10 %
Formative II- 10%

Summative II - from October - March 40 % weightage

Formative III - 10% Formative IV- 10%

Formative Assessment is a tool used by the teacher to continuously monitor student progress in a non-threatening, supportive environment. It involves regular descriptive feedback, a chance for the student to reflect on the performance, take advice and improve upon it. It involves students being an essential part of assessment from designing criteria to assessing self or peers. If used effectively it can improve student performance tremendously while raising the self esteem of the child and reducing the work load of the teacher.

Features of Formative Assessment

- is diagnostic and remedial
- makes the provision for effective feedback
- provides the platform for the active involvement of students in their own learning.
- enables teachers to adjust teaching to take account of the results of assessment
- recognizes the profound influence assessment has on the motivation and self-esteem of students, both of which are crucial influences on learning
- recognizes the need for students to be able to assess themselves and understand how to improve
- builds on students' prior knowledge and experience in designing what is taught.
- incorporates varied learning styles into deciding how and what to teach.
- encourages students to understand the criteria that will be used to judge their work
- offers an opportunity to students to improve their work after feedback,
- helps students to support their peers, and expect to be supported by them.

Formative Assessment is thus carried out during a course of instruction for providing continuous feedback to both the teachers and the learners for taking decisions regarding appropriate modifications in the transactional procedures and learning activities.

Continuous assessment refers to the assessment of student's achievement throughout the year, through a variety of activities, field trips and visits outside the schools and are also carried out within the school. Such activities may be formal or informal, but in order to assess listening and speaking skills, it is important that a large proportion of the marks allotted should be derived from informal procedures.

Conversation skills (Listening and Speaking)-Assessment in this area relates to the teaching/testing objectives for these two skills. In the skill-based approach to language learning, the importance of conversation skills cannot be underestimated.

At the end of each term, the teacher should be able to assess the level of each student's conversation skills, based on observation of their participation in the English classes. Whenever in the coursework the students are required to discuss role play, simulate, express a point of view etc., the teacher should monitor the activities and critically observe each student's participation. It is important to stress that informal assessment for conversation skills should be a regular, ongoing activity throughout the term. A Conversation Skill Assessment Scale is given below. For each skill, students may be awarded marks from 0 to 10, but specifications are given only for bands 1,3,5,7 and 9. Using this scale, a teacher can place a student at a particular band; for example, a student falling between bands 3 and 5 would be awarded 4 marks, and particularly deserving students could be awarded 10 marks. Students should be informed at the beginning of the year that their class participation will be assessed in this way.

Conversation Skills Assessment Scale

	Listening	Speaking
The	Learner	The Learner
1.	shows general ability to understand words and phrases in a familiar context but cannot follow connected speech;	shows ability to use only isolated words and phrases but cannot operate at connected speech level;
3	has ability to follow short connected utter- ances in a familiar context;	3 in familiar situation, uses only short con- nected utterances with limited accuracy;
5 7	has ability to understand explicitly stated in- formation in both familiar and unfamiliar con- texts;	5 shows ability to use more complex utterances with some fluency in longer discourse; still makes some errors which impede commu- nication:
,	understands a range of longer spoken texts with reasonable accuracy, and is able to draw inferences;	organises and presents thoughts in a reasonably logical and fluent manner in unfamiliar situations; makes errors which do not interfere with communication;
9	shows ability to interpret complex discourse in terms of points of view; adapts listening strategies to suit different purposes	9 can spontaneously adopt style, appropriate to purpose and audience; makes only negli- gible errors.

The overall assessment policy for Class IX seeks to measure the four skills. Speaking has been covered under conversation skills, and is clearly not assessable through a written assignment. Listening and reading, however, can be assessed in this way, through activities which lead to a written product such as notes, a table or a summary. This type of assessment however should not be a test of writing skills. Students should be awarded marks as objectively as possible according to the extent to which they have understood, whether through reading or through listening. They should not be penalised in such assignments for errors in punctuation, spelling or grammar.

Other assignments, however, will focus on writing skills and involve extended writing. This takes place through writing skills activities in the Main Course Book, and via certain activities in the Literature Reader. Assessment of written work forms an important and integral part of the overall assessment of the student's ability in the use of the English language. It is in this area very often that subjectivity creeps in and mars the judgment in evaluation because of a lack of clear-cut guidelines for the teachers.

In the new curriculum for English, each student's written work has to be assessed throughout the year in an informal manner. For this, it becomes essential to provide a rating scale to help teachers to make formative assessment objective and uniform. The assignments should vary each year. Throughout the year, the teacher should keep a record of marks awarded for assignments and activities carried out as part of formative assessment.

Reading Project

Inculcating good reading habits in children has always been a concern for all stakeholders in education. The purpose is to create independent thinking individuals with the ability to not only create their own knowledge but also critically interpret, analyse and evaluate it with objectivity and fairness. This will also help students in learning and acquiring better language skills.

Creating learners for the 21st century involves making them independent learners who can 'learn, unlearn and relearn' and if our children are in the habit of reading they will learn to reinvent themselves and deal with the many challenges that lie ahead of them.

Reading is not merely decoding information or pronouncing words correctly, it is an interactive dialogue between the author and the reader in which the reader and author share their experiences and knowledge with each other which helps them to understand the text and impart meaning to the text other than what the author himself may have implied. Good readers are critical readers with an ability to arrive at a deeper understanding of not only the world presented in the book but also of the real world around them. They not only recall what they read but comprehend it too. Their critical reading and understanding of the text helps them create new understanding, solve problems, infer and make connections to other texts and experiences. Reading does not mean reading for leisure only but also for information, analysis and synthesis of knowledge. The child may be encouraged to read on topics as diverse as science and technology, politics and history. This will improve his/her critical thinking skills and also help in improving his/her concentration.

Reading any text should be done with the purpose of:-

- 1. reading silently at varying speeds depending on the purpose of reading;
- 2. adopting different strategies for different types of texts, both literary and non-literary;
- 3. recognising the organisation of a text;
- 4. identifying the main points of a text;
- understanding relations between different parts of a text through lexical and grammatical cohesion devices:
- anticipating and predicting what will come next.;
- deducing the meaning of unfamiliar lexical items in a given context;
- 8. consulting a dictionary to obtain information on the meaning and use of lexical items;
- 9. analysing, interpreting, inferring (and evaluating) the ideas in the text;
- 10. selecting and extracting from text information required for a specific purpose;
- retrieving and synthesising information from a range of reference material using study skills such as skimming and scanning;
- interpreting texts by relating them to other material on the same theme (and to their own experience and knowledge); and
- 13. reading extensively on their own for pleasure;

A good reader is most often an independent learner and consequently an independent thinker capable of taking his/her own decisions in life rationally. Such a learner will most assuredly also be capable of critical thinking.

Reading a book should lead to creative and individual response to the author's ideas presented in the book in the form of:-

- short review
- dramatisation of the story
- commentary on the characters
- critical evaluation of the plot, story line and characters
- comparing and contrasting the characters within the story and with other characters in stories by the same author or by the other authors
- extrapolating about the story's ending or life of characters after the story ends
- defending characters' actions in the story.
- making an audio story out of the novel/text to be read out to younger children.
- Interacting with the author
- Holding a literature fest where various characters interact with each other
- Acting like authors/poets/dramatists, to defend their works and characters.
- Symposiums and seminars for introducing a book, an author, or a theme
- Finding similar text in other languages, native or otherwise and looking at differences and similarities.
- Creating graphic novels out of novels/short stories read
- Dramatising incidents from a novel or a story
- Creating their own stories
- 1. A Reading Project of 10 marks has been introduced in class IX & X.
- 2. Schools may use books of their own choice.
- 3. Schools can vary the level but at least one book per term is to be read by every child.

Teachers may opt for:-

- One book:
- Books by one author; or
- Books of one genre; to be read by the whole class.

Teacher may select books suitable to he age and level of the learners. Care ought to be taken to choose books that are appropriate in terms of language, theme and content and which do not hurt the sensibilities of any child.

Teachers may later suggest books from other languages but dealing with the same themes as an extended activity.

The Project should lead to independent learning/ reading skills and hence the chosen book/selection should not be taught in class, but may be introduced through activities and be left for the students to read at their own pace. Teachers may, however, choose to assess a child's progress or success in reading the book by asking for verbal or written progress reports, looking at the diary entries of students, engaging in a discussion about the book, giving a short quiz or a worksheet about the book/ short story. The mode of intermittent assessment may be decided by the teacher as she/he sees fit.

These may be used for Formative Assessment (F1, F2, F3 and F4) only. Various modes of assessment such as conducting Reviews, Discussions, Open Houses, Exchanges, Interact with the Author, writing scripts for plays can be considered.

EXAMINATION SPECIFICATIONS

English Communicative Code No. 101 CLASS-IX

Division of Syllabus for Term I(Apr	Total Weightage Assigned	
Summative Assessment I		
Section	Marks	
Reading	20	20%
Writing	20	
Grammar	20	
Literature	20]
Formative Assessment		20%
TOTAL		40%

Division of Syllabus for Term II(Octob	Total Weightage Assigned	
Summative Assessment II]
Section	Marks	
Reading	20	40%
Writing	20	
Grammar	20]
Literature	20]
Formative Assessment		20%
TOTAL		60%

- 1. The total weightage assigned to Summative Assessment (SA I & II) is 60%. The total weightage assigned to Formative Assessment (FA 1, 2, 3 & 4) is 40%. Out of the 40% assigned to Formative Assessment, 10% weightage is assigned to conversation skills (5% each in Term I & II) and 10% weightage to the Reading Project (at least 1 Book is to be read in each term and the Project will carry a weightage of 5% in each term)
- 2. The Summative Assessment I and Summative Assessment II is for eighty marks. The weightage assigned to Summative Assessment I is 20% and the weightage assigned to Summative Assessment II is 40%.

SECTION A: READING 20 Marks

Qs 1-4 Four unseen reading passages of 5 marks each. Each reading passage will have 5 sub- parts, each of 1 mark. All questions will be multiple choice questions. The passages will be extracts from poems/factual/descriptive/literary/discursive passages. Questions will test inference, evaluation and vocabulary. There will be at least 04 marks for assessing vocabulary skills. The total length of the 4 passages will be between 650 and 800 words.

SECTION B: WRITING 20 Marks

The writing section comprises of three writing tasks as indicated below:

- Q 5 A short answer question of upto 80 words in the form of a Biographical Sketch (expansion of notes on an individual's life or achievements into a short paragraph)/Data Interpretation, Dialogue Writing or Description (People, Places, Events).
 - The question will assess students' skill of expressing ideas in clear and grammatically correct English, presenting ideas coherently and concisely, writing a clear description, a clear account of events, expanding notes into a piece of writing, or transcoding information from one form to another. 4 Marks
- Q 6 A long answer question (minimum 120 words) in the form of a formal letter/informal letter or an email. The output would be a long piece of writing and will assess the use of appropriate style, language, content and expression.
 8 Marks
- Q 7 Along answer question (minimum 150 words) in the form of a diary entry, article, speech, story or debate.

Students' skills in expression of ideas in clear and grammatically correct English, planning, organising and presenting ideas coherently by introducing, developing and concluding a topic, comparing and contrasting ideas and arriving at a conclusion, presenting an argument with supporting examples, using an appropriate style and format and expanding notes into longer pieces of writing and creative expression of ideas will be assessed.

8 Marks

Important Note on Format and Word limit:

- Format will not carry any separate marks and in most cases, format will be given in the question paper.
- The word limit given is the suggested minimum word limit. No candidate may be penalised for writing more
 or less than the suggested word limit. Stress should be on content, expression, coherence and relevance of
 the content presented.

SECTION C: GRAMMAR 20 Marks

This section will assess Grammar items in context for 20 Marks. It will carry 5 questions of 4 marks each.

Tests items will be Multiple Choice Questions and test various grammatical items in context.

Q 8 to 12 will test grammar items which have been dealt with in class IX. Different structures such as verb forms, sentence structure, connectors, determiners, pronouns, prepositions, clauses, phrases, etc., can be tested through

formative assessment over a period of time. As far as the summative assessment is concerned, it will recycle grammar items learnt over a period of time and will test them in context through Multiple Choice Question format.

Tests types used will include gap-filling, cloze (gap filling exercise with blanks at regular intervals), sentence completion, reordering word groups into sentences, editing, dialogue-completion and sentence-transformation.

The grammar syllabus will be sampled each year, with marks allotted for:

Verb forms

Sentence structures

Other areas

Note: Jumbled words in reordering exercise to test syntax will involve sentences in a context.

Each sentence will be split into sense groups (not necessarily into single words) and jumbled up.

Section D: LITERATURE

20 Marks

Q 13 Two extracts out of three from prose, poetry or plays in the form of Multiple Choice Questions based on reference to context. Each extract will carry 3 marks.

(Word limit: 20-30 words)

3+3=6 Marks

- Q 14 Four out of Five short answer type questions based on prose, poetry and play of 2 marks each. The questions will not test recall but inference and evaluation. (Word limit: 30-40 words each) 8 marks
- Q15 One out of two long answer type questions to assess personal response to text by going beyond the text/poem/story or extract. Creativity, imagination and extrapolation beyond the text and across two texts will also be assessed.
 6 marks

Prescribed Books/Materials

- 1 Interact in English IX Main Course Book Revised edition 2009
- 2 Interact in English IX Literature Reader Revised edition 2009
- 3 Interact in English IX Workbook Revised edition 2009

Published by CBSE

Delhi-110092

Reading Section:

Reading for comprehension, critical evaluation, inference and analysis is a skill to be tested formatively as well as summatively. There will be no division of passages for this section, however for reading purposes, the Interact in English Main Course Book will be read in two terms i.e. Term I (April September) and Term II (October - March).

Writing Section:

All types of short and extended writing tasks will be dealt with in both I and II Term Summative as well as in Formative Assessment. For purposes of assessment, all themes dealt with in Main Course Book and other themes may be used.

Grammar:

Grammar items mentioned in the syllabus will be taught and assessed summatively as well as formatively over a period of time. There will be no division of syllabus for Grammar in the summative or formative assessments for the two terms.

Syllabus for Terms

S.N	o. Text Books	First Term (April - September)			Second Term (October - March)		
		FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
Lit	erature Reader						
PR	OSE						
1	How I Taught My Grandmother to Read.	1		1			
2	A Dog Named Duke		1	1			
3	The Man Who Knew too Much.				/		1
4	Keeping it from Harold.				1		1
5	Best Seller.					1	1
РО	ETRY						
1	The Brook	✓		1			
2	The Road Not Taken	✓		1			
3	The Solitary Reaper.		1	1			
4	Lord Ullin's Daughter.		1	1			
5	The Seven Ages				1		1
6	Oh, I Wish I'd Looked After Me Teeth.				1		1
7	Song of the Rain					1	1

S.N	o. Text Books	FA 1	FA2	SA I	FA3	FA4	SA II
DR	AMA						
1	Villa for Sale		1	1			
2	The Bishop's Candlesticks					1	1
Ma	in Course Book						
1	People	1		1			
2	Adventure		1	1			
3	Environment		1	✓			
4	The Class IX Radio Show				/		1
5	Mystery				1		1
6	Children					✓	1
7	Sports and Games					✓	1

- Formative Assessment is assessment 'for' learning. Thus schools may adapt the above breakup as per their convenience.
- All activities related to Formative Assessment such as Language games, quizzes, projects, role plays, dramatisation, script writing etc must be done as 'in class' and 'in school' activities. In case, a field survey or visit is taken up it must be under the direct supervision of the teacher.

EXAMINATION SPECIFICATIONS

English Communicative Code No. 101 CLASS-X

Division of Syllabus for Term I(A	Total Weightage Assigned	
Summative Assessment I	1	
Section	Marks	
Reading	20	20%
Writing	20	1
Grammar	20]
Literature	20	1
Formative Assessment		20%
TOTAL		40%

Division of Syllabus for Term II(Octobe	Total Weightage Assigned	
Summative Assessment II]
Section	Marks	
Reading	20	40%
Writing	20	1
Grammar	20]
Literature	20]
Formative Assessment		20%
TOTAL		60%

- 1. The total weightage assigned to Summative Assessment (SA I & II) is 60%. The total weightage assigned to Formative Assessment (FA 1, 2, 3 & 4) is 40%. Out of the 40% assigned to Formative Assessment, 10% weightage is assigned to conversation skills (5% each in Term I & II) and 10% weightage to the Reading Project (at least 1 Book is to be read in each term and the Project will carry a weightage of 5% in each term)
- 2. The Summative Assessment I and Summative Assessment II is for eighty marks. The weightage assigned to Summative Assessment I is 20% and the weightage assigned to Summative Assessment II is 40%.

SECTIONA: READING 20 Marks

Qs 1-4 Four unseen reading passages of **5 marks** each. Each reading passage will have 5 sub- parts, each of 1 mark. All questions will be multiple choice questions. The passages will be extracts from poems/factual/descriptive/literary/discursive passages. Questions will test inference, evaluation and vocabulary. There will be at least **04 marks** for assessing vocabulary skills. The total length of the 4 passages will be between **650 and 800 words**.

SECTION B: WRITING 20 Marks

The writing section comprises of three writing tasks as indicated below:

- Q 5 A short answer question of upto 100 words in the form of a Biographical Sketch (expansion of notes on an individual's life or achievements into a short paragraph)/Data Interpretation / Dialogue Writing or Description (people, places, events).
 - The question will assess students' skill of expressing ideas in clear and grammatically correct English, presenting ideas coherently and concisely, writing a clear description, a clear account of events, expanding notes into a piece of writing, or transcoding information from one form to another.

 4 Marks
- Q 6 A long answer question (minimum 150 words) in the form of a formal letter/informal letter or an email. The output would be a long piece of writing and will assess the use of appropriate style, language, content and expression.
 8 Marks
- Q 7 A long answer question (minimum 180 words) in the form of a diary entry, article, speech, story or debate.

Students' skills in expression of ideas in clear and grammatically correct English, planning, organising and presenting ideas coherently by introducing, developing and concluding a topic, comparing and contrasting ideas and arriving at a conclusion, presenting an argument with supporting examples, using an appropriate style and format and expanding notes into longer pieces of writing and creative expression of ideas will be assessed.

8 Marks

Important Note on Format and Word limit:

- Format will not carry any separate marks and in most cases, format will be given in the question paper.
- The word limit given is the suggested minimum word limit. No candidate may be penalised for writing more
 or less than the suggested word limit. Stress should be on content, expression, coherence and relevance of
 the content presented.

SECTION C: GRAMMAR 20 Marks

This section will assess Grammar items in context for 20 Marks. It will carry 5 questions of 4 marks each.

Tests items will be Multiple Choice Questions and test various grammatical items in context.

Q 8-Q 12 will test grammar items which have been dealt with in class X. Different structures such as verb forms, sentence structure, connectors, determiners, pronouns, prepositions, clauses, phrases, etc., can be tested through formative assessment over a period of time. As far as the summative assessment is concerned, it will recycle grammar items learnt over a period of time and will test them in context through Multiple Choice Question format.

Tests types used will include gap-filling, cloze (gap filling exercise with blanks at regular intervals), sentence completion, reordering word groups into sentences, editing, dialogue-completion and sentence-transformation.

The grammar syllabus will be sampled each year, with marks allotted for:

Verb forms

Sentence structures

Other areas

Note: Jumbled words in reordering exercise to test syntax will involve sentences in a context. Each sentence will be split into sense groups (not necessarily into single words) and jumbled up.

Section D: LITERATURE 20 Marks

Q 13 Two extracts out of three from prose, poetry or plays in the form of Multiple Choice Questions based on reference to context. Each extract will carry 3 Marks.

(Word limit: 20-30 words)

3+3=6 Marks

- Q 14 Four out of Five short answer type questions based on prose, poetry and play of 2 marks each. The questions will not test recall but inference and evaluation. (Word limit: 30-40 words each) 8 Marks
- Q 15 One out of two long answer type questions to assess personal response to text by going beyond the text/poem/story or extract. Creativity, imagination and extrapolation beyond the text and across two texts will also be assessed.
 6 Marks

Prescribed Books/Materials

- 1 Interact in English X Main Course Book Revised edition
- 2 Interact in English X Literature Reader Revised edition
- 3 Interact in English X Workbook Revised edition

Published by CBSE

Delhi-110092

Reading Section:

Reading for comprehension, critical evaluation, inference and analysis is a skill to be tested formatively as well as summatively. There will be no division of passages for this section, however for reading purposes, the Interact in English Main Course Book will be read in two terms i.e. Term I (April September) and Term II (October - March).

Writing Section:

All types of short and extended writing tasks will be dealt with in both I and II Term Summative as well as in Formative Assessment. For purposes of assessment all themes dealt with in Main Course Book and other themes may be used.

Grammar:

Grammar items mentioned in the syllabus will be taught and assessed summatively as well as formatively over a period of time. There will be no division of syllabus for Grammar in the summative or formative assessments for the two terms.

Syllabus for Terms

S.N	o. Text Books	First Term (April - September)			Second Term (October - March)		
		FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
Lit	erature Reader						
PR	OSE						
1	The Tribute	1		1			
2	Cutie Pie		1	1			
3	The Letter				1		1
4	The Ultimate Safari					1	1
PO	ETRY						
1	Night of the Scorpion	1		1			
Tex	t Books						
2	Ode to the West Wind		1	1			
3	The Frog and The Nightingale				1		1
4	Mirror					1	1
5	The Rime of the Ancient Mariner					1	1
DR	AMA						
1	A Christmas Carol	1		1			
2	Julius Caesar				1		1

Ma	in Course Book	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	Health and Medicine	1		1			
2	Education		1	1			
3	Science				1		1
4	Environment					1	1
5	Travel and Tourism					1	1

- 1 Formative Assessment is assessment 'for' learning. Thus schools may adapt the above breakup as per their convenience.
- All activities related to Formative Assessment such as Language games, quizzes, projects, role plays, dramatisation, script writing etc must be done as 'in class' and 'in school' activities. In case, a field survey or visit is taken up it must be under the direct supervision of the teacher.

ENGLISH - LANGUAGE AND LITERATURE

Code No. 184

CLASSES IX-X

Background

Traditionally, language-learning materials beyond the initial stages have been sourced from literature: prose, fiction and poetry. While there is a trend for inclusion of a wider range of contemporary and authentic texts, accessible and culturally appropriate pieces of literature should play a pivotal role at the secondary stage of education. The English class should not be seen as a place merely to read poems and stories in, but an area of activities to develop the learner's imagination as a major aim of language study, and to equip the learner with communicative skills to perform various language functions through speech and writing.

Objectives

The general objectives at this stage are:

- to build greater confidence and proficiency in oral and written communication
- to develop the ability and knowledge required in order to engage in independent reflection and inquiry
- to use appropriate English to communicate in various social settings
- equip learners with essential language skills to question and to articulate their point of view.
- to build competence in the different registers of English
- to develop sensitivity to, and appreciation of, other varieties of English, Indian English, and the culture they reflect
- to enable the learner to access knowledge and information through reference skills (consulting a dictionary / thesaurus, library, internet etc.)
- to develop curiosity and creativity through extensive reading
- to facilitate self-learning to enable them to become independent learners
- to review, organise and edit their own work and work done by peers

At the end of this stage learners will be able to do the following:

- give a brief oral description of events / incidents of topical interest
- retell the contents of authentic audio texts (weather reports, public announcements, simple advertisements, short interviews, etc.)
- participate in conversations, discussions, etc. on topics of mutual interest in non-classroom situations

- narrate the story depicted pictorially or in any other non-verbal mode
- respond in writing to business letters, official communications
- read and identify the main points / significant details of texts like scripts of audio-video interviews, discussions, debates etc.
- write without prior preparation on a given topic and be able to defend or explain the position taken / views expressed in the form of article, speech, or a debate.
- write a summary of short lectures on familiar topics by making / taking notes
- write an assessment of different points of view expressed in a discussion / debate
- read poems effectively (with proper rhythm and intonation)
- to transcode information from a graph / chart to a description / report and write a dialogue, short story or report.

Language Items

In addition to consolidating the grammatical items practiced earlier, the courses at secondary level seek to reinforce the following explicitly:

- sequence of tenses
- reported speech in extended texts
- modal auxiliaries (those not covered at upper primary)
- non-finites (infinitives, gerunds, participles)
- conditional clauses
- complex and compound sentences
- phrasal verbs and prepositional phrases
- cohesive devices
- punctuation (semicolon, colon, dash, hyphen, parenthesis or use of brackets and exclamation mark)

Methods and Techniques

The methodology is based on a multi-skill, activity based, learner centred approach. Care is taken to fulfil the functional (communicative), literary (aesthetic) and cultural (sociological) needs of the learner. In this situation the teacher is the facilitator of learning, s(he) presents language items, contrives situations which motivates the child

to use English for the purposes of communication and expression. Aural-oral teaching and testing is an integral feature of the teaching-learning process. The electronic and print media could be used extensively. The evaluation procedure should be continuous and comprehensive. A few suggested activities are:

- Role playing
- Simulating real-to-life situations
- Dramatising and miming
- Problem solving and decision making
- Interpreting information given in tabular form and schedule
- Using newspaper clippings
- Borrowing situations from the world around the learners, from books and from other disciplines
- Using language games, riddles, puzzles and jokes
- Interpreting pictures / sketches / cartoons
- Debating and discussing
- Narrating and discussing stories, anecdotes, etc.
- Reciting poems
- Working in pairs and groups
- Using media inputs computer, television, video cassettes, tapes, software packages.

Assessment in class IX and X

The English curriculum aims at the harmonious development of the four language skills, and thus of the learners' communicative capacity. Teaching/testing objectives have been set for each of these skills, indicating the level of achievement expected of the learners. However, although it is possible to assess these skills and sub-skills, it is not possible to test all of them through a formal, time-bound examination. It is, therefore, essential to measure the level of attainment in these skills through Formative assessment, in addition to the Summative assessment. The overall pattern of the two modes of assessment at Class IX and X is as follows:

The academic year will be divided into two assessment periods:

Summative I- from April - September - 20 % weightage

Formative II- 10%

Summative II - from October - March 40 % weightage

Formative III - 10%
Formative IV- 10%

Formative Assessment is a tool used by the teacher to continuously monitor student progress in a non-threatening, supportive environment. It involves regular descriptive feedback, a chance for the student to reflect on the performance, take advice and improve upon it. It involves students being an essential part of assessment from designing criteria to assessing self or peers. If used effectively it can improve student performance tremendously while raising the self esteem of the child and reducing the work load of the teacher.

Features of Formative Assessment

- is diagnostic and remedial
- makes the provision for effective feedback
- provides the platform for the active involvement of students in their own learning.
- enables teachers to adjust teaching to take account of the results of assessment
- recognizes the profound influence assessment has on the motivation and self-esteem of students, both
 of which are crucial influences on learning
- recognizes the need for students to be able to assess themselves and understand how to improve
- builds on students' prior knowledge and experience in designing what is taught.
- incorporates varied learning styles into deciding how and what to teach.
- encourages students to understand the criteria that will be used to judge their work
- offers an opportunity to students to improve their work after feedback,
- helps students to support their peers, and expect to be supported by them.

Formative Assessment is thus carried out during a course of instruction for providing continuous feedback to both the teachers and the learners for taking decisions regarding appropriate modifications in the transactional procedures and learning activities.

Continuous assessment refers to the assessment of student's achievement throughout the year, through a variety of activities, field trips and visits outside the schools and are also carried out within the school. Such activities may be formal or informal, but in order to assess listening and speaking skills, it is important that a large proportion of the marks allotted should be derived from informal procedures.

Conversation skills (Listening and Speaking)-Assessment in this area relates to the teaching/testing objectives for these two skills. In the skill-based approach to language learning, the importance of conversation skills cannot be underestimated.

At the end of each term, the teacher should be able to assess the level of each student's conversation skills, based on observation of their participation in the English classes. Whenever in the coursework the students are required to discuss role play, simulate, express a point of view etc., the teacher should monitor the activities and critically observe each student's participation. It is important to stress that informal assessment for conversation skills should be a regular, ongoing activity throughout the term. A Conversation Skill Assessment Scale is given below. For each skill, students may be awarded marks from 0 to 10, but specifications are given only for bands 1,3,5,7 and 9. Using this scale, a teacher can place a student at a particular band; for example, a student falling between bands 3 and 5 would be awarded 4 marks, and particularly deserving students could be awarded 10 marks. Students should be informed at the beginning of the year that their class participation will be assessed in this way.

Conversation Skills Assessment Scale

Listening	Speaking
The Learner	The Learner
shows general ability to understand words and phrases in a familiar context but cannot follow connected speech;	shows ability to use only isolated words and phrases but cannot operate at connected speech level;
3 has ability to follow short connected utterances in a familiar context;	3 in familiar situation, uses only short connected ut- terances with limited accuracy;
5 has ability to understand explicitly stated information in both familiar and unfamiliar contexts;	5 shows ability to use more complex utterances with some fluency in longer discourse; still makes some errors which impede communication;
7 understands a range of longer spoken texts with reasonable accuracy, and is able to draw infer- ences;	7 organises and presents thoughts in a reasonably logical and fluent manner in unfamiliar situations,
9 shows ability to interpret complex discourse in terms of points of view; adapts listening strategies to suit different purposes	makes errors which do not interfere with communication; 9 can spontaneously adopt style, appropriate to purpose and audience; makes only negligible errors.

The overall assessment policy for Class IX seeks to measure the four skills. Speaking has been covered under conversation skills, and is clearly not assessable through a written assignment. Listening and reading, however, can be assessed in this way, through activities which lead to a written product such as notes, a table or a summary. This type of assessment however should not be a test of writing skills. Students should be awarded marks as objectively as possible according to the extent to which they have understood, whether through reading or through listening. They should not be penalised in such assignments for errors in punctuation, spelling or grammar.

Other assignments, however, will focus on writing skills and involve extended writing. This takes place through writing skills activities in the Main Course Book, and via certain activities in the Literature Reader. Assessment of written work forms an important and integral part of the overall assessment of the student's ability in the use of the English language. It is in this area very often that subjectivity creeps in and mars the judgment in evaluation because of a lack of clear-cut guidelines for the teachers.

In the new curriculum for English, each student's written work has to be assessed throughout the year in an informal manner. For this, it becomes essential to provide a rating scale to help teachers to make formative assessment objective and uniform. The assignments should vary each year. Throughout the year, the teacher should keep a record of marks awarded for assignments and activities carried out as part of formative assessment.

Reading Project

Inculcating good reading habits in children has always been a concern for all stakeholders in education. The purpose is to create independent thinking individuals with the ability to not only create their own knowledge but also critically interpret, analyse and evaluate it with objectivity and fairness. This will also help students in learning and acquiring better language skills.

Creating learners for the 21st century involves making them independent learners who can 'learn, unlearn and relearn' and if our children are in the habit of reading they will learn to reinvent themselves and deal with the many challenges that lie ahead of them.

Reading is not merely decoding information or pronouncing words correctly, it is an interactive dialogue between the author and the reader in which the reader and author share their experiences and knowledge with each other which helps them to understand the text and impart meaning to the text other than what the author himself may have implied. Good readers are critical readers with an ability to arrive at a deeper understanding of not only the world presented in the book but also of the real world around them. They not only recall what they read but comprehend it too. Their critical reading and understanding of the text helps them create new understanding, solve problems, infer and make connections to other texts and experiences. Reading does not mean reading for leisure only but also for information, analysis and synthesis of knowledge. The child may be encouraged to read on topics as diverse as science and technology, politics and history. This will improve his/her critical thinking skills and also help in improving his/her concentration.

Reading any text should be done with the purpose of:-

- reading silently at varying speeds depending on the purpose of reading;
- adopting different strategies for different types of texts, both literary and non-literary;
- recognising the organisation of a text;
- 4. identifying the main points of a text;
- 5. understanding relations between different parts of a text through lexical and grammatical cohesion devices;
- 6. anticipating and predicting what will come next.;
- 7. deducing the meaning of unfamiliar lexical items in a given context;
- 8. consulting a dictionary to obtain information on the meaning and use of lexical items;
- 9. analysing, interpreting, inferring (and evaluating) the ideas in the text;
- 10. selecting and extracting from text information required for a specific purpose;
- retrieving and synthesising information from a range of reference material using study skills such as skimming and scanning;
- interpreting texts by relating them to other material on the same theme (and to their own experience and knowledge); and
- 13. reading extensively on their own for pleasure;

A good reader is most often an independent learner and consequently an independent thinker capable of taking his/her own decisions in life rationally. Such a learner will most assuredly also be capable of critical thinking.

Reading a book should lead to creative and individual response to the author's ideas presented in the book in the form of -

- short review
- dramatisation of the story
- commentary on the characters
- critical evaluation of the plot, story line and characters
- comparing and contrasting the characters within the story and with other characters in stories by the same author or by the other authors
- extrapolating about the story's ending or life of characters after the story ends
- defending characters' actions in the story.
- making an audio story out of the novel/text to be read out to younger children.
- Interacting with the author
- Holding a literature fest where various characters interact with each other
- Acting like authors/poets/dramatists, to defend their works and characters.
- Symposiums and seminars for introducing a book, an author, or a theme
- Finding similar text in other languages, native or otherwise and looking at differences and similarities.
- Creating graphic novels out of novels/short stories read
- Dramatising incidents from a novel or a story
- Creating their own stories
- A Reading Project of 10 marks has been introduced in class IX & X.
- Schools may use books of their own choice.
- 3. Schools can vary the level but at least one book per term is to be read by every child.

Teachers may opt for:-

- One book:
- Books by one author; or
- Books of one genre; to be read by the whole class.

Teacher may select books suitable to the age and level of the learners. Care ought to be taken to choose books that are appropriate in terms of language, theme and content and which do not hurt the sensibilities of any child.

Teachers may later suggest books from other languages but dealing with the same themes as an extended activity.

The Project should lead to independent learning/ reading skills and hence the chosen book/selection should not be taught in class, but may be introduced through activities and be left for the students to read at their own pace. Teachers may, however, choose to assess a child's progress or success in reading the book by asking for verbal or written progress reports, looking at the diary entries of students, engaging in a discussion about the book, giving a short quiz or a worksheet about the book/ short story. The mode of intermittent assessment may be decided by the teacher as she/he sees fit.

These may be used for Formative Assessment (F1, F2, F3 and F4) only. Various modes of assessment such as conducting Reviews, Discussions, Open Houses, Exchanges, Interact with the Author, writing scripts for plays can be considered.

ENGLISH - LANGUAGE AND LITERATURE

Code No. 184

Examination Specifications

CLASS IX

Division of Syllabus for Term I(Ap	Total Weightage Assigned		
Summative Assessment I	1		
Section	Marks		
Reading	15	20%	
Writing	15]	
Grammar	15]	
Literature	35]	
Formative Assessment		20%	
TOTAL		40%	

Division of Syllabus for Term II(Total Weightage Assigned		
Summative Assessment II	1		
Section	Marks		
Reading	15	40%	
Writing	15	1	
Grammar	15		
Literature	35	1	
Formative Assessment		20%	
TOTAL		60%	

- 1. The total weightage assigned to Summative Assessment (SA I & II) is 60%. The total weightage assigned to Formative Assessment (FA 1, 2, 3 & 4) is 40%. Out of the 40% assigned to Formative Assessment, 10% weightage is assigned to conversation skills (5% each in Term I & II) and 10% weightage to the Reading Project (at least 1 Book is to be read in each term and the Project will carry a weightage of 5% in each term)
- 2. The Summative Assessment I and Summative Assessment II is for eighty marks. The weightage assigned to Summative Assessment I is 20% and the weightage assigned to Summative Assessment II is 40%.

SECTION A: READING 15 Marks

30 periods

Qs 1-3 Three unseen passages of total 500 words followed by 15 marks Multiple Choice Questions of 1 mark each, Out of the 15 marks, 3 marks will be for vocabulary. The questions will test inference, evaluation and analysis. The passages may be extracts from poetry/factual/literary/discursive passages.

At least one passage will be an extract from a poem.

Section B: WRITING 15 Marks

40 periods

Q 4 Letter Writing: One out of two letters (formal/informal/email) in not more than 100 words based on verbal stimulus and context provided.

Types of letter: Informal-personal, such as to family and friends.

Formal - letters to the Editor.

Email - formal letters to Principal of the school or to the editor of a Newspaper or a Magazine 6 Marks

- Writing an article, speech or debate based on visual or verbal stimulus in not more than 120 words (One out of two).
 6 Marks
- Q 6 Writing a short composition in the form of dialogue writing/story or report of minimum 80 words (One out of two).3 Marks

Section C: GRAMMAR 15 Marks 45 Periods

This section will assess Grammar items in context for 15 marks. It will carry 5 questions of 3 marks each.

- Q 7-11. A variety of short questions involving the use of particular structures within a context. Test types used will include gap-filling, sentence-completion, sentence-reordering, dialogue-completion and sentence transformation (including combining sentences). The Grammar syllabus will include the following areas in class IX:
- 1 Tenses
- 2 Modals (have to/had to, must, should, need, ought to and their negative forms)
- 3 Use of passive voice
- 4 Subject-verb concord
- Reporting
 - (i) Commands and requests
 - (ii) Statements

- (iii) Ouestions
- Clauses:
 - (i) Noun clauses
 - (ii) Adverb clauses of condition and time
 - (iii) Relative clauses
- Determiners, and
- 8. Prepositions

Note: No separate marks are allotted for any of the grammatical items listed above.

All questions will be **multiple choice questions**. The questions will be based on a sample of grammar items taught in class IX.

Section D: TEXT BOOKS

35 Marks 95 periods

Beehive-NCERT Text Book for Class IX

25 marks

- Q 12 Two reference to context Multiple Choice Questions from Prose or Play.
 - Upto one mark in each extract will be for vocabulary, at least one question will be used for testing local and global comprehension and one question will be on interpretation.

 4X2=8marks
- Q 13 Two out of three reference to context stanza from a poem followed by 3 Multiple Choice Questions to test local and global comprehension of the set text. 3X2=6 marks
- Q 14 Three out of four Short Answer questions based on Prose or Play to test local and global comprehension of theme and ideas. (40-50 words)

 2X3=6 marks
- Q 15 One out of two Long Answer questions extrapolative in nature based on Prose or Play. (Upto 80 words)
 5 marks

Moments: NCERT Supplementary Reader for Class IX

10 marks

- Q16 One out of Two Long Answer Questions from Supplementary Reader to interpret, evaluate and analyse character, plot or situations occurring in the lessons to be answered in about 80 words.
 4 marks
- Q 17 Two out of three Short Answer Type Questions based on factual aspects, interpretation or evaluation of a lesson. (40-50 words)

 3X2=6 marks

NOTE: Teachers are advised to:

- encourage classroom interaction among peers, students and teachers through activities such as role play, group work etc,
- (ii) reduce teacher-talking time to the minimum,

- take up questions for discussion to encourage pupils to participate; and to marshal their ideas and express and defend their views, and
- (iv) Use scale of assessment for conversation skills for testing the students for continuous Assessment.

Besides measuring attainment, tests serve the dual purpose of diagnosing mistakes and areas of non-learning. To make evaluation a true index of learners' attainment, each language ability is to be tested through a judicious mixture of different types of questions. In addition to the summative tests, formative assessment is essential to measure the level of attainment in the four language skills and the learners' communicative capability. Formative assessment should be done through 'in class' activities throughout the year.

Prescribed Books

1 Beehive - Textbook for Class IX

2 Moments - Supplementary Reader for Class IX

Published by NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi

Reading Section:

Reading for comprehension, critical evaluation, inference and analysis is a skill to be tested formatively as well as summatively.

Writing Section:

All types of short and extended writing tasks will be dealt with in both I and II Term Summative as well as in Formative Assessment.

Grammar:

Grammar items mentioned in the syllabus will be taught and assessed formatively over a period of time. There will be no division of syllabus for Grammar in the summative assessments for the two terms.

Syllabus for Terms

S.No. Text Books		First Term (April - September)			Second Term (October - March)		
		FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
TEXT BOOK (Beehive)							
PR	OSE						
1	The fun they had	1		1			
2	The Sound of Music	1		1			
3	The little girl	1		1			
4	ATruly Beautiful mind		1	1			

		FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
5	The Snake and the Mirror		1	1			
6	My childhood				1	,	1
7	Packing				1		1
8	Reach for the Top				1		1
9	The Bond of Love					1	1
10	Kathmandu					1	1
11	If I were You					1	1
POI	ETRY						
1	The Road not taken	1		1			
2	Wind	1		1			
3	Rain on the Roof	1		1			
4	The Lake Isle of Innisfree		1	1			
5	A legend of the Northland		1	1			
6	No Men are Foreign				1		✓
7	The Duck and the Kangaroo				1		1
8	On Killing a Tree				1		1
9	The Snake Trying					/	1
10	A Slumber did My Spirit Steal					1	1

	plementary Reader oments)	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
1	The Lost Child	✓		1			
.2	The Adventure of Toto	✓		1			
3	Ishwaran the Story Teller	✓		1			
4	In the Kingdom of Fools		1	1			
5	The Happy Prince		1	1			
6	Weathering the Storm in Erasma				1		1
7	The Last Leaf				1		1
8	A House is Not a Home				1		1
9	The Accidental Tourist					1	1
10	The Beggar					1	1

- Formative Assessment is **assessment 'for' learning**. Thus schools may adapt the above breakup as per their convenience.
- All activities related to Formative Assessment such as Language games, quizzes, projects, role plays, dramatisation, script writing etc must be done as 'in class' and 'in school' activities. In case, a field survey or visit is taken up it must be under the direct supervision of the teacher.

ENGLISH - LANGUAGE AND LITERATURE

Code No. 184

Examination Specifications

CLASS X

Division of Syllabus for Term I(A	Total Weightage Assigned		
Summative Assessment I			
Section	Marks		
Reading	15	20%	
Writing	15]	
Grammar	15]	
Literature	35]	
Formative Assessment		20%	
TOTAL		40%	

Division of Syllabus for Term II(Octo	Total Weightage Assigned		
Summative Assessment II			
Section	Marks		
Reading	15	40%	
Writing	15]	
Grammar	15		
Literature	35]	
Formative Assessment		20%	
TOTAL		60%	

- 1. The total weightage assigned to Summative Assessment (SA I & II) is 60%. The total weightage assigned to Formative Assessment (FA 1, 2, 3 & 4) is 40%. Out of the 40% assigned to Formative Assessment, 10% weightage is assigned to conversation skills (5% each in Term I & II) and 10% weightage to the Reading Project (at least 1 Book is to be read in each term and the Project will carry a weightage of 5% in each term)
- 2. The Summative Assessment I and Summative Assessment II is for eighty marks. The weightage assigned to Summative Assessment I is 20% and the weightage assigned to Summative Assessment II is 40%.

SECTIONA: READING 15 Marks

30 periods

Qs 1-3 Three unseen passages of total 500 words followed by 15 marks Multiple Choice Questions of 1 mark each, Out of the 15 marks, **3 marks will be for vocabulary.** The questions will test inference, evaluation, and analysis. The passages may be extracts from poetry/factual/literary/discursive passages.

Section B: WRITING 15 Marks 40 periods

Q 4 Letter Writing: One out of two letters (formal/informal/email) in not more than 100 words based on verbal stimulus and context provided.

Types of letter: Informal-personal such as to family and friends.

Formal-letters to the Editor.

Email- formal letters to Principal of the school or to the editor of a Newspaper or a Magazine. 6 Marks

- Q 5 Writing an article, speech or debate based on visual or verbal stimulus in not more than 120 words (One out of two).
 6 Marks
- Q 6 Writing a short composition in the form of dialogue writing/story or report of minimum 80 words (One out of two).3 Marks

Section C: GRAMMAR 15 Marks 45 Periods

This section will assess grammar items in context for 15 marks. It will carry 5 questions of 3 marks each.

- Q 7-11. A variety of short questions involving the use of particular structures within a context. Test types used will include gap-filling, sentence-completion, sentence-reordering, dialogue-completion and sentence-transformation (including combining sentences). The Grammar syllabus will include the following areas in class X:
- 1 Tenses
- 2 Modals (have to/had to, must, should, need, ought to and their negative forms)
- 3 Use of passive voice
- 4 Subject-verb concord
- 5 Reporting
 - (i) Commands and requests
 - (ii) Statements
 - (iii) Questions

- Clauses:
 - (iv) Noun clauses
 - (v) Adverb clauses of condition and time
 - (vi) Relative clauses
- 7. Determiners; and
- Prepositions

Note: No separate marks are allotted for any of the grammatical items listed above.

All questions will be **multiple choice questions**. The questions will be based on a sample of grammar items taught in class X.

Section D: TEXT BOOKS

35 Marks 95 Periods

First Flight-NCERT Text Book for Class X

25 Marks

- Q 12 Two reference to context Multiple Choice Questions from Prose/Play. Upto one mark in each extract will be for vocabulary, at least one question will be used for testing local and global comprehension besides a question on interpretation.
 4X2=8 Marks
- Q 13 Two out of three reference to context stanza from a poem followed by 3 Multiple Choice Questions to test local and global comprehension of the set text.

 3X2=6 Marks
- Q 14 Three out of four Short Answer questions based on Prose or Play to test local and global comprehension, theme and ideas. (40-50 words)

 2X3=6 Marks
- Q 15 One out of two Long Answer questions extrapolative in nature, based on Prose or Play (minimum 80 words) 5 Marks

Footprints without Feet: NCERT Supplementary Reader for Class X

10 Marks

- Q 16 One out of Two Long Answer Questions from Supplementary Reader to interpret, evaluate and analyse character, plot or situations occurring in the lessons to be answered in about 80 words.
 4 Marks
- Q 17 Two out of three Short Answer Type Questions based on factual aspects, interpretation or evaluation of a lesson. (40-50 words)

 3X2=6 Marks

NOTE: Teachers are advised to:

- encourage classroom interaction among peers, students and teachers through activities such as role play, group work etc,
- (ii) reduce teacher-talking time to the minimum,

- (iii) take up questions for discussion to encourage pupils to participate; and to marshal their ideas and express and defend their views, and
- (iv) use scale of assessment for conversation skills for testing the students for continuous assessment.

Besides measuring attainment, tests serve the dual purpose of diagnosing mistakes and areas of non-learning. To make evaluation a true index of learners' attainment, each language ability is to be tested through a judicious mixture of different types of questions. In addition to the summative tests, formative assessment is essential to measure the level of attainment in the four language skills and the learners' communicative capability. Formative assessment should be done through 'in class' activities throughout the year.

Prescribed Books

- 2

First Flight - Textbook for Class X

Published by NCERT,

Foot Prints without Feet- Supplementary Reader for Class X

Sri Aurobindo Marg, New Delhi

Reading Section:

Reading for comprehension, critical evaluation, inference and analysis is a skill to be tested formatively as well as summatively.

Writing Section:

All types of short and extended writing tasks will be dealt with in both I and II Term Summative as well as in Formative Assessment

Grammar:

Grammar items mentioned in the syllabus will be taught and assessed formatively over a period of time. There will be no division of syllabus for Grammar in the summative assessments for the two terms.

Syllabus for Terms

S.N	o. Text Books	First Term (April - September)			Second Term (October - March)		
		FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
	erature Reader st Flight)						
PR	OSE						
1	A Letter to God	✓		1			
.2	Nelson Mandela: Long Walk to Freedom	1		1			
3	His First Flight (Lesson)	✓		1			
4	Black Aero Plane		1	1			
5	From the Diary of Anne Frank		1	1			
6	Hundred Dresses- I		1	1			
7	Hundred Dresses-II		1	1			
8	A Baker from Goa Coorg				1		1
9	Tea from Assam				1		1
10	Mijbil the otter					1	1
11	Madam Rides the Bus						
12	The Sermon at Benares					1	1
13	The Proposal					1	1
PO	ETRY						
1	Dust of Snow: Fire and Ice	1		1			
2	A Tiger in the zoo	✓		1			

S.N	o Text Books	FA 1 10	FA2 10	SA I 20	FA3 10	FA4 10	SA II 40
3	How to tell Wild Animals	✓		1			
4	The Ball Poem		1	1			
5	Amanda				1		1
6	Animals				1		✓
7	The Trees				1		1
8	Fog					1	1
9	The Tale of Custard the Dragon					1	1
10	For Anne Gregory					1	1
	plementary Reader otprints without Feet)						
1	ATriumph of Surgery	✓		1			
2	The Thief's Story	✓		1			
3	The Midnight Visitor	✓		1			
4	A Question of Trust		1	1			
5	Footprints without feet		1	1			
6	The Making of a Scientist				1		1
7	The Necklace				1		1
8	The Hack driver					1	1
9	Bholi					1	✓
10	The Book that saved the Earth					√	1

- 1 Formative Assessment is assessment 'for' learning. Thus schools may adapt the above breakup as per their convenience.
- All activities related to Formative Assessment such as Language games, quizzes, projects, role plays, dramatisation, script writing etc must be done as 'in class' and 'in school' activities. In case, a field survey or visit is taken up it must be under the direct supervision of the teacher.

3. गणित (कोड संख्या 041)

गणित विषय के पाट्यक्रम में समय-समय पर विषय के विकास एवं समाज की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान संशोधित पाट्यक्रम की अभिकल्पना राष्ट्रीय पाट्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर तथा गणित शिक्षण पर बने फोकस समूह के मार्गदर्शन के अनुसार की गयी है। इसमें हर वर्ग के छात्रों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया गया हैं। वास्तविक जीवन की समस्याओं एवं विषय के अन्य क्षेत्रों से उपविषयों को प्रेरणित करके विभिन्न अवधारणाओं के अनुप्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है।

माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का मुख्य उद्शय गणित के प्रयोग द्वारा छात्र की दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि करना तथा विषय का एक पृथक् विधा के रूप में अध्ययन करना है। ऐसी आशा की जाती है कि छात्र बीजगणितीय विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने की क्षमता अर्जित करेंगे एवं सरल त्रिकोणिमिति के बोध का अनुप्रयोग ''ऊंचाई एवं दूरी'' की समस्याओं को हल करने में करेंगे। संख्याओं एवं ज्यामिति के रूपों से प्रयोग करते हुए अभिगृहीत बनाएगें एवं अन्य प्रेक्षणों द्वारा इन्हें सत्यापित करके इस स्तर पर इन्हें गणित अधिगम की विरासत का भाग बनाएंगे। प्रस्तावित पाठ्कम में संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति को सिम्मिलित किया गया है।

गणित-शिक्षण क्रियाकलापों द्वारा कराया जाना चाहिए। इन क्रियाकलापों में साकार वस्तुओं, मॉडलों, प्रतिरूपों, चार्टों, चित्रों, पोस्टरों, खेलों, पहेलियों एवं प्रयोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उद्श्य

माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य छात्रों की निम्नलिखित के अधिगमन में सहायता करना है-

- उत्तर प्राथमिक स्तर पर अर्जित गणित के ज्ञान एंव कौशलों को संघटित करना।
- विशोषकर प्रेरणा एवं अवलोकन द्वारा गणित की मूल अवधारणाओं, पदों, सिद्धान्तों एवं प्रतीकों तथा इसमें निहित
 प्रक्रियाओं एवं कुशलताओं के ज्ञान एवं समझ को अर्जित करना।
- मूल बीजगणितीय कौशलों में प्रभुत्व विकसित करना।
- चित्रांकन की कुशलता विकसित करना।
- किसी परिणाम की उपपत्ति अथवा समस्या का हल करते समय तर्कों के प्रवाह को अनुभव करना।
- प्राप्त ज्ञान और अर्जित कौशलों का अनुप्रयोग, जहां संभव हो समस्याओं को एक से अधिक विधियों द्वारा हल करने में करना।
- सोचने, विश्लेषण करने एवं सुस्पष्ट तर्क करने की सकारात्मक योग्यता विकसित करना।
- राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटे परिवार के मानदण्ड अपनाना, सामाजिक अवरोधों को दूर करना, लिंग पूर्वाग्रहों को समाप्त करना के विषय में जागरूकता विकसित करना।
- आधुनिक प्रौद्योकीय युक्तियों जैसे कैलकुलेटर, आदि के उपयोग के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना।

- सुन्दर संरचनाओं एवं पैटर्नों आदि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में गणित का उपयोग एक समस्या-हल करने की युक्ति के रूप में करने की रूचि विकसित करना।
- गणित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महान गणितज्ञों के प्रति आदर एवं सम्मान-भाव विकसित करना।
- संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विषय में रूचि जागृत करना।
- विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में होने वाले गणित के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना।
- विद्यार्थियों में गणित को एक विषय विशेष के रूप में पढने की रुचि जागृत करना।

सामान्य निर्देश

- सतत् व वृहद मूल्यांकन (सी.सी.ई) के मार्गदर्शन के अनुसार कक्षा IX व X के पाट्यक्रम को सत्रवार विभाजित किया गया है।
- प्रत्येक सत्र के लिए विनिर्दिष्ट इकाइयों का मूल्यांकन दोनों फाॅरमैटिव एवं संकलित मूल्यांकनों द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक सत्र में दो फारमैटिव मुल्यांकन होंगे, जिनमें प्रत्येक का भार 10% होगा।
- प्रथम सत्र के फॉरमैटिव मूल्यांकन का भार 20% तथा दूसरे सत्र के फॉरमैटिव मूल्यांकन का भार 40% होगा।
- सूचीबद्ध प्रयोगशाला-क्रियाकलापों एवं पिरयोजनाओं का आवश्यक रूप से मूल्यांकन फॉरमैटिव मूल्यांकन के अन्तर्गत किया जाएगा।

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा IX

प्रथम	सत्र	अंक 80
इकाई		अंक
I	संख्या पद्धति	15
п	बीज गणित	20
ш	ज्यामिति	35
IV	निर्देशांक ज्यामिति	05
V	क्षेत्रमिति	03
	कुल (सैद्धान्तिक)	80

इकाई I; संख्या पद्धति

1. वास्तविक संख्याएं

(पीरिएड 18)

संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं के निरूपण का पुनरावलोकन, संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा सांत/असांत आवर्ती दशमलवों का निरूपण, परिमेय संख्याएं आवर्ती/सांत भिन्नों के रूप में। अनावर्ती/असांत दशमलवों जैसे $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ आदि के उदाहरण, अपिरमेय संख्याओं जैसे $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ का अस्तित्व एवं इनका संख्या रेखा पर निरूपण, व्याख्या करना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिन्दु के रूप में निरूपण किया जाता है और इसका विलोमत: , संख्या रेखा पर प्रत्येक बिन्दु किसी अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। किसी दी गयी धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए $\sqrt{\chi}$ का अस्तित्व (दृष्ट प्रमाण को महत्व दिया जाए)

वास्तविक संख्या के nवें मूल की परिभाषा

पूर्णांक घातों के घातांकों के नियम का स्मरण, धनात्मक वास्तविक आधारों वाले परिमेय घातांक (विशेष प्रकरणों द्वारा किया जाना है, छात्रों को व्यापक नियमों तक पहुंचने दीजिए।)

 $\frac{1}{a+b\sqrt{x}}$ एवं $\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$, यहां x और y प्राकृतिक संख्याएं तथा a और b पूर्णांक हैं; प्रकार की वास्तविक संख्याओं (एवं इनके संयोजनों) का परमेयीकरण (यथार्थ अर्थ सहित)

डकाई II: बीजगणित:

1. बहुपद

(पीरिएड 23)

एक चर के बहुपद की परिभाषा, इसके गुणांक, उदाहरणों एवं प्रत्युदाहरणों सिहत, इसके पद, शून्य बहुपद/की घात, अचर, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद ; एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी/गुणनखण्ड एवं गुणज /बहुपद/समीकरण के शून्य/मूल/शेषफल प्रमेय का कथन एवं प्रयोजन इसके उदाहरण एवं पूर्णांकों से समरूपता गुणनखण्ड प्रमेय-प्रकथन एवं उपपत्ति $ax^2 + bx + c, a \neq o$ यहां a, b, c वास्तविक संख्याएं है, तथा गुणन खण्ड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद के गुणन खण्ड करना।

बीजगणितीय व्यंजकों एवं सर्वसिमकाओं का स्मरण, $(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+yz+2zx$; $(x\pm y)^3=x^3+y^3\pm 3xy$ $(x\pm y)$; तथा $x^3+y^3+z^2-3xyz=(x+y+z)$ $(x^2-y^2+z^2-xy-yz-3x)$ प्रकार की सर्वसिमकाओं का सत्यापन तथा बहुपदों के गुणनखण्डन में इनका उपयोग। सरल व्यजंक जिन्हें इन बहुपदों में परिवर्तित किया जा सकता है।

इकाई III ज्यामिति:

1. यूक्लिड-ज्यामिति का परिचय:

(पीरिएड 6)

इतिहास- भारत में ज्यामिति एवं यूक्लिड, प्रेक्षित परिघटनाओं को परिभाषाओं, सामान्य/स्पष्ट अवधारणाओं अभिगृहीत/ अभिधारणाओं, प्रमेयों सिंहत यथार्थ गणित में परिवर्तित करने की युक्लिड की औपचारिक विधि/यूक्लिड के पांच अभिगृहीत/पांचवें अभिगृहीत का तुल्य कथन/प्रमेय एवं अभिगृहीत में संबंध दर्शाना, उदाहरणार्थ:

- 1. दिए गए दो स्पष्ट बिन्दुओं से एक और केवल एक रेखा होकर जाती है।
- (सिद्ध कीजिए) दो स्पष्ट रेखाओं का एक से अधिक उभयनिष्ठ बिन्दु नहीं हो सकता।

2. रेखाएं एवं कोण

(पीरिएड 07)

- (प्रेरित कीजिए) यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180° होता है और विलोगत:।
- (सिद्ध कीजिए) यदि दो रेखा खण्ड प्रतिच्छेदन करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं।
- (प्रेरित कीजिए) किसी तिर्यक रेखा के दो समान्तर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने पर संगत कोणों, एकान्तर कोणों, अन्त:कोणों के परिणाम।
- (प्रेरित कीजिए) किसी दी गई रेखा के समान्तर रेखाएं समान्तर होती हैं।
- (सिद्ध कीजिए) त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180° होता है।
- (प्रेरित कीजिए) किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण अन्य दो सम्मूख अन्त: कोणों के योग के बराबर होता है।

3. त्रिभुजः

(पीरिएड 20)

- (प्रेरित कीजिए) यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनका आन्तरिक कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाओं एवं उनके आन्तरिक कोण के समान हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। (SAS सर्वांगसमता)
- 2. (सिद्ध कीजिए) यदि किसी त्रिभुज के दो कोण एवं उनकी आन्तरित भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण एवं उनकी आन्तरित भुजा के समान हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसन होते हैं (ASA सर्वांगसमता)
- (प्रेरित कीजिए) यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीन भुजाओं के समान हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। (SSS सर्वांगसमता)।
- (प्रेरित कीजिए) यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक विकर्ण एवं एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज के विकर्ण एवं एक भुजा के क्रमश: समान हों, तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसन होते हैं।
- 5. (सिद्ध कीजिए) किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।
- (प्रेरित कीजिए) किसी त्रिभुज के दो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं।
- 7. (प्रेरित कीजिए) त्रिभुज की असमानताएं तथा कोण एवं सम्मुख भुजा में संबंध, त्रिभुजों में असमानताएं।

इकाई IV निर्देशांक ज्यामिति:

निर्देशांक ज्यामितिः

(पीरिएड 09)

कार्तीय तल, बिन्दु के निर्देशांक, कार्तीय तल से संबद्ध नाम एवं पद, संकेतन, तल में बिन्दुओं का आलेखन, रैखिक समीकरण का आलेख उदाहरण के रूप में; इन समीकरणों को y=mx+c के रूप में लिखकर Ax+By+C = 0 प्रकार के रैखिक समीकरणों पर फोकसित करना।

इकाई V क्षेत्रमिति:

(पीरिएड 4)

 हीरो-सूत्र (क्षेत्रफल उपपत्ति नहीं) के उपयोग द्वारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना एवं इसका अनुप्रयोग किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में करना।

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा IX

इकाई	सूत्र	अंक : 80
इकाई		अंक
II	बीज गणित	14
Ш	ज्यामिति (क्रमागत)	35
V	क्षेत्रमिति (क्रमागत)	15
VI	सांख्यिकी तथा प्रायिकता	16
	कुल	80
	_	

इकाई II बीज गणित (क्रमागत)

(पीरियड 14)

 दो चरों में रैखिक समीकरणों का स्मरण। दो चरो में रैखिक समीकरणों का पिरचय। सिद्ध करना िक दो चरों वाले किसी रैखिक समीकरण के अनन्त हल होते है और इन्हें दो वास्तिवक संख्याओं के क्रिमत युगल में व्यक्त करने की पुष्टि करना, इन्हें आलेखित करके दर्शाना िक ये एक रेखा पर आते प्रतीत होते हैं। अनुपात एवं क्रमानुपात पर आधारित बीजगणित एवं ग्राफीय हलों को साथ-साथ सम्मिलित करते हुए दैनिक जीवन की समस्याएं, और उदाहरण।

इकाई III ज्यामिति (क्रमागत)

चतुर्भुज

(पीरियड 10)

- 1. (सिद्ध करना) किसी समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वागसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं।
- 2. (प्रेरित करना) किसी समान्तर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और विलोमत:।
- 3. (प्रेरित करना) किसी समान्तर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं और विलोमत:।
- (प्रेरित करना) कोई चतुर्भुज समान्तर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का युगल समान्तर एवं समान है।
- (प्रेरित करना) किसी समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विलोमत:।
- (प्रेरित करना) किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखण्ड तीसरी भुजा के समान्तर होता है और विलोमत: के लिए प्रेरित करना।

5. क्षेत्रफल (पीरिएड 4)

क्षेत्रफल की अवधारणा का पुनरावलोकन, आयत के क्षेत्रफल का स्मरण

 (सिद्ध करना) समान आधाार एवं समान समान्तर रेखाओं के बीच बने समान्तर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं।

2. (प्रेरित करना) समान आधार एवं समान समान्तर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं और विलोमतः।

6. वृत्त (पीरिएड 15)

उदाहरणों द्वारा वृत्त से संबंधित अवधारणाओं-त्रिज्या, परिधि, व्यास, जीवा, चाप, अन्तरित कोण की परिभाषाओं तक पहुंचना।

- (सिद्ध करना) किसी वृत्त की समान जीवाएं केन्द्र पर समान कोण अन्तरित करती हैं, और इसका विलोमत:
 (के लिए प्रेरित करना)
- (प्रेरित करना) किसी वृत्त के केन्द्र से किसी जीवा पर लम्ब जीवा को समद्विभाजित करना है और विलोमत:
 किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए वृत्त के केन्द्र से खींची गयी रेखा जीवा पर लम्ब होती है।
- 3. (प्रेरित करना) दिए गए तीन असरेख बिन्दुओं से एक और केवल एक वृन्त गुजर सकता है।
- 4. (प्रेरित करना) किसी वृत्त (अथवा सर्वांगसम वृत्तों) की समान जीवाए केन्द्र से समदूरस्थ होती हैं और विलोमतः।
- (सिद्ध करना) जीवा द्वारा केन्द्र पर अन्तरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी अन्य बिन्दु पर अन्तरित करेण का दो गुना होता है।
- 6. (प्रेरित करना) वृत्त के समान वृत्तखण्ड में बने कोण समान होते हैं।
- (प्रेरित करना) यदि दो बिन्दुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखण्ड रेखा के, उस ओर जिस ओर रेखा खण्ड स्थिति है, के किन्हीं दो बिन्दुओं पर समान कोण अन्तरित करता है, तो ये चारों बिन्दु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं।
- (प्रेरित करना) किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी युगल का योग 180° होता है और इसका विलोमत:।

रचनाएं (पीरिएड 10)

- 1. रेखाखण्डों एवं कोणों के द्विविभाजकों 60°, 90°, 45° के कोणों आदि समबाहु त्रिभुजों की रचना।
- 2. त्रिभुज की रचना जबिक आधार, अन्य दो भुजाओं का योग/अन्तर तथा एक आधार-कोण दिया है।
- 3. त्रिभुज की रचना जबिक उसका परिमाप और आधार-कोण दिए गए हों।

इकाई V: क्षेत्रमिति (क्रमागत)

पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

(पीरिएड 12)

घनों घनाभों, गोलों (अर्धगोलों सहित), और लम्बवृत्तीय बेलनों/शंकुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।

इकाई VI : सांख्यिकी और प्रायिकता

ा. सांख्यिकी : (पीरिएड 13)

सांख्यिकी से परिचय; आंकड़ों का संग्रहण, आंकडों का प्रस्तुतीकरण, सारणी-रूप, असमूहित/समूहित, दण्ड आलेख, आयत चित्र (विविध आधार-लम्बाई सहित), बारम्बारता बहुभुज, संग्रहित आंकड़ों को उचित रूप में प्रस्तुत करने के लिए आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण असमूहित आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक।

2. प्रायिकता : (पीरिएड 12)

इतिहास, पुनरावृत्त प्रयोगों एवं प्रेक्षित बारम्बारता द्वारा प्रायिकता तक पहुंच, अनुभवाश्रित प्रायिकता पर बल है (अवधारणा को प्रेरित करने के लिए सामूहिक एवं एकाकी क्रियाकलापों पर अधिक समय खर्च करना है; सांख्यिकी के अध्याय में दिए गए उदाहरणों एवं जीवन से संबंधित स्थितियों पर आधारित प्रयोग किए जाने हैं।)

कक्षा X

प्रथम र	सत्र	अक 80
इकाई		अंक
I	संख्या पद्धति	10
П	बीजगणित	20
Ш	रेखागणित	15
IV	त्रिकोणमिति	20
V	सांख्यिकी	15
	कुल	80

इकाई I : संख्या पद्धति

1. वास्तविक संख्याएं

(पीरिएड 15)

युक्लिड विभाजक प्रमेयिका, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय-पिछले कार्यों का पुनरावलोकन करने के पश्चात एवं उदाहरणों द्वारा दृष्टान्तों देकर एवं प्रेरित करने के पश्चात प्रमेयों का प्रकथन, परिणामों के प्रमाण- $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ सांत/असांत आवर्ती दशमलवों के पदों में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों की अपरिमेयता,।

डकाई II : बीजगणित

1. बहुपद (पीरिएड 07)

बहुपद के शून्यांक/द्विघाती बहुपदों के गुणाकों और शून्यांकों के बीच संबंध/वास्तविक गुणांकों सहित बहुपदों के लिए भाग ऐल्गोक्षिम विधि पर सरल प्रश्न एवं प्रकथन।

2. दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युगल

दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युगल और उनके ग्राकीय हल, हलों/असंगत की विभिन्न संभावनाओं का ग्राफीय निरूपण।

हलों की संख्या के लिए बीजीय प्रतिबन्ध/बीजीय विधि द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा निराकरण द्वारा तथा तिरछी गुणन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के किसी युगल का हल सरल स्थितियों से संबंधित प्रश्नों को सिम्मिलित किया जाना चाहिए। समीकरणों पर आधारित उन प्रश्नों को जो रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो सकें, सिम्मिलित किया जा सकता है।

इकाई III: ज्यामिति

1. त्रिभुज: (पीरिएड 15)

समरूप त्रिभुजों की परिभाषाऐं, उदाहरण, प्रत्युदाहरण।

- (सिद्ध करना) यदि त्रिभुज की किसी भुजा के समान्तर कोई रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
- (प्रेरित करना) यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समान्तर होती है।
- (प्रेरित करना) यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान तथा ये त्रिभुज समरूप होते हैं।
- 4. (प्रेरित करना) यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण समान तथा यह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।
- 5. (प्रेरित करना) यदि किसी त्रिभुज का एक कोण किसी अन्य त्रिभुज के एक कोण के समान है तथा इन कोणों की सिम्मिलित भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।
- 6. (प्रेरित करना) यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण के शीर्ष से कोई लम्ब विकर्ण पर खींचा जाता है तो लम्ब क दोनों ओर के त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप और परस्पर समरूप होते हैं।
- 7. (सिद्ध करना) समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
- 8. (सिद्ध करना) किसी समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
- (सिद्ध करना) यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो प्रथम भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है।

इकाई IV त्रिकोणमिति

1. त्रिकोणमिति से परिचय

(पीरिएड 10)

समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के त्रिकोणिमतीय अनुपात, इनके अस्तित्व (सुपरिभाषित) का प्रमाण, इन अनुपातों को प्रेरित करना, 0° तथा 90° पर जो भी परिभाषित हों; 30°, 45°, 60° के त्रिकोणिमतीय अनुपातों के मान (प्रमाण सहित) इन अनुपातों में संबंध।

2. त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं

(पीरिएड 15)

सर्वसमिका $Sin^2A+Cos^2A=1$ की उपपत्ति एवं अनुप्रयोग। केवल सरल सर्वसमिकाएं दी जाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणिमतीय अनुपात।

ईकाई VII सांख्यिकी और प्रायिकता

3. सांख्यिकी (पीरिएड 18)

समूहित आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक (द्विबहुलकों की परिस्थितियों पर प्रश्न न हों) संचयी बारम्बरता ग्राफ।

द्वितीय सत्र अंक 80

इकाई		अंक
П	बीजगणित (क्रमागत)	20
ш	ज्यामिति (क्रमागत)	16
IV	त्रिकोणमिति (क्रमागत)	08
V	प्रायिकता	06
VI	निर्देशांक ज्यामिति	10
VII	क्षेत्रमिति	20
	कुल	80

इकाई II : बीजगणित (क्रमागत)

3. द्विघात समीकरण

(पीरिएड 15)

द्विघात समीकरण का मानक रूप $ax^2=bx+c=0$, $(a\neq 0)$ गुणनखण्ड विधि, वर्ग पूर्ण करने की विधि, तथा द्विघाती सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरणों के हल (केवल वास्तविक मूल) मूलों की प्रकृति और विविक्तिकर में संबंध।

4. समान्तर श्रेढ़ी

समान्तर श्रेढ़ी (AP) का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। n वां पद ज्ञात करने तथा पहले n पदों का योग ज्ञात करने के मानक परिणाम की व्युत्पत्ति।

दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में इनका अनुप्रयोग।

इकाई III: ज्यामिति (क्रमागत)

2. वृत्त (पीरिएड 08)

बिन्दुओं से खींची गयी जीवाओं का बिन्दुओं के निकटतर और निकटतर आने पर स्पर्श रेखा बनने का कारण बनना।

- (सिद्ध करना) वृत्त के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा सम्पर्क बिन्दु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है।
- 2. (सिद्ध करना) वृत्त के बाहय बिन्दु पर खीचीं गयी स्पर्श रेखाओं की लम्बाइयां समान होती हैं।

रचनाएं (पीरिएड 08)

- 1. किसी रेखाखण्ड का दिए गए अपुनात में (आन्तरिक) विभाजन।
- 2. वृत्त के बाह्य बिन्दु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना।
- 3. दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना।

इकाई IV त्रिकोणमिति

3. ऊंचाईयां और दूरियां

(पीरियड 08)

ऊंचाईयों और दूरियों पर सरल एवं विश्वसनीय प्रश्न, प्रश्नों में दो से अधिक समकोण त्रिभुज सम्मिलित नहीं होने चाहिए, उन्नयन/अवनमन कोण केवल 30°, 45°, 60° के होने चाहिए।

2. इकाई V : सांख्यिकी और प्रायिकता

(पीरियड 10)

प्रायिकता की चिरप्रतिष्ठित कक्षा IX में दी गयी प्रायिकता से संबंध। समुच्चा संकेतन का उपयोग किए बिना एकल घटनाओं पर सरल प्रश्न।

इकाई VI : निर्देशांक ज्यामिति:

1. रेखाएं (दो विमाओं में)

(पीरियड 14)

रैखिक समीकरणों की ग्राफ सहित पिछली कक्षाओं की निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणाओं का पुनरावलोकन। द्विघात बहुपदों के ग्राफीय निरूपण की जानकारी। दो बिन्दुओं के बीच की दूरी एवं आन्तरिक खण्ड सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल।

इकाई VII : क्षेत्रमिति

वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल

(पीरियड 12)

वृत्त के क्षेत्रफल के लिए प्रेरित करना, किसी वृत्त के खण्ड तथा त्रिज्य खण्ड का क्षेत्रफल, उपरोक्त तलीय आकृतियों

के क्षेत्रफल, परिधि/परिमाप पर आधारित प्रश्न (वृत्त के खण्ड के क्षेत्रफल का परिकलन करने के लिए प्रश्नों को केवल 60° , 90° एवं 120° के केन्द्रीय कोणों तक प्रतिबंधित किया जाए। त्रिभुजों, सरल चतुर्भूजों एवं वृत्तों से बनी समतल आकृतियों को ही सिम्मिलत किया जाना चाहिए।)

2. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

(पीरिएड 12)

- निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संयोजन पर आधारित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के प्रश्न; घन, घनाभ, गोले, अर्धगोले, लम्बवृत्तीय बेलन/शंकु; शंकु का छिन्नक।
- एक प्रकार के धात्विक ठोस को दूसरे प्रकार के ठोस में रूपान्तरित करने पर आधारित प्रश्न तथा अन्य मिश्रित समस्याएं। (दो से अधिक भिन्न ठोसों के संयोजन के प्रश्नों को नहीं लिया जाना है।)

प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकें

- 1. गणित कक्षा IX की पाठ्यपुस्तक NCERT प्रकाशन
- 2. गणित कक्षा X की पाठ्यपुस्तक NCERT प्रकाशन
- 3. Guidelines for Mathematics Laboratory in Schools, Class IX CBSE Publication
- 4. Guidelines for Mathematics Laboratory in Schools, Class IX CBSE Publication
- 5. A Hand book for Designing Mathematics Laboratory in Schools NCERT Publications
- 6. Laboratory Manual Mathematics, Secondary Stage NCERT Publication

4. विज्ञान (कोड संख्या 086/090)

विज्ञान विषय छात्रों में संज्ञात्मक, भावनात्कम एवं क्रियात्मक प्रभाव क्षेत्रों की सुपरिभाषित योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह छात्रों की सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक, विषयनिष्ठा एवं सौन्दर्य बोध-संवेदनशीलता की प्रवृति में वृद्धि करता है।

जबिक उच्च प्राथिमिक स्तर पर यह अपेक्षा की जाती है कि छात्रों को यथेष्ट अवसर दिये जाने चाहिए तािक वे विज्ञान के विभिन्न प्रक्रमों जैसे प्रेक्षण करने, प्रेक्षणों को सूचीबद्ध करने, आरेख खींचने, सारणी बनाने, ग्राफ खींचने आदि में व्यस्त रहें, सेकन्डरी स्तर पर यह अपेक्षित है कि विज्ञान शिक्षण एवं अधिगमन में अमूर्तिकरण एवं मात्रात्मक विवेचना का प्रमुख स्थान हो। जिस प्रकार यह धारणा कि परमाणु व अणु द्रव्य के इमारती खंड हैं जिनसे द्रव्य का उदभव हुआ है, उसी प्रकार न्यूटन का गुरूत्वाकर्षण नियम समस्त विश्व के उद्भव का कारण स्पष्ट करता है।

प्रस्तुत पाठयक्रम की अभिकल्पना छ: व्यापक मूल विषयों-भोजन, पदार्थ, सजीव जगत, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, गितशील वस्तुएं, लोग एवं धारणाऐं, प्राकृतिक परिघटनाएं और प्राकृतिक संसाधन पर आधारित हैं। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया है कि पाठ्यक्रम में अत्यधिक संकल्पनाओं के समावेश के मोह को त्याग कर केवल उतनी ही संकल्पनाओं को सिम्मिलित किया जाए जिनका दिए गए समय फ्रेम में आसानी से अधिगमन किया जा सके।

इस स्तर पर जबिक विज्ञान अभी एक सामान्य विषय के रूप में है, भौतिकी, रसायन, एवं जीव विज्ञान विषयों का अतिभाव होना आरम्भ हो जाता है। छात्रों को उनके अनुभवों के साथ-साथ विवेकों की विद्याओं, जो इस विषय के प्ररूपी हैं, से प्रतिपादित कराया जाए।

सामान्य निर्देश:

- प्रत्येक सत्र के लिए जिन इकाइयों का उल्लेख किया गया है उनका मूल्यांकन दोनों फॉरमैटिव मूल्यांकन एवं संकलित मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक सत्र में दो फॅारमेटिव मूल्यांकन होंगे जिनमें प्रत्येक का भार 10% होगा।
- 3. प्रथम सत्र में संकलित मूल्यांकन का भार 20% होगा, तथा द्वितीय सत्र में संकलित मूल्यांकन का भार 40% होगा।
- 4. प्रत्येक सत्र में फॅारमैटिव मूल्यांकन द्वारा हस्तसिद्ध प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, जिसका भार सत्र के कुल अंकों का 20% होगा।
- 5. प्रत्येक संकलित मूल्यांकन में MCQ द्वारा प्रायोगिक कौशलों का मूल्यांकन होगा जिसका भार 20% होगा।

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा IX

प्रथम सत्र अंक 80

इकाई		अंक
I	भोजन	11
п	द्रव्य-इसकी प्रकृति और व्यवहार	26
ш	सजीव जगत में व्यवस्था	16
IV	गति, बल और कार्य	27
	कुल	80

मूल विषय : भोजन

इकाई : भोजन

गुणात्मक सुधार एवं प्रबंधन के लिए पादपों एवं जन्तुओं का जनन व चयन ; उर्वरकों का उपयोग, खाद्य, पीडकों, एवं रोगों से सुरक्षा, कार्बनिक खेती।

मूल विषय : द्रव्य (पीरिएड : 22)

इकाई : द्रव्य - प्रकृति और व्यवहार

द्रव्य की परिभाषा, ठोस, द्रव एवं गैस, अभिलक्षण-आकृति, आयतन, घनत्व, अवस्था-परिवर्तन संगलन (ऊष्मा का अवशोषण), हिमीकरण, वाष्पण (वाष्पण द्वारा शीतलन) संघनन, ऊर्ध्वपातन।

मूल विषय : सजीव जगत (पीरिएड 22)

इकाई : सजीव जगत में व्यवस्था

कोशिका-जीवन की मूल इकाई: जीवन की मूल इकाई के रूप में कोशिका, प्रोकैरियोटी एवं यूकैरियोटी कोशिकाएं, बहुकोशिक जीव, कोशिका झिल्ली व कोशिका मित्ति, कोशिका अंगक, कोशिका-द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानियां, अंतर्द्रव्यी जालिका, गॉल्जी उपकरण, केन्द्रक, गुणसूत्र-मूल संरचना, संख्या।

ऊतक, अंग, अंग-तंत्र जीव

जन्तु एवं पादप ऊतकों (जन्तुओं में चार प्रकार; पादपों में विभज्योतक व स्थायी ऊतक) की संरचना और प्रकार्य।

मूल विषय : गतिशील वस्तुएं, लोग एवं धारणाएं (पीरिएड 36)

इकाई : गति, बल और कार्य

गित : दूरी व विस्थापन, वेग, सरल रेखा के अनुदिश एकसमान एवं असमान गित, त्वरण; एकसमान गित एवं एकसमान त्वरित गित के लिए दूरी-समय व वेग-समय ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गित के समीकरण, एकसमान वर्तुल गित की प्रारम्भिक ध रिणा।

बल और न्यूटन के नियम : बल एवं गति, न्यूटन के गति के नियम, किसी वस्तु का जड़त्व, जड़त्व एवं द्रव्यमान, आवेग, बल एवं त्वरण, संवेग संरक्षण की प्रारम्भिक धारणा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल।

गुरूत्वाकर्षण : गुरूत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, पृथ्वी का गुरूत्वाकर्षण बल (गुरूत्व) गुरूत्वीय त्वरण, द्रव्यमान एवं भार; मुक्त पतन।

प्रयोग

प्रयोग सैद्धान्तिक कक्षाओं में पढ़ाई गयी संकल्पनाओं के साथ-साथ किए जाने चाहिए।

प्रयोगों की सूची (प्रथम सत्र)

- दिए गए (a) खाद्य-नमूने में स्टार्च और (b) दाल के नमूने में अपिमश्रक मेटैनिक यलो की उपिस्थित का परीक्षण करना।
- 2. (a) साधारण नमक, चीनी और फिटकरी का वास्तविक विलयन बनाना।
 - (b) जल में मृदा, चाक-पाउडर और बारीक रेत का निलम्बन बनाना।
 - (c) जल में अण्डे की सफेदी और जल में स्टार्च के कोलाइड बनाना और इनके बीच (i) पारदर्शिता, (ii) फिल्टरन मानदण्ड, (iii) स्थायित्व के आधार पर विभेदन करना।
- 3. लोह रेतन और सल्फर पाउडर के उपयोग से (अ) मिश्रण (ब) यौगिक बनाना तथा इनके बीच (i) दिखावट, अर्थात् समांगी और विषमांगी, (ii) चुम्बक के प्रति व्यवहार (iii) विलायक के रूप में कार्बन डाईसल्फाइड के प्रति व्यवहार, (ib) ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर विभेदन करना।
- 4. निम्नलिखित प्रयोगों को कार्यन्वित करके इनका वर्गीकरण भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में करना।
 - (अ) कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ आयरन
 - (ब) मैग्नीशियम का वायु में दहन
 - (स) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक
 - (द) कॉपर सल्फेट को गर्म करना
 - (य) जलीय विलयनों के रूप में सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ

- प्याज़ की झिल्ली, (ब) मानव कपोल कोशिकाओं के अभिरंजित अस्थायी आरोपण बनाना और अपने प्रेक्षणों को रिकार्ड करके इनके नामांकित आरेख खींचना।
- 6. तैयार स्लाइडों के प्रेक्षण द्वारा पादपों में मृदूतक तथा दृढ़ोतक; जन्तुओं में पेशी तन्तुओं एवं तंत्रिका कोशिकाओं की पहचान करके इनके नामांकित आरेख खींचना।
- 7. ऊर्ध्वपातन द्वारा बालू, साधारण नमक एवं अमोनियम क्लोराइड (अथवा कपूर) के मिश्रण के अवयवों को पृथक करना।
- 8. बर्फ का गलनांक तथा जल का क्वथनांक निर्धारित करना।

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा IX

द्वितीय सत्र

अंक 80

इकाई		अंक
I	द्रव्य- इसकी प्रकृति और व्यवहार	15
п	सजीव जगत में व्यवस्था	22
ш	गति, बल और कार्य	32
IV	हमारा पर्यावरण	11
	कुल	80

मूल विषय : द्रव्य पीरिएड 28

इकाई : द्रव्य-प्रकृति और व्यवहार

कणात्मक प्रकृति, मूल इकाई : परमाणु एवं अणु, स्थिर अनुपात नियम, परमाण्विक व आण्विक द्रव्यमान ' मोल अवधारणा ' कणों के द्रव्यमान और संख्या का मोल से संबंध, संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र। परमाणु की संरचना : इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समस्थानिक और समभारिक।

मूल विषय : सजीव जगत पीरिएड 23

इकाई : सजीव जगत में व्यवस्था

जैव विविधता : पादपों व जन्तुओं की विविधता - वैज्ञानिक नामकरण में मूल समस्याएं (विवाद, वर्गीकरण का आधार, वर्गो/समूहों का पदानुक्रमण, पादपों के प्रमुख समूह (प्रमुख लक्षण) (बैक्टीरिया, थैलोफायटा, ब्रायोफायटा, टैरिडोफायटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म), जन्तुओं के प्रमुख समूह (प्रमुख लक्षण) (फाइलम तक अरज्जुकी संघ और वर्गों तक रज्जुकी संघ)

स्वास्थ्य और रोग: स्वास्थय और इसका ह्रास, संक्रामक एवं असंक्रामक रोग, इनके कारण व अभिव्यक्ति, सूक्ष्मजीवों (वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ) द्वारा फैलने वाले रोग एवं इनसे बचाव, उपचार एवं बचाव के सिद्धान्त, पल्स पोलियों कार्यक्रम।

मुल विषय : गतिशील वस्तुएं, लोग एवं धारणाऐं

पीरिएड 24

इकाई : गति, बल और कार्य

प्लवन : प्रणोद एवं दाब, अर्किमिडीज का सिद्धान्त, उत्प्लावनता, आपेक्षिक घनत्व की प्रारम्भिक धारणा।

कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति : बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम।

ध्विनि : ध्विन की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण, ध्विन की चाल, मानव में श्रृव्यता का परिसर, पराध्विन, ध्विन का परिवर्तन, प्रतिध्विन एवं सोनार।

मानव कर्ण की संरचना (श्रुवण पक्ष केवल)

मुल विषय : प्राकृतिक संसाधन

पीरिएड 15

इकाई : हमारा पर्यावरण

भौतिक संसाधन : वायु, जल एवं मुदा

श्वसन के लिए, दहन के लिए एवं ताप को संयत रखने के लिए वायु, वायु की गति तथा भारत के भूभाग में वर्षा लाने में इसकी भूमिका।

वायु, जल और मृदा प्रदूषण (संक्षिप्त परिचय), ओजोन परत में छिद्र और संभावित क्षतियां।

प्रकृति में जैव-भू रासायनिक चक्रण : जल, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन।

पयोग

प्रयोग सैद्धान्तिक कक्षाओं में पढ़ाई गयी संकल्पनाओं के साथ-साथ किए जाने चाहिए।

प्रयोगों की सूची (द्वितीय सत्र)

- ध्विन के परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना।
- कमानीदार तला तथा मापक सिलिण्डर द्वसरा किसी ठोस (जल से सघन) का घनत्व निर्धारित करना।
- किसी ठोस को (अ) टोंटी के जल, (ब) अतिलवणीय जल में पूर्णत: डुबाने पर भार में आभासी कमी एवं ठोस द्वारा विस्थापित जल के भार के बीच संबंध स्थापित करना (कम से कम दो भिन्न ठोसों द्वारा)
- 4. लोहे के ठोस घनाभ को इसके तीन भिन्न फलकों पर महीन रेत पर टिकाकर ठोस द्वारा आरोपित दाब का प्रेक्षण एवं तुलना करना तथा तीनों विभिन्न प्रकरणों में आरोपित दाब परिकलित करना।
- 5. तानित डोरी/स्लिंकी से संचरित स्पन्द का वेग निर्धारित करना।

- 6. स्पाइरोगायरा/ऐगैरिकस, मॉस/फर्न, पाइनस (या तो नर शंकु अथवा मादा शंकु के साथ) और किसी आवृतबीजी पादप के अभिलक्षणों का अध्ययन करना। इनके आरेख खींचना तथा इनसे संबंधित वर्गों की पहचान के दो लक्षणों को लिखना।
- दिए गए प्रतिदर्श-केंचुआ, कॉकरोच, अस्थिल मछली एवं पक्षी का प्रेक्षण और आरेख खींचना। प्रत्येक प्रतिदर्श के लिए
 (अ) इसके फाइलम (संघ) का एक विशिष्ट लक्षण, (ब) इसके आवास के संदर्भ में एक अनुकूलित लक्षण रिकार्ड करना।

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा 🛚

प्रथम सत्र अंक 80

इकाई		अंक
I	रासायनिक पदार्थ	29
п	सजीव जगत	19
ш	धारा के प्रभाव	26
IV	प्राकृतिक संसाधन	06
	कुल	80

मूल विषय : सामग्री (पीरिएड 30)

इकाई : रासायनिक पदार्थ - प्रकृति एवं व्यवहार

रासायिनक अभिक्रियाएं : रासायिनक समीकरण, संतुलित रासायिनक समीकरण, संतुलित रासायिनक समीकरण से तात्पर्य, रासायिनक अभिक्रियाओं के प्रकार; संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन और अपचयन, अम्ल, क्षार और लवण : H⁺ एवं OH⁻ आयनों को प्रस्तुत करने के पदों में इनकी परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण एवं उपयोग, pH स्केल की अवधारणा (लॉगैरिथम से संबंधित परिभाषा नहीं) दैनिक जीवन में pH का महत्व; सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विरचन एवं उपयोग, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस।

धातुएं और अधातुएं : धातुओं और अधातुओं के गुणधर्म, सिक्रयता श्रेणी, आयनी यौगिकों का बनना एवं गुणधर्म, मूलभूत धातुकर्मीय प्रक्रियाएं, संक्षारण एवं इससे बचाव।

मूल विषय : सजीव जगत (पीरिएड 20)

इकाई : सजीव जगत

जैव प्रक्रियाएं : सजीव प्राणी, पादपों एवं जन्तुओं में पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन की मूल अवधारणाएं।

जन्तुओं एवं पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय : पादपों में अनुवर्ती गतियां, पादप हॉर्मोनों का परिचय, जन्तुओं में नियंत्रण एवं समन्वय; तंत्रिका तंत्र, एच्छिक, अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जन्तु हॉर्मोन।

मूल विषय : वस्तुए कैसे कार्य करती हैं

(पीरिएड 32)

डकाई : धारा के प्रभाव :

विद्युतधारा, विभवान्तर एवं विद्युतधारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन और इनके दैनिक जीवन में अनुपयोग, विद्युत शक्ति P. V. I व R में अर्न्तसंबंध।

धारा के चुम्बकीय प्रभाव : चुम्बकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, धारावाही चालक के कारण चुम्बकीय क्षेत्र, धारावाही कुण्डली अथवा परिनालिका के कारण चुम्बकीय क्षेत्र, धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, वैद्युतचुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित विभवान्तर, प्रेरित धारा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दिष्टधारा, प्रत्यावर्ती धारा, AC की आवृत्ति, DC की तुलना में AC के लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ।

मूल विषय : प्राकृतिक संसाधन

(पीरियड 08)

ऊर्जा के स्रोत : ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परम्परागत और गैर-परम्परागत स्रोत, जीवाश्मी-ईधन, सौर ऊर्जा, जैव गैस, पवनें, जल एवं ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।

प्रयोग

प्रयोग सैद्धान्तिक कक्षाओं में पढ़ाई गई संकल्पनाओं के साथ-साथ किए जाने चाहिए।

प्रयोगों की सूची (प्रथम सत्र)

pH पत्र/सार्वत्रिक सूचक द्वारा निम्नलिखित नमूनों का pH ज्ञात करना:

- (i) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
- (ii) तनु NaOH विलयन
- (iii) तनु ऐथानॉइक अम्ल विलयन
- (iv) नींबू का रस
- (v) जल
- (vi) तनु सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन

- 1. निम्नलिखित के साथ अम्लों एवं क्षारों (HCl व NaOH) की अमिक्रिया द्वारा इनके गुणधर्मों का अध्ययन करना
 - (अ) लिटमस विलयन (नीला/लाल)
 - (ब) जिंक धातु
 - (स) ठोस सोडियम कार्बोनेट
- 2. निम्नलिखित अभिक्रियाओं का क्रियान्वयन एवं प्रेक्षण करके इनका वर्गीकरण
 - (i) संयोजन अभिक्रिया
 - (ii) वियोजन अभिक्रिया
 - (iii) विस्थापन अभिक्रिया, एवं
 - (iv) द्विविस्थापन अभिक्रिया में करना
 - बिना बुझे चूने पर जल की क्रिया
 - 2. फेरस सल्फेट क्रिस्टलों पर ऊष्मा की क्रिया
 - कॉपर सल्फेट विलयन में रखी आयरन की कीलें
 - 4. सोडियम सल्फेट एवं बेरियम क्लोराइड विलयनों के बीच अभिक्रिया।
- 3. किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवान्तर (V) की इससे प्रवाहित धारा (I) पर निर्भरता का अध्ययन करना एवं इसका प्रतिरोध निर्धारित करना। V एवं I के बीच ग्राफ भी खींचना।
- 4. श्रेणी में संयोजित दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध निर्धारित करना।
- 5. पार्श्व में संयोजित दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध निर्धारित करना।
- 6. रंध्रों को दर्शाने के लिए किसी पत्ते की झिल्ली का अस्थायी आरोपण बनाना।
- 7. प्रयोग द्वारा यह दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है।
- 8. प्रयोग द्वारा यह दर्शाना कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।

द्वितीय सत्र

कक्षा X

इकाई		अंक 80
I	रासायनिक पदार्थ – प्रकृति एवं व्यवहार	21
п	सजीव जगत	27
III	प्राकृतिक परिघटनाएं	26
IV	प्राकृतिक संसाधन	06
	कुल	80

मूल विषय : सामग्री (पीरिएड 25)

इकाई : रासायनिक पदार्थ - प्रकृति एवं व्यवहार

कार्बन के यौगिक: कार्बन के यौगिकों में सहसंयोजी आबन्ध, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह (हेलोजन, एल्कोहॉल, कीटोन, एल्डिहाइड, ऐल्केन, ऐल्काइन) युक्त कार्बन के यौगिकों की नाम पद्धित, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बीच अन्तर, कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म (दहन, उपचयन, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं), ऐथानॉल एवं ऐथानॉइक, अम्ल (केवल गुण धर्म और उपयोग), साबुन एवं अपमार्जक।

तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण : वर्गीकरण की आवश्यकता, आधुनिक आर्वत सारणी, गुणधर्मों में श्रेणीकरण, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म।

मूल विषय : सजीव जगत

(पीरिएड 30)

इकाई : सजीव जगत

जनन : जन्तुओं एवं पादपों में जनन (अलैंगिक एवं लैंगिक) जनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधियां, सुरक्षित यौन संबंध बनाम HIV/AIDS, गर्भधारण एवं महिलाओं का स्वास्थ्य।

आनुवंशिकता और विकास : आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान – लक्षणों की वंशागित के नियम; लिंग–निर्धारण; संक्षिप्त परिचय; विकास की मूल अवधारणाएं।

मूल विषय : प्राकृतिक परिघटनाएं

(पीरिएड 23)

इकाई : प्रकाश

वक्रित पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिम्ब बनना, वक्रता केन्द्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र (व्युत्पित नहीं) आवर्धन।

अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक

गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोल0ीय लेंसों द्वारा प्रतिबिम्ब बनना, लेंस सूत्र (व्युत्पित नहीं) आवर्धन, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र में लेंस का प्रकार्य, दृष्टि दोष ओर उनका संशोधन, गोलीय दर्पणों एवं लेंसों के अनुप्रयोग।

प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। मूल विषयः प्रकृतिक संसाधन (पीरियड 12)

इकाई: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन; प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण; वन एवं वन्य जीवन, कोयले एवं पेट्रोलियम का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी के उदाहरण।

क्षेत्रीय पर्यावरणः विशाल बांधः; लाभ एवं सीमाएं; विकल्प, यदि कोई हो, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। हमारा पर्यावरणीयः पारितंत्रः; पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन क्षय, अपशिष्ट-उत्पादन एवं उनके हल, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ।

प्रयोग सैद्धान्तिक कक्षाओं में पढाई गयी संकल्पनाओं के साथ-साथ किए जाने चाहिए।

प्रयोगों की सूची

- 1. (a) निम्नलिखित लवण-विलयनों पर Zn, Fe, CU, तथा $A \ell$ धातुओं की अभिक्रियाओं का प्रेक्षण करना
 - (i) Zn SO₄(जलीय)
 - (ii) Fe SO₄(जलीय)
 - (iii) Cu SO₄(जलीय)
 - (iv) A ℓ₂ (SO₄)₃(जलीय)
 - (b) उपरोक्त परिणामों के आधार पर Zn, Fe, CU, तथा $A\ell$ को इनकी अभिक्रियाओं के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना।
- 2. ऐसीटिक अम्ल (ऐथानॉइक अम्ल) के निम्नलिखित गुणधार्मों का अध्ययन करना:
 - (i) गंध

- (ii) जल में विलेयता
- (iii) लिटमस पर प्रभाव
- (iv) सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अमिक्रिया
- 3. किसी दूरस्थ बिम्ब का प्रतिबिम्ब प्राप्त करके (i) अवतल दर्पण, (ii) उत्तर लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करना।
- 4. आयताकर कांच के स्लैब से गमन करने वाली किसी प्रकाश किरण का/ विभिन्न आपनन कोणों के लिए पथ खींचना। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण मापना और परिणाम की व्याख्या करना।
- 5. तैयार स्लाइडों की सहयता से (अ) अमीबा में द्विखण्डन, (ब) यीस्ट में मुक्लन का अध्ययन करना।
- किशमिशों द्वारा अन्त:शोषित जल की द्रव्यमान प्रतिशतता निर्धारित करना।

अनुमोदित पुस्तकें

विज्ञान - कक्षा IX की पाठ्यपुस्तक - NCERT प्रकाशन

विज्ञान - कक्षा X की पाठ्यपुस्तक - NCERT प्रकाशन

Assessment of Practical Skills in Science - Class IX CBSE Publication

Assessment of Practical Skills in Science - Class X CBSE Publication

Laboratory Manual Science - Class IX, NCERT Publication

Laboratory Manual Science - Class X, NCERT Publication

5. सामाजिक विज्ञान (कोड संख्या 087)

तर्काधार

सामाजिक विज्ञान विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक एक अनिवार्य विषय है। यह सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। यह पर्यावरण को समग्र रूप से समझने में छात्रों को मदद देता है और व्यापक परिदृश्य तथा अनुभव आधारित उचित मानवीय दृष्टिकोण को विकसित करता है। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सुशिक्षित व जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में मदद देता है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण और विकास की प्रक्रिया में प्रभावित ढंग से योगदान दे सकें।

सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु मुख्यत: भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से ली गई है। कुछ अंश समाजशास्त्र और वाणिज्य विषयों से भी लिए गए हैं। ये सभी विषय एक-दूसरे से जुड़े होने के साथ समाज के बारे में काल और स्थान के संदर्भ में व्यापक झाँकी प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विषय की अपनी-अपनी विशिष्टताएँ समाज को अलग-अलग दुष्टिकोण और समग्र रूप से समझने में छात्रों को मदद देती हैं।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं :

- काल और स्थान के संदर्भ में मानवीय समाजों में आए परिवर्तनों और विकास की प्रक्रियाओं को समझना।
- छात्रों को अनुभूति कराना कि परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है और कोई भी घटना या समस्या एकाकी नहीं होती वरन वह काल और स्थान के संदर्भ में व्यापक होती है।
- इतिहास, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य और नीतियों तथा संसार में हो रहे विकास से जुड़ी परिवर्तनों की प्रक्रिया के संदर्भ में समकालीन भारत की समझ विकसित करना।
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इसके आदर्श, मूल्यों और देश के सभी वर्गों तथा प्रदेशों के लोगों द्वारा इसमें किए गए योगदान की जानकारी कराना।
- भारतीय संविधान में दी गई मान्यताओं का सम्मान करना और लोकतांत्रिक समाज में प्रभावी नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी से निभाना।
- भारत के समग्र पर्यावरण, इसके साथ की जा रही पारस्परिक क्रिया और उसका लोगों के भावी जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव की गहन जानकारी कराना।
- भारत की भूमि और लोगों के बीच विविधता तथा इसमें निहित एकता को समझना और उसका सम्मान करना।
- भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की विशालता और विविधता का सम्मान करना एवं उसके संरक्षण की आवश्यकता को समझना।
- समकालीन भारत की विकास संबंधी विविध प्रक्रियाओं से जुड़ी पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं एवं चुनौतियों की समझ को बढ़ावा देना।
- छात्रों के ज्ञान, बोध और दक्षताओं को विकसित करने में सहयोग देना; जिससे वे व्यक्तिगत और समृह में समकालीन

समाज की विविध चुनोतियों का सामना कर सकें और समुदाय में प्रभावी ढंग से भाग लेते हुए आत्मविश्वास के साथ तनावमुक्त जीवन जीने की कला सीख सकें।

- व्याख्याओं, विचारों, सूचनाओं और आँकड़ों के तर्कपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और मूल्यांकन द्वारा जाँच-पड़ताल की आदत डालना जिससे छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो सके।
- आलोचनात्मक चिंतन, मौखिक एवं दृश्य रूप दोनों में प्रभावी अभिव्यक्ति, दूसरों के साथ सहयोग, पहल करना और दूसरों की समस्याओं के निदान हेतु नेतृत्व प्रदान करना जैसी शैक्षिक एवं सामाजिक दक्षताओं का विकास करना।
- वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक, राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक मूल्य जैसे सभी गुणों का विकास करना, जो एक व्यक्ति को प्रभावी रूप से मनोवांछित एवं मिलनसार बनाते हैं।

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा- IX

समय : 3 घण्टे अंक : 80+20

इकाई	प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र
. भारत तथा समकालीन विश्व-I	18	18
2. भारत-भूमि और लोग	18	18
3. लोकतांत्रिक राजनीति-I	18	18
4. अर्थशास्त्र का ज्ञान	18	18
5. आपदा प्रबंधन	8	8
योग	80	80

निर्धारित पाठ्यक्रम का मुल्यांकन रचनात्मक तथा योगात्मक रूप में निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा:

	प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	योग
रचनात्मक मूल्यांकन 1,2,3 व 4	20%	20%	40%
योगात्मक मूल्यांकन । व 2	20%	40%	60%
योग	40%	60%	100%

रचनात्मक मूल्यांकन के अन्तर्गत प्रोजेक्ट्स, नियतकार्य, क्रियाकलाप तथा कक्षा टेस्ट/सामियक टेस्ट समाहित हैं, जिसके लिए बोर्ड पहले ही विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर चुका है। योगात्मक मूल्यांकन के अन्तर्गत सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र शामिल हैं, जिनका स्वरूप निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा।

इकाइ-1 : भारत एव समकालान विश्व-1 			
विषय-वस्तु	अधिगम-उद्देश्य		
प्रथम सत्र पहले दो उपखण्डों में प्रत्येक से कोई दो विषय तथा तीसरे उपखण्ड में से किसी एक विषय का अध्ययन कर सकते हैं। उपखण्ड 1.1 : घटनाएँ और प्रक्रियाएँ	 इस खण्ड के प्रत्येक विषय (थीम) में विद्यार्थियों को भाषणों के उद्धरण, राजनीतिक घोषणाओं एवं व्यंग्य चित्रों की राजनीति से, पोस्टर पत्र एवं उत्कीर्णन से परिचित कराना और इन प्रकार के साक्ष्यों से अर्थ निकालना सीखना। 		
इस इकाई का केन्द्र बिन्दु उन तीन घटनाओं और प्रक्रियाओं पर है जिनसे आधुनिक विश्व की पहचान है। प्रत्येक एक भिन्न प्रकार की राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है और एक विशेष प्रकार की शक्तियों के संयोजन का भी। पहली घटना	 विद्यार्थियों को सम्बन्धित व्यक्तियों के नामों से विभिन्न प्रकार के विचारों से जिन्होंने क्रान्ति को प्रोत्साहित किया, और विस्तृत शिक्तियों से, जिन्होंने इसे रूपान्तरित किया, उनसे परिचित कराना। 		
का संबंध उदारवाद तथा प्रजातंत्र के विकास से है, एक का समाजवाद से और एक का दोनों प्रजातंत्र तथा समाजवाद के नकार (खण्डन) से है। निम्नलिखित में से कोई दो विषय:	 क्रान्तियों के इतिहास की खोज में लिखित, मौखिक व दृश्य सामग्री का प्रयोग किस प्रकार हो सकता है, स्पष्ट करना। 		
 फ्रांसिसी क्रांति : (क) प्राचीन राजतंत्र और उसके संकट। (ख) सामाजिक शिक्तयाँ जो क्रांति के लिए उत्तरदायी थीं। 	 रूसी क्रान्ति के अध्ययन से समाजवाद के इतिहास को खोजना। 		
 (ग) विभिन्न क्रांतिकारी समूह और समय के विचार। (घ) विरासत रुसी क्रान्ति : (पाठ-1) 	 इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के नामों से परिचय कराना तथा उन विभिन्न प्रकार के विचारों से विद्यार्थियों को परिचित कराना जिनसे क्रान्ति की प्रेरणा मिली। 		
(क) जार का संकट(ख) 1905 से 1917 के बीच सामाजिक आन्दोलनों की प्रकृति,	 आधुनिक विश्व की राजनीति को नया रूप देने में नाजीवाद को तर्कसंगत महत्व पर चर्चा करना। 		

- (ग) प्रथम विश्वयुद्ध तथा सोवियत राज्य की नींव,
- (घ) विरासत
- नाजीवाद का उदय

(पाठ-2)

(क) सामाजिक लोकतंत्र का उदय,

कराना।

• नाजी नेताओं के भाषणों व लेखों से विद्यार्थियों को परिचित

- (ख) जर्मनी में संकट,
- (ग) हिटलर का शक्ति प्राप्त करने का आधार,
- (घ) नाजीवाद के सिद्धान्त (विचारधारा)
- (च) नाजीवाद का प्रभाव (पाठ-3)

द्वितीय सत्र

उपखण्ड 1.2 अर्थव्यवस्थाएँ तथा जीविकाएँ

इस खण्डों के विषयों में हमारा केन्द्र बिन्दु इस बात पर होगा कि विभिन्न सामाजिक समृहों ने समकालीन विश्व में होनेवाले परिवर्तनों का सामना किस प्रकार किया और उनके जीवन के ऊपर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा।

निम्नलिखित में से कोई दो विषय:

4. आधुनिक विश्व में पशुचारक

- (क) पशुचारण जीवन की एक राह,
- (ख) पशुचारण के विभिन्न प्रकार
- (ग) उपनिवेशवाद एवं आधुनिक राज्यों में पशुचारण की क्या स्थिति है।

विशिष्ट अध्ययन : भारतीय और अफ्रीका का एक-एक पशुचारक समूह। (पाठ-5)

5. वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद :

- (क) वन तथा जीविकाओं में आपसी सम्बन्ध
- (ख) उपनिवेशवाद के अन्तर्गत वन्य समाज में परिवर्तन

विशिष्ट अध्ययन : दो वन्य-आन्दोलनों पर केन्द्रित : एक उपनिवेशक भारत में (बस्तर) और एक इंडोनेशिया में।

(पाठ-4)

6. कृषि और खेतिहर समाज

(क) विभिन्न प्रकार की कृषि और खेतिहर समाज के प्रादुर्भाव का इतिहास

- आधुनिक राज्यों के गठन से, सीमांकन से, स्थानबद्धता की प्रक्रिया से, चारागाहों के सिकुड़ने से तथा बाजारों के प्रसार से यह सोचना कि आधुनिक विश्व में पशुचारण एवं पशुचारक समाज का क्या होता है।
- विभिन्न स्थानों पर पशुचारण समाजों के भीतर होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास को इंगित करना।
- उपनिवेशीकरण का विभिन्न स्थानों में वन्य समाज पर तथा वैज्ञानिक कृषि के पड़े प्रभाव को समझना।
- विशेष विद्रोहों के अध्ययन से वन्य समाजों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की चर्चा करना।

 मौखिक परंपराएँ किस प्रकार जनजातियों के विद्रोहों के अनुसंधान में प्रयुक्त हो सकी हैं, इन्हें समझना।

- विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बताना जिनसे आधुनिक विश्व में कृषि-रूपान्तरण हो जाए।
- समझना कि किस प्रकार भारत में कृषि व्यवस्था दूसरे देशों से भिन्न है।

(ख) आधुनिक विश्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में प	गरिवर्तन
विशिष्ट अध्ययन : केन्द्र बिन्दु-ग्रामीण परिवर्तन	गें और
ग्रामीण समाजों के रूपों में वैषम्य (अमरीका में बड़े	स्तर पर
गेहूँ तथा कपास की कृषि का विस्तार, इंग्लैंड में	ग्रामीण
अर्थव्यवस्था तथा कृषि क्रान्ति और औपनिवेशिक भ	गरत में
छोटे स्तर पर खेतिहर उत्पादन) (प	गठ-6)

द्वितीय सत्र

उपखण्ड 1.3 संस्कृति, अस्तित्व तथा समाज

इस इकाई के अन्तर्गत विभिन्न विषय विचार करेंगे कि कैसे संस्कृति के मुद्दों को समकालीन विश्व निर्माण से जोड़ा जा सकता है।

निम्नलिखित में से कोई एक

7. खेल और राजनीति :

क्रिकेट की कहानी.

- (क) क्रिकेट का अंग्रेजी खेल के रूप में उदय।
- (ख) क्रिकेट एवं उपनिवेशवाद।
- (ग) क्रिकेट राष्ट्रीयता तथा उपनिवेशन की समाप्ति।

(पाठ-7)

8. वस्त्र (पहनावे) और संस्कृतियाँ

- (क) पहनावे में परिवर्तनों की लघुकथा
- (ख) उपनिवेशक भारत में पहनावे पर वाद-विवाद
- (ग) स्वदेशी व खादी आन्दोलन। (पाठ-8)

 विद्यार्थियों को अवगत कराना कि बड़े स्तर पर कृषि छोटे स्तर पर उत्पादन, झूम खेती विविधा सिद्धान्तों पर कार्य करते हैं और उनके भिन्न-भिन्न इतिहास हैं।

- यह सुझाना कि खेलों का भी इतिहास है और वह राजनीतिक शिक्त और वर्चस्व से जुड़ा हुआ है।
- विद्यार्थियों को क्रिकेट की कुछ ऐसी कहानियाँ बताना जिनका ऐतिहासिक महत्व है।
- यह बताना कि वस्त्रों (पहनावों) का भी इतिहास है और यह किस प्रकार सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है।
- स्पष्ट कराना कि पहनावा किस प्रकार गहन सामाजिक लडाइयों का केन्द्र बिन्दु रहा है।

इकाई-2 : भारत-भूमि और लोग

45 पीरियड

विषय-वस्तु

प्रथम सत्र

- 1. भारत : स्थिति, उच्चावच, सरचना, प्रमुख भू-आकृतिक इकाइयाँ। (पाठ-1 व 2)
- अपवाह तंत्र : प्रमुख निदयाँ एवं सहायक निदयाँ, झीलें एवं समुद्र, देश की अर्थव्यवस्था में निदयों की भूमिका, निदयों का प्रदूषण एवं नदी-प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय। (पाठ-3)

अधिगम-उद्देश्य

- प्रमुख स्थल रूपों के लक्षण एवं उनमें निहित भूवैज्ञानिक संरचना (उनका विविध शैलों और खनिजों से सम्बन्ध तथा मृदा प्रकारों की प्रकृति समझना।
- देश के नदी तंत्रों की जानकारी करना और मानव समाज के विकास में नदियों की भूमिका की व्याख्या करना।

 जलवायु : जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक; मानसून-इसकी विशेषताएँ, वर्षा और तापमान का वितरण, ऋतुएँ, जलवायु एवं मानव जीवन। (पाठ-4)

द्वितीय सत्र

- प्राकृतिक वनस्पति : वनस्पति के प्रकार, वितरण, ऊँचाई के अनुसार बदलाव, संरक्षण की आवश्यकता एवं उसके विविध उपाय। (पाठ-5)
- वन्य प्राणी : प्रमुख जातियाँ, उनका वितरण, सरंक्षण की आवश्यकता एवं उसके विविध उपाय। (पाठ-5)
- 6. जनसंख्या : आकार, वितरण, आयु-लिंग संघटन, जनसंख्या परिवर्तन और इसमें प्रवास की निर्धारक भूमिका, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यावसायिक संरचना और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति; जनसंख्या के उपेक्षित किशोर वर्ग की विशेष आवश्यकताएँ। (पाठ-6)
- **7. मानचित्र कार्य** (3 अंक)

- जलवायु को प्रभावित करने वाले विविध कारकों को पहचानना और अपने देश में जलवायु की विविधता और उसका लोगों के जीवन पर पडने वाले प्रभाव की व्याख्या करना।
- मानसून के महत्व और उसकी एकताकारी भूमिका की व्याख्या करना।
- देश में विविध प्रकार के पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं की विशेषताओं तथा वितरण की जानकारी करना।
- अपने देश की जैव-विविधता में दिलचस्पी लेना और उसके संरक्षण की आवश्यकता को समझना।
- जनसंख्या के असमान वितरण का विश्लेषण करना और देश की अत्यधिक जनसंख्या के लिए चिन्ता करना।
- लोगों के विविध व्यवसायों को जानना और जनसंख्या परिवर्तन के विविध कारकों की व्याख्या करना।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के विविध आयामों की व्याख्या करना और उपेक्षित किशोर वर्ग की विशेष आवश्यकताओं को स्पष्ट करना।

परियोजना कार्य/क्रियाकलाप

- (i) छात्र अपने-अपने प्रदेश के ऋतुओं से संबंधित गीत, नृत्य , त्योहार, भोजन आदि की जानकारी कर सकते हैं और यह भी मालुम कर सकते हैं कि भारत के अन्य प्रदेशों की इन सबमें क्या समानता है।
- अपने क्षेत्र के पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं से सम्बन्धित सामग्री एकत्र कर सकते हैं। इसमें क्षेत्र की संकटापन्न जातियों की सूची होनी चाहिए और उन्हें बचाने के उपाय से जुड़ी सूचना होनी चाहिए।
- (iii) पोस्टर : नदी प्रदूषण, वनों के क्षरण और पारिस्थितिकी असन्तुलन पर पोस्टर बनाना।

इकाई-3 : लोकतांत्रिक राजनीति-I

(40 पीरियड)

विषय-वस्तु

प्रथम सत्र

1. लोकतन्त्र क्या है? लोकतन्त्र क्यों?

लोकतन्त्र को परिभाषित करने हेतु विभिन्न तरीके कौन से हैं? आधुनिक युग में लोकतन्त्र ही सबसे लोकप्रिय शासन क्यों बन गया है? लोकतन्त्र के विकल्प क्या हैं? क्या लोकतन्त्र अन्य उपलब्ध विकल्पों से श्रेष्ठ है? क्या प्रत्येक लोकतन्त्र की एक जैसी संस्थाएँ एवं मान्यताएँ होती हैं?

(पाठ-1 व 2)

अधिगम-उद्देश्य

- लोकतन्त्र को परिभाषित करने हेतु संकल्पनात्मक कौशल को विकसित करना।
- िकन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं एवं शिक्तियों द्वारा लोकतन्त्र विकसित हुआ इसकी समझ रखना।
- लोकतन्त्र के सामान्य पूर्वाग्रहों के विरुद्ध लोकतंत्र के रक्षा कवच को विकसित करना।
- भारत में लोकतंत्र की प्रकृति तथा चयन के ऐतिहासिक अनुभूति को विकसित करना।

2. भारत में लोकतन्त्र का निर्माण

भारत एक लोकतन्त्र क्यों तथा कैसे बना? भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी? भारतीय संविधान की प्रमुख विशोषताएँ क्या हैं? भारत में लोकतन्त्र के लगातार रूपांकन एवं पुन:रूपांकन के निर्माण की प्रक्रिया कैसे जारी हैं?

(पाठ-3)

द्वितीय सत्र

3. लोकतन्त्र में चुनावी राजनीति

हम प्रतिनिधियों का चुनाव क्यों तथा कैसे करते हैं? हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा क्यों है? चुनावी राजनीति में नागरिकों की भागेदारी में परिवर्तन कैसे आया है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किस प्रकार सुनिश्चित किए जा सकते हैं?

(पाठ-4)

4. संसदीय लोकतन्त्र की संस्थाएँ

देश किस प्रकार शासित होता है? हमारे लोकतन्त्र में संसद क्या करती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद् द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है?

(पाठ-5)

5. लोकतन्त्र के नागरिकों के अधिकार

संविधान में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? भारतीय संविधान के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा कौन से मौलिक अधिकारों का उपयोग किया जाता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा किस प्रकार की जाती है? न्यायपालिका की स्वतन्त्रता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?

(पाठ-6)

अधिगम-उद्देश्य

- संविधान निर्माण की प्रक्रिया से अवगत होना।
- संविधान के लिए आदर तथा संवैधानिक मान्यताओं के लिए प्रशंसा का विकास करना।
- संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें परिवर्तन आते हैं, इस तथ्य को पहचानना।
- तुलनात्मक दलीय राजनीति के माध्यम से प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र के विचार से परिचित होना।
- हमारी निर्वाचन व्यवस्था से सुविदित होना तथा इसे चयन करने के कारणों को जानना।
- चुनाव आयोग के महत्व को पहचानना।
- केन्द्रीय सरकार की संरचनाओं का अवलोकन करना।
- संसद तथा इसकी कार्य प्रणाली की मुख्य भूमिका के प्रति सुग्राहित होना।
- नाममात्र की तथा वास्तविक कार्यकारिणी के कार्यों के बीच अन्तर करना।
- कार्यकारिणी की संसदीय विधायिका के प्रति जवाबदेही की संसदीय व्यवस्था को समझना।
- नागरिकों के अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास करना।
- मौलिक अधिकारों से अवगत होना व उनके प्रति प्रशंसा का भाव रखना।
- इन अधिकारों को क्रियान्वित करने, तथा वास्तिवक जीवन की परिस्थितियों से वीचित किए जाने के तरीकों की पहचान करना।
- न्यायिक व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से परिचित होना।

इकाई-4 : अर्थशास्त्र का ज्ञान-I (पीरियड		
विषय-वस्तु	अधिगम-उद्देश्य	
प्रथम सत्र		
 पालमपुर की आर्थिक कहानी: पालमपुर के आर्थिक लेन-देन और शेष विश्व के साथ इसकी परस्पर क्रियाएँ, जिनके द्वारा उत्पादन की संकल्पना (उत्पादन के तीन कारकों, भूमि, श्रम और पूँजी सहित) से परिचित कराया जा सकता है। (पाठ-1) 	1	कहानी के द्वारा बच्चों को ल्पनाओं से परिचित कराना।
2. संसाधन के रूप में मानव : मानव किस प्रकार संसाधन/परिसम्पित बनते हैं (पुरुषों व स्त्रियों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएँ, स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अदत्त कार्य, मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका, मानवीय संसाधन के अनुपयोग के रूप में बेरोजगारी, साधारण रूप में इसके सामाजिक व राजनैतिक प्रभाव।	1	कंल्पनाओं से परिचय और गित के रूप में लोगों की ो संवेदनशील बनाना।
(पाठ-2)	 गरीबी को एक चुनौती के प्रति विद्यार्थी को संवेदनशी 	रूप में समझना और इसके
द्वितीय सत्र 3. भारत में गरीबी एक चुनौती: गरीब कौन है (एक ग्रामीण और एक शहरी उदाहरण का विशिष्ट अध्ययन) सूचक, निरपेक्ष गरीबी (संकल्पना के रूप में नहीं बिल्क कुछ सरल उदाहरणों द्वारा) लोग गरीब क्यों होते हैं, संसाधनों का असमान वितरण, देशों की बीच तुलना, गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए		ाल बनाना। ार द्वारा की गई पहल का
गए उपाय। (पाठ-3)	 जीवन की मूलभूत आवश्य विषय के रूप में बच्चे के 	
 खाद्य सुरक्षा : खाद्यान्न स्त्रोत : देश में खाद्यान्नों की किस्म, अतीत में अकाल-आत्म-निर्भारता की 	 खाद्य आपतिं सनिश्चित क 	रने में सरकार की भूमिका

आवश्यकता , खाद्य सुरक्षा में सरकार की भूमिका

खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति-गोदामों में अनाज की बहुलता और भुखमरी -सार्वजनिक वितरण प्रणाली-खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका (खाद्यान्न, दूध और सब्जियों की राशन की दुकानें, सहकारी दुकानें, दो या तीन उदाहरणों के रूप में विशिष्ट अध्ययन)

सुझावात्मक क्रियाऍ/अनुदेश

विषय वस्तु-1 : विभिन्न कामगारों और किसानों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के और उदाहरण दें। संख्यात्मक समस्याओं को भी शामिल किया जा सकता है।

गाँवों के विवरण के कुछ तरीके प्रेमचन्द, एम.एन. श्रीनिवास और आर.के.नारायण की रचनाओं में उपलब्ध हैं। इनका उल्लेख किया जा सकता है।

विषय-वस्त-2 : बेरोजगारी के प्रभावों का विवेचन करें।

स्त्रियों द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं इस पर वाद-विवाद। क्या भीख माँगना आर्थिक क्रिया है? विवेचन करें। क्या जनसंख्या कम करना या परिवार का आकार छोटा करना आवश्यक है? विवेचन करें।

विषय-वस्तु : 4

गांव में खेलों का निरीक्षण करें और उनमें उगाए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा प्राप्त करें।

पास की राशन की दुकान से वहाँ उपलब्ध वस्तुओं का ब्यौरा प्राप्त करें।

एक नियमित बाजार के अहाते में जाकर वहाँ होने वाले सौदों का अवलोकन करें और वहाँ वस्तुएँ कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं, इसका ब्यौरा प्राप्त करें।

इकाई-5 : आपदा प्रबंधन

25 पीरियड

प्रथम सत्र

- प्रस्तावना आपदा प्रबंधन पाठ-1
- 2. सामान्य संकट : रोकथाम एवं न्यूनीकरण पाठ-2

द्वितीय सत्र

- 3. मानव निर्मित आपदाएँ : नाभिकीय, जैविक एवं रासायनिक (पाठ-3)
- 4. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (पाठ-4)

निर्धारित पाठ्यपुस्तकें

- भारत एवं समकालीन विश्व इतिहास एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
- 2. समकालीन भारत-भूगोल एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
- 3. लोकतांत्रिक राजनीति-एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
- अर्थशास्त्र-एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
- 5. आओ चलें एक सुरक्षित भारत की ओर, भाग.दो सी.बी.एस.ई. द्वारा आपदा प्रबंधान पर प्रकाशित पाठ्यपुस्तक

समय : 3 घण्टे अंक : 80

इकाई	प्रथम सत्र		द्वितीय सत्र
1. भारत तथा समकालीन विश्व-II	20		20
2. भारत-संसाधन एवं उनका विकास	20		20
3. लोकतांत्रिक राजनीति-II	20		20
4. अर्थशास्त्र का ज्ञान-II	20		20
5. आपदा प्रबंधन - केवल प्रॉजेक्ट कार्य और नियत कार्य			
योग	80		80
 शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित पाठ्यक्रम का रचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन निम्रभार के रूप में किया जाएगा। 	प्रथम सत्र	द्वितीय सत्र	योग
2. रचनात्मक मूल्यांकन 1 व 2, 3 व 4	20%	20%	40%
3. योगात्मक मूल्यांकन	20%	40%	60%
	40%	60%	100%

रचनात्मक मूल्यांकन के अन्तर्गत प्राजेक्ट्स, नियतकार्य, क्रियाकलाप तथा कक्षा टेस्ट/सामयिक टेस्ट समाहित है, जिसके लिए बोर्ड विद्यालयों को पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुका है। योगात्मक मूल्यांकन के अन्तर्गत सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र शामिल हैं, जिनका स्वरूप निर्धारित प्रारूप के अनुसार होगा।

डकाई-1 : भारत और समकालीन विश्व-II

(45 पीरियड)

2412 1 : 41/11 311/ (1·141/11 1·14/4-11	(45 411/45)
विषय-वस्तु	अधिगम उद्देश्य
उपखण्ड 1.1 में से विद्यार्थियों को कोई दो थीम चुननी है इस इकाई में थीम-3 अनिवार्य है। पहली दो थीमों से विद्यार्थियों को एक थीम चुननी है। उपखण्ड 1.2 तथा 1.3 में से एक-एक थीम चुननी है।	 इस विषय के अन्तर्गत 1830 के बाद के समय में राष्ट्रवाद के उदय के रूपों की चर्चा होगी। यूरोप राष्ट्रवाद तथा उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद में आपसी संबंध और अन्तर संबंधी चर्चा होगी।

इस प्रकार सभी विद्यार्थियों को कुल मिलाकर चार-श्रीम पढ़नी हैं।

द्वितीय सत्र

उपखण्ड : 1.1 : घटनाएँ और प्रक्रियाएँ

निम्नलिखित थीमों में से कोई दो:-

1. यूरोप में राष्ट्रवाद :

- (क) 1830 के दशक में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।
- (ख) ज्यूसेपे मैत्सिनी तथा अन्य के विचार।
- (ग) पोलेण्ड, हंगरी, इटली, जर्मनी तथा ग्रीस के आन्दोलनों की सामान्य विशेषताएँ।

(पाठ-1)

- इण्डो चाइना में राष्ट्रवादी आन्दोलन : भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारक
- (क) इण्डोचाइना में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद।
- (ख) फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष के चरण।
- (ग) फान दिन्ह फंग, फान बोई चाऊ, न्यून एक् क्योंक के विचार।
- (घ) द्वितीय विश्वयुद्ध तथा मुक्ति संघर्ष
- (च) अमरीका और दूसरा इण्डोचाइना युद्ध।

(पाठ-2)

- 3. भारत में राष्ट्रवाद : सविनय अवज्ञा आन्दोलन
- (क) प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग।
- (ख) नमक सत्याग्रह।
- (ग) किसानों, श्रमिकों तथा आदिवासियों के आन्दोलन।
- (घ) विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ।

(पाठ-3)

 यूरोप तथा अन्य देशों में राष्ट्र राज्यों का विचार किस प्रकार सामान्य हो गया, इसकी चर्चा।

 फ्रांसीसी उपनिवेशवाद एवं इन्डो चाइना तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद में अन्तर स्पष्ट करना।

- इंडो चाइना में उपनिवेश विरोधी संघर्ष के विभिन्न चरणों की रूपरेखा बताना।
- भारत और इंडो चाइना के राष्ट्रीय आन्दोलनों में अन्तर से विद्यार्थियों को परिचित कराइए।
- सविनय अवज्ञा आन्दोलन के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषताओं पर चर्चा।

- विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों की प्रकृति का विश्लेषण करना।
- विभिन्न राजनैतिक दलों के तथा अन्य व्यक्तियों के विशोषकर गांधीजी के विचारों से विद्यार्थियों को परिचित कराना।

मानचित्र कार्य-केवल थीम 3 पर आधारित
 (2 अंक)

प्रथम सत्रः

उपखण्ड 1.2 : अर्थव्यवस्थाएँ तथा जीविकाएँ

निम्नलिखित थीमों में से कोई एक

- 1850 के दशक से 1950 के दशक के दौरान औद्योगिकीकरण
- (क) ब्रिटेन व भारत के औद्योगीकरण के रूप में वैषम्य।
- (ख) हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादन तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में सम्बन्ध।
- (ग) श्रिमकों की जीविका, विशिष्ट अध्ययन : ब्रिटेन एवं भारत

(पाठ-4)

5. नगरीकरण तथा नागरीय जीवन

- (क) नगरीकरण के प्रकार
- (ख) प्रवसन एवं नगरों का विकास,
- (ग) सामाजिक परिवर्तन तथा शहरी जीवन,
- (घ) व्यापारी, मध्यवर्गी, श्रमिक तथा शहरी गरीब।

विशिष्ट अध्ययन : उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में लंदन तथा बम्बई (मुम्बई)

(पाठ-5)

(पाठ-6)

व्यापार तथा वैश्वीकरण :

- (क) उन्नीसवीं व प्रारंभिक बीसवीं शताब्दी में विश्व बाजार का प्रसार व संघटन.
- (ख) दो विश्वयुद्धों के बीच व्यापार एवं अर्थव्यवस्था,
- (ग) 1950 के दशक के पश्चात् परिवर्तन,
- (घ) वैश्वीकरण से जीविका पद्धितयों में प्रभाव, विशिष्ट अध्ययन : युद्धोपरान्त 1945 से 1960 के दशक तक अन्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था।

- औद्योगिकीकरण के भिन्न-भिन्न प्रतिरूपों (पैटर्न)की चर्चा कराना जिनमें से एक औपनिवेशिक देश में दूसरा उपनिवेश के भीतर हो।
- उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों (सैक्टर) में आपसी सम्बन्धों पर प्रकाश डालना।

 दो भिन्न संदर्भों में शहरीकरण का अन्तर स्पष्ट करना, बम्बई और लंदन को केन्द्र बिन्दु रखकर शहरीकरण और औद्योगीकरण की एक-दूसरे के पूरक के रूप में चर्चा करना।

- दर्शाना कि वैश्वीकरण का इतिहास बहुत लम्बा है और उसके प्रक्रिया में आए परिवर्तनों पर भी प्रकाश डालें।
- स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्वीकरण के परिणामों का विश्लेषण करना।
- विभिन्न सामाजिक वर्गों ने वैश्वीकरण का अनुभव किस प्रकार किया है, इस पर चर्चा।

133

उपखण्ड 1.3 संस्कृति, पहचान एवं समाज निम्न में से कोई एक थीम

- 7. मुद्रण संस्कृति तथा राष्ट्रीयता
- (क) यूरोप में मुद्रण का इतिहास
- (ख) उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में प्रेस का विकास
- (ग) मुद्रण संस्कृति, लोकवाद विवाद एवं राजनीति (पाठ 7)

8. उपन्यास का इतिहास :

- (क) पश्चिम में उपन्यास का एक शैली के रूप में आविर्भाव
- (ख) उपन्यास एवं आधुनिक समाज में परिवर्तनों में आपसी सम्बन्ध,
- (ग) उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में प्रारंभिक उपन्यास,
- (घ) दो या तीन प्रमुख लेखकों का अध्ययन।

उपखण्ड 1.4 मानचित्र कार्य (2 अंक) (पाठ 8)

- मुद्रण संस्कृति एवं विचारों के प्रसार के सम्बन्ध पर चर्चा।
- विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों से सम्बन्धित चित्र, कार्टून, प्रचार साहित्य और समाचारों पत्रों में आए वाद-विवादों से परिचय कराना।
- स्पष्टीकरण करना कि लेखों के स्वरूपों का विशेष इतिहास है और वे समाज में ऐतिहासिक परिवर्तनों को तथा उन परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करते हैं।
- ऐसे लेखकों के विचारों से जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा हो, विद्यार्थियों को परिचित कराना।

इकाई-2 : भारत-संसाधन एवं उनका विकास

(45 पीरियड)

विषय-वस्त्

प्रथम सत्र

 संसाधन : प्रकार-प्राकृतिक एवं मानवीय, संसाधन नियोजन की आवश्यकता।

(पाठ-1)

(पाठ-1)

- प्राकृतिक संसाधन : भू-ससांधन, मृदा के प्रकार और वितरण, भूमि उपयोग का बदलता प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय।
- 3 वन एवं वन्य जीव संसाधन : प्रकार और वितरण, पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं का क्षरण, वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा बचाव।

(पाठ-3)

अधिगम-उद्श्य

- संसाधनों के महत्व और उनके विवेकपूर्ण उपयोग तथा संरक्षण की आवश्यकता को समझना।
- खेती के विभिन्न प्रकारों को पहचाना एवं विभिन्न खेती बाडी के तरीकों को जानना।
- प्रमुख फसलों के स्थानिक वितरण का विवरण करना।
- मानसूनी क्षेत्रों एवं फसलों के स्वरूप के मध्य संबंध समझना।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से संस्थागत एवं तकनीकी सुधारों के संबंध में सरकारी नीतियों का वर्णन।
- अपने पर्यावरण में वनों और वन्य जीवों के महत्व को समझने के साथ-साथ संसाधनों के अवक्षय के प्रति जागरूक होना।

 जल संसाधन: स्त्रोत , वितरण, उपयोग , बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, जल दुर्लभता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण (एक विशिष्ट अध्ययन सहित प्रस्तुत करना)

(पाठ-3)

5. कृषि : कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, शस्य प्रारूप, प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, रोजगार एवं उत्पादन।

(पाठ-4)

द्वितीय सत्र

 खिनज संसाधन : खिनजों के प्रकार, वितरण, उपयोग और खिनजों का आर्थिक महत्व और संरक्षण।

(पाठ-5)

- ऊर्जा संसाधन : ऊर्जा ससांधनों के प्रकार-परपंरागत और गैर-परंपरागत, वितरण उपयोग और संरक्षण। (पाठ-6)
- 8. विनिर्माण उद्योग: प्रकार, स्थानिक वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, निम्नीकरण की रोकथाम के उपाय। (एक विशिष्ट अध्ययन सहित प्रस्तुत करना)

(पाठ-७)

9. परिवहन, संचार और व्यापार

(पाठ-8)

10. मानचित्र कार्य (4 अंक)

- कृषि के विभिन्न प्रकारों को पहचानना और खेती की विविध विधियों पर चर्चा करना, प्रमुख फसलों का क्षेत्रीय वितरण बताना और साथ ही वर्षा की प्रवृत्ति और शस्य प्रारूप के बीच संबंध समझाना।
- कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार से संबंधित बनाई गई सरकार की नीतियों को स्पष्ट करना।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को पुष्ट करना।
- संसाधन के रूप में जल के महत्व को समझना और साथ ही उसके विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण की जानकारी विकसित करना।
- खिनजों के विविध प्रकार, उनका असमान वितरण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को स्पष्ट करना।
- विभिन्न प्रकार के परंपरागत और गैर-परंपरागत संसाधनों और उनके उपयोग पर चर्चा करना।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के महत्व और सीमित क्षेत्रों में ही उद्योगों के संकेन्द्रण परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानता को स्पष्ट करना।
- योजनाबद्ध औद्योगिक विकास की आवश्यकता और सतत् पोषणीय विकास में सरकार की भूमिका को समझना।
- निरन्तर सिकुड़ते विश्व में परिवहन एवं संचार के महत्व को स्पष्ट करना।
- देश के आर्थिक विकास में व्यापार की भूमिका और उसके बदलते स्वरूप की व्याख्या करना।

परियोजना कार्य/क्रियाकलाप

- भारत के विभिन्न प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों के विशिष्ट मकानों और लोगों के कपड़ों के चित्र छात्र एकत्र करें और जाँचें कि इनका क्षेत्र की जलवायु दशाओं और उच्चावच लक्षणों से क्या संबंध है।
- 2. गाँवों में अपनाई जाने वाली सिंचाई की विभिन्न विधियों और गत दस वर्षों में आए शस्य प्रारूप में परिवर्तन पर छात्र संक्षिप्त रिपोर्ट विवरण तैयार करें।

135

3. पोस्टर्स : (i) स्थानीय जल प्रदूषण, (ii) वनों का निम्नीकरण, (iii) ग्रीन हाउस प्रभाव पर पोस्टर एकत्र करना या बनाना।

नोट : इसी तरह कोई और क्रियाकलाप लिया जा सकता है।

डकाई-3: लोकतांत्रिक राजनीति-II

(45 पीरियड)

विषय-वस्त्

प्रथम सत्र

1. लोकतन्त्र में सत्ता की साझेदारी की यंत्रावलियाँ : लोकतन्त्र में सत्ता की क्यों तथा कैसे साझेदारी की जाती है? संघात्मक पद्धति में शक्ति विभाजन, भारत में किस प्रकार राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है? विकेन्द्रीकरण ने किस सीमा तक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है? लोकतन्त्र कैसे विभिन्न सामाजिक समृहों को समायोजित करता है।

(पाठ-1 a 2)

2. लोकतन्त्र की कार्य-प्रणाली : क्या लोकतंत्र की कार्य-शैली में विभाजन अन्तर्निहित है? जाति का राजनीति पर तथा राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव रहा है? लिंग विभाजन ने राजनीति को किस प्रकार के सांचे में ढाला है? साम्प्रदायिक विभाजन किस प्रकार लोकतन्त्र को प्रभावित करते हैं?

(पाठ-3 व 4)

द्वितीय सत्र

3. लोकतन्त्र में प्रतियोगिता तथा संघर्ष : किस प्रकार संघर्ष, लोकतन्त्र को सामान्य लोगों के पक्ष में ढालते हैं? राजनीतिक दल प्रतियोगिता तथा विवादों में क्या भूमिका निभाते हैं? भारत में कौन-कौन से प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हैं? राजनीति में सामाजिक जन-आन्दोलन महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं?

(पाठ-5 व 6)

4. लोकतन्त्र के परिणाम : क्या लोकतन्त्र को उसके परिणामों के आधार पर आंका जा सकता है? क्या लोकतन्त्रों के सामान्यतया परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है? क्या भारत में लोकतन्त्र से ऐसे परिणामों की अपेक्षा हैं? क्या लोकतन्त्र भारत की जनता के

अधागम-उदेश्य

- भारतीय परिदृश्य में राजनीतिक प्रतियोगिता तथा सामाजिक मतभेदों के सम्बन्धों का विश्लेषण करना।
- भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष सम्प्रदायवाद द्वारा रखी गई चुनौतियों को समझना तथा विश्लेषण करना।
- राजनीति में जाति और नुजातीय पर पडने वाले योग्य तथा निर्योग प्रभावों को समझना।
- राजनीति पर लिंग परिपेक्ष का विकास।
- विद्यार्थियों को लोकतन्त्र में केन्द्रीकृत शक्ति की साझेदारी से अवगत कराना।
- व्यापक तथा सामाजिक शक्ति की साझेदारी के यन्त्रों की कार्य-प्रणाली को समझना।
- संघात्मक पावधानों तथा संस्थाओं का विश्लेषण।
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नई पंचायती राज सम्बन्धी संस्थाओं को समझना।
- लोकतन्त्र की व्यापकता में संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना।
- लोकतन्त्रों में दलीय व्यवस्था का विश्लेषण।
- देश में प्रमुख राजनीतिक दलों से अवगत कराना।
- सामाजिक जन आन्दोलनों तथा गैर-राजनीतिक दलीय संगठनों का विश्लेषण।
- लोकतन्त्रों की कार्य-पद्धति से सम्बन्धित कठिन प्रश्नों के मुल्यांकन से अवगत होना।

लिए विकास, सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान ला पाया है? भारत में लोकतन्त्र को बनाए रखने में किसका योगदान है?

(पाठ-7)

5. लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ: क्या लोकतन्त्र का विचार कमजोर पड़ रहा है? भारत में लोकतन्त्र के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? लोकतन्त्र को किस प्रकार सुधारा तथा गहराई में उतारा जा सकता है? भारतीय लोकतन्त्र को सशक्त बनाने में आम नागरिकों की क्या भृमिका अपेक्षित है?

(पाठ-8)

- भारतीय लोकतन्त्र के किन्हीं मुख्य आयामों के कौशल को समझना जैसे विकास सुरक्षा, तथा जनता का आत्मसम्मान।
- भारत में लोकतन्त्र के निरन्तर बने रहने के कारणों को जानना।
- भारतीय लोकतन्त्र के सशक्त एवं निर्बल स्त्रोतों में अन्तर करना।
- लोकतन्त्र को सशक्त बनाने में विभिन्न साधनों का अनुचिन्तन।
- सिक्रय तथा सांझी नागरिकता को प्रोत्साहित करना।

इकाई-4 : अर्थशास्त्र का ज्ञान-II

(45 पीरियड)

विषय-वस्तु

प्रथम सत्र

1. विकास की कहानी : विकास की परम्परागत धारणा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की संवृद्धि, विकास के वर्तमान सूचकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन (प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, लिंग दर और आय व स्वास्थ्य के अन्य सूचक) स्वास्थ्य व शैक्षिक विकास की आवश्यकता, मानवीय विकास के सचक (सरल व संक्षिप्त रूप में)

इस विषय वस्तु के अध्ययन हेतु तीन राज्यों (केरल, पंजाब और बिहार) के विशिष्ट अध्ययन के रूप में प्रयोग करें या इसके लिए कुछ देश चुनें (भारत, चीन, श्रीलंका और एक विकसित देश)

(पाठ-1)

2. भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्रक की भूमिका : सेवा क्षेत्रक क्या होता है? (उदाहरणों द्वारा) : देश में आय व रोजगार का सृजन करने में सेवा क्षेत्रक का महत्व (कुछ विशिष्ट अध्ययनों की सहायता से), भारत में सेवा क्षेत्रक की वृद्धि,

अधिगम-उद्रेश्य

- कुछ समिष्ट अर्थशास्त्र से संबंधित संकल्पनाओं से परिचय करना।
- बच्चे को हमारे देश में व्यापक मानवीय विकास के मूलाधार के प्रति संवेदनशील बनाना। व्यापक मानवीय विकास के अन्तर्गत आय में वृद्धि, आय की बजाय स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार आते हैं।
- बच्चों के मन में यह प्रश्न उठाना कि क्या एक राष्ट्र के लिए केवल आय में वृद्धि ही पर्याप्त है।
- लोगों को शिक्षा कैसे प्रदान की जाए और वे क्यों और कैसे स्वस्थ रहें।
- रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले मुख्य क्षेत्रक के बारे में अवगत कराना।
- सरकार क्यों और कैसे ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक में निवेश करती है, इसके प्रति पाठकों को संवेदनशील बनाना।

विश्व को सेवा प्रदान करने में मुख्य के रूप में भारत, सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं की भूमिका।

(पाठ-2)

द्वितीय सत्र

3. मुद्रा और वित्तीय प्रणाली : अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, ऐतिहासिक उद्गम, बचत और साख के लिए औपचारिक व अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएँ-सामान्य परिचय, राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक जैसी एक औपचारिक संस्था और कुछ अनौपचारिक संस्थाएँ चुनें, स्थानीय महाजन, भू-स्वामी, स्वयं-सहायता समूह, चिट फंड और निजी वित्तीय कम्पनियाँ।

(पाठ-3)

4. वैश्वीकरण: वैश्वीकरण क्या है (सरल उदाहरण) भारत का वैश्वीकरण कैसे और क्यों बनाया जा रहा है? 1991 से पहले की विकास-नीति, उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण: विस्तृत विवरण के लिए कपड़ा उद्योग का उदाहरण, आर्थिक सुधार 1991, सुधार के अन्तर्गत अपनाई गई नीति पूँजी, प्रवाह सरल बनाना। प्रवास, निवेश प्रवाह; वैश्वीकरण पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य और इसके विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव।

(पाठ-4)

5. उपभोक्ता जागरूकता : उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है (एक या दो सरल केसों का अध्ययन) उपभोक्ता के शोषण के कारक, उपभोक्ता को अधिक जागरूक होना, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका।

(पाठ-5)

- मुद्रा की संकल्पना को एक आर्थिक संकल्पना के रूप में परिचय।
- दैनिक जीवन में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- बच्चों को इस बारे में कुछ जानकारी दें कि एक विशेष आर्थिक तथ्य उनके वातावरण और दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है।

- बच्चे को एक उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना।
- बाजार में शोषण से बचने के कानूनी उपायों से परिचित कराना।

सुझावात्मक क्रियाएँ

विषय वस्तु 2 : सेवा क्षेत्रक की क्रियाओं के बहुत से उदाहरण देना। सख्यात्मक उदाहरणों व चित्रों आदि का प्रयोग करें विषय-वस्तु 3 : बैंकों, महाजनों और आधि-व्यवसायियों से मिलना और उन विभिन्न क्रियाओं पर कक्षा में विचार-विमर्श करना जो आपने बैंकों में देखी हैं। स्वयं-सहायता समूहों की सभाओं में भाग लेना और वहाँ विचार किए गए मुद्दों को सुनना। विषय वस्तु 5 : विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपलब्धि मानकों के शब्द चिह्न (लोगो) एकत्र करें। पास के उपभोक्ता न्यायालय में जाएँ और वहाँ की कार्यवाही पर कक्षा में विचार विमर्श करें। अख़बारों और उपभोक्ता न्यायालयों से उपभोक्ता शोषण के मामले एकत्र करें।

इकाई-5 : आपदा प्रबंधन (केवल रचनात्मक मूल्यांकन) (10 पीरियड)

- 1. सूनामी
- 2. सुरक्षित निर्माण की कार्य-पद्धतियाँ।
- 3. खतरे में जीवित रहने का कौशल।
- 4. आपदा के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ।
- 5. उत्तरदायित्व में भागीदारी।

निर्धारित पाठ्यपुस्तकें

- 1. भारत एवं समकालीन विश्व-II (इतिहास) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
- 2. समकालीन भारत-II (भूगोल) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
- 3. लोकतांत्रिक राजनीति-II (राजनीति विज्ञान) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
- 4. आर्थिक विकास का ज्ञान-II (अर्थशास्त्र) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
- 5. आओ मिलकर चलें एक सुरक्षित भारत की ओर, भाग 3, सी.बी.एस.ई. द्वारा आपदा प्रबंधन पर प्रकाशित पाठ्यपुस्तक

6. अतिरिक्त विषय

फॉरमेटिव मूल्यांकन (एफ.ए.) एवं सम्मेटिव मूल्यांकन (एस.ए.) हेतु भार विभाजन निम्नलिखित होगा

हिन्दुस्तानी संगीत कक्षा 9 एवं 10 के लिए I एवं II अवधि हेतु (अप्रैल से मार्च)

अवधि	मूल्यांकन का प्रकार	शैक्षणिक सत्र में दोनों अवधियों	अवधि अनुसार	योग
		हेतु भार विभाजन का प्रतिशत	भार विभाजन	
प्रथम अवधि (अप्रैल-सितम्बर)	सम्मेटिव मूल्यांकन-1			
	सिद्धांत परीक्षा	10%	10+30=40	40%
	प्रायोगिक परीक्षा	30%		
द्वितीय अवधि	सम्मेटिव मूल्यांकन-2			
(अक्तूबर-मार्च)				
	सिद्धान्त परीक्षा	20%	20+40=60	60%
	प्रायोगिक परीक्षा	40%	कुल योग	100%

	1 अवधि	ī	2 अवधि		योग
सिद्धान्त					
प्रायोगिक	10%	+	20%	=	30%
	30%	+	40%	=	70%
			कुल योग		100%

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप

प्रथम अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034)

कक्षा-9

प्रश्न-पत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. निम्नलिखित की परिभाषाएं -	लघूत्तर प्रश्न	01	5x2=10
	संगीत, स्वर-शुद्ध-विकृत			
	(कोमल तीव्र), आरोह-अवरोह, ताल			
	2. राग भूपाली का परिचय	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	3. कहरवा ताल का वर्णन एवं ताल	लघूत्तर प्रश्न	01	
	लिपि			
	4. विभिन्न तालों में चार तालबद्ध	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	अलंकार			
	5. प्रसंग 1-4 पर आधारित ऑब्जेक्टिव	बहुविकल्प प्रश्न	01(अ,ब,स,द चार भाग)	योग=10
	टाइप प्रश्न			
प्रायोगिक	1. मूल स्वरों की पहचान		01	02
	2. राग भूपाली में आरोह, अवरोह, पकड़		01	10
	एवं द्रुत ख्याल कुछ तानों सहित			
	3. हाथ द्वारा ताल देते हुए कहरवा के		01	04
	ठेके का सस्वर पाठ			
	4. चार तालबद्घ अलंकार		04	04
	5. (क) राष्ट्रगान		05	5x2=10
	(ख) दो लोक या जनजातीय गीत			
	(ग) एक भक्ति गीत			
	(घ) एक देशभिक्त गीत			
	(ड) एक सामुदायिक गीत	141		योग=30

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम प्रथम अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034)

कक्षा-9

सिद्धान्त समय-2 घंटे 10 अंक

- निम्नलिखित की परिभाषा संगीत, स्वर-शृद्ध-विकृत (कोमल-तीव्र) आरोह, अवरोह, ताल
- निम्नलिखित राग का परिचय-भुपाली
- निम्नलिखित ताल का वर्णन एवं ताल लिपिबद्ध करने की क्षमता– कहरवा
- 4. विभिन्न तालों में बद्ध चार ताल बद्ध अलंकार।

प्रायोगिक 30 अंक

- राग भूपाली में आरोह, अवरोह, पकड़ एवं द्रुत ख्याल कुछ तानों सिहत।
- 2. (क) राष्ट्र गान
 - (ख) दो लोक या जनजातीय गीत
 - (ग) एक देशभिक्त गीत
 - (घ) एक भिक्त गीत
 - (ङ) एक सामुदायिक गीत
 - (च) मूल स्वरों की पहचान
- 3. हाथ द्वारा ताल देते हुए कहरवा ताल के ठेके का सस्वर पाठ।
- 4. विभिन्न तालों में बद्ध चार तालबद्ध अलंकार।

योग=40 अंक

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)(कोड सं. 034)

कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड एवं विषय वस्तु भार विभाजन योजना:

खण्ड	विषय वस्तु ⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. इतिहास-पं. भातखण्डे एवं	बहुविकल्प प्रश्न	01	5x4=20
	पं. विष्णु दिगम्बर			
	2. परिभाषाएं-नाद, स्थान, राग, लय,	लघूत्तर प्रश्न	01	
	सम, ताली, खाली, आवर्तन, मात्रा			
	3. राग यमन एवं भैरव का परिचय	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	4. तीन ताल, दादरा, झपताल का वर्णन	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	एवं ताल लिपि			
	5. विभिन्न तालों में निबद्ध चार अलंकार	लघूत्तर प्रश्न	01	योग=20
प्रयोगिक	 मूल स्वरों की पहचान 	-	01	0.5
	2. राग यमन, भैरव में आरोह, अवरोह	-	01	10
	पकड़ एवं कुछ तानों सहित द्रुत ख्याल			
	3. (अ) दो लोक या जनजातीय गीत	-	03	5x3=15
	(ब) तीन भक्ति गीत	-		
	(स) दो देशभक्ति एवं सामुदायिक गीत	-		
	4. तीन ताल, दादरा, झपताल के ठेकों का	-	01	05
	हाथ द्वारा ताल देते हुए सस्वर पाठ			
	5. विभिन्न तालों में बद्ध चार तालबद्ध	-	01	0.5
	अलंकार			योग=40
		1.42		

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम

द्वितीय अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034)

कक्षा-9

सिद्धान्त

समय-2 घंटे

20 अंक

- पं. विष्णुनारायण भातखण्डे एवं पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के कार्यों के विशेष संदर्भ सिंहत भारतीय संगीत (हिन्दुस्तानी संगीत) का संक्षिप्त इतिहास।
- 2. निम्नलिखित की परिभाषाएं-

नाद, मात्रा, आवर्तन, स्थान (मन्द्र, मध्य, तार), राग, लय, सम, ताली, खाली

- 3. निम्नलिखित रागों का परिचय-
 - (क) यमन (ख) भैरव
- निम्नलिखित तालों का वर्णन एवं ताल लिपिबद्ध करने की योग्यता-तीन ताल, दादरा, झपताल
- 5. विभिन्न तालों में बद्ध चार तालबद्ध अलंकार।

प्रायोगिक अंक-40

- निम्नलिखित रागों में आरोह, अवरोह, पकड़ एवं कुछ तानों सिहत द्रुत ख्याल (अ) यमन (ब) भैरव
- 2. मुल स्वरों की पहचान
- 3. (अ) दो लोक या जनजातीय गीत
 - (ब) तीन भिक्त गीत
 - (स) दो देशभक्ति गीत
 - (द) एक सामुदायिक गीत
- 4. हाथ द्वारा ताल देते हुए तीन ताल, दादरा और झपताल के ठेकों का सस्वर पाठ।
- विभिन्न तालों में बद्ध चार तालबद्ध अलंकार।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035) कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. परिभाषाएं-संगीत, स्वर-शुद्ध-विकृत	लघूत्तर प्रश्न	01	5x2=10
	(कोमल, तीव्र), आरोह-अवरोह, ताल			
	2. राग भूपाली का परिचय	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	3. कहरवा ताल का वर्णन एवं ताल लिपि	लघूत्तर प्रश्न	01	
	4. अपने वाद्य का मूल ज्ञान	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	5. विषय वस्तु 1-4 पर आधारित	बहुविकल्प प्रश्न	01	
	ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न		(अ, ब, स, द	योग=10
			चार भाग)	
प्रायोगिक	 दोनों हाथों की मूल तकनीकें 		01	05
	2. राग भूपाली में आरोह, अवरोह,		01	10
	पकड़ एवं तोड़ों सहित द्रुत गत			
	3. हाथ द्वारा ताल देते हुए कहरवा ताल		01	5
	के ठेके का सस्वर पाठ			
	4. (1) दो धुनें		01	5+5=10
	(2) एक लोक धुन			योग=30
			कुल योग	40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम

प्रथम अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035)

कक्षा-9

सिद्धान्त समय-2 घंटे 10 अंक

निम्नलिखित की परिभाषा-संगीत, स्वर-शुद्ध-विकृत (कोमल-तीव्र), आरोह-अवरोह, ताल

2. राग भूपाली का परिचय

1.

- 3. ताल कहरवा का वर्णन एवं ताल लिपि
- 4. अपने वाद्य का मूल ज्ञान

प्रायोगिक 30 अंक

- निम्न में से किसी एक वाद्य की मौलिक तकनीकों का ज्ञान-
 - (क) सितार
 - (ख) सरोद
 - (ग) वायलिन
 - (घ) दिलरूबा या इसराज
 - (ङ) बाँसुरी
 - (च) मेंडोलिन
 - (छ) गिटार
- 2. राग भूपाली में आरोह, अवरोह, पकड़ एवं कुछ तोड़ों सहित द्रुत गत।
- 3. हाथ द्वारा ताल देते हुए कहरवा ताल के ठेके का सस्वर पाठ।
- 4. (क) दो धुनें
 - (ख) एक लोक धुन (किसी भी क्षेत्र की)

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035) कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. इतिहास-पं. भातखण्डे एवं पं. पलुस्कर	बहुविकल्प प्रश्न	01	5x4=20
	2. परिभाषाएं-नाद, स्थान, राग, लय, सम,	लघूत्तर प्रश्न	01	
	ताली, खाली, मात्रा, आवर्तन।			
	3. राग यमन एवं भैरव का परिचय	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	4. तीन ताल, दादरा, झपताल का वर्णन एवं	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	ताल लिपि			
	5. अपने वाद्य की संरचना एवं मिलाने की	लघूत्तर प्रश्न	01	
	विधि का ज्ञान			योग=20
प्रायोगिक	1. चयन किए गए वाद्य यंत्र की मूल		01	05
	तकनीकों में निपुणता			
	2. राग यमन एवं भैरव में आरोह, अवरोह,		01	15
	पकड़ एवं द्रुत गत, तोड़ों एवं झालों सहित।			
	3. हाथ द्वारा ताल देते हुए तीन ताल, झपताल		01	05
	एवं दादरा तालों के ठेकों का प्रस्तुतिकरण।			
	4. (अ) राष्ट्र गान		03	5+5+5=15
	(ब) दो धुनें			
	(स) तीन लोक धुनें			योग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम द्वितीय अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035)

कक्षा-9

सिद्धान्त

20 अंक

समय-2 घंटे

- विष्णुनारायण भातखण्डे तथा पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के कार्यों के विशेष संदर्भ सिंहत आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीत की रूपरेखा।
- निम्नलिखित की परिभाषाएं नाद, स्थान (मन्द्र, मध्य, तार), राग, लय, सम, ताली, खाली, मात्रा, आवर्तन
 - निम्नलिखित रागों का परिचय-
 - (1) यमन (2) भैरव

3.

- निम्नलिखित तालों का वर्णन एवं ताल लिपि में लिखने की योग्यता-तीन ताल, दादरा, अपताल
- 5. चयनित वाद्य के विभिन्न अंगों एवं मिलाने की विधि का विस्तृत ज्ञान।

प्रायोगिक अंक-40

- निम्नलिखित वाद्यों में से किसी एक में निपुणता-
 - (1) सितार (2) सरोद (3) वायलिन (4) दिलरूबा या इसराज (5) बाँसुरी (6) मेन्डोलिन (7) गिटार
- 2. राग यमन एवं भैरव में आरोह, अवरोह, पकड़ एवं तोड़ों सहित द्रुत गत।
- 3. हाथ द्वारा ताल देते हुए तीन ताल, झपताल एवं दादरा ताल के ठेकों का प्रस्तुतिकरण
- 4. (अ) राष्ट्र गान बजाने की योग्यता (ब) दो धुनें (स) विभिन्न क्षेत्रों की तीन लोक धुनें

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (ताल वाद्य) (कोड सं. 036) कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. परिभाषाएं-संगीत, स्वर-शुद्ध-विकृत	लघूत्तर प्रश्न	01	03
	(कोमल, तीव्र), ताल, लय, आवर्तन			
	2. चयन किए गए वाद्य का मूल ज्ञान	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	03
	3. कहरवा ताल का वर्णन तथा दुगुनसहित	लघूत्तर प्रश्न	01	02
	ताल लिपिबद्ध करने की योग्यता			
	4. उपर्युक्त विषय वस्तु पर आधारित	बहुविकल्प प्रश्न	04	02
	ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न			योग=10
प्रायोगिक	1. तबला/पखावज की मूल तकनीक और		01	10
	बोलों का ज्ञान			
	2. साधारण विस्तरण के साथ कहरवा ताल		01	15
	के ठेके को दुगुन सिहत बजाने की योग्यता			
	3. हाथ द्वारा ताल देते हुए कहरवा ताल के		01	0.5
	ठेके का प्रस्तुतिकरण			योग=30
				कुल योग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (ताल वाद्य) (कोड सं. 036) कक्षा-9

सिद्धान्त समय-2 घंटे

10 अंक

- निम्नलिखित की परिभाषाएं संगीत, स्वर-शुद्ध-विकृत (कोमल, तीव्र), ताल, लय, आवर्तन
- 2. तबला / पखावज का मूल ज्ञान।
- 3. ताल कहरवा का वर्णन एवं दुगुन सहित ताल लिपिबद्ध करना।

प्रायोगिक अंक-30

- तबला या पखावज की मूल तकनीक तथा बोलों का ज्ञान।
- 2. साधारण विस्तरण के साथ कहरवा ताल के ठेके को दुगुनलय सहित बजाने की योग्यता।
- 3. हाथ द्वारा ताल देते हुए कहरवा ताल के ठेके के प्रस्तुतिकरण की योग्यता।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (ताल वाद्य) (कोड सं. 036) कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड एवं विषय वस्तु भार विभाजन योजना:

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. इतिहास-पं भातखण्डे एवं पं. पलुस्कर	बहुविकल्प प्रश्न	01	06
	2. निम्नलिखित की परिभाषाएं-नाद, राग,	लघूत्तर प्रश्न	01	04
	सम, ताली, मात्रा, विभाग, दुगुन, तिगुन,			
	चौगुन।			
	3. तीन ताल तथा दादरा ताल के ठेकों को	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	06
	दुगुन सहित लिपिबद्ध करने की योग्यता			
	4. चयन किए गए वाद्य के विभिन्न अंगों	लघूत्तर प्रश्न	04	04
	एवं मिलाने की विधि की विस्तृत ज्ञान			योग=20
प्रायोगिक	1. चयन किए गए वाद्य की मूल तकनीकों		01	10
	में निपुणता			
	2. तीन ताल एवं दादरा ताल के ठेकों को		01	10
	साधारण विस्तरण सहित बजाने की योग्यता			
	3. हाथ द्वारा ताल देते हुए तीन ताल एवं दादरा		01	0.5
	ताल के ठेकों को प्रस्तुत करने की योग्यता			
	4. संगत के साथ एकल प्रदर्शन		01	15
				योग=40
				कुल योग=60

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (ताल वाद्य) (कोड सं. 036) कक्षा-9

सिद्धान्त

समय-2 घंटे

अंक-20

- पं वी.एन. भातखन्डे एवं पं विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के कार्यों के विशेष संदर्भ सिंहत आधुनिक हिन्दुस्तानी संगीत की रूपरेखा।
- 2. निम्नलिखित की परिभाषाएं-नाद, राग, सम, ताली, दुगुन, मात्रा, विभाग, तिगुन, चौगुन।
- 3. तीन ताल एवं दादरा ताल के ठेकों को दुगुन सहित लिखने की योग्यता।
- 4. चयन किए गए वाद्य के विभिन्न अंगों एवं मिलाने की विधि का विस्तृत ज्ञान।

प्रायोगिक

अंक-40

- 1. चयन किए गए वाद्य की मूल तकनीकों तथा बोलों में निपुणता।
- 2. तीन ताल तथा दादरा ताल के ठेकों को साधारण विस्तरण तथा दुगुन सहित बजाने की योग्यता।
- 3. हाथ द्वारा ताल देते हुए तीन ताल तथा दादरा ताल के ठेकों का प्रस्तुतिकरण।
- 4. संगत के साथ एकल प्रदर्शन।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034)

कक्षा-10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी,	लघूत्तर प्रश्न	01	5x2=10
	आलाप की परिभाषा,			
	2. तानपुरे की संरचना एवं मिलाने की	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	विधि का ज्ञान			
	3. राग काफी तथा सारंग का संक्षिप्त विवरण	लघूत्तर प्रश्न	01	
	4. राग काफी तथा सारंग के द्रुत ख्याल की	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	स्वरलिपि लिखना			
	5. विषय वस्तु 1-4 पर आधारित ऑब्जेक्टिव	बहुविकल्प प्रश्न	04	
	टाइप प्रश्न			योग=10
प्रायोगिक	 राग काफी का आरोह, अवरोह, पकड़ एवं 		01	12
	साधारण विस्तरण सहित द्रुत ख्याल			
	2. राग सारंग का आरोह, अवरोह, पकड़ एवं		01	12
	साधारण विस्तरण सहित द्रुत ख्याल			
	3. एक क्षेत्रीय भाषा में एक गीत		01	06
				योग=30
				कुल योग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034) कक्षा-10

सिद्धान्त समय-2 घंटे

10 अंक

- 1. तानपुरे की संरचना एवं मिलाने की विधि का सामान्य ज्ञान।
- वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी, आलाप की परिभाषा।
 प्रायोगिक

30 अंक

- क्षेत्रीय भाषा में एक गीत।
- 2. साधारण विस्तरण के साथ राग काफी और सारंग में आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तानों सहित द्रुत ख्याल।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034) कक्षा-10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. पं. वी.डी. पलुस्कर तथा पं. वी.एन.	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	5x4=20
	भातखन्डे द्वारा निर्धारित स्वरलिपि			
	पद्धतियों का ज्ञान।			
	2. नाट्य शास्त्र तथा संगीत रत्नाकर का	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	संक्षिप्त विवरण।			
	3. राग खमाज तथा देस का संक्षिप्त विवरण।	लघूत्तर प्रश्न	01	
	4. राग खमाज तथा देस के द्रुत ख्याल को	लघूत्तर प्रश्न	01	
	स्वरलिपिबद्ध करना।			
	5. विषय वस्तु 1-4 पर आधाारित	बहुविकल्प प्रश्न	04	
	ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न।			योग=20
प्रायोगिक	1. राग खमाज एवं राग देस का आरोह,		01	12+12=24
	अवरोह, पकड़ तथा द्रुत ख्याल			
	2. क्षेत्रीय भाषा में एक गीत		01	08
	3. एक टैगोर गीत		01	08
				योग=40
				कुल योग=60

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034) कक्षा-10

सिद्धान्त समय-2 घंटे

अंक

1. पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर तथा पं. वी. एन. भातखण्डे द्वारा निर्धारित स्वरलिपि पद्धतियों का ज्ञान।

नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण।
 प्रायोगिक
 30 अंक

- 1. (i) क्षेत्रीय भाषा में एक गीत
 - (ii) एक टैगोर गीत
- 2. राग खमाज तथा देस में आरोह, अवरोह, पकड़ तथा साधारण विस्तरण और कुछ तानों सहित द्रुत ख्याल।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035) कक्षा-10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु∕खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी,	लघूत्तर प्रश्न	01	5x2=10
	आलाप की परिभाषा			
	2. चुने गए वाद्य की बनावट एवं मिलाने	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	की विधि का ज्ञान			
	3. राग काफी तथा सारंग का संक्षिप्त विवरण	लघूत्तर प्रश्न	01	
	4. राग काफी तथा सारंग के द्रुत गत को	दीर्घ उत्तर प्रश्न		
	स्वरलिपि में लिखना			
	5. विषय वस्तु 1-4 पर आधारित	बहुविकल्प प्रश्न	04	
	ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न			योग=10
प्रायोगिक	1.विभिन्न तालों में बद्ध चार तालबद्ध अलंकार		01	10
	2. राग काफी का आरोह, अवरोह, पकड़ एवं		01	10
	द्रुत गत			
	3. राग सारंग का आरोह, अवरोह, पकड़ एवं		01	10
	द्रुत गत			
				योग=30
				कुल योग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम प्रथम अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035)

कक्षा-10

सिद्धान्त समय-2 घंटे

10 अंक

1. निम्नलिखित वाद्यों में से किसी एक की संरचना तथा मिलाने की विधि का ज्ञान-

- (i) सितार (ii) सरोद (iii) वायलिन (iv) दिलरूबा या इसराज (v) बाँसुरी (vi) मेन्डोलिन (vii) गिटार
- 2. वादी, सम्वादी, अनुवादी, विवादी, आलाप की परिभाषा।

प्रायोगिक 30 अंक

- 1. विभिन्न तालों में बद्ध चार तालबद्ध अलंकार।
- 2. राग काफी और सारंग का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा साधारण विस्तरण व कुछ तोड़ों सहित द्रुत ख्याल।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035)

कक्षा-10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. पं. वी.डी. पलुस्कर तथा पं. वी.एन.	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	5x4=20
	भातखण्डे द्वारा निर्धारित स्वरलिपि			
	पद्धतियों का ज्ञान।			
	2. नाट्य शास्त्र तथा संगीत रत्नाकर का	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	संक्षिप्त विवरण।			
	3. राग खमाज तथा देस का संक्षिप्त विवरण।	लघूत्तर प्रश्न	01	
	4. राग खमाज तथा देस की द्रुत गत को	लघूत्तर प्रश्न	01	
	स्वरलिपि में लिखना।			
	5. विषय वस्तु 1-4 पर आधाारित ऑब्जेक्टिव	बहुविकल्प प्रश्न	04	
	टाइप प्रश्न।			योग =20
प्रायोगिक	1. विभिन्न तालों में निबद्ध चार तालबद्ध		01	10
	अलंकार।			
	2. राग खमाज में आरोह,		01	15
	अवरोह, पकड़ तथा द्रुत गत।			
	3. राग देस में आरोह, अवरोह,		01	15
	पकड़ तथा द्रुत गत।			
				योग=40
				कुल योग=60

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम

द्वितीय अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035)

कक्षा-10

सिद्धान्त समय-2 घंटे

20 अंक

- पं. वी.डी. पलुस्कर तथा पं. वी.एन. भातखण्डे द्वारा निर्धारित स्वरलिपि पद्धतियों का ज्ञान। 1.
- नाट्य शास्त्र तथा संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण। 2.

प्रायोगिक 40 अंक

- विभिन्न तालों में बद्ध चार तालबद्ध अलंकार। 1.
- राग खमाज और राग देस का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा साधारण विस्तरण व कुछ तानों सहित द्रुत गत। 2.

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (ताल-वाद्य) (कोड सं. 036) कक्षा-10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. परिभाषाएं - आवर्तन, ठेका, लहरा,	लघूत्तर प्रश्न	01	03
	आमद, मोहरा, तिहाई।			
	2. चयन किए गए वाद्य की संरचना तथा	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	0,3
	मिलाने की विधि का ज्ञान।			
	3. झपताल का वर्णन तथा ताललिपि बद्ध	लघूत्तर प्रश्न	01	02
	करने की योग्यता।			
	4. उपर्युक्त विषयों पर आधारित ऑब्जेक्टिव	बहुविकल्प प्रश्न	04	02
	टाइप प्रश्न।			योग=10
प्रायोगिक	 चयन किए गए वाद्य पर मूल बोलों को 		01	10
	उत्पन्न करने की योग्यता।			
	2. हाथ की थापों द्वारा झपताल के ठेके की		01	05
	प्रस्तुतिकरण।			
	3. चयन किए गए वाद्य पर झपताल के ठेके		01	15
	को बजाने की योग्यता।			
				योग=30
				कुल योग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम

प्रथम अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (ताल-वाद्य) (कोड सं. 036)

कक्षा-10

सिद्धान्त समय-2 घंटे

10 अंक

- 1. वाद्य यंत्र (तबला/पखावज) की संरचना तथा उसे मिलाने की विधि का ज्ञान।
- 2. परिभाषाएं आवर्तन, ठेका, लहरा, आमद, मोहरा, तिहाई।

प्रायोगिक

30 अंक

- मूल बोल ता, धा, तिन, धिन, धा, िक, ना, ति, धिं, तू, ना और ती, ती, ना, धी, ग, तिर, िकट, तू, ना, क, त्ता आदि का सही प्रस्तुतिकरण।
- 2. हाथ की थापों द्वारा तथा चुनिंदा वाद्य पर साधारण विस्तरण के साथ झपताल के ठेके का प्रस्तुतिकरण।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (ताल-वाद्य) (कोड सं. 036) कक्षा-10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु/खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. पं. वि.दि. पलुस्कर तथा पं. वि.ना.	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	06
	भातखण्डे द्वारा निर्धारित ताल लिपि			
	पद्धतियाँ।			
	2. नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त विवरण।	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	03
	3. संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण।,	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	03
	4. उपर्युक्त विषय वस्तु पर आधारित	बहुविकल्प प्रश्न	04	04
	ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न।			
	5. रूपक तथा एकताल के ठेकों को	लघूत्तर प्रश्न	01	04
	दुगुन सहित लिखने की योग्यता।			योग=20
प्रायोगिक	1. गाए जाने वाली अथवा किसी रागात्मक		01	08
	वाद्य पर बजाई गई रचना की ताल			
	पहचानने की योग्यता।			
	2. हाथ की थापों द्वारा रूपक तथा एक ताल		01	6+6=12
	के ठेकों का प्रस्तुतिकरण।,			
	3. चयन किए गए वाद्य पर रूपक तथा एक		01	10+10=20
	ताल के ठेकों को बजाने की योग्यता।			
				योग=40
				कुल योग=60

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (ताल-वाद्य) (कोड सं. 036) कक्षा-10

सिद्धान्त समय-2 घंटे

20 अंक

1. पं. वी.डी. पलुस्कर तथा पं. वी.एन. भातखण्डे द्वारा निर्धारित ताललिपि पद्धतियों का ज्ञान।

2. नाट्य शास्त्र तथा संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण।

प्रायोगिक 40 अंक

- गाई गई अथवा रागात्मक वाद्य पर बजायी गई रचना में प्रयुक्त ताल पहचानने की योग्यता।
- 2. हाथ की थापों द्वारा तथा वाद्य पर साधारण विस्तरण के साथ रूपक तथा एक ताल के ठेकों को प्रस्तुत करने की योग्यता।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव प्रथम अवधि

प्रथम अवाध

हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034)

कक्षा-9

कक्षा कार्य

- मूल स्वरों की पहचान।
- 2. विभिन्न तालों में बद्ध अलंकार सिखाना (1 से 4)।
- 3. राग भूपाली का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तानों सहित द्रुत ख्याल सिखाना।
- 4. ताल कहरवा।
- 5. (i) राष्ट्र गान
 - (ii) दो लोक या जनजातीय गीत
 - (iii) एक भक्ति गीत
 - (iv) एक देशभक्ति गीत
 - (v) एक सामुदायिक गीत

गृह कार्यः कक्षा में किए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास करना तथा अगले दिन उसे पुनः प्रस्तुत करना। प्रोजेक्ट कार्यः निम्नानुसार एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना-

- (i) राष्ट्र गान
 - (ii) दो लोक या जनजातीय गीत
 - (iii) एक भक्ति गीत
 - (iv) एक देशभक्ति गीत
 - (vi) एक सामुदायिक गीत
- 2. राग भूपाली का आरोह, अवरोह, पकड़ एवं कुछ तानों सहित द्रुत ख्याल।
- ताल कहरवा लिखना।
- 4. प्रमुख गायक कलाकारों के चित्र चिपकाना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव द्वितीय अवधि

हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034)

कक्षा-9

कक्षा कार्यः

- राग यमन तथा भैरव का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तानों सिहत द्रुत ख्याल सिखाना।
- 2. तीन ताल, दादरा ताल, झपताल, हाथ की थापों द्वारा सिखाना।
- 3. (i) दो लोक गीत या जनजातीय गीत
 - (ii) तीन भक्ति गीत
 - (iii) दो देशभिक्त गीत तथा सामुदायिक गीत
- 4. विभिन्न तालों में बद्ध चार ताल बद्ध अलंकार (5 से 8)।

गृह कार्यः

कक्षा में किए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता। प्रोजेक्ट कार्य:

- राग यमन तथा भैरव का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तानों सिहत दूत ख्याल सिहत लिखना।
- 2. तीन ताल, दादरा, झपताल लिखना।
- 3. कक्षा में सिखाए गये लोक गीत या जनजातीय गीत, भिक्त गीत, देशभिक्त गीत, सामुदायिक गीत लिखना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034) कक्षा-10

कक्षा कार्यः

- अलंकारों का अभ्यास।
- 2. सिखाये जाने वाले रागों के आरोह, अवरोह, पकड़।
- 3. राग काफी तथा राग सारंग का द्रुत ख्याल साधारण विस्तरण तथा कुछ तानों सहित।
- 4. राग काफी तथा सारंग के द्रुत ख्यालों की स्वरलिपि लिखना।
- 5. छात्रों / छात्राओं को व्यक्तिगत प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा उसे अगले दिन पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता। प्रोजेक्ट कार्य:

- एक क्षेत्रीय गीत।
- 2. प्रमुख संगीतकारों तथा गायकों के चित्र चिपकाना।
- 3. तानपुरे का नामांकित चित्र बनाना।
- 4. राग काफी तथा सारंग के द्रुत ख्यालों की स्वरलिपि लिखना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (गायन) (कोड सं. 034) कक्षा-10

कक्षा कार्यः

- अलंकारों का अभ्यास
- 2. कक्षा में सिखाये जाने वाले रागों के आरोह, अवरोह तथा पकड़।
- 3. राग खमाज तथा देस राग का द्रुत ख्याल साधारण विस्तरण तथा कुछ तानों सिहत।
- 4. राग खमाज तथा देस के द्रुत ख्यालों की स्वरलिपि लिखना।
- 5. व्यक्तिगत प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन देना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा उसे अगले दिन पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता। प्रोजेक्ट कार्य :

- एक क्षेत्रीय गीत।
- 2. प्रमुख संगीतकारों तथा गायकों के चित्र चिपकाना।
- 3. तानपुरे का नामांकित चित्र बनाना।
- 4. राग खमाज तथा देस के द्रुत ख्यालों की स्वरलिपि लिखना।
- एक टैगोर गीत।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य)(कोड सं. 035) कक्षा-9

कक्षा कार्यः

- 1. दोनों हाथों के प्रयोग की मूल तकनीक तथा वाद्य की तारों व उन्हें मिलाये जाने वाले स्वरों का ज्ञान प्रदान करना।
- 2. राग भूपाली का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तोड़ों सहित द्रुत गत सिखाना।
- 3. दो धुनें व एक लोक धुन सिखाना।
- 4. जहाँ तक संभव हो टेक्निकल टर्म्स को उदाहरणों द्वारा सिखाना।
- 5. गतों तथा तालों को स्वरलिपि बद्ध करना।
- ताल कहरवा सिखाना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता।

प्रोजेक्ट कार्यः

- दो धुनें तथा एक लोक धुन लिखना।
- 2. राग भूपाली का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तानों सहित द्रुत ख्याल लिखना।
- ताल कहरवा लिखना।
- 4. प्रमुख वादक कलाकारों के चित्र चिपकाना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य)(कोड सं. 035) कक्षा-9

कक्षा कार्यः

- राग यमन तथा भैरव का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तोड़ों सिहत द्रुत गत सिखाना।
- 2. राष्ट्र गान सिखाना।
- 3. दो धुनें तथा तीन लोक धुनें सिखाना।
- 4. हाथ की थापों द्वारा तीन ताल, दादरा और झपताल सिखाना।
- व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।
- टेक्निकल टर्म्स को (जहाँ संभव हो) उदाहरणों द्वारा सिखाना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता। प्रोजेक्ट कार्यः

- दो धुनें तथा एक लोक धुन लिखना।
- 2. राग यमन तथा भैरव का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तोड़ों सहित द्रुत गत सिखाना।
- 3. तीन ताल, दादरा तथा झपताल लिखना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035) कक्षा-10

कक्षा कार्यः

- अलंकारों का अभ्यास।
- 2. सिखाये जाने वाले रागों का आरोह, अवरोह तथा पकड़।
- राग काफी तथा सारांश में द्रुत गत।
- गतों तथा अलंकारों को स्वरिलिपबद्ध करना।
- व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।
- 6. टेक्निकल टमर्स को (जहाँ संभव हो) उदाहरणों द्वारा समझाना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाट्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता। प्रोजेक्ट कार्य:

- चार ताल बद्ध अलंकार लिखना।
- 2. राग काफी व सारंग का आरोह, अवरोह, पकड़ तथा कुछ तानों सहित द्रुत गत लिखना।
- 3. विभिन्न तत् वाद्यों के चित्र चिपकाना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035) कक्क्षा-10

कक्षा कार्यः

- अलंकारों का अभ्यास।
- 2. सिखाये जाने वाले रागों का आरोह, अवरोह तथा पकड़।
- 3. राग खमाज तथा देस में द्रुत गतें।
- गतों तथा अलंकारों को स्वरिलिप में लिखना।
- व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता। प्रोजेक्ट कार्य:

- 1. चार ताल बद्ध अलंकार लिखना।
- 2. राग खमाज तथा देस का आरोह, अवरोह, पकड़ और कुछ तानों सहित द्रुत गत लिखना।
- 3. चयन किए गए वाद्य के विभिन्न अंगों का चित्र बनाकर उन्हें नामांकित करना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत ताल वाद्य (कोड सं. 036) कक्षा-9

कक्षा कार्यः

- तबला / पखावज की मूल तकनीक व मूल बोलों को बजाना सिखाना।
- 2. वाद्य मिलाने की विधि सिखाना।
- साधारण विस्तरणों के साथ कहरवा ताल का ठेका सिखाना।
- हाथ की थापों द्वारा कहरवा ताल के ठेके का प्रस्तुतिकरण।
- व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाट्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता।

प्रोजेक्ट कार्यः

- 1. विभिन्न ताल वाद्यों के चित्र चिपकाना।
- 2. तबला या पखावज के विभिन्न अंगों के चित्र बनाकर उन्हें नामांकित करना।
- 3. ताल कहरवा का ठेका लिखना।
- प्रमुख ताल वाद्य वादकों के चित्र चिपकाना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत ताल वाद्य (कोड सं. 036) कक्षा-9

कक्षा कार्यः

- साधारण विस्तरण सहित तीन ताल और दादरा ताल का ठेका।
- 2. हाथ की थापों द्वारा तीन ताल और दादरा ताल के ठेकों का प्रस्तुतिकरण।
- व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता। प्रोजेक्ट कार्यः

पूर्व प्रोजेक्ट कार्य को जारी रखते हुए निम्न कार्य करना-

1. तीन ताल तथा दादरा ताल के ठेके लिखना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव प्रथम अवधि हिन्दुस्तानी संगीत ताल वाद्य (कोड सं. 036) कक्षा-10

कक्षा कार्यः

- तबला या पखावज की मूल बोलों को बजाने की तकनीक सिखाना।
- 2. चयन किए गए वाद्य मिलाने की विधि सिखाना।
- 3. साधारण विस्तरणों के साथ तबले या पखावज पर झपताल का ठेका बजाना।
- हाथ की थापों द्वारा झपताल के ठेके का प्रस्तुतिकरण।
- व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता।

प्रोजेक्ट कार्यः

निम्नानुसार प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना-

- 1. झपताल का ठेका लिखना।
- 2. तबला या पखावज के मूल बोल।
- 3. प्रमुख ताल वाद्य वादकों के चित्र चिपकाना।
- 4. तबला या पखावज का चित्र बनाकर उसके अंगों को नामांकित करना।

प्रायोगिक क्रियाओं के लिए मार्गदर्शन हेतु सुझाव द्वितीय अवधि हिन्दुस्तानी संगीत ताल वाद्य (कोड सं. 036) कक्षा-10

कक्षा कार्यः

- तबला या पखावज की मूल बोलों को बजाने की तकनीक सिखाना।
- 2. चयन किए गए वाद्य को स्वर में मिलाना।
- 3. साधारण विस्तरणों के साथ ताल रूपक तथा एकताल के ठेकों को चयन किए गए वाद्य पर बजाना।
- हाथ की थापों द्वारा रूपक तथा एकताल के ठेकों का प्रस्तुतिकरण।
- व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना।

गृह कार्यः

कक्षा में कराए गए पाठ्यक्रम का नियमित अभ्यास तथा अगले दिन उसे पुन: प्रस्तुत करने की योग्यता।

प्रोजेक्ट कार्यः

निम्नानुसार प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना-

- रूपक तथा एकताल लिखना।
- 2. तबला या पखावज के मूल बोल।
- 3. प्रमुख ताल वाद्य वादकों के चित्र चिपकाना।
- तबला या पखावज का चित्र बनाकर उसके विभिन्न अंगों को नामांकित करना।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि

कर्नाटक संगीत (गायन) (कोड सं. 031)

कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. निम्नलिखित की परिभाषाएँ -	बहुविकल्प प्रश्न	01	5x2=10
	संगीतम्, आरोहण, अवरोहण, धातु,		(चार भाग अ, ब, स, द)
	मातु, श्रुति, स्थायी, अलंकार, उत्तरांग,			
	पूर्वांग।			
	2. निम्नलिखित रागों का संक्षिप्त ज्ञान -	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	
	(i) मोहनम् (ii) मलहरी			
	3. निम्न तालों का वर्णन - आदि, रूपक	लघूत्तर प्रश्न	01	
	4. निम्नलिखित संगीतिक रूपों का परिचय -	लघूत्तर प्रश्न	01	
	गीतम्, स्वरजाति			
	5. पुरन्दर दास की जीवनी की रूपरेखा।	लघूत्तर प्रश्न	01	
				योग=10
प्रायोगिक	1. बारह स्वर स्थानों की पहचान	01	5	
	2. एक, रूपक और त्रिपुट ताल की	02	10	
	प्रस्तुतिकरण।			
	3. पिल्लरी गीत और साधारण गीत का गायन	02	10	
	4. निम्न रागों का आरोहन और अवरोहन -	01	0.5	
	माया मालव गौल, मलहरी, मोहनम्			योग=30
				कुल योग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाट्यक्रम प्रथम अवधि कर्नाटक संगीत (गायन)(कोड सं. 031) कक्षा-9

10 अंक

1.	संत पुरन्दरदास के विशेष संदर्भ सहित कर्नाटक संगीत का संक्षिप्त इतिहास।	
2.	निम्नलिखित की परिभाषाएँ-	
	संगीतम्, आरोहण, अवरोहण, धातु, मातु, श्रुति, स्थायी, अलंकार, उत्तरांग, पूर्वांग।	
3.	निम्नलिखित राग लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन-	
	(अ) मोहनम् (ब) मलहरी	
4. गी	तम् तथा स्वरजाति के लक्षणों का संक्षिप्त ज्ञान।	
5. अ	दि ताल तथा रूपक ताल का वर्णन।	
	प्रायोगिक	30 अंक
1.	राष्ट्र गान, सामुदायिक गीत तथा एक लोक गीत।	
2.	एकताल, रूपक तथा त्रिपुट तालों की विभिन्न लयों में अलंकार गायन।	
3.	एक पिल्लरी गीत तथा एक साधारण गीत का गायन।	
4.	माया मालव गौल तथा मलहरी रागों का आरोहण-अवरोहण।	

सिद्धान्त:

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि कर्नाटक संगीत (गायन) (कोड सं. 031)

कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु∕खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. स्वर (शुद्ध, विकृत), राग, ताल,	बहुविकल्प प्रश्न	01	04
	लय (विलंबित, मध्य, द्रुत), ग्रह (सम,			
	अतीत, अनागत), वादी, सम्वादी,			
	अनुवादी, विवादी			
	2. त्यागराज के विशेष संदर्भ सहित संक्षिप्त	लघूत्तर प्रश्न	01	06
	इतिहास			
	3. मायामालवगौल, कल्याणी, बिलहरी रागों	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	06
	के संक्षिप्त रागलक्षणम्			
	4. आदि, रूपक, चापु तालों की ताल लिपि	लघूत्तर प्रश्न	01	04
	का ज्ञान।			
				योग=20
प्रायोगिक	1. सप्त ताल अलंकारों का सस्वर गायन		01	15
	2. गीतम्, स्वरजाति एवं साधारण देवरनामा		01	10
	गायन			
	3. मायामालवगौल, कल्याणी तथा बिलहरी		01	05
	का आरोहण-अवरोहण			
	4. (अ) राष्ट्र गान		01	10
	(ब) लोक गीत			
	(स) भक्ति गीत			
	(द) देशभक्ति गीत			योग=40
				कृल योग =60

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम द्वितीय अवधि कर्नाटक संगीत (गायन) (कोड सं. 031) कक्षा-9

सिद्धान्त:

- त्यागराज स्वामी के विशेष संदर्भ सिंहत कर्नाटक संगीत का संक्षिप्त इतिहास।
- निम्नलिखित की परिभाषाएँ नाद, स्वर, राग, ताल, लय, ग्रह (सम, अतीत, अनागत), वादी, सम्वादी
- 3. निम्नलिखित रागों के संक्षिप्त राग लक्षण-
 - (अ) मायामालवगौल (ब) बिलहरी (स) कल्याणी
- 4. निम्नलिखित तालों की ताललिपि-आदि, रूपक और चापु

प्रायोगिक

- सप्त ताल अलंकारों का संस्वर गायन
- 2. गीतम्, स्वरजाति एवं साधारण देवरनामा गायन
- 3. मायामालवगौल, कल्याणी तथा बिलहरी रागों के आरोहण-अवरोहण का सही स्वर, स्थान व गमक के साथ गायन।
- 4. (i) राष्ट्र गान
 - (ii) लोक गीत
 - (iii) भिक्त गीत
 - (iv) देशभक्ति गीत

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि

कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 032)

कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. निम्नलिखित की परिभाषाएँ-संगीतम्,	बहुविकल्प प्रश्न	01	5x2=10
	आरोहण, अवरोहण, धातु, मातु, स्थायी,		(अ, ब, स, द	
	नाद, अलंकार, पूर्वांग, उत्तरांग		चार भाग)	
	2. निम्नलिखित रागों का संक्षिप्त ज्ञान-	दीर्घ उत्तर प्रश्न	0 1	
	(अ) शंकराभरणम् (ब) हंसध्वनि			
	3. निम्नलिखित तालों का वर्णन-आदि,	लघूत्तर प्रश्न	01	
	रूपकम्			
	4. निम्नलिखित संगीतिक रूपों के संक्षिप्त	लघूत्तर प्रश्न	01	
	लक्षण–गीतम्, स्वरजाति			
	5. पुरन्दरदास की जीवनी की रूपरेखा	लघूत्तर प्रश्न	01	
				योग=10
प्रायोगिक	1. वाद्य बजाने की मूल तकनीक		01	0.5
	2. अलंकार बजाने की तकनीक -		02	10
	रूपक, एक तथा त्रिपुट			
	3. पिल्लरी गीत एवं साधारण गीत वादन		02	10
	4. निम्नलिखित रागों के आरोहण-अवरोहण		01	0.5
	का वादन-(1) शंकराभरणम् (2) हंसध्वनि			
				योग=30
				कुल योग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम

प्रथम अवधि

कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 032)

कक्षा-9

सिद्धान्त

- निम्नलिखित की परिभाषाएँ-संगीतम्, नाद, आरोहण, धातु, मातु, श्रुति, अंलकार, उत्तरांग, पूर्वांग, विलम्ब, मध्य, द्रुत लय
- 2. निम्नलिखित रागों का ज्ञान-
 - (1) शंकराभरणम् (2) हंसध्वनि
- निम्नलिखित तालों का वर्णन करने की योग्यता
 आदि, रुपकम्
- 4. गीतम्, स्वरजाति संगीतिक रुपों का ज्ञान।
- 5. पुरन्दरदास की संक्षिप्त जीवनी।

प्रायोगिक:

- 1. निम्नलिखित वाद्यों में से किसी एक वाद्य की मूल तकनीकों का ज्ञान-
 - (क) वीणा
 - (ख) बाँसुरी
 - (ग) वायलिन
 - (घ) मैन्डोलिन
- 2. अंलकारों का परिचय: एक, रुपक, त्रिपुट।
- 3. पिल्लरी गीत तथा साधारण गीत के लक्षण।
- 4. शंकरामरणम् तथा हंसध्वनि रागों के लक्षणें का ज्ञान।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परिक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि

कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य)(कोड सं... 032)

कक्षा-9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु ⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. स्वर (शुद्ध, विकृत), राग, ताल,	बहु विकल्प	01	06
	लय (विलम्ब, मध्य, द्रुत), ग्रह	प्रश्न		
	(सम, अतीत, अनागत) वादी,			
	सम्वादी, अनुवादी, विवादी			
	2. पुरन्दरदास तथा त्याग राज के विशेष	लघूत्तर प्रश्न	01	04
	संदर्भ सहित संक्षिप्त इतिहास			
	3. राग मायामालवगौल तथा कल्याणी	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	06
	के रागलक्षणम्			
	4. आदि, रुपकम् तथा चापु की ताललिपि	लघूत्तर प्रश्न	01	04
				योग=20
प्रायोगिक	1. सप्त ताल अंलकारों का गायन		01	10
	2. मायामालवगौल, कल्याणी तथा हंसध्वनि		01	05
	रागों का आरोहण, अवरोहण, व संक्षिप्त			
	रुपरेखा			
	3. संगीत रचनाएँ - दो गीतम्, एक स्वरजाति,		01	15
	लय की दो अवस्थाओं में आदि ताल वरणम्			
	4. (अ) राष्ट्र गान		01	10
	(ब) लोक गीत			
	(स) देशभिक्त गीत			योग 40
				कुलयोग 60

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठयकम द्वितीय अवधि

कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य)(कोड सं... 032)

कक्षा-9

सिद्धान्त

- 1. पुरन्दरदास तथा त्यागराज के विशेष संदर्भ सहित कर्नाटक संगीत का संक्षिप्त इतिहास।
- निम्नलिखित की परिभाषाएँ स्वर (शुद्ध, विकृत), राग, ताल, लय (विलम्ब, मध्य, द्रुत), ग्रह (सम, अतीत, अनागत) अन्य स्वर।
- निम्नलिखित के संक्षिप्त रागलक्षणम्
 मायामालवगौल, कल्याणी
- निम्नलिखित तालों की ताललिपि-आदि, रूपकम् और चापु

प्रायोगिक

- सप्त ताल अंलकारों का गायन।
- निम्नलिखित रागों का आरोहण, अवरोहण और संक्षिप्त रुपरेखा-मायामालवगौल, कल्याणी हंसध्विन, शंकरामरणम्
- निम्नलिखित संगीतिक रुपों का वादन (अ) दो गीतम् (ब) एक स्वरजाति (स) लय की दो अवस्थाओं में एक आदि ताल वरणम्
- (अ) राष्ट्र गान
 - (स) देशभक्ति गीत
 - (ब) लोक गीत

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परिक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि

कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)(कोड सं... 033)

कक्षा - 9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु∕खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. निम्नलिखित की परिभाषाएँ -	लघूत्तर प्रश्न	01	02
	नाद, ताल, श्रुति, आवर्तनम्, काल,			
	ग्रह, संगीतम्, लय (विलम्ब, मध्य, द्रुत)			
	2. चयन किए गए वाद्य का मूल ज्ञान।	दीर्घ उत्तर प्रश्न	01	03
	3. रुपकम् और आदि ताल का वर्णन	लघूत्तर प्रश्न	01	03
	तथा ताललिपि में लिखने की योग्यता।			
	4. उपर्युक्त विषयवस्तु पर आधारित	बहु विकल्प प्रश्न	01	02
	ऑब्जेक्टिव टाईप प्रश्न			
				योग=10
प्रायोगिक	 मृंदगम् या घटम् पर सोल्लुकेट्टू 		01	10
	प्रस्तुत करने की प्रविधिकताओं का ज्ञान			
	2. आदि तथा रूपकम् ताल वादन की योग्यता।		01	15
	3. विभिन्न तालों के लिए सोल्लुकेट्टू प्रस्तुत		01	05
	करने की योग्यता।			योग=30
				कुलयोग=40

सम्मोटिव मूल्यांकन हेतु परिक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य) (कोड सं... 033) कक्षा - 9

सिद्धान्त अंक 10

- निम्नलिखित की परिभाषाएँ ताल, लय, आवर्तन, काल, ग्रह, नाद, संगीतम्, ग्रह (सम, अतीत, अनागत)।
- 2. चयन किए गए वाद्य का मूल ज्ञान।
- 3. आदि, तथा रुपक ताल का वर्णन व उन्हें ताललिपि में लिखना।

प्रायोगिक अंक 30

- 1. मृंदगम् या घटम् के सोल्लुकेट्टू की मूल प्रविधिकताओं का ज्ञान।
- 2. आदि तथा रुपकम् तालों के वादन की योग्यता।
- 3. विभिन्न तालों के लिए सोल्लुकेट्टू प्रस्तुत करने की योग्यता।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठयकम द्वितीय अवधि

कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)(कोड सं... 033)

कक्षा - 9

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक

प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	 स्वर (शुद्ध, विकृत), स्थायी, राग 	बहु विकल्प प्रश्न	01	06
	ताल, लय, अंलकार, आरोहण,			
	अवरोहण, उत्तरांग, पूर्वांग			
	2. पुरन्दर दास तथा त्यागराज के	लघूत्तर प्रश्न	01	04
	विशेष संदर्भ सहित कर्नाटक संगीत			
	का संक्षिप्त इतिहास।			
	3. आदि, रुपकम् और चापु तालों की	दीर्घ उत्तर	01	06
	ताललिपि।			
	4. गीतम् , स्वरजाति, वरणम् के संक्षिप्त	लघूत्तर प्रश्न	01	04
	लक्षण।			योग=20
प्रायोगिक	 सप्त ताल अंलकारों का प्रस्तुतिकरण। 		01	15
	2. आदि, रूपकम् और चाप		01	10
	तालों में सोल्लुकेट्टू का प्रस्तुतिकरण।			
	3. वाद्य पर आदि, रूपकम् तालों		01	10
	का वादन (साधारण सोल्लु)			
	4. घटम् तथा कंजीरा वादन की		1	05
	साधारण प्रविधिकताओं का ज्ञान			
				योग=40
				कुल योग=60
		187		

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यकम द्वितीय अवधि

कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य) (कोड सं... 033)

कक्षा - 9

सिद्धान्त अंक 20

- पुरन्दर दास और त्यागराज के विशेष संदर्भ सिंहत कर्नाटक संगीत का संक्षिप्त इतिहास।
- निम्नलिखित की परिभाषाएँ नाद, स्वर, स्थायी, राग ताल, लय, ग्रह, अंलकार, आरोहण, अवरोहण, उत्तरांग, पूर्वांग
- निम्नलिखित तालों को तालालिपि –
 आदि, रूपकम् और चापु
- गीतम्, स्वरजाति, वरणम् के संक्षिप्त लक्षण।

प्रायोगिक अंक 40

- 1. सप्त ताल अंलकार
- 2. आदि, रुपक और, चापु तालों में सोल्लुकेट्ट्र
- 3. वाद्य पर आदि, रूपक तथा चापु तालों में साधारण सोल्लु वादन
- 4. घटम् व कंजीरा वादन की साधारण प्रविधिकताएँ।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परिक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि

कर्नाटक संगीत (गायन) (कोड सं. 031)

कक्षा - 10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
	1. राग वर्गीकरण	बहु विकल्प	01	5x2 10
	2. स्वरलिपि का मूल सिद्धान्त।	लघूत्तर प्रश्न	01	
	गीतम् व स्वरजाति की स्वरलिपि			
	3. राग शंकराभरणम् तथा आभोगी क	दीर्घ उत्तर	01	
	संक्षिप्त रागलक्षणम्			
	4. वरणम् का साधारण ज्ञान	लघूत्तर प्रश्न	01	
	5. तम्बूरे की संरचना का ज्ञान	लघूत्तर प्रश्न	01	
				योग=10
प्रायोगिक	1. साधारण कीर्तन / नामावली		01	0.5
	का गायन			
	2. कल्याणी तथा शंकराभरणम्		01	0.5
	गायन का सामान्य ज्ञान			
	3. एक जातिस्वरम् या एक		01	05
	कीर्तनम् गायन			
	4. मायामालवगौल के अतिरिक्त		01	05
	किसी अन्य राग में अंलकार			
	5. लय की दो अवस्थाओं में		01	10
	आदि ताल वरणम्			,
				योग=30
				कुल योग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम

प्रथम अवधि

कर्नाटक संगीत (गायन) (कोड सं. 031)

कक्षा - 10

सिद्धान्त अंक 10

- राग वर्गीकरण का संक्षिप्त ज्ञान।
- 2. स्वरिलिप पद्धति का मूल ज्ञान। गीतम् / स्वरजाति की स्वरिलिप।
- 3. शंकराभरणम्-तथा आभोगी के राग लक्षणों का संक्षिप्त ज्ञान।
- 4. वरणम् के विषय में सामान्य ज्ञान।
- 5. तम्बूरे की सरंचना का ज्ञान।

प्रायोगिक 30 अंक

- 1. नामावली या दिव्यनाम संकीर्तनम् की सरल कृतियाँ।
- 2. राग कल्याणी या शंकराभरणम्- का सामान्य ज्ञान।
- 3. मायामालवगौल के अतिरिक्त अन्य किन्ही रागों में अंलकार गायन।
- 4. एक जातिस्वरम्-और एक कृति गायन
- 5. लय की दो अवस्थाओं में एक आदि ताल वर्णम्।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि कर्नाटक संगीत (गायन) (कोड सं. 031) कक्षा - 10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक

प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	 बहत्तर मेलकर्त्ता पद्धित का संक्षिप्त ज्ञान 	दीर्घ उत्तर	01	4x5=20
	2. स्वरलिपि पद्धति के मूल सिद्धान्त,	दीर्घ उत्तर	01	
	वर्णम् की स्वरलिपि।			
	3. राग हंसध्वनि, काम्भोजी तथा	दीर्घ उत्तर	01	
	हिंदोलम् के संक्षिप्त रागलक्षण।			
	4. जातिस्वरम् तथा कृति	दीर्घ उत्तर	01	
	के संक्षिप्त लक्षण।			
				योग=20
प्रायोगिक	1. भजन या स्तुति गान		01	05
	2. काम्भोजी, हिंदोलम् या आभोगी का		01	10
	साधारण ज्ञान			
	3. मायामालवगौल के अतिरिक्त किसी अन्य		01	0.5
	राग में अंलकार गायन।			
	4. दो कृतियों का प्रस्तुतिकरण		01	10
	5. लय की दो अवस्थाओं में एक आदि		01	10
	ताल वर्णम्			
				योग=40
				कुलयोग=60
		L	l	

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठयक्रम द्वितीय अवधि कर्नाटक संगीत (गायन) (कोड सं. 031) कक्षा - 10

सिद्धान्त अंक 10

- बहत्तर मेलकर्त्ता पद्धति का संक्षिप्त ज्ञान
- 2. कर्नाटक संगीत की स्वरिलिप पद्धित का विस्तृत ज्ञान, एक वर्णम् की स्वरिलिप।
- 3. निम्नलिखित रागों के रागलक्षण हंसध्वनि, काम्भोजी, हिंदोलम्
- 4. जातिस्वरम् तथा कृति का साधारण ज्ञान।

प्रायोगिक 30 अंक

- 1. सामुदायिक भजन गायन या नामावलियाँ गायन
- 2. राग काम्भोजी, हिंदोलम् या आभोगी का ज्ञान
- 3. मायामालवगौल के अतिरिक्त किसी अन्य राग में अंलकार गायन।
- 4. पाठयक्रम में निर्धारित रागों में किन्ही दो कृतियों का प्रस्तुतिकरण।
- 5. लय की दो अवस्थाओं मे एक आदि ताल वर्णम् का गायन।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्ष का प्रारूप

प्रथम अवधि

कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 032)

कक्षा - 10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक

प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु∕खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. राग वर्गीकरण का सामान्य ज्ञान।	लघूत्तर	01	5x2=10
	2. मोहनम् तथा काम्भोजी के संक्षिप्त राग	लघूत्तर	01	
	लक्षण			
	3. चयन किए गए वाद्य की संरचना तथा	दीर्घउत्तर	01	
	उसे स्वर में मिलाने की विधि का ज्ञान			
	4. स्वरलिपि पद्धति के मूल सिद्धान्त, सरल	लघूत्तर	01	
	वर्णम् की स्वरलिपि।			
	5. उपर्युक्त विषयवस्तु पर आधारित	लघूत्तर	01	
	बहु-विकलपीय प्रश्न			योग=10
प्रायोगिक	 सरल कीर्तनम् / जातिस्वरम् का प्रस्तुिकरण 		01	10
	2. लय की दो अवस्थाओं मे एक आदि ताल		01	05
	वर्णम् का वादन।			
	3. राग मोहनम् और काम्भोजी का क्रियात्मक		01	05
	ज्ञान ज्ञान			
	4. चयन किए गए वाद्य को स्वर में मिलाने		01	05
	का ज्ञान			
	5. मायामालवगौल के अतिरिक्त अन्य किसी		01	05
	एक राग में अंलकार			-
				योग=30 कुलयोग=40
				ઝુલવાग−40

सम्मोटिव मूल्यांकन हेतु पाठयकम

प्रथम अवधि

कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 032)

कक्षा - 10

सिद्धान्त अंक 10

- 1. राग वर्गीकरण का सामान्य ज्ञान।
- 2. मोहनम् और काम्भोजी के रागलक्षण।
- 3. स्वरिलिप के मूल सिद्धान्त, आदि ताल वर्णम् की स्वरिलिप।
- 4. चयन किए गए वाद्य की संरचना और उसे स्वर में मिलाने का मूल ज्ञान।
- 5. कृति तथा जातिस्वरम् का सामान्य ज्ञान।

प्रायोगिक अंक 30

- लय की दो अवस्थाओं मे आदि ताल वर्णम् प्रस्तुत करना।
- 2. राग मोहनम् और काम्भोजी का क्रियात्मक ज्ञान।
- 3. चयन किए गए वाद्य को स्वर में मिलाने की योग्यता।
- 4. मायामालवगौल के अतिरिक्त किसी अन्य राग में अंलकार।
- 5. सरल कीर्तनम् और जातिस्वरम् का प्रस्तुतिकरण।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि

कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 032) कक्षा - 10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु/खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	 संगीत के कृति एवं कीर्तनम् रूपों के संक्षिप्त लक्षण 		01	4
	2. आदि तथा रूपक तालों में सरल कृति		01	4
	की स्वर-लिपि लिखने का ज्ञान।			
	3. निम्नलिखित रागों का संक्षिप्त ज्ञान।		01	4
	(अ) आभोगी			
	(ब) नट हिंदोलम्			
	4. विषयवस्तु । से 3 पर आधारित	बहु विकल्प	01	4
	ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न	(अ,ब,स,द)		
	5. बहत्तर मेलकर्त्ता पद्धति की रुपरेखा		01	4
				योग=20
प्रायोगिक	 कृति तथा कीर्तन संगीतिक रुपों 		01	05
	को बजाने की योग्यता			
	2. चयन किए गए वाद्य को मिलाने		01	0.5
	की विधि का ज्ञान।			
	3. राग आभोगी, नट, हिंदोलम् बजाने		01	10
	की योग्यता			
	4. छात्र की इच्छानुसार एकल प्रदर्शन		01	20
				योग=20
				कुलयोग=60

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम द्वितीय अवधि कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य)(कोड सं. 032) कक्षा - 10

 सिद्धान्त

 1.
 संगीत के कृति एवं कीर्तन रुपों के लक्षणों का संक्षिप्त ज्ञान।

 2.
 आदि तथा रूपक तालों में सरल कृति की स्वरिलिप लिखने का सिद्धान्त।

 3.
 आभोगी, नट, हिंदोलम् रागों का क्रियात्मक ज्ञान।

 प्रायोगिक

 1.
 कृति एवं कीर्तन संगीत रुपों के संक्षिप्त ज्ञान।

 2.
 चयन किए गए वाद्य को मिलाने की विधि का ज्ञान।

आभोगी, नट, हिंदोलम् रागों को बजाने की क्रियात्मक योग्यता।

छात्र की इच्छानुसार एकल प्रदर्शन।

3.

4.

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप प्रथम अवधि कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)(कोड सं. 033) कक्षा - 10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 10 अंक

प्रायोगिक - 30 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. मृदंगम् की संरचना तथा मिलाने	दीर्घ उत्तर	01	03
	की विधि का ज्ञान।			
	2. सप्त ताल अलंकार का ज्ञान	लघूत्तर	01	03
	3. अंग, षड्यंग, कोरवई, कोरुप का ज्ञान	लघूत्तर	01	02
	4. उपर्युक्त विषय वस्तु पर आधारित	लघूत्तर	01	02
	बहु-विकल्पीय प्रश्न			
				योग=10
प्रायोगिक	1. मृंदगम् मिलाने की विधि (ट्यूनिंग) का		01	05
	ज्ञान।			
	2. आदि एव रुपक तालों में सोल्लुकेट्टू वादन		01	10
	3. वर्णम्, कृति तथा कीर्तनम् के साथ संगत		01	10
	करने की योग्यता			
	4. सरल मोहरा तथा कोरवई की रचना करने		01	05
	की योग्यता			
				योग=30
				कुलयोग=40

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम प्रथम अवधि कर्नाटक संगीत (ताल-वाद्य)(कोड सं. 033) कक्षा - 10

सिद्धान्त 10 अंक

- 1. चयन किए गए वाद्य की संरचना एवं उसके अंगों का ज्ञान।
- 2. मृदंगम् वादन की प्रविधिकताओं की रूपरेखा का ज्ञान।
- 3. सप्तताल अंलकार का संक्षित ज्ञान।
- 4. ताल-अंग-षड्अंग, कोरवई और कोरूपु का सिद्धान्त।
- 5. जाति तथा गति-भेदों का मूल ज्ञान।

प्रायोगिक 30 अंक

- मृंदगम् को स्वर में मिलाने की विधा का क्रियात्मक ज्ञान।
- 2. आदि तथा रूपक तालों में सोल्लुकेट्टू व तथा कवरम् की रचना करने की योग्यता।
- 3. वर्णम्, कृति व जातिस्वरम् के साथ संगत करने की योग्यता।
- 4. आदि व रूपक तालों में मोहरा तथा कोरूवई तैयार करने का क्रियात्मक ज्ञान।

सम्मेटिव मूल्यांकन हेतु परीक्षा का प्रारूप द्वितीय अवधि

कर्नाटक संगीत (ताल-वाद्य)

(कोड सं. - 033)

कक्षा - 10

प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया जाएगा-

समय-2 घंटे

सिद्धान्त - 20 अंक प्रायोगिक - 40 अंक

खण्ड	विषय वस्तु⁄खण्ड विवरण	प्रश्नों के प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
सिद्धान्त	1. कर्नाटक, संगीत स्वरलिपि पद्धति	दीर्घ उत्तर	01	05
	के सिद्धान्त			
	2. मृदंगम् वादन की विभिन्न शैलियों	दीर्घ उत्तर	01	03
	(घरानों) का ज्ञान			
	3. किसी भी प्रसिद्ध मृदंगम् वादक की	दीर्घ उत्तर	01	0.5
	जीवनी			
	4. प्रदर्शन के सिद्धान्तों का संक्षित ज्ञान।	लघूत्तर	01	03
	5. उपर्युक्त विषय वस्तु पर आधार	बहु विकल्प		04
	बहुविकल्पीय प्रश्न			
				योग=20
प्रोयागिक	1. मिश्र चापु तथा खांटा चापु के लिए		01	10
	सोल्लुकेट्टू तैयारकरना तथा बजाना।			
	2. पदम् तथा तिल्लाना के साथ संगत करने		01	10
	की योग्यता।			
	3. सरल तालों में मृदंगम् पर चार आवर्तन			
	बजाने की योग्यता।		01	10
	4. मोहरा तथा कोरवई तैयार करने की योग्यता।		01	10
				योग=40
				कुल 60योग

सम्मेटिव मूल्याकंन हेतु पाठ्यक्रम द्वितीय अवधि कर्नाटक संगीत (ताल वाद्य)(कोड सं. - 033) कक्षा - 10

सिद्धान्त 20 अंक

सिद्धान्त

- कर्नाटक संगीत स्वरिलिप पद्धित के सिद्धान्त।
- 2. मृदंगम् वादन के विभिन्न शैलियों (घरानों) का ज्ञान।
- निम्नलिखित में से किसी एक की संक्षित जीवनी –
 (अ) पालनी सुब्रहमण्यम् पिल्लवी (ब) पालघाट मणिलायर
- क्रियात्मक प्रदर्शन के सिद्धान्त की रूपरेखा।

प्रायोगिक : 40 अंक

- 1. चापु ताल के लिए सोल्लुकेट्टू तैयार करने की योग्यता।
- 2. पदम् तथा तिल्लाना के साथ संगत करने की क्रियात्मक योग्यता।
- 3. सरल तालों में तनी आवर्तनम् बजाने का क्रियात्मक ज्ञान।
- 4. चापु तथा त्रिपुट तालों में मोहरा तथा कोरुवई तैयार करने की योग्यता।

फॉरमेटिव मूल्यांकन (एफ. ए.) एवं सम्मेटिव मूल्यांकन (एस. ए.) हेतु भार विभाजन निम्न प्रकार से होगा। कर्नाटक संगीत कक्षा - 9 वीं तथा 10 वीं के लिए I एवं IIअविध हेतु अप्रैल - मार्च

अवधि	मूल्यांकन का प्रकार	शैक्षणिक सत्र में दोनों अवधियों हेतु भार विभाजन का प्रतिशत	अवधि अनुसार भार विभाजन	योग
प्रथम अवधि	सम्मेटिव - 1			
अप्रैल- सितम्बर	सिद्धान्त परीक्षा	10%	10	
			+	40%
	प्रायोगिक	30%	<u>30</u> 40	
द्वितीय अवधि	सम्मेटिव - 2			
अक्तूबर-मार्च	सिद्धान्त परीक्षा	20%	20	60%
			+	
	प्रायोगिक	40%	60	

सिद्धान्त प्रश्नपत्र	10 + 20 = 30%
प्रायोगिक	30 + 40 = 70%
योग	100%

(ख) चित्रकला (कोड संख्या : 049)

कक्षा - 9

रचनात्मक मूल्यांकन एवं योगात्मक मूल्यांकन के लिए अंक विभाजन इस प्रकार होगा:

सत्र-मूल्यांकन	मूल्यांकन का	दोनों सत्रों का	सत्रानुसार	योग
	प्रकार	प्रतिशत मूल्यांकन		
प्रथम अवधि	रचनात्मक	10%	रचनात्मक	मूल्यांकन
	मूल्यांकन एक	मूल्यांकन		एक+दो = 20%
अप्रैल सितम्बर	रचानात्मक	10%		
2012	मल्यांकन – दो	मूल्यांकन		
	संयुक्त एवं	30%	संयुक्त एवं	
	विलेषणात्मक	मूल्यांकन	विशलेष्सणात्मक	30+20 = 50
	मूल्यांकन – एक		मल्यांकन एक 30%	
दूसरी अवधि	रचानात्मक	10%	संयुक्त एवं	30+20 = 50%
अक्टूबर मार्च	मूल्यांकन – तीन	मूल्यांकन	विशलेषणत्मक	
2012	रचनात्मक	10%	मूल्यांकन	
	मूल्यांकन-चार	मूल्यांकन	दो - 30%	
	संयुक्त एवं	30%		
	विश्लेषणत्मक	मूल्यांकन		
	मूल्यांकन – दो			

रचनात्मक मूल्यांकन \rightarrow I 10 +II 10 + III 10 + IV 10 = 40 अंक संयुक्त एवं विशलेषणात्मक मूल्यांकन \rightarrow I 30 + II 30 = 60 अंक

पाठ्यक्रम योगात्मक मूल्यांकन (एस.ए.)

प्रथम अवधि

चित्रकला (कोड: 049): कक्षा - 9

(यह लिखित परीक्षा प्रश्न-पत्र नहीं है)

परियोजना कार्य

जिन्दगी और प्रकृति, दिन-प्रतिदिन रंगो की बनावटी संरचना अंक योजना

45	अंक
(अ) राजा नाज्यन का ज्यवहार	91-17
(ख) रंग के माध्यम का व्यवहार	अंक
(क) बनावटी सजावट 40	अंक

पाठ्यक्रम योगात्मक मूल्यांकन (एस.ए.)

प्रथम अवधि

चित्रकला (कोड: 049): कक्षा - 9

लिखित (थ्योरी) परीक्षा (पेपर) प्रश्न-पत्र नहीं।

समय - 3 घंटे अंक - 60

वस्तु चित्रण

निश्चित दृष्टि बिन्दु से रंगो में दो या तीन वस्तुओं के समूह का अध्ययन करना। (इस समूह में सब्जियां, बेल बूटे और प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली वस्तुएं शामिल हो सकती है)

परियोजना कार्य

पेन्सिल और स्याही में जीवन तथा प्रकृति से द्रुत रेखा चित्र (स्केचेज) तैयार करना। अंक योजना

	कुल अंक	60	अंक
(刊)	मौलिकता एवं कुल प्रभाव	10	अंक
(碅)	रंग के माध्यम का व्यवहार	10	अंक
(क)	चित्र (रचना)	40	अक

पाठ्यक्रम योगात्मक मूल्यांकन (एस.ए.)

प्रथम अवधि

चित्रकला (कोड: 049): कक्षा - 10

लिखित (थ्योरी) परीक्षा प्रश्न -पत्र (पेपर) प्रश्न-पत्र नहीं।

समय - 3 घंटे अंक - 60

परियोजना कार्य

स्मृति से चित्रण

जीवन पर आधारित दिए गए विषयों पर (पानी/पोस्टर/पेस्टल) रंगो में सयाधारण चित्र संयोजन तैयार करना। अंक योजना

	कुल अंक	60	अंक
(刊)	मौलिकता एवं संपूर्ण प्रभाव	10	अंक
(碅)	रंग के माध्यम का व्यवहार	10	अंक
(क)	बनावटा सजावट	40	अक

संयक्त मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम

द्वितीय सत्र

चित्रकला (कोड: 049): कक्षा - 10

(यह लिखित परीक्षा प्रश्न -पत्र प्रश्न-पत्र नहीं है)

समय - 3 घंटे अंक - 60

चित्रकला रचना

स्मृति से चित्रण

(जीवन पर आधारित दिए गए विषयों पर (पानी/पोस्टर/पेस्टल) रंगो में साधारण चित्र संयोजन तैयार करना।)

परियोजना कार्य

जीवन और प्रकृति पर आधारित दिन-प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं (पानी/पोस्टर/पेस्टल) सजाना। अंक योजना

	कुल अंक	60	अंक
(刊)	मौलिकता एवं संपूर्ण प्रभाव	10	अंक
(碅)	रंग के माध्यम का व्यवहार	10	अंक
(क)	विषय पर आधारित चित्ररचना	40	अंक

चित्रकला में रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन हेतू दिशा निर्देश

(कोड : 049)

कक्षा - 9 एवं 10

अप्रैल से मार्च

समय - 3 घंटे अंक - 60

(क) संयुक्त एवं विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

चित्रकला रचना

इस समूह में लाइफ एवं प्रकृति मानव रचना, पक्षी, जानवर, नदी, पहाड़ और रोजमर्रा के जीवन के दृश्य शामिल हो सकते है।

- (ख) रचनात्मक मूल्यांकन
 - (1) परियोजना कार्य

जीवन और प्रकृति पर आधारित दिन-प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं (पानी/पोस्टर/पेस्टल) को सजाना।

- (क) विषय पर आधारित चित्ररचना
- (ख) रंग के माधयम का व्यवहार
- (ग) मौलिकता एवं संपूर्ण प्रभाव
- (2) गृह कार्य
- (3) कक्षाकार्य

पाठ्यक्रम विवरण योगात्मक मूल्यांकन हेतू द्वितीय-सत्र अवधि

चित्रकला (कोड : 049) : कक्षा - 9 (यह लिखित परीक्षा प्रश्न -पत्र नहीं है)

समय - 3 घंटे अंक - 60

परियोजना कार्य

(जीवन और प्रकृति पर आधारित दिन-प्रतिदिन के दिए गए विषयों पर (पानी/पोस्टर/पेस्टल) रंगो में साधारण चित्र संयोजन तैयार करना)

अंक योजना

	कुल अंक	60	अंक
(刊)	मौलिकता एवं कुल मिलाकर (संपूर्ण) प्रभाव	10	अंक
(碅)	रंग के माध्यम का व्यवहार या रंग का प्रयोग	10	अंक
(क)	बनावटी सजावट या विषय पर आधारित चित्र रचना	40	अंक

पाठ्यक्रम योगात्मक मूल्यांकन हेतू द्वितीय-सत्र (अवधि)

चित्रकला (कोड: 049): कक्षा - 9 (यह लिखित परीक्षा प्रश्न -पत्र नहीं है)

समय - 3 घंटे अंक - 60

चित्रकला रचना

जीवन और प्रकृति पर आधारित जैसे- पक्षी, जावनर, निदयां, पर्वत और दिन प्रतिदिन के दिए गए विषयों पर अध्ययन। परियोजना कार्य

जीवन और प्रकृति पर आधारित दिन-प्रतिदिन के दिए गए विषयों पर (पानी/पोस्टर/पेस्टल) रंगो में साधारण चित्र संयोजन तैयार करना

अंक परियोजना

•	परियोजना					
	(क)	बनावटी सजावट एवं विषय ज्ञान	40	अंक		
	(ख)	रंग के माध्यम का व्यवहार	10	अंक		
	(刊)	मौलिकता एवं संपूर्ण प्रभाव	10	अंक		
		कुल अंक	60	अंक		

पाठ्यक्रम योगात्मक मूल्यांकन हेतू प्रथम-सत्र (अवधि)

चित्रकला (कोड : 049) : कक्षा - 10 (यह लिखित परीक्षा प्रश्न -पत्र नहीं है)

समय - 3 घंटे अंक - 60

चित्रकला रचना

याददाश्त से चित्रकला

दिए गए विषयों पर आधारित जीवन और प्रकृति से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन दिन चर्या से साधारण सरंचना। **परियोजना कार्य**

जीवन और प्रकृति पर आधारित दिन-प्रतिदिन के दिए गए विषयों पर (पानी/पोस्टर/पेस्टल) रंगो में साधारण चित्र तैयार करना

अंक योजना

	कुल अंक	60	अंक
(刊)	मौलिकता एवं संपूर्ण प्रभाव	10	अंक
(碅)	रंग के माध्यम का व्यवहार	10	अंक
(क)	बनावटी सजावट एवं विषय ज्ञान	40	अंक

पाठ्यक्रम विवरण योगात्मक मूल्यांकन हेतू द्वितीय-सत्र (अवधि)

चित्रकला (कोड : 049) : कक्षा - 10 (यह लिखित परीक्षा प्रश्न -पत्र नहीं है)

समय - 3 घंटे अंक - 60

परियोजना कार्य

जीवन और प्रकृति पर आधारित दिन-प्रतिदिन के दिए गए विषयों पर (पानी/पोस्टर/पेस्टल) रंगो में चित्र रचना

अंक परियोजना

	कल अंक	60	अंक
(刊)	मौलिकता एवं संपूर्ण प्रभाव	10	अंक
(碅)	रंग के माधयम का व्यवहार या रंग का प्रयोग	10	अंक
(क)	बनावटी संजावट या विषय पर आधारित चित्र रचना	40	अक

(लिखित परीक्षा प्रश्न-पत्र न होने से 30% वेटेज फाइनल से लिया जायेगा)

(ग) वाणिज्य

निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र को लिया जा सकता है

- I. व्यवसाय के तत्व
- II. बही खाता एवं लेखा शास्त्र के तत्व
- III. टंकणकला-अंग्रज़ी अथवा हिंदी

1. व्यापार के तत्व (कोड सं. 154)

उद्देश्य : इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं का प्रारंभिक ज्ञान उपलब्ध कराना है

 सतत् एंव व्यापक मूल्यांकन निर्देशों के अनुसार कक्षा IX व कक्षा X के लिए व्यवसाय के तत्व पाठ्यक्रम को दो अविध यों में विभाजित किया गया है।

- 2. प्रत्येक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट इकाइयों को रचनात्मक एवं योगात्मक दोनो मूल्यांकनों द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा।
- 3. प्रत्येक अवधि में दो रचनात्मक मूल्यांकन होंगे जिनकी 10% भारिता होंगी।
- 4. प्रथम अवधि के योगात्मक मूल्यांकन की भारिता 20% तथा दूसरी अवधि के योगात्मक मूल्यांकन की भारिता 40% होंगी।
- 5. शैक्षणिक सत्र के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा परीक्षा, नियत कार्य एवं प्रोजेक्ट के रुप में होंगी।

अवधि-I	कार्य	अंव	क पीरि	रेयड
L प्रस्तावना संबंधी :	व्यवसाय का अर्थ, कार्य और क्षेत्र		10	12
II. व्यावसायिक संगठन के प्रव	कार: एकल व्यवसायी, साझेदारी फर्म तथा संयुक्त पूंजी	कंपनी	30	30
III. वितरण के माध्यम :	थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के प्रकार और	कार्य	40	44
	कुल अंक		80	
अवधि-II	कार्य	अंक		पीरियड
IV. व्यावसायिक लेन-देन की क्रिया-विधि:	माल का क्रय एवं विक्रय, उपभोक्ताओं तक पहुंचने की विधियाँ, पूछताछ तथा भाव, मूल्यसूची, निविदाएं, अनुमान एवं प्रस्ताव, विक्रय की साधारण शर्तें, गुणवत्ता, मूल्य, पैकिंग, वस्तु सौंपना, स्वामित्व का अन्तरण और भुगतान, बीजक की तैयारी, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट।	20		54
V. व्यावसायिक एजेंटः	एजेंट के प्रकार और उनके कार्य, कमीशन एजेंट, आढ़ितया एवं दलाल, परिशोध (डेल-क्रेडर) एजेंट, क्रय पत्र एवं विक्रय पत्र, विक्रय विवरण की तैयारी।	20		44
VI. भंडारण एवं भंडार-संभालना	: अर्थ, प्रयोजन, कार्य एवं प्रकार	15		42

VII. माल का परिवहन :	रेल, सड़क, समुद्र और वायु यातायात,	15	32
	तुलनात्मक गुण		
VIII. बीमा :	बीमे के सामान्य सिद्धांत : प्रारंभिक जानकारी	10	12
	कुल अंक	80	

कक्षा-10

अवधि-I		अंक	पीरियड
I. कार्यालय का नियमित	स्थापित व्यवसाय के विभिन्न विभाग, आने वाली और	40	54
कार्यक्रम	बाहर जाने वाली डाक का व्यवहार, फाइल कार्य		
	और सूची बनाने की विधियां, प्रतिलिपि और अनुलिपि		
	तैयार करने की विधियां।		
II. व्यावसायिक पत्राचार	एक अच्छे व्यावसायिक पत्र की अनिवार्यताएं	40	54
	एवं प्रकार, पूछताछ करने, भाव प्राप्त करने, आदेश		
	(आर्डर) देने, हवाला देने, सलाह एवं शिकायत संबंधी		
	साधारण व्यावसायिक पत्र लिखना।		
	कुल अंक	80	
अवधि-II		अंक	पीरियड
III. निधि के उत्थापन के स्त्रोत	दीर्घाविधि एव लघु अवधि	30	54
	शेयर बाजार के कार्य		
IV बैंक	बैंक के कार्य, खातों के प्रकार व उनका संचालन, बैंक	30	54
	ड्राफ्ट, एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डाकघर,		
	बचत बैंक		
IV. विनिमय साध्य-पत्रक	विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, चैक	20	54
	प्रकार, संबंधित पक्ष, विनिमय-साध्यता, बेचान,		
	अस्वीकृत होना।		
	कुल अंक	80	

अथवा

2. पुस्त पालन (बुक कीपिंगं) और लेखा शास्त्र के तत्व (कोड सं. 254)

कक्षा-9

एक प्रश्न पत्र	3 घंटे		
उद्देश्य :	इस प्रश्नपत्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मौलिक		
	सिद्धांतों को समझने में सक्षम बनाना और दिए गए		
	आंकड़ों से साधारण लेखा बहियां और रिकार्ड तैयार		
	करने और रखने की योग्यता का विकास करना है।		
अवधि-I		अंक	पीरियड
I. प्रस्तावना	पुस्त पालन (बुक-कोपिंग) की आवश्यकता,	25	38
	पुस्तपालन के उद्देश्य व लाभ।		
II. आधारभूत अवधारणाएं	लेन-देन का द्विपक्षीय पहलू और लेखा समीकरण,	25	38
	लेखा समीकरण पर लेन-देन का प्रभाव, व्यापार		
	अस्तित्व की अवधारणा।		
III. खातों का स्वरूप और	खातों का वर्गीकरण, डेबिट और क्रेडिट के नियम	30	38
डेबिट-क्रेडिट के नियम	प्रमाणक व उसके सहायक प्रलेखों की तैयारी।		
	कुल अंक	80	
अवधि-II		अंक	पीरियड
IV. रोजनामचा	रोजनामचे की आवश्यकता, रोजनामचा प्रविष्टियां,	20	38
	सहायक बहियां।		
V. खाता बही	परिभाषा एवं महत्व, रोजनामचा और खाताबही में	20	38
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	संबंध, खतौनी का अर्थ, लेन-देनों की खतौनी के लिए		
	संबंध, खतौनी का अर्थ, लेन-देनों की खतौनी के लिए मार्गदर्शी नियम, खातों का शेष निकालना।		
VI. नकद लेनदेन का		20	40
VI. नकद लेनदेन का लेखा व खतौनी	मार्गदर्शी नियम, खातों का शेष निकालना।	20	40
	मार्गदर्शी नियम, खातों का शेष निकालना। रोकड़ बही की आवश्यकता, रोकड़-बही के प्रकार	20	40

कक्षा-10

अवधि-I	3 घंटे	अंक	पीरियड
I. अंतिम खाते	साधारण समायोजनों के साथ एकल व्यापारी का व्यापार	40	54
	खाता, लाभ-हानि खाता व स्थिति विवरण तैयार करना।		
Ⅱ. बैंक समाधान विवरण	उपयोगिता और तैयार करना।	40	54
	(बैंक कॉलम तथा कटौती सहित रोकड़ बही तैयार करना	1)	
	कुल अंक	80	
अवधि-II	3 घंटे	अंक	पीरियड
III. विनिमय पत्र	विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र की प्रकृति और उपयोग,	30	54
	विनिमय पत्र को बटे पर भुनाना, अविध से पूर्व भुगतान		
	करना, अस्वीकृत होना और नवीनीकरण संबंधी लेन देन		
	का लेखा करना।		
IV. अशुद्धियों एवं शोधन	अशुद्धियों के प्रकार व उनके शोधन की प्रविष्टियां।	30	54
V. मूल्यह्मस	उद्देश्य एवं विधियां स्थायी किश्त विधि एवं क्रमागत	20	54
	ह्मस विधि		
	कुल अंक	80	

3. टंकण (अंग्रेजी व हिन्दी) कोड सं. (354)

तीव्र औद्योगीकरण और संचार के शीघ्रगामी साधनों के कारण श्रम-बचत साधनों का उपयोग बढ़ रहा है। टंकण एक अत्यधिक सामान्य श्रम-बचत उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला साधन है जिसे दूरस्थ नगरों में भी प्रयोग में लाया जाता है। विकासशील देशों में जहां पर श्रम बचत की अन्य अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं इसकी संगता और बढ़ जाती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 'टंकण अंग्रेजी या हिन्दी' के विषय को माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त (वैकल्पिक) विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस कदम से अध्ययन की योजना कार्योन्मुखी और आवश्यकता आधारित बन गई है।

उद्देश्य :

टंकण सीखने वालों को टंकक की रचनातंत्र को समझने में सहायता करना।

टंकण सीखने वालों के टंकण के तरीकों को समझने में सहायता करना।

प्रफ-सुधार में प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्हों को जानने हेतु सीखने वाले की सहायता करना।

विषय के उचित प्रदर्शन के लिए मार्जिन, सैटिंग करना, कागज को मध्य में रखना और तालिका बनाने जैसे कार्यों से योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

तीव्रता और शुद्धता के साथ टंकण करने और स्टेन्सिल काटने का ज्ञान प्राप्त करने हेतु सीखने वाले की सहायता करना।

- सतत एंव व्यापक मूल्यांकन निर्देशों के अनुसार टंकणकला अंग्रेजी/ हिंदी के कक्षा IX व कक्षा X के पाठ्यक्रम को दो अविधयों में विभाजित किया गया है।
- 2. प्रत्येक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट इकाइयों को रचनात्मक एवं योगात्मक दोनों मूल्यांकनों द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा।
- प्रत्येक अविध में दो रचनात्मक मूल्यांकन होंगें, जिनमें प्रत्येक की भारिता 10% होंगी।
- प्रथम अविध में दो योगात्मक मूल्यांकन की भारिता 20% तथा दूसरी अविध के योगात्मक मूल्यांकन की भारिता 40% होंगी।
- 5. योगात्मक मूल्यांकन I व II दोनों में एक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 20 अंक जिसकी अवधि 2 घंटे होंगी प्रायोगात्मक प्रश्नपत्र होगा जिसकी अवधि 1 घंटे होंगी।
- 6. प्रथम अवधि के रचनात्मक मूल्यांकन I व II तथा द्वितीय अवधि के रचनात्मक मूल्यांकन III एवं IV के अंतर्गत नियत कार्य, प्रेक्षण, मौखिक परीक्षा सिम्मिलित होगी।

एक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र	2 घंटे	अंक 20 68 पीर्र	रेयड
अवधि-I		अंक	
कुंजी पटल (की बोर्ड) का ज्ञान		10	
टंकण की विधियां और सिद्धांत		10	
कुल अंक		20	

अवधि-II	अंक
टंकण की स्पर्श पद्धति	5
टंकक के रचनातंत्र व इसके विभिन्न पुर्जों की जानकारी	10
टंकक का अनुरक्षण	5
कुल अंक	20

कक्षा IX


	कक्षा 1X	
अवधि-I		अंक
सैद्धान्तिक परीक्षाः	एक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र	20 अंक : 2 घंटे अवधि
प्रयोगात्मक परीक्षा: की संचालन-शब्द	1 प्रश्न	20 अंक
कुजी पटक की बोर्ड संचालन-वाक्य	1 प्रश्न	40
कुल अंक		60
अवधि-II		अंक
प्रयोगात्मक परीक्षा		
परिशुद्धता परीक्षा - 100 शब्दों का एक परिच्छेद	1 प्रश्न	20
गति परीक्षा - 200 शब्दों का एक परिच्छेद	1प्रश्न	40
10 शब्द प्रति मिनट		
कुल अंक		60

कक्षा-10

अवधि-I	अंक
टंकण मशीन के महत्वपूर्ण पुर्जों के कार्य	20
पत्रों और तालिका के प्रस्तुतीकरण में मार्जिग सैट करने, कागज को मध्य में रखने,	
शीर्ष और उपशीर्ष आदि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान।	20
कुल अंक	40

अवधि-II		अंक
स्टेन्सिल काटने और प्ल्यूड को र	नहीं ढंग से प्रयोग में लाने के बारे में	15
प्रूफ में गलतियां ठीक करने के ी	चेन्ह	15
मानक संकेताक्षर		15
गति बढ़ाने संबंधी अभ्यास।		15
कुल अंक		60
अवधि-I		
सैद्धांतिक परीक्षा :	एक सैद्धांतिक पत्र	20
प्रयोगात्मक परीक्षाः	2 घंटे अवधि	
परिशुद्धता परीक्षा: 200 शब्दों के	परिच्छेद को 20 मिनट में टाइप किया जाए।	20
150 शब्दों के पत्र को 40 मिनट में टाइप किया जाए		40
कुल अंक		80
अवधि-II		
एक सैद्धांतिक परीक्षा :	अवधि 2 घंटे	20 अंक
प्रयोगात्मक परीक्षा		
1. स्टेंसिल काटना	1 प्रश्न	10
2. प्रूफ में गलतियां सुधासा	1 प्रश्न	10
3. मानक संकेताक्षर	1 प्रश्न	10
4. गति परिच्छेद	1 प्रश्न	30

कुल अंक



(घ) गृह विज्ञान

कोड न0 064

सामान्य निर्देश :

- प्रत्येक अवधि को फोरमेटिव व सम्मेटिव द्वारा जाँचा जायेगा।
- प्रत्येक अवधि में दो फोरमेटिव असेसमेंट होंगें। प्रत्येक की भारिता 10 प्रतिशत होगी।
- पहली अवधि में सम्मेटिव असेसमेंट की भारिता 20 % की होगी व दूसरे चरण में यह 40% की होगी।
- प्रयोगात्मक योग्यता व परियोजना (प्रोजक्ट) को फोरमेटिव असेसमेंट द्वारा जाँचा जाऐगा।

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

कक्षा-9

सैद्धान्तिक

पहली अवधि	तीन घंटे	80 अंक
इकाई		अंक
1.	गृह विज्ञान की संकल्पना तथा अध्ययन क्षेत्र	06
2.	परिवार समाज की एक इकाई	18
3.	भोजन तथा स्वास्थ्य से उसका संबंध	18
4.	भोजन पकाने की विधियां	20
5.	घर के कार्य	18
	कुल अंक	80

इकाई-1 : गृह विज्ञान की संकल्पना तथा अध्ययन क्षेत्र

18

- इकाई-2 : परिवार-समाज की एक इकाई
 - (i) परिवार के प्रकार संयुक्त, एकाकी (लाभ व हानियाँ)
 - (ii) परिवार का आकार बड़ा व लघु (लाभ व हानियाँ)
 - (iii) परिवार के प्रकार में बदलाव के कारण
 - (iv) जीवन चक्र में परिवार की स्थिति आंरभ की स्थिति ओर विकसित स्थिति विस्तार की स्थिति व संकुचित स्थिति

डकाई-3 : भोजन तथा स्वास्थ्य से उसका संबंध

18

भोजन, की परिभाषा स्वास्थ्य, पोषण, पोषक तत्व तथा संतुलित भोजन (ii)भोजन के कार्य (a) ऊर्जा प्रदान करना, (iii) शरीर का र्निर्माण, (iv) रोगों से रक्षा, (v) शरीर के कार्यों पर नियंत्रण, (b) सामाजिक कार्य, (vi) (c) मनोवैज्ञानिक भोजन तथा स्वास्थ्य में परस्पर संबंध।

इकाई-4 : भोजन पकाने की विधियां

20

उबालना, भाप से पकाना, प्रेशर कुकिंग, तलना, भूनना तथा सेकना सभी का संक्षिप्त वर्णन तथा भोजन के लिए उपयुक्तता।

इकाई-5 : घर के कार्य

18

- (i) सुरक्षात्मक तथा सामाजिक
- (ii) कार्यात्मक घर की विशेषताएं
- (iii) सुरक्षा, रोशनी, वायु का आवागमन, शोर, कूड़े, गंदे पानी, मल का निपटान

प्रयोगात्मक कार्य : (सत्रीय कार्य)

- अपने परिवार के प्रकार, आकार का निरीक्षण करो। सभी सदस्यों के किसी एक दिन के कार्यकलापों का विवरण तैयार करो।
- 2. विभिन्न विधियों का प्रयोग करके नाश्ता/व्यंजन बनाओ। भोजन के स्वाद, रूप तथा रंग का अध्ययन करो।
- 3. अपने घर में रोशनी के प्रबंध, वायु के आवागमन, आसपास के वातावरण तथा गंदे पानी के निपटान की विधि का निरीक्षण करो तथा उसका रिकार्ड तैयार करो।

4. फाईल बनाएं।

दूसरी अवधि	तीन घंटे	80 अंक
6.	घर में सुरक्षा	30
7.	बाजार में उपलब्ध वस्त्र	30
8.	वस्त्रों का चयन	20
	कुल अंक	80

इकाई-6 : घर में सुरक्षा

30

रसोई घर तथा स्नानघर में दुर्घटनाओं से बचाव, कटना, गिरना, जलना, बिजली का झटका लगना, विष फैलना ईंधन का सुरक्षित प्रयोग, कटने जलने, हड्डी टूटने, गिरने, झटका लगने, व किसी जीव द्वारा (सांप, कुत्ता) काटे जाने पर प्राथमिक चिकित्सा करना, जहरीलापन तथा जंतुओं का काटना। आपातकालीन स्थितियों में व्यवस्था

इकाई-7 : बाजार में उपलब्ध वस्त्र

30

- (i) सूत व तंतु की परिभाषा,
- (ii) लंबाई तथा उत्पत्ति के आधार पर तंतुओं का वर्गीकरण,
- (iii) तंतुओं की विशेषताएं लंबाई मज़बूती, नमी सोखने की क्षमता, तापकी संवाहकता, लचीलापन ताप का प्रभाव, कीड़ों तथा फफूंदी का प्रभाव, अमल तथा क्षार का प्रभाव।
- (iv) सूत का निर्माण (खींचकर बड़ाना, ऐठना/मरोड़ना,फेल्टिंग)
- (v) सूत का निमार्ण बुनाई, निट्गि, व फेल्टिंग

इकाई-8 : वस्त्रों का चयन

वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक :

- (i) कपड़े से सर्बोधत कारक (ततुओं के गुण, कपड़े की सरंचना)
- (ii) व्यक्ति से संबंधित कारक आयु व्यवसाय कार्य अवसर,फैशन, आकार और आराम।
- (iii) अन्य कारक-मूल्य तथा जलवायु

प्रयोगात्मक कार्य : (सत्रीय कार्य)

- िकसी दुर्घटना से बचाव की दृष्टि से अपने घर का अध्ययन करो तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव दो।
- निम्न दुर्घटनाओं में प्राथमिक सहायता प्रदान करने का अभ्यास करो-कट जाना, जल जाना, बिजली का झटका लगना, तथा जानवरों (जीवों) का काटना, हड्डी टूटना।
- 3. हाथ, कोहनी, ऊँगली, कलाई, व टकना पर घाव/चोट लगने पर मरहम पट्टी लगाने का अभ्यास करो।
- 4. बाजार में उपलब्ध कपड़ों के नमूने एकत्रित करो तथा कपड़ों की कीमत (वैकल्पिक) मजबूती, आकृति तथा उपयुक्ता के आधार पर तुलनात्मक सारिणी बनाओ।
- 5. दहन परीक्षण तथा आकार की सहायता से वस्त्रों की पहचान करो।

कक्षा-10

पहली अवधि	3 घंटे	अंक
इकाई		
1.	बच्चों के विकास व वृद्धि के सिद्धान्त	18
2.	खेल	17
3.	पौष्टिक/पोषक तत्व	23
4.	आहार आयोजन	12
5.	खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य भंडारण की विधियाँ	10
	कुल अंक	80

सैद्धांतिक

इकाई-1: बच्चों में विकास व वृद्धि के सिद्धान्त, जन्म से तीन वर्ष की आयु के बच्चों की वृद्धि व विकास बच्चों में शारीरिक, गत्थात्मक, सामाजिक, भावात्मक तथा भाषायी विकास के महत्वपूर्ण मीलपत्थर चरण: बच्चों की शारीरिक, सामाजिक तथा भावनात्मक आवश्यकताएं।

इकाई-2 : खेल

खेलों का अर्थ, जन्म से तीन वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए खेल की आवश्यकता तथा उसके प्रकार, खेलों की विशेषताएं-सक्रिय, निष्क्रिय, स्वाभाविक, गंभीर तथा अन्वषेणात्मक।

बच्चों के लिए खेल - सामग्री खेल सामग्री की विशषताएं

इकाई-3 : पौष्टिक तत्व

कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण-लोहा, कैल्शियम तथा आयोडीन, विटामिन-विटामिन ए. विटामिन, विटामिन 1. विटामिन 2, विटामिन सी तथा विटामिन डी के कार्य, प्राप्ति साधन एवं कमी के लक्षण, भोजन पकाते समय खाद्य तत्वों की हानि, खाद्य तत्वों को नष्ट होने से बचाना तथा खाद्य तत्वों में पौष्टिकता की वृद्धि करना।

इकाई-4 : आहार आयोजन

आहार आयोजन की संकल्पना आवश्यकता तथा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक आयु, लिंग, जलवायु, व्यवसाय, शारीरिक आवश्यकताएं, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार का आर्थिक स्तर, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, परिवार की परंपराएं, सदस्यों की रुचियां तथा अवसर।

खाद्य वर्ग (आई सी.एम.आर. द्वारा प्रस्तावित पाचं वर्ग) सतुंलित भोजन के आयोजन में खाद्य वर्गों का प्रयोग, आई सी.एम. आर. द्वारा प्रस्तावित खाद्य तत्वों की दैनिक आवश्यकता।

इकाई-5 : खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य भंडारण की विधियां :

खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय स्वच्छता के नियम तथा शीघ्र नष्ट होने वाले, धीरे नष्ट होने वाले तथा नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण की विधियां। 6

प्रयोगात्मक

- जन्म से तीन वर्ष की अवस्था के किसी बच्चे की शारीरिक व गत्यात्मक विशेषताओं का निरीक्षण करो तथा उसका विवरण लिखो।
- 2. 1-3 वर्ष के बच्चों की खेल क्रियाओं को देखो। उनकी रुचियों तथा खेल सामग्री की विशेषताओं की सुची बनाओ।
- 3. 0-3 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए एक खिलौना बनाओ।
- 4. पोषक तत्वों में वृद्धि के उपायों का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ तैयार करो।

दूसरी अवधि	तीन घंटे	80 अंक
इकाई		
6.	पारिवारिक संसाधन	11
7.	धन का प्रंबधन	10
8.	उपभोक्ता शिक्षा	15
9.	वस्त्रों की देखभाल	31
10.	वस्त्रों की गुणवत्ता की जाँच	13
	कुल अंक	80

इकाई-6 : पारिवारिक संसाधन

संसाधनों के प्रकार- मानवीय संसाधन (ऊर्जा, समय, ज्ञान तथा योग्यता), अमानवीय संसाधन (धन, भौतिक वस्तुएं तथा सार्वजनिक संसाधन), सामान्य संसाधनों की विशेषताएं, व्यक्तिगत तथा सामृहिक संसाधनों का सद्उपयोग।

इकाई-7 : धन का प्रबंधन

पारिवारिक आय, व्यय तथा बचत एवं निवेश का महत्व।

इकाई-8 : उपभोक्ता शिक्षा

उपभोक्ता के अधिकार व कर्तव्य, उपभोक्ता की समस्याएं, व्यापारियों की कुचालें - मूल्यों में भिन्नता, निम्न गुणवत्ता मिलावट, दोषपूर्ण नाप-तोल के उपकरण, वस्तुओं का उपलब्ध न होना, गलत सूचनाएं, मानकीकृत वस्तुओं का अभाव, असत्य विज्ञापन, उपभोक्ता सुचना के स्त्रोत मानकीकरण चिन्ह, लेबल, पैकेज, विज्ञापन, पर्चे।

इकाई-9 : वस्त्रों की देखभाल

घर में वस्त्रों की स्नाई व परिसञ्जा के लिए प्रतिदिन प्रयोग में लाये जाने वाले पदार्थ, घर में वस्त्रों की देखभाल-धब्बे छुड़ाने की विधि व सावधाानियाँ वस्त्रों की परिसञ्जा (सूती, रेशमी, ऊनी तथा कृत्रिम तंतुओं से बने वस्त्र) का भंडारण करना।

इकाई-10 : वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच

सिले-सिलाए दर्जी से सिलाए व वस्त्रों की कारीगरी, वस्त्रों के लेबल को पढ़ना।

5

प्रयोगात्मक

- 1. बची पड़ी व्यर्थ वस्तुओं का प्रयोग करके कोई उपयोगी वस्तु बनाओ।
- 2. बाजार में देखी हुई किन्हीं पांच कुचालों की सूची बनाओ।
- 3. निम्न मूलभूतों टांकों का अभ्यास करो कच्चा, बखिया, तुरपाई तथा छोटा कच्चा सीवन।
- 4. साधारण धब्बे छुड़ाना करी/हल्दी, पेंट, बाल पेन स्याही, लिपस्टिक, जंग, चाय तथा काफी का धब्बा।
- 5. स्ती, रेशमी, ऊनी तथा कृत्रिम तंतु से बने वस्त्रों की धुलाई व परिसज्जा करो।
- 6. एक सिले हुए वस्त्र की कारीगिरी जांच करो।
- 7. एक सिले-सिलाए वस्त्र का लेबल पढ़ो।

नोट : विद्यार्थी वर्ष भर के प्रायोगिक सत्रीय कार्य का रिकार्ड रखेगें।

(इ.) सूचना प्रौद्योगिकी के मूल आधार

(कोड संख्या 165)

सामान्य निर्देश

- 1 प्रत्येक सत्र के लिए निर्धारित इकाइयों का मुल्यांकन फॉरमैटिव एंव संकलित मुल्यांकनों द्वारा किया जाएगा।
- 2 प्रत्येक सत्र में दो फॉरमैटिव मूल्याकन (पहले सत्र में FA1 व FA2 तथा दूसरे सत्र में FA3 व FA4) होंगे जिनमें प्रत्येक का भार 10% होगा।
- 3 पहले सत्र में संकलित मूल्यांकन (SA 1) तथा दूसरे सत्र में संकलित मूल्यांकन (SA 2) का भार 40% होगा।
- 4 प्रत्येक फॉरमैटिव मूल्यांकन जिसका वार्षिक मूल्यांकन में भार 10% है का 40% हस्तकौशल और परियोजनाओं के लिए होगा।
- 5 प्रत्येक संकलित मूल्यांकन में प्रायोगिक कौशलों का मूल्यांकन MCQ द्वारा किया जाएगा और इसका भार 20% होगा।

पाठ्यकम संरचना		
कक्षा IX		
सत्र І	3 घन्टे	अंक 80
इकाई	शीर्षक	सैद्धान्तिक
1	सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियम	17
2	सूचना संसाधन उपकरण	38
3	सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के अनुप्रयोग	25
	कुल	80

सत्र I (सैद्धान्तिक)

इकाई I : सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियम

प्रौद्योगिकी का अभिसरण: कम्प्यूटर संचार और अन्तर्विषय प्रौद्योगिकियां।

अभिकलन प्रौद्योगिकी

कम्प्यूटर प्रणाली: कम्प्यूटर के अभिलक्षण, कम्प्यूटर प्रणाली के अवयव-CPU, मेमोरी, संचयन युक्तियां तथा I/O युक्तियां मेमोरी - प्राथमिक (RAM एवं ROM) तथा द्वितीयक मेमोरी

मेमोरी के मात्रक: बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गिगाबाइट, टेराबाइट

I/O युक्तियां: कीबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, जोयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, OCR, MICR, लाइट पेन, बार कोड रीडर, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, स्पीकर, प्लॉटर।

संचयन युक्तियाः हार्ड डिस्क, CD ROM, DVD, Blu Ray, पेन/फ्लैश, ड्राइव, मेमोरी स्टिक।

सॉफ्टवेयर के प्रकार: सिस्टम सॉफ्टवेयर (प्रचालन प्राणाली), एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, (सामान्य प्रयोजन)

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर: वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रैडशीट, प्रेजेन्टेशन, डाटा बेस प्रबन्धन, विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेखा, प्रबन्धन, आरक्षण प्रणाली, HR प्रबन्धन, उपस्थिति प्रणाली, पेरोल प्रणाली, इन्वेन्टरी कन्ट्रोल प्रणाली, बिलिंग प्रणाली, यूटीलिटी सॉफ्टवेयर (डिस्क/फोल्डर/फाइलों का प्रबन्धन, वायरस स्कैनर/क्लीनर, एनक्रिप्शन/डिक्रिप्शन उपकरण)

इकाई II सूचना संसाधन उपकरण

प्रचालन प्रणाली: प्रचालन प्रणाली की मूल अवधारणाएं, इसके कार्य और सामान्यत: उपयोग होने वाली प्रचालन प्रणालियां। विण्डो से परिचय। माउस और गतिशील मूर्तियों का पर्दे पर उपयोग, टास्क बार, विभिन्न प्रकार के मेन्यू एवं मेन्यू का चुनाव किसी एप्लीकेशन को चलाना, प्रणाली दिनांक व समय सेट करना, फाइलें, फोल्डर एंव डाइरेक्टरी देखना, फाइलों व फोल्डरों का पुन: नामकरण, विण्डो खोलना बन्द करना, विण्डो के मिनिमाइज, रिस्टोर एंव मैक्सीमाइज़ रूप, GUI विण्डो के मूल अवयव। डेस्कटाप, फ्रेम, टाइटिल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार (क्षैतिज एंव ऊर्घ्वाधर), माउस के बायें एवं दायें बटनों के मूल प्रचालन, शार्टकट उत्पन्न करना, मूल उपकरण, टैक्स्ट ऐडिटर, पेंटिंग उपकरण, कैल्कलेटर।

ऑफिस टुल्स

वर्ड प्रोसेसर टुल

वर्ड प्रोसेसर से परिचय, डॉक्युमेन्ट सृजन एंव सुरक्षित करना, डॉक्युमेन्ट का सम्पादन व फॉर्मेंट बनाना, टेक्स्ट स्टाइल (BIU), फॉन्ट-टाइप साइज्ञ, रंग बदलना, टेक्स्ट का संरक्षण, लाइनों व पैराग्राफों के बीच रिक्त स्थानों को समायोजित करके पैराग्राफों का फॉर्मेंट बनाना, हीर्डस व फुटर्स जोड़ना, पेज संख्या लिखना, ग्रामर व स्पेलिंग के लिए यूटिलिटिज उपयोग करना अद्योलिखित व ऊपरीलिखित का उपयोग करना, प्रतीकों को शामिल करना, प्रिन्ट प्रिव्यू, डाक्यूमेंन्ट प्रिन्ट करना।

पिक्चर शामिल करना, पेज सेटिंग, बुलेट्स एवं नम्बर डालना, बॉर्डर्स एवं शेडिंग फॉर्मेट पेंटर, पेंट ब्रुश, ज्ञात एवं प्रतिस्थापित करना, सारणियां शामिल करना, पंक्तियां एवं स्तम्भ शामिल करना एवं मिटाना, मर्जिंग सेल्स, स्पिलिटिंग सेल्स।

इकाई III: सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

विद्यार्थियों को यह प्रस्ताव दिया जाता है कि वे वर्ड प्रोसेसर द्वारा नीचे दिए क्षेत्रों में कार्य करें-

प्रभाव क्षेत्र:

डॉक्यूमेन्टेशन

- रिपोर्ट-लेखन
- बहुभाषीय बधाई कार्ड
- पोस्टर बनाना

सत्र I - प्रयोग

(A) हस्तसिद्ध अनुभव

I प्रचालन प्रणाली पर कार्य

फाइलों / फोल्डरों के निम्नलिखित मूल प्रणाली संचालनों में कुछ का परीक्षण करना

- মৃজन
- पुन: नामकरण
- कापी / काटना / चिपकाना
- निकालना / हटाना
- टेक्स्ट एडियर / ड्राइंग ट्रल्स से संबंधित आदेश
- किल्प बोर्ड का उपयोग करना

II वर्ड प्रासेसिंग

निम्नलिखित क्षेत्रों के परीक्षण के लिए किसी डॉक्युमेन्ट के सृजन की आवश्यकता होती है।

- टेक्स्ट एवं पैराग्राफ का सम्पादन करना व फॉर्मेट बनाना
- पेज तथा पैराग्राफ सेट करना
- चित्र एवं प्रतीक शामिल करना

उत्तर पुस्तिका के साथ डॉक्युमेन्ट्स स्प्रैडशीटों के प्रिन्ट आउट संलग्न किए जाने चाहिए।

(B) सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट फाइल

विद्यार्थियों से चार विषयों (रिपोर्ट बनाना, पोस्टर बनाना, निमंत्रण पत्र बनाना, पत्र/प्रार्थना पत्र लेखन) पर वर्ड प्रोसिसंग टूल्स के उपयोग द्वारा वास्तविक जीवन के कार्यक्रमों की सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट फाइल बनाने की आशा की जाती है।

(C) मौखिक प्रश्नः

कक्षा IX के प्रथम सत्र के अन्तर्गत पाठयक्रम के किसी भी भाग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

सत्र II	3 घन्टे	अंक 80
इकाई	शीर्षक	सैद्वान्तिक
1.	सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियम	04
2.	सूचना संसाधन उपकरण	27
3.	सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग	36
4.	सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक संघट्टन	13
	कुल	80

इकाई I सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियम -

संचार प्रौद्योगिकी-

कम्प्यूटर नेटवर्किंग - LAN, MAN, WAN, इन्टरनेट, इन्टरस्पेस ।

वायर्ड नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी, उदाहरण- समाक्षी केबल, इंटरनेट केबल, प्रकाशिक तन्तु ।

वायरलेस नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी, उदाहरण- ब्ल्यू ट्रथ, इन्फ्रारेड तथा WiFi।

अन्तर्विषय प्रौद्योगिकी

आंकड़े, सूचना एवं मल्टीमीडिया (पिक्चर/इमेज, आडियो, वीडियो, एनीमेशन)

इकाई II सूचना संसाधन उपकरण

ऑफिस उपकरण

प्रेज़ेन्टेशन उपकरण

प्रेजेन्टेशन ग्राफिक्स से परिचय, स्लाइड शोज़ की अवधारण का अधिगमन, स्लाइड के मूल अवयव, स्लाइड लेआडट के विभिन्न प्रकार, किसी प्रेजेन्टेशन का सृजन एवं सुरक्षित रखना, स्लाइड के विभिन्न व्यू, सामान्य व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, एवं स्लाइड शो, स्लाइड का सम्पादन एवं फॉर्मेट बनाना, शीर्षक व उपशीर्षक जोड़ना, टैक्स्ट, बैकग्राउण्ड, वाटरमार्क, हीडर्स एवं फुटर्स, स्लाइडों पर नम्बर डालना, फाइलों से चित्र शामिल करना, ध्विन प्रभाव सिंहत ऐनिमेटिड चित्र एवं टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर एवं स्लाइडों का समय मापन, रिहर्सल-समय मापन, क्लीपार्ट से पिक्चरों का विसमूहीकरण एवं समूहीकरण।

स्प्रैडशीट उपकरण

स्प्रैडशीट उपकरणों से परिचय, वर्कशीट एवं वर्कबुक की अवधारणा, वर्कशीट का सृजन एवं सुरक्षित रखना, स्प्रैडशीट से कार्य करना, ऑटोफिल संख्याओं, टेक्स्ट, दिनांक/समय, श्रेणी की प्रविष्टि करना, िकसी वर्कशीट का उसके रंग, साइज, फॉन्ट टेक्स्ट के सरेखन में परिवर्तन सिंहत सम्पादन करना एवं फॉर्मेट बनाना, सेलों, पंक्तियों, स्तम्भों को शामिल करना अथवा हटाना, सूत्र, िकसी सेल में सूत्र की प्रविष्टि करना, सूत्र में प्रचालकों (+,-,*,/) का उपयोग करना, आपेक्षिक संदर्भीकरण, निरपेक्ष एवं मिश्रित संदर्भीकरण, वर्कशीट प्रिन्ट करना।

228

सरल सांख्यिकीय फलनों : SUM(), AVERAGE(), MAX(), MIN(), IF() (संयुक्त प्रकथनों के बिना) का उपयोग, वर्कशीट में सारणियां शामिल करना, वर्कशीट के विविध प्रकार, लाइन, पाई, स्कैटर, बार व क्षेत्र के चार्टों को सिन्निहत करना।

वर्ड संसाधन उपकरणः

ऑटो-फॉर्मेंट प्रयोग करना, मेल मर्ज, सरल गणितीय व्यंजकों को उपयोग करना, ट्रैक परिवर्तन।

इकाई III: सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

विद्यार्थियों को यह प्रस्ताव दिया जाता है कि वे वर्ड प्रोसेसर, प्रेज़ेन्टेशन एवं स्प्रैडशीट उपकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करें-

प्रभाव क्षेत्र

डॉक्मेन्टेशन

मेल-मर्ज फार्मल/इनफार्मल पत्र

प्रेजेन्टेशन

- स्कूल मैगज़ीन
- पर्यावरण (ऊर्जा बचाओ) एवं प्रदूषण (वैश्वक ऊष्मण)
- उत्पाद-विज्ञापन
- पाठ्यक्रम से विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय
- वायरलेस अभिकरण में झुकाव

विश्लेषण प्रस्तुतिकरण

- विद्यार्थीवार एवं विषयवार अंकों सिहत विद्यालय/कक्षा का परिणाम
- क्रिकेट-स्कोर रिकॉर्ड
- मौसम-भविष्यवाणी रिपोर्ट

इकाई IV सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक संघट्टन

साहित्यिक चोरी, गोपनीयता, सुरक्षा एवं सूचना की सत्यनिष्ठा, बौद्धिक स्वामित्व अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी में जीविका।

सत्र II प्रयोग

(A) हस्तसिद्ध अनुभव

1. प्रेजेन्टेशन

प्रेज़ेन्टेशन का मुजन निम्नलिखित क्षेत्रों के परीक्षण के लिए 4 स्लाइडों सिंहत किया जाना है:-

- स्लाइडों का सम्पादन और फॉमेंट बनाना।
- चित्रों एवं ध्विनयों को शामिल करना।
- ध्विन प्रभावों सिहत चित्रों एवं टेक्स्ट ऐनीमेट करना।

2. स्प्रैडशीट

निम्नलिखित क्षेत्रों के परीक्षण के लिए स्प्रैटशीट का सृजन किया जाना है:-

- सेलों एवं आंकड़ों का फॉर्मेट बनाना।
- फलन एवं सूत्र (आपेक्षिक, निरपेक्ष एवं मिश्रित संदर्भ)
- चार्ट

उत्तरपुस्तिका के साथ हैण्डआउटों/स्प्रैडशीटों को संलग्न करना चाहिए।

(B) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल:-

विद्यार्थियों से प्रेज़ेन्टेशन एवं स्प्रैडशीट उपकरणों के द्वारा वास्तविक जीवन के कार्यभारों/प्रेज़ेन्टेशनों की सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल बनाने की अपेक्षा की जाती है।

- 4 प्रेज़ेन्टेशन
- 4 स्प्रैडशीट चार्ट सहित
- 10 वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्समेन्ट मेल मर्ज लक्षण सिहत

मौखिक प्रश्न

कक्षा IX के द्वितीय सत्र के अन्तर्गत पाट्यक्रम के किसी भी भाग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

कक्षा X

सत्र І	3 घन्टे	अंक 80
इकाई	शीर्षक	सैद्वान्तिक
1.	सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियम	25
2.	सूचना संसाधन उपकरण	30
3.	सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग	26
	कुल	80

इकाई 1 सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियम

इन्टरनेट: वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, वेब साइट, वेब पेज, वेब ब्राउज्र, ब्लॉग, न्यूजग्रुप, HTML, वेब पता, ईमेल-पता, URL.HTTP

इन्टरनेट पर उपलब्ध सेवाएं: सूचना पुन: प्राप्ति, सर्च इंजनों द्वारा साइटों की अवस्थितियों का पता लगाना एवं नेट द्वारा लोगों को खोजना, FTP; दूरस्थ साइटों से/को फाइलों को अपलोड एवं डाउनलोड करना।

वेब सेवाएं: चैट, ईमेल, वीडियो कान्फरेंसिंग, ईलर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिसर्वेशन, ई ग्रुप, सोशल नेटवर्किंग।

इकाई II सूचना संसाधन उपकरण

ऑफिस उपकरण

डेटाबेस प्रबन्धन उपकरण :

डेटाबेस की मूल अवधारणाएं एवं आवश्यकता, डेटाबेस का सृजन, प्राइमरी की सेट करना, डेटाबेस में डेटा की प्रविष्टि करना, क्षेत्रों को शामिल करना और हटाना, रिकार्डों को शामिल करना और हटाना, डेटा का वैधीकरण, क्षेत्र-साइज़ डिफाल्ट-वैल्यु, अपेक्षा, अनुमति, शुन्य लम्बाई, वैधीकरण नियम, वैधीकरण टैक्स्ट।

सूचना निरूपण विधियां

हाइपर टैक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML)

HTML द्वारा वेब पेज डिजाइनिंग से परिचय, HTML डॉक्समैन्ट का सृजन एवं सुरक्षित करना, वेब ब्राउज्ञर (इन्टरनेट एक्सप्लोरर मोजिला फायर फॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, नेविगेटर, गूगल क्रोम) द्वारा किसी वेब पेज तक पहुंच।

HTML में अवयव : कन्टेनर एवं एम्प्टी अवयव, निम्नलिखित अवयवों का उपयोग करके वेब पेज़ डिजाइन करना :

HTML, HEAD, TITLE, BODY (गुण/विशेषताएं: BACKGROUND, BGCOLOR, TEXT, LINK. ALINK. VLINK, LEFTMARGIN, TOPMARGIN); FONT (गुण/विशेषताएं: COLOR, SIZE, FACE), BASE FONT (गुण/विशेषताएं: COLOR, SIZE, FACE); CENTER, BR (Break), HR (Horizontal Rule) (गुण/विशेषताएं: SIZE, WIDTH, ALIGN, NOSHADE, COLOR); COMMENT, for comments, H1...H6 (Heading), P(Paragraph), B(Bold), I(Italics), U(Underline), UL और OL (Unordered List और Ordered List (गुण/विशेषताएं: TYPE, START), LI (List Items)

इकाई III सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

विद्यार्थियों के लिए यह प्रस्तावित है कि वे पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विषयों के डेटाबेस प्रबन्धन उपकरणों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्य करेगें।

प्रभाव क्षेत्र

व्यापार अभिकलन

- व्यक्तिगत डेटा प्रबन्धन प्रणाली
- विद्यालय/कक्षा परिणाम छात्रवार एवं विषयवार अंकों सहित
- कर्मचारियों के वेतन (मासिक वेतन का अभिकलन)
- सम्पत्ति सूची (क्रय एवं निर्गमन के रिकार्ड)

सत्र I - प्रयोग

(A) हस्तिसद्ध अनुभव

1 व्यापार अभिकलन समस्या

डेटाबेस के निम्नलिखित पहलुओं के परीक्षण के लिए डेटाबेस प्रबन्धन उपकरण (ओपन ऑफिस) के उपयोग द्वारा किसी व्यापार अभिकलन समस्या का हल किया जाना है।

किसी डेटाबेस में डेटा सृजन एवं प्रविष्ट करना

- प्राइमरी कुन्जी सेट करना
- डेटा वैधीकरण

2 वेब पेज डिज़ाइन करना

निम्नलिखित के परीक्षण के लिए कोई वेब पेज़ डिज़ाइन करना

- वेब पेज के साथ शीर्षक जोड़ना
- टेक्स्ट का फॉर्मेट बनाना
- अक्रमिक/क्रमिक सूचियां जोड़ना
- पैराग्राफों में टेक्स्ट लिखना

विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि उन्हें वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों एवं पाठ्यक्रम में वर्णित विषयों पर प्रभावक्षेत्रों के लिए विशिष्ट वेब पेज़ डिज़ाइन करने के लिए आवश्यक उपकरणों एवं स्टाइल के बारे में जानकारी हो।

उत्तर पुस्तिका के साथ-सारांश/वेब पेज़ के प्रिन्ट आउट संलग्न किए जाएं।

(B) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल

विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि वे वास्तविक जीवन के नियत कार्यों/प्रेजेन्टेशनों का समावेश करते हुए प्रबन्धन उपकरणों तथा प्रभाव क्षेत्र की विषय वस्तू पर HTML के उपयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट फाइल बनाए ।

फाइल में निम्नलिखित प्रिन्ट आउट होने चाहिए -

- 4 व्यापार अभिकलन से डेटाबेस हल
- 4 ब्राउजर व्यु के साथ HTML स्रोत कोड

(C) मौखिक प्रश्न

प्रथम सत्र की अवधि के अन्तर्गत अध्ययन की विषय वस्तु के किसी भी भाग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

सत्र II	3 घन्टे	अंक 80
इकाई	शीर्षक	सैद्धान्तिक
2.	सूचना संसाधन उपकरण	30
3.	सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग	33
4.	सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक संघदृन	17
	कुल	80

सत्र II (सैद्धान्तिक)

इकाई II: सूचना संसाघन उपकरण

सुचना निरूपण विधियां

हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैग्वेज

अवयव IMG के उपयोग द्वारा प्रतिबिम्बों को शामिल करना (गुण/विशेषताएं: SRC, WIDTH, HEIGHT, ALT, ALIGN), सुपरस्क्रिप्ट SUB, सारणी सृजन करना TABLE (BACKGROUND, BG COLOR, WIDTH, CELLSPACING, CELLPADDING, BORDER)] TR, TD, ROWSPAN, COLSPAN

वेब पेज़ों के बीच आन्तरिक एवं बाह्य शृंखलन, किसी एन्कर अवयव शृंखलन का महत्व (गुण/विशेषताएं:NAME, HREF, TITLE, ALT,)

XML

XML से परिचय, निम्नलिखित के संदर्भ में XML व HTML में अन्तर

डेटा पृथक्करण, डेटा भागीदारी डॉक्युमेन्ट संरचना, टैग, अवयवों का निलयन, गुण/विशेषताएं, वेल्यूस XML अवयव, XML में अपने टैगों की परिभाषा करना, मूल अवयव, बाल अवयव तथा इनके गुण/विशेषताएं XML में टिप्पणियां, XML में White space व नई लाइन, भली प्रकार बने XML डॉक्युमेन्ट्स, XML डॉक्युमेन्ट्स का वैधीकरण, XML पद व्याख्याकर्ता, वेब ब्राउजर में XML डॉक्युमेन्ट देखना।

इकाई III: सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

विद्यार्थियों को यह प्रस्तावित है कि वे HTML का प्रयोग करके निम्नलिखित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन किए गए विषयों पर अवयवों को लागू करते हुए कार्य करेंगे।

प्रभाव क्षेत्र

वेबसाइट डिज़ाइनिंग

- व्यक्तिगत ब्लॉग नाम, फोटो, अभिरुचि क्षेत्र, विद्यालय, राज्य, देश सिहत
- विद्यालय वेबसाइट अवसंरचना, सुविधाएं, यूनीफॉम, आदर्श वाक्य, विद्यालय का चित्र, इतर पाठ्यचर्या क्रियाकलाप, विषय एवं भाषा विकल्प
- यात्रा एवं पर्यटन .
- भारतीय संख्यिकी राज्यबार क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता (प्राथमिक, मिडिल, सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी में छात्रों की संख्या), लिंग अनुपात
- पर्यावरण (ऊर्जा बचाओ) तथा प्रदूषण (वैश्विक ऊष्मण)

इकाई IV सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक संघट्टन:

वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, व एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर, स्पैम्स, डेटा बैकअप एवं वसूली उपकरण व विधियां, ऑनलाइन बैकअप, कम्प्यूटर डेटा एवं अनुप्रयोगों के संदर्भ में हैकर्स एवं क्रैकर्स ।

ई-कॉमर्स में सूचना सुरक्षा प्रावधान

सत्र II - प्रयोग

(A) हस्तसिद्ध प्रयोगः

1. वेब पेज डिजाइन करना

निम्नलिखित के परीक्षण के लिए वेब पेज़ डिजाइन करना -

- वेब पेज में शीर्षक जोड़ना
- टेक्स्ट फॉर्मेट बनाना
- इमेज शामिल करना
- क्रमागत/अक्रमागत सुचियां जोडना
- पैराग्राफों में टेक्स्ट लिखना
- सारणी के रूप में सारांश जोडना

विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि उन्हें पाठ्यकम में दिए गए विषयों एवं वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों के आधार पर प्रभाव क्षेत्र विशिष्ट वेब पेज़ के डिजाइन के लिए उपकरणों व स्टाइल की जानकारी होगी।

2 XML नियत कार्य*

*उत्तर पुस्तिका के साथ डॉक्युमेन्टों के प्रिन्टआउट संलग्ल किए जाने चाहिए।

विद्याथियों से सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम में अध्ययन की गयी XML की अवधारणओं के आधार XML डॉक्युमेन्ट सृजित करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(B) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल

विद्यार्थियों को HTML एवं XML के विषयो पर प्रभाव क्षेत्रों से वास्तविक जीवन के नियत कार्यों का समावेश करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल बनानी है:

- 4 HTML सोर्स कोड ब्राउसर व्यु सहित
- 2 XML डॉक्युमेन्ट्स

(C) मौखिक प्रश्न

द्वितीय सत्र में अध्ययन किए गए पाठ्यक्रम के किसी भी भाग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अतिरिक्त भाषाएँ

अनिवार्य वर्ग के अतिरिक्त निम्न में से कोई एक दी जा सकती है-

हिंदी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, भूटिया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, लिंबू, लेपचा, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तिमल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, परिशयन, फ्रेन्च, जर्मन, रिशयन, स्पेनिश, नेपाली, पुर्तगाली, तिब्बती, एवं मिजो।

टिप्पणी:

इन भाषाओं का पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों माध्यमिक पाठ्यचर्या 2012, खण्ड 2 में दिए भाषाओं के पाठ्यक्रम व पाठ्पुस्तकों के समान ही होंगी।

7. आंतरिक मूल्यांकन के विषय

कार्य अनुभव/पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कला शिक्षा तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का मूल्यांकन विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। सी.बी.एस.ई. ने इन विषयों के अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए जो दिशानिर्देश तैयार किए हैं उन्हें संबंधित विद्यालय अध्यापन तथा मूल्यांकन के समय ध्यान में रखें। उनके प्रयोग तथा संदर्भ के लिए बोर्ड के निम्नलिखित प्रकाशनों की संस्तुति की जाती है जिसमें पाट्यविवरण की रूपरेखा तथा मूल्यांकन के मुख्य बिन्दु दिए गए हैं :

- (i) वर्क एक्सपीरिएंस इन स्कूल्ज : गाईडलाइन्स एण्ड सेलेबस-रिवाइज्ड एडिशन 1991
- (ii) आर्ट एजुकेशन इन स्कूल्ज
- (iii) फीजिकल एण्ड हैल्थ एजूकेशन इन स्कूल्ज
- (iv) सर्टीफिकेट ऑफ एचीवमेंट, फीलॉसोफी एण्ड मेथोडॉलोजी

8. पूर्व व्यावसायिक शिक्षा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के उपबंधों और विभिन्न सिमितियों की सिफारिश के अनुसरण में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा के 1995-96 के शिक्षा सत्र से अध्ययन संबंधी अपनी योजना से पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नानुसार है
 - (i) कक्षा 9 और कक्षा 10 में विद्यार्थियों को साधारण व्यापारिक कौशल में प्रशिक्षण देना।
 - (ii) उत्पादकता बढ़ाने हेतु व्यावसायिक रुचि और व्यावसायिक प्रवृत्तियों की स्वयं खोज करने की अनुमित देना।
 - (iii) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन हेतु विद्यार्थियों की सहायता करना।
 - (iv) विद्यार्थियों को शैक्षिक योग्यता के वांछित आयाम के रूप में कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रतिभागिता हेतु तैयार करना, और कार्य सांस्कृतिक से संबंधित लाभप्रद मूल्यों को मन में बैठाना।
- 2. पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:
- (i) पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्य अनुभव के स्थान पर दी जाएगी।
- (ii) पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 6 पीरियड निर्धारित किए जाएंगे।
- (iii) पूर्व व्यावसायिक शिक्षा केवल ऐसे विद्यालयों में लागू की जाएगी जहाँ पर +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तुति किए जा रहे हैं और चयन किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए अवसंरचना सुविधाएं नियमित तौर पर उपलब्ध हैं।
- (iv) निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के पूरा होने के पश्चात् पास होने वालों को संबंधित पाठ्यक्रम में विषय कुशलता प्राप्त करनी चाहिए।
- (v) पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, प्रयोग के आधार पर केवल चुने हुए विद्यालयों में दी जा रही है। इस प्रकार पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने से पूर्व बोर्ड से पूर्व अनुमित प्राप्त करना अनिवार्य है।

- (vi) मूल्यांकन की योजना कार्यानुभव के समान है। 9वीं व 10वीं कक्षाओं में मूल्यांकन विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। कक्षा (10) में विद्यालयों द्वारा दिए गए ग्रेड बोर्ड के प्रमाणपत्र में संबंधित पाठ्यक्रम के शीर्षक के साथ दर्शाए जाएंगे। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और चंडीगढ़ प्रशासन ने शैक्षिक सत्र 1995-96 से अपने कुछ चुने हुए विद्यालयों में निम्नलिखित पूर्व व्यावसायिक ट्रेडों में शिक्षा आरंभ करने की सहमति दी है।
- 3. राष्ट्रीय राजधानी परिसर दिल्ली एवं चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कुछ चुने हुए विद्यालयों में 1995-96 के शैक्षिक सत्र से निम्न पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की सहमति दी है

कोड नं. 507	प्रारम्भिक कार्यालय पद्धतियां
कोड नं. 508	प्रारम्भिक कम्प्यूटर प्रक्रियाएँ
कोड नं. 509	प्रारम्भिक लेखा पद्धतियाँ
कोड नं. 510	फल एवं सब्जियाँ संरक्षण
कोड नं. 511	प्रारम्भिक बेकरी
कोड नं. 512	प्रारम्भिक कन्फेक्शनरी
कोड नं. 513	प्रारम्भिक इलेक्ट्रोनिक्स
कोड नं. 514	वातानुकूलन एवं रेफ्रीजरेशन
कोड नं. 515	इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरणों की मरम्मत
कोड नं. 516	टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्नोलोजी
कोड नं. 517	टेक्सटाइल सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्नोलोजी
कोड नं. 518	कटाई और सिलाई
कोड नं. 519	स्किन केयर और ब्यूटी कल्चर
कोड नं. 520	ऑटोमोबाइल
कोड नं. 521	खाना पकाना एवं सेवाएँ

4. ये प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम शिक्षा निदेशालय, दिल्ली और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्तर्गत चुने हुए विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं। इन निदेशालयों के अंतर्गत जो विद्यालय इनमें से कोई पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहता है, उसे सम्बन्धित निदेशालय से पूर्व अनुमित लेनी चाहिए एवं पाठ्यक्रम सम्बन्धित अवसंरचना सुविधाएँ होनी चाहिए।

9. कार्य शिक्षा

तर्काधार

सन् 2005 की पाठ्यचर्या के ढांचे में कार्यानुभव को कार्य-शिक्षा कहा गया है तथा यह शिक्षा का अनिवार्य अंग बन गया है। इस प्रकार सुव्यवस्थित और वर्गीकृत कार्यक्रम के द्वारा यह ज्ञान और कौशल दोनों ही प्रदान करेगा जिससे यह छात्रों-छात्राओं के कार्य की दुनिया में कदम रखने पर सहायता करेगा। कार्य शिक्षा पाठ्यचर्या का एक अलग क्षेत्र है। यह बच्चों को कक्षा में और कक्षा के बाहर सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी के अवसर प्रदान करता है यही नहीं यह उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को समझने में भी समर्थ बनाएगा। उत्पादक हस्त कार्य की स्थितियों का चयन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, भोजन, आवास, वस्त्र, मनोरंजन और सामुदायिक सेवा के क्षेत्रों में किया जाएगा। इस क्षेत्र में जिन सक्षमताओं का विकास किया जाएगा, उनमें ज्ञान, बोध, व्यावहारिक कौशलों और मूल्यों का समावेश आवश्यक है। इन सक्षमताओं का विकास जीवन के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के द्वारा किया जाएगा। इस स्तर पर पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए।

कार्य शिक्षा का उद्देश्य सभी प्रकार के शारीरिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठा और आदर के भावों को पुन: स्थापित करना है। इसके द्वारा व्यक्ति, उसके परिवार और समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। यही नहीं, उचित कार्यकुशलताओं और मूल्यों के द्वारा उत्पादकता भी बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं सामाजिक कार्यों और सामुदायिक सेवा के उचित कार्यक्रम के द्वारा समाज कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

उद्देश्य

माध्यमिक स्तर पर कार्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं

- निम्निलिखित के संदर्भ में अनिवार्य ज्ञान और बोध को विकिसत करने में छात्रों/छात्राओं की सहायता करना :
 - भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वस्त्र, आवास, मनोरंजन और समाज सेवा से जुड़ीं व्यक्ति परिवार और समुदाय की जरूरतों की पहचान करना।
 - समुदाय के उत्पादक क्रिया कलापों से परिचित करवाना।
 - कार्य के विविध प्रकारों में निहित सच्चाइयों और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाना;
 - वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में औजारों और उपस्करों के प्रयोग को समझना तथा कच्चे माल के स्त्रोतों को जानना; उत्पादक कार्य और समुदाय की सेवाओं की उपयोगिता को समझना;
 - उत्पादक प्रक्रियाओं और कुशलताओं के संदर्भ में प्रौद्योगिकीय दृष्टि से प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं को समझना;
 - उत्पादक कार्यों के नियोजन और व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं को समझना;
 - उत्पादक स्थितियों में उनकी भूमिका की परिकल्पना करना;
 - निष्पादन और उद्यम के लिए स्व-मूल्यांकन की योग्यताओं का विकास करना।

- छात्र/छात्राओं की कुशलताओं के विकास में सहायता करना विभिन्न प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए औजारों और सामान के चयन, अधिप्राप्ति, व्यवस्था और उपयोग में सहायता करना;
 - कार्य-अभ्यास में निरीक्षण, परिचालन, और भागीदारी में सहायता करना;
 - उत्पादक कार्य और सामाजिक सेवा की स्थितियों में समस्या-समाधान की विधियों के अनुप्रयोग में सहायता करना:
 - पढाई के साथ उन्हें कमाई के योग्य बनाने और उनकी कार्य-क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करने में सहायता करना;
 - नवप्रवर्तनात्मक विधियों और सामान का आविष्कार करने तथा उनकी रचनात्मक योग्यताओं के उपयोग करने में सहायता करना:
- निम्नलिखित के संदर्भ में छात्र/छात्राओं की उचित मनोवृत्ति और मूल्यों के विकास में सहायता करना:
 - शारीरिकश्रम और कामगारों के प्रति आदर विकसित करना;
 - आत्मिनर्भरता, सहयोग, सामूहिक कार्य, धैर्य, सिहष्णुता आदि सामाजिक दृष्टि से वांछनीय मूल्यों के विकास में सहायता करना;
 - उचित कर्त्तव्यिनिष्ठा और नियमितता, समय निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण, अनुशासन आदि के विकास में सहायता करना।
 - उत्पादक कार्य और सेवाओं में उपलिब्धियों के द्वारा आत्म-सम्मान के विकास में सहायता करना;
 - पर्यावरण के लिए गहन चिंता और समाज के लिए स्वजन भावना दायित्व और वचनबद्धता के भावों के विकास में सहायता करना;
 - श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न में सहायता करना।

पाठ्यक्रम विषयवस्तु

कार्य शिक्षा की विषयवस्तु के दो भाग हैं छात्रों/छात्राओं, उनके परिवारों और समुदाय की दैनंदिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य 'क्रियाकलाप' तथा उत्पादक कार्य और सेवाओं के लिए वैकल्पिक कार्यक्रम, जो उन्हें नकदी या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक दिला सकता है। इस अवस्था में वैकल्पिक क्रिया-कलापों द्वारा उत्पादक कार्य अभ्यास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इसीलिए विद्यालय की समय सारिणी में इसे 70 प्रतिशत भारिता प्रदान की गई है। लेकिन स्कूल द्वारा क्रियाकलापों/परियोजनाओं/पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का वास्तविक चयन इन बातों पर निर्भर करेगा: क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक, भौतिक और मानव-संसाधनों की उपलब्धता, समुदाय की समाजार्थिक पृष्ठभूमि तथा छात्र/छात्राओं की आवश्यकताएं और रुचियां।

अनिवार्य क्रियाकलाप

- बस, रेल, वायुयान की समयसारणी आदि का उपयोग।
- दुधारू पशुओं को दुहना तथा संबंधित क्रियाकलापों का प्रबंधन।

- सामासिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन/उपाहार के बनाने और वितरण में मदद करना।
- प्रदर्शिनयों, पिकिनक पर्यटन और सैर सपाटे, विद्यालय के उत्सव आदि के आयोजन में विद्यालय के अधिकारियों की मदद करना तथा उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- अपने तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए खिलौनों तथा खेल के अन्य सामान तैयार करना।
- प्राथमिक उपचार के क्रियाकलाप जैसे नब्ज देखना, तापमान (बुखार) नापना, तथा घावों को साफ करके उन पर पट्टे बांधना।
- यातायात के नियमन में यातायात पुलिस की मदद करना।
- छायादार/जलावन देने वाले/सजावटी/ सडकों के किनारे लगाने वाले वृक्षों का रोपण।
- परिवार का बजट बनाना तथा दैनिक घर खर्च का हिसाब रखना।
- सामान्य उर्वरकों, पेस्ट नाशियों के बारे में जानकारी और सही उपकरणों के द्वारा उनका उपयोग करना।
- पंचायत के सहयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए परिवहन सुविधाओं को जानने तथा उन्हें प्राप्त करने में प्रयत्न करने के योग्य होना।
- सामान्य पीड़क जीवों और पौधों के रोगों के विषय में जानकारी तथा सामान्य रसायनों और पौधों के रक्षक उपकरणों का उपयोग।
- कृषि पशुओं को खिलाने, नहलाने और सामान्य जाँच परख की जानकारी।
- गांव/नगर/गंदी बस्ती/जन-जातीय क्षेत्र के लोगों के पोषण और स्वास्थ्य की दशा का अध्ययन करना।
- घर-घर के संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा समुदाय के पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दशा को सुधारने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मदद करना।
- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी।
- शिशु-गृहों में बच्चों की देखभाल में मदद करना।
- अस्पतालों और मेलों, प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय स्वयं सेवक का काम।

वैकल्पिक क्रियाकलाप

इस अवस्था में कार्य अभ्यास, क्रमिक क्रियाकलापों वाली परियोजनाओं के रूप में होना चाहिए। ये क्रिया-कलाप उत्पादन और सेवा क्षेत्रों के व्यवसायों से संबंधित होंगे। विविध आवश्यकताओं और व्यावसायिक क्षेत्रों में गहन परियोजनाओं/पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कुछ महीनों की अविध से लेकर माध्यमिक स्तर की सम्पूर्ण दो वर्षों की अविध में पूरा करना चाहिए। यही इस आवश्यकता का स्पष्ट उत्तर है। इस प्रकार की परियोजनाओं/पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का उद्देश्य कार्य में गहन कुशलता और प्रवीणता का विकास करना है। यह छात्र/छात्राओं की उन कार्यों में उत्पादकता और क्षमता को बढ़ाने में प्रेरक होगा, जो उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ कमाई के योग्य भी बनाएगा। इस अवस्था में गहन कौशल निर्माण पर बल

देने का उद्देश्य कार्य शिक्षा के कार्यक्रम को पूर्व-व्यावसायिक आधार प्रदान करना है। साथ ही यह कक्षा X के बाद पढ़ाई बंद करने वाले छात्र/छात्राओं को संसार में कदम रखने की तैयारी को भी आधार प्रदान करेगा। उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अपनी पढ़ाई जारी रखने वालों के लिए, ये पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम, + 2 स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तैयारी में सहायक होंगे। ऐसी परियोजनाओं/पुर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक सुची नीचे दी गई है

- फुलों, सिब्जियों की खेती तथा नर्सरी में पौधे और पौध तैयार करना।
- पौधों की सुरक्षा में काम आने वाले उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव।
- सिंचाई की नालियों का पूर्व निर्माण।
- कायिक प्रवर्धन-चश्मा लगाना, कलम बांधना, कटान, दाब लगाना आदि के द्वारा नए पौधे बनाना/पैदा करना।
- मुर्गी पालना : (1) अंडों के लिए (2) पकाने के लिए।
- बेकरी और मिष्टान-उत्पाद तैयार करना।
- खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, जैली, मुख्बा, टमाटर की चटनी, अचार बनाना।
- ऊर्जा के गैर परंपरागत स्त्रोतों से संबंधित परियोजनाएं सौर, पवन, ज्वारीय, बायोगैस आदि।
- मध्मक्खी पालन : शहद की बोतलबंदी तथा विपणन।
- बिक्री या धागा बनाने के लिए रेशम के कीडे पालना।
- उपभोग, परिरक्षण या बिक्री के लिए मशरूम की खेती।
- पाक विधि कुशलताएं।
- छोटे तालाबों में मछली पालन।
- खाद्यान्नों की फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और सुरक्षित भंडारण।
- जीवाणुज उर्वरकों का उपयोग।
- दुग्ध उत्पाद तैयार करना।
- पेस्ट और रोगों से पौधों की सुरक्षा।
- मृदा परीक्षण तथा उद्धार के उपाय।
- फाइल, फाइल बोर्ड, रिजस्टर, लेखन बोर्ड, मोहर लगाने की स्याही जैसी लेखन सामग्री की वस्तुएं बनाना।
- व्यापार के लिए बंधेज और आवरण छपाई।
- परिधान निर्माण
- बिजली के घरेलू उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव।

• घर या विद्यालय में उपयोग या बिक्री के लिए बिजली के विस्तार बोर्ड बनाना।

फोटोग्राफी-व्यापारिक

नल कर्म

रद्दी कागजों से कागज बनाना।

पेरिस प्लास्टर से अधिक परिष्कृत सजावटी वस्तुएं बनाना।

चटाई और कालीन बुनना।

गुड़िया बनाना।

हाथ की कढ़ाई।

पर्याप्त क्षमता के साथ टंकण।

स्टेनोग्राफी

सहकारी भंडार चलाना।

विद्यार्थी बैंक चलाना।

पुस्तक बैंक चलाना।

बेंत की बुनाई, बढ़ईगिरी और राजगीरी।

साइकिल और स्कूटर की मरम्मत।

कम्प्यूटर चलाना और उसका रख-रखाव (सिर्फंग, इंटरनेंट खोलना, ई-मेल)।

फोटो कापी।

आवरण छपाई।

कृषि उपकरणों और मशीनों का रख रखाव।

पी सी ओ (फैक्स)

राष्ट्रीय कैंडेट कोर, एन एस एस स्काउटिंग और गाइडिंग

वैकल्पिक क्रियाकलापों की ऊपर सुझाई गई सूची में से भोजन, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, परिधान, आवास, मनोरंजन और सामुदायिक सेवा जैसे मानव की आवश्यकताओं के विभिन्न क्षेत्रों में से छात्र छात्राओं को एक या दो क्रिया-कलापों/परियोजनाओं का चयन करना है। चयनित वैकल्पिक पाट्यक्रमों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके निष्पादन के लिए कुल कितने पीरियडों की आवश्यकता होगी, जो 120 से अधिक नहीं हो सकती।

कुछ क्रियाकलापों के पाठ्यक्रम की रूपरेखा

ऊपर दिए गए क्रिया कलापों और परियोजनाओं को मूर्त रूप देने और निर्धारित समय के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तथा साथ ही अभीष्ट उद्देश्यों की सर्वोत्तम उपलब्धि के लिए कुछ अनिवार्य और वैकल्पिक क्रियाकलापों का और अधिक विवरण दिया गया है। अनिवार्य क्रिया-कलापों के निष्पादन के लिए आवश्यक पीरियडों की संख्या, िकस कक्षा के लिए उपयुक्त है तथा आवश्यक औजारों और सामान का विवरण दिया गया है। वैकल्पिक, क्रिया-कलापों के संदर्भ में, कक्षानुसार प्राग्व्यवसायी पाट्यक्रमों की विषय वस्तु/प्रमुख क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें अधिगम परिणाम/विशिष्ट क्रिया कलापों, शिक्षण/अधिगम विधियाँ औजारों और सामान, निष्पादन के लिए आवश्यक समय तथा पाट्यचर्या के अन्य क्षेत्रों से संबंध का ब्यौरा भी शामिल है। शेष क्रिया-कलापों/परियाजनाओं प्राग्यवसायी पाट्यक्रमों के लिए विशिष्ट क्रियाकलापों का निर्धारण किया जा सकता है। कुछ क्रिया कलापों के पाट्यक्रमों की रूप रेखा नीचे दी गई है:

अनिवार्य क्रियाकलाप

क्रियाकलाप I गाँव/नगर/गंदी बस्ती/जन जातीय क्षेत्र में लोगों के पाषेण और स्वास्थ्य की दशा का अध्ययन।

कक्षा IX या X (30 पीरियड)

लोगों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति देश की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाओं को दर्शाती है।

पोषण और स्वास्थ में सुधाार, विकास के राष्ट्रीय नियोजनों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पोषण और

स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों के अध्ययन से तथ्यों का ज्ञान होगा, जिनके आधार पर उनकी स्थिति में सुधार के लिए उचित नियोजन किया जा सकता है।

विशिष्ट कियाकलाप

किसी गाँव/नगर/गंदी बस्ती/ जनजातीय क्षेत्र का अभिग्रहण।

समुदाय की पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की प्रारम्भिक पहचान।

परिवार से उनकी पृष्ठभूमि और अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली निर्माण/साक्षात्कार कार्यक्रम।

सामान्य जानकारी : परिवार का मुखिया, परिवार का प्रकार परिवार का संघटन

परिवार के भोजन का प्रतिरूप भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, दवाओं, ईंधन, परिवहन, बचत, कर्ज चुकाना, मनोरंजन आदि अन्य मदों पर मासिक व्यय का प्रतिरूप।

भोजन के मासिक व्यय की विस्तृत जानकारी।

घर पर बना भोजन।

विशेष दशाओं में दिया जाने वाला भोजन।

भोजन पकाने की विधियाँ।

घर में भोजन की वस्तुओं का भंडारण।

'अच्छी' और 'अच्छी नहीं' मानी जाने वाली भोजन की वस्तुएं।

स्वास्थ्य की सामान्य समस्या : बच्चों की अभावजन्य बीमारियां, बच्चों के अन्य सामान्य रोग, परिवार में सामान्यत: होने वाले रोग।

रोगों से मुक्ति के लिए किए गए उपाय।

पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी समस्या।

कचरे अर्द्धठोस या तरल के निपटान का तरीका।

जल आपूर्ति का स्त्रोत तथा जल भंडारण का तरीका।

स्वास्थ्य संबंधी आंदतों का अनुपालन।

उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएँ।

- सर्वेक्षण का संचालन
- आँकड़ों का विश्लेषण तथा निम्नलिखित के संदर्भ में प्रमुख निष्कर्षों पर रिपोर्ट तैयार करना

समाजार्थिक दशाएं:

पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्याएं:

स्वास्थ्य की सामान्य समस्याएं:

बच्चों, माताओं और समुदाय के कुपोषण की समस्याएं;

समुदाय की पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी अवांछनीय प्रथाएं;

पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए व्यावहारिक हस्तक्षेप उपाय;

क्रियाकलाप-II

घर-घर संपर्क कार्यक्रम के द्वारा समुदाय के पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिति सुधारने और समुदाय के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता।

कक्षा IX या X (30 पीरियड)

विकासशील दुनिया में कुपोषण और संक्रमण स्वास्थ्य की अनिश्चित स्थिति के प्रमुख कारण हैं। कुपोषण केवल गरीबी या सामाजिक और वितरणात्मक अन्याय के परिणामस्वरूप भोजन की अनुपलब्धता के कारण ही नहीं होता, अपितु पोषण के तथ्यों के अज्ञान और अवांछनीय प्रथाओं के कारण भी होता है। कुपोषण की समस्याओं को कही हद तक हल किया जा सकता है, यदि आय की सीमा में रहकर ही भोजन का विवेक पूर्ण चयन किया जाए और उपलब्ध भोजन का और अधिक उपयोग किया जा सके। पर्यावरण की स्वच्छता की दो मूलभूत समस्याओं के चिरकालिक अस्तित्व मुख्य रूप से असुरक्षित जल आपूर्ति तथा कचरे, विशेष रूप से मानव मलमूत्र के अस्वास्थ्यकर निपटान, से ही संक्रामक रोग फैलते हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग से 80 प्रतिशत रोगों पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है।

इस प्रकार समुदायों के वांछनीय पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता की प्रथाओं के द्वारा स्वास्थ्य की समस्याओं को कित हद तक हल किया जा सकता है। जनसंख्या के सभी आयुवर्ग को पर्यावरण आधारित शिक्षा देकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। घर-घर संपर्क कार्यक्रम, पर्यावरण आधारित शिक्षा का सबसे प्रभावशाली तरीका है। पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता में हस्तक्षेप किए बिना भी घर-घर संपर्क कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त कार्यात्मक शिक्षा से समुदाय की पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थित को सुधारा जा सकता है।

विशिष्ट क्रियाकलाप

गांव के सरपंच, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर, और खंडविकास अधिकारी को एक सम्मेलन में आमन्त्रित करना चाहिए। इनके साथ मिलकर अभिग्रहीत समुदाय में चलाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर चर्चा करनी चाहिए। इसी मौके पर संपर्क कार्यक्रम में उनकी भागीदारी और सहयोग की संभावनाओं को भी तलाशा जा सकता है।

 पूर्व सर्वेक्षण (क्रियाकलाप 1) के द्वारा चिह्नित अभिग्रहीत समुदाय में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की समस्याओं को समुदाय में चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध जोड़ना तथा समुदाय में विशिष्ट वांछनीय प्रथाओं की एक सची तैयार करना।

बच्चे की चार महीने की आयु होने पर पूरक भोजन देती है। बच्चे को बोतल में नहीं, कटोरी में दूध देती है।

बच्चे को कई बार दूध पिलाती है।

बीमार होने पर भी बच्चे को दूध पिलाती है।

बच्चे को प्रतिशिक्षित करती है।

काटने से पूर्व सिब्जियों को धोती है।

अधिशोष पाक जल का उपयोग करती है।

हरी पत्तीदार सब्जियों का नियमित उपयोग करती है।

कच्ची सब्जियों/फलों/अंकुरित अनाज का नियमित उपयोग करती है।

घर के पास-पड़ोस को साफ रखती है।

अपजल का पौधे उगाने में उपयोग करती है।

कचरे को गड्डे में फेंकती है।

दाँतों को साफ रखती है।

नाखून काटकर उन्हें साफ रखती है।

मार्गों, जलस्त्रोतों और घरों से दूर मल त्याग करती है। मल त्याग के बाद बाहर ही सफाई करती है: किसी तालाब/टैंक/नदी में नहीं।

- घर-घर सम्पर्क कार्यक्रम के लिए बनाई गई पिरयोजना टीम के सदस्यों में पिरवारों का वितरण तथा घर-घर संपर्क कार्यक्रम के लिए समय सारणी तैयार करना, और अधिक अच्छे पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए वांछनीय प्रथाओं के महत्त्व को समझाना और वांछनीय प्रथाओं की जांच सुची में पिरवार में प्रचलित प्रथाओं को दर्ज करना।
- प्रत्येक तीन संपर्कों के बाद टीम सदस्यों का सामने आई समस्याओं पर विचार विमर्श करना, किसी वांछनीय प्रथा के न चलने के कारणों को विश्लेषण करना, तथा कार्यक्रम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए संभावित समाधान खोजना।
- समस्त समुदाय के लिए प्रथम और अंतिम संपर्क कार्यक्रम की वांछ्नीय प्रथाओं के अभिलेख सुदृढ़ करना तथा प्रथाओं में सुधार के प्रतिशत के आधार पर कार्यक्रम के प्रभाव को जांचना।
- परियोजना की टीम के सदस्यों का उनकी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के आधार पर तथा उनको सौंपे गए परिवारों में प्रथाओं में सुधार के आधार पर व्यक्तिगत निष्पदन का मूल्यांकन करना ।

कियाकलाप III

प्रथम उपचार दुर्घटना या आकस्मिक बीमारी से पीडि़त व्यक्ति को तत्काल और अस्थायी देखभाल को प्रथम उपचार कहते हैं। प्रथम उपचार का मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना तथा डॉक्टर के आने या आपातघर या अस्पताल तक परिवहन के दौरान रोगी की दशाओं को अधिक गम्भीर होने से रोकना।

विशिष्ट क्रियाकलाप

- प्रथम उपचार किट बनाना तथा उपयोग करना।
- घावों की सफाई और पट्टी बांधना।
- साधारण चोटों और आपात् स्थितियों का प्रबंधन:
- खून बहना
- प्रघात
- डूबना
- जलना
- साँप का काटना
- अस्थि भंग
- विषायन

क्रियाकलाप IV

छायादार/जलावन/सजावटी/सडकों के वृक्षों का रोपण

पर्यावरण के पारिस्थितिक संतुलन के लिए वृक्षों का महत्त्व। विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थानीय और विदेशज वृक्ष पौधों की सामान्य वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ जाति विशेष के वृक्षों से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याएँ और उनके समाधान। पौधघर में पौध उगाना तथा पौधघर का प्रबंधन। सजावटी वृक्षों का कायिक प्रवर्धन। अभिविन्यास नियोजन। वृक्षारोपण और उनकी देखभाल।

विशिष्ट क्रियाकलाप

- छायादार/जलावन/सजावटी सङ्कों के वृक्षों की पहचान।
- विभिन्न वृक्षों का उद्भिज् संग्रह (हरबेरियम) तैयार करना।
- वानस्पति वृद्धि, नई कोंपले/पत्तियां निकलना, पुष्पण, फलन आदि का ऋतु जैविक निरीक्षण।
- बीजों की पहचान, पौधा घर में बोने से पहले बीजों का उपचार।
- बीज बोने के लिए पौधघर में क्यारियां बनाना।
- पौध घर में पौधे उगाना तथा पौधघर प्रबंधन।
- कटान, दाब द्वारा कायिक प्रवर्धन।
- वक्षारोपण के लिए अभिविन्यास।
- वृक्षारोपण के गड्डे खोदना।
- गड्डों में भरने के लिए मृदा और खाद का मिश्रण तैयार करना।
- रोपण के लिए पौधे निकालना।
- रोपण बोर्ड या रस्सी की मदद से वृक्षारोपण।
- सुरक्षा के लिए वृक्ष कवच/बाड़ लगाना (वृक्ष कवच/बाड़ लोहे की छड़ों, खाली पुराने पीपों, कांटेदार टहनियां, ईंटों, कांटेदार तारों, सजीव बाडे से बने होते हैं)
- रोपण के बाद पौधों की देखभाल, सिंचाई, खरपतवार निकालना, घासपात ढकना, गुड़ाई, रोगों से बचाव, पेस्ट, जन्तु,
 मौसम की प्रतिकृल दशाएं आदि।

क्रियाकलाप V

सामान्य उर्वरकों और पेस्ट नाशियों की पहचान तथा उचित उपकरणों द्वारा उनका उपयोग ।

पौधों के पोषण के तत्त्व, उर्वरक नाइट्रोजनी, फाँस्मेटी जैव उर्वरकों, सूक्ष्म पोषकों, सामान्य कीटनाशकों खपतवारनिशयों, कवकनाशियों की संकल्पना। मात्रा गणना। पौध रक्षक उपकरण, विभिन्न प्रकार के फुहारे प्रधूलक। पौध रक्षक उपकरणों की रख रखाव और उपयोग। उर्वरक डालने की विधियां, मुदा और पर्णीय उपयोग।

विशिष्ट क्रियाकलाप

- विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कवक नाशियों, कीटनाशकों खरपतवार नाशियों, जैव उर्वरकों की पहचान।
- फुहारों और प्रद्युलकों के विभिन्न अंगों की पहचान।
- पौध रक्षक उपकरणों का अंशशोधन।
- विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों आदि की मात्रा की गणना।
- पौध रक्षक रसायनों के कार्यातमक घोल तैयार करना।
- पौध रक्षक उपकरणों का उपयोग।
- उर्वरकों का उपयोग, सतह के ऊपर सतह के नीचे तथा पत्तियों पर छिड़ककर उर्वरक डालना।
- फलीदार फसलों के लिए जैव उर्वरकों का उपयोग।
- उद्यान कृषि में पट्टियों में उर्वरक लगाना।
- उर्वरकों के उपयोग के बाद फसलों/पौधों का सामान्य पेस्टनाशियों निरीक्षण तथा अनुपचिरत पौधों से उनकी तुलना।

क्रियाकलाप VI

पौधों के सामान्य पेस्ट और रोगों से परिचय तथा सामान्य रसायनों और पौध रक्षक उपकरणों का उपयोग

कृषि में पेस्टों और रोगों का महत्त्व। उनके नियंत्रण के उपाय। जैव तथा समन्वित नियन्त्रण उपायों के विषय में सामान्य जानकारी। सामान्य कीटनाशक, कवकनाशी, खरपतवार नाशी। सामान्य पौध रक्षक उपकरण उनके निर्माण का विस्तृत विवरण, सामान्य मरम्मत और रख रखाव। पौध रक्षक रसायनों के उपयोग के समय की सावधानियाँ। प्रमुख क्षेत्रीय फसलों, सब्जियों और फलों की फसलों के सामान्य ऐस्ट। प्रमुख क्षेत्रीय फसलों, सब्जियों और फलों की फसलों के सामान्य ऐस्ट। प्रमुख क्षेत्रीय फसलों, सब्जियों और फलों की फसलों के सामान्य रोग।

विशिष्ट कियाकलाप

- कीटों, उनके लाखा, प्यूपा, अंडों का संग्रहण और परीक्षण।
- रोगग्रस्त पौधों के अंगों का संग्रहण और परीक्षण।
- फुसलों के पेस्टों और रोगों की पहचान और वर्णन।

- पादप रक्षक रसायनों की पहचान।
- पेस्टों और रोगों के कारण फसलों की हानि का अनुमान लगाना।
- पादपरक्षक उपकरणों की सफाई, रख-रखाव और सामान्य मरम्मत।
- पादपरक्षक उपकरणों को चलाना।
- पादपरक्षक रसायनों का कार्यात्मक घोल बनाना।
- पादपरक्षक रसायनों के उपयोग के बाद पौधों का निरीक्षण।
- उपचरित और अनुपचरित पौधों में तुलना।
- कवक नाशी द्वारा बीजों का उपचार।

क्रियाकलाप VII

पारिवारिक बजट बनाना तथा दैनिक घरेलू लेखा-जोखा

विशिष्ट क्रियाकलाप

- घरेलू लेखा के महत्त्व की पहचान।
- लेन-देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को सीखना।
- खर्चों के रिकॉर्ड, वाउचरों, रसीदों, बिलों आदि को रखना।
- सामान्य रसीदों और भुगतान के लेखा का रजिस्टर में व्यवस्थित और सफ सुथरे ढंग रिकॉर्ड रखना।
- पुरानी रसीदों और भुगतान की वर्तमान रसीदों और भुगतान से तुलना करना।

विशिष्ट क्रिया-कलाप

- विभिन्न परिवारों की आवश्यकताओं, सुखों और विलासिताओं में अंतर करना।
- परिवार की उपभोज्य वस्तुओं की सूची बनाना।
- आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्यों का संग्रहण।
- पारिवारिक आय को विभिन्न मदों में बाँटना।
- पारिवारिक बजट बनाना।
- निम्न वर्ग, निम्नमध्यवर्ग और मध्यवर्ग के पिरवारों के बजट का तुलनात्मक अध्ययन करना।

क्रिया-कलाप VIII

बस और रेल की समय सारणी तथा अन्य सूचना स्त्रोतों का उपयोग

- बस. रेल और अन्य समय-सारिणयों के महत्त्व को समझना।
- बस अड्डे से बस की समय-सारणी तथा रेलवे स्टेशन से रेल की समय-सारणी एकत्र करना।
- समय-सारणी के विभिन्न भागों का अध्ययन करना।
- बस और रेल की समय-सारणी को पढ़ने की प्रक्रियाओं को सीखना।
- विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न गन्तव्यों तथा मार्गों के लिए बस और रेल यात्रा की योजना बनाना।

क्रियाकलाप IX

विद्यालय के अधिकारियों की निम्नलिखित के आयोजन में मदद करना।

- (क) पिकनिक, पर्यटन और सैर-सपाटों, उत्सव
- (ख) प्रदर्शनियाँ

विशिष्ट क्रियाकलाप

विद्यालय के अधिकारियों की पिकनिक, पर्यटन, सैर सपाटे, और विद्यालय के उत्सवों के आयोजन में मदद करना।
 कार्यक्रम की योजना बनाना।

परिवहन, भोजन, खेल और मनोरंजन जैसे विभिन्न कामों के लिए टीमों का गठन।

धन संग्रह तथा उसका लेखा-जोखा रखना।

प्रत्येक कियाकलाप की व्यवस्था और तैयारी करना।

पिकनिक, पर्यटन/सैरसपाटे, उत्सव के दिन कार्यक्रमों का आयोजन/निष्पादन।

कार्यक्रम की सफलता की गई गतिविधि के प्रभावित का मूल्यांकन।

प्रदर्शनियों के आयोजन में विद्यालय के अधिकारियों की मदद करना।

कार्य की योजना बनाना।

प्रदर्शित वस्तुओं का संग्रहण/निर्माण तथा उन्हें सुरक्षित रखना।

प्रदर्शन के लिए उचित मेजों, बोर्डों आदि को इकठ्ठा करना।

प्रदर्शिनी कक्ष या मैदान की सफाई और सजावट।

योजनानुसार उचित स्थलों पर वस्तुओं का प्रदर्शन।

प्रदर्शिनी के दिन स्वागत करने का कर्त्तव्य निभाना।
दर्शकों को प्रदर्शित वस्तुओं के विषय में बताना।
प्रदर्शिनी की समाप्ति पर वस्तुओं को इकट्ठा करना तथा उन्हें उनके स्वामियों/विद्यालय के
अधिकारियों को लौटाना।
फर्नीचर आदि को उनके उचित स्थान पर वापस रखना।

क्रिया-कलाप X

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में भागीदारी

विशिष्ट क्रियाकलाप

पास-पड़ोस का सर्वेक्षण तथा प्रौढ़ निरक्षरों की पहचान।
घर-घर जाकर मिलना तथा उन्हें साक्षरता की कक्षाओं में आने के लिए मनाना।
उनकी आयु, व्यवसाय और रुचियों के अनुसार निरक्षरों के समृह बनाना।
उनकी क्षमताओं और रुचियों के आधार पर छात्रों के समृह बनाना।
शिक्षक के निर्देशन और मदद से साक्षरता सामग्री का चयन।
कार्यक्रम चलाने के लिए स्थान और भौतिक (वस्तुओं) की व्यवस्था करना।
शिक्षण सामग्री के चयन सहित शिक्षण की पर्याप्त तैयारी करना।
प्रौढ़ों को समृह में पढ़ाना।
कक्षा में एक साथ मिलना तथा कार्य की प्रगति और समस्या, यदि कोई है तो, का पुनरीक्षण करना।
अनुभव के आधार पर शिक्षण की विधियों और प्रक्रियाओं को सुधारना।
प्रौढ़ साक्षरता की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा रिकॉर्ड रखना।
आवश्यक सामग्री, उपकरण और औजार

किया-कलाप XI

कक्षा में उपयोग के लिए सामग्री

विशिष्ट किया-कलाप

- उस संकल्पना/प्रकरण/ पाठ की पहचान, जिसके लिए शिक्षण सामग्री तैयार करनी है।
- तैयार की जाने वाली शिक्षण सामग्री की पहचान: उन्मेष कार्ड, चार्ट, माडल, कतरन रिजस्टर, लैनल बोर्ड, काम चलाऊ उपकरण आदि।
- शिक्षण सामग्री की प्लान/काम चलाऊ रेखांकन करना तथा आवश्यक उपकरणों और सामग्री की सूची बनाना।
- इसे बनाने के लिए सामग्री इकठा करना।
- शिक्षक के निर्देशन में शिक्षण सामग्री तैयार करना।
- इसकी प्रभाविता और किमयों को जानने के लिए प्रतिदर्श छात्रों पर शिक्षण सामग्री का उपयोग।
- किमयों को दूर करना।
- उपयोग के लिए विद्यालय के अधिकारियों को सौंपना।

10. कला शिक्षा

तर्काधार

कला शिक्षा शिक्षार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए पाठ्यचर्या-क्रियाकलाप के क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण अंग है। कला परितोष की प्रक्रिया है, जो रचनात्मक, सृजनशील और आनन्दमय रीति से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। कलाशिक्षा अभिव्यक्ति (मौखिक और अमौखिक) की विविध प्रक्रियाओं के अन्वेषण में सहायक है।

पर्यावरण के एकाग्रचित्त पर्यवेक्षण से यह सृजनशील अभिव्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा बुद्धि को प्रखर बनाती हैं। विविध प्रकार की सामग्री से परिचय के द्वारा यह अभिरुचियों के अन्वेषण में सहायता करती है। यही नहीं अभिव्यक्ति की वैयक्तिक विधा और शैली की पहचान में भी यह सहायक है। यह परिवेश के अन्दर और बाहर तथा क्षेत्र विशेष में प्रचलित कला की विविध विधाओं के विषय में ज्ञानवृद्धि करती है। इतना ही नहीं, प्रयोग और अन्वेषण की प्रक्रिया में इसके द्वारा विभिन्न औजारों और अन्य कला-सामग्री के उपयोग में कुशलता का विकास होता है। स्पेस संगठन रंगों, विधाओं, रेखाओं, विन्यास गित, ध्विन, आदि के अन्वेषण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी में संगठन और अभिकल्प का बोध विकसित होता है। कला उनमें वैयक्तिक छवि तथा घर, विद्यालय और समुदाय के सन्दर्भ में अनुशासन का भाव जाग्रत करती है। यह कलात्मक अभिरुचि और सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक धरोहर के प्रति आदर का विकास करती है।

सृजनशील कला की अभिकल्पना में सामान्यत: ज्ञात कला-विधाओं के सभी तत्त्व सिम्मिलित किए जाते हैं। कला की विधाएं ये हैं : चाक्षष निष्पादन और भाषिक कला जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, रेखांकन और चित्रकला, प्रतिरूपण और मूर्तिकला या निर्माण कार्य, कुम्हारी और मृत्तिका शिल्प, कविता और रचनात्मक लेखन तथा अन्य सम्बन्धित शिल्प विधाएं।

उद्देश्य :

कला शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों और ज्ञान को समेकित करने में सहायता करना।
- विद्यार्थी के नवीन माध्यम और तकनीक तथा सृजनशील अभिव्यक्ति के लिए उनके उपयोग से परिचय कराना। इससे वे सामान्य उपयोग की वस्तुएं बना सकेंगे।
- लोक कलाओं, स्थानीय विशिष्ट कलाओं तथा अन्य सांस्कृतिक घटकों के विषय में ज्ञान के विकास के अवसर प्रदान करना। इससे उनका राष्ट्रीय धरोहर के विषय में ज्ञान बढेगा और वे उसकी प्रशंसा कर सकेंगे।
- जीवन की दैनन्दिन परिस्थितियों में विद्यार्थी को कलात्मक सुरुचि और सौंदर्य बोध के उपयोग में सहायता करना।
- सामाजिक प्राणी के रूप में विद्यार्थी के संतुलित विकास में सहायता करना। यह विकास प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित परियोजना के द्वारा होगा।
- स्थानीय कलाकारों/कलावंतों के जीवन और कार्य से परिचय कराना।
- समुदाय की सहायता से और स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्री के द्वारा सुजनशील अभिव्यक्ति का विकास करना।
- प्राकृतिक सौंदर्य और कला विधाओं के मूल तत्त्वों की प्रशंसा के भाव को परिष्कृत करना।

कला के क्रियाकलापों की पद्धति

माध्यमिक स्तर पर कला शिक्षा, स्थानीय लोक कला और शिल्प तथा लोक नाट्य के अधिक निकट होती है। कला केवल पुराने कलाकारों का अंधानुकरण या शिक्षकों के कार्य की यथारूप अनुकृति नहीं है। यह तो सृजनशील और कल्पना शील रीति से शिक्षार्थियों की अपने आप की अभिव्यक्ति में सहायता देती है। सृजनशील कलाएं कार्य शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती हैं। कार्य शिक्षा में कुछ कलात्मक क्रियाकलापों को कार्यान्वित किया जा सकता है, लेकिन इसकी पद्धित और कृति भिन्न होगी।

शिक्षार्थी के हित में यही है कि जहां तक संभव हो, विद्यार्थियों के समक्ष सृजनशील कलाओं के सभी माध्यम रखे जाने चाहिए, ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार, कला की किसी एक विधा या कला की विधाओं के किसी समुच्चय को चुन सकें। वे हैं।

चाक्षुष कलाएं

दो आयामी या चित्रात्मक

रेखांकन और चित्रकला

कोलाज बनाना

छापा तैयार करना

फोटोग्राफी

कम्प्यूटर चित्र (जहां संभव हो)

• तीन आयामी

मृदा प्रतिरूपण और कुम्हारी

उत्कीर्णन और मूर्तिनिर्माण

निर्माण

निष्पादन कलाएं

- संगीत (गायन, वादन)
- संचलन और नृत्य।
- सृजनशील नाटक तथा कठपुतली।
- सृजनशील लेखन और काव्य

कला शिक्षा के साधन

स्कूलों में कला के कार्यक्रमों में प्रदेश विशेष के लोकाचार का प्रतिबंधन होना चाहिए। संगीत काव्य, नृत्य नाट्य और विधाओं की रचना में कलात्मक अभिव्यक्ति प्रारम्भिक काल से ही मानव जीवन का अंग रही है। यह कोई नई और अपरिचित नहीं है अपितु यह तो मानव अस्तित्व का अभिन्न अंग है। स्थानीय परिवेश और कलाओं से परिचय, विद्यालय के कला कार्यक्रम का अनिवार्य क्रियाकलाप होना चाहिए।

वैयक्तिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त, कलाएं, प्राचीन काल और वर्तमानकाल में दिए गए योगदान का अध्ययन और रसास्वादन करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। संगीत, चित्रों, नृत्य और नाटक का मूल्यांकन सीखकर व्यक्ति में सौंदर्यपरक संवेदनशीलता तथा भावुकता विकसित हो जाती है और वह इस प्रकार अन्य संस्कृतियों से संबद्ध लोगों को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है। हम एक सद्भावपूर्ण समाज, एक सृजनशील राष्ट्र या प्रशंसापूर्ण भावों से अभिभूत एक अलग संसार की रचना कर सकते हैं। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि विद्यालय के कला संबंधी कार्यक्रम बच्चे द्वारा क्षेत्र की कला परम्परा से अवगत हों। क्षेत्र कलाओं से परिचय के द्वारा उसमें शक्ति और विश्वास का संचार होगा और वह संस्कृति तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए योगदान का आदर और प्रशंसा कर सकेगा।

विद्यालयों में सृजनशील कार्यक्रमों के लिए सदैव परिष्कृत सामग्री और उच्च कोटि के संसाधनों की ही आवश्यकता नहीं होती है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तो सृजनशील कलाओं का बोध है जिसके लिए कौशल स्वत: विकसित हो जाते हैं तथा बच्चों के साथ काम करने और खेलने का परितोष है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का सृजनशील अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा समुदाय के विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा सकती है।

पाठ्यक्रम

(क) चाक्षुष कलाएं

अगर विद्यालय विभिन्न माध्यमों के लिए कला-शिक्षकों की व्यवस्था कर सकते हैं तो निम्नलिखित पाठ्यक्रम को चुना जा सकता है। सामग्री/माध्यम और तकनीक के संदर्भ में निम्न क्रिया-कलाप निर्धारित हैं :

दो आयामी अथवा चित्रात्मक क्रियाकलाप

चाक्षुष संसाधनों और सुजन अभिव्यक्ति के साधनों का अध्ययन :

दो आयामी स्पेस का दो आयामी व तीन आयामी रूप व आकार में संगठित करते समय रेखाओं, रंगों, आभाओं, रंग संगतियों. विन्यासों आदि का अध्ययन।

प्रकृति और परिवेश का रेखांकन।

अंतराल, वायुमंडल, व्यक्तिनिष्ठ मन:स्थिति के प्रदर्शन के लिए रंगों का सृजनशील उपयोग।

स्थानीय संबद्धता के परिप्रेक्ष्य का सृजनात्मक प्रयोग

देवनागरी और रोमन अक्षरों (लिपियों) के सुलेखीय आघातों का अध्ययन।

वैषम्य प्रभाव का कला के अभिव्यंजक तत्त्व के रूप में उपयोग।

उनकी उपलब्धि की सीमा तक विभिन्न माध्यमों और तकनीकों का अध्ययन और उपयोग।

पेन्सिल, काठकोयला, जलरंग, क्रेऑन तेल रंग, पोस्टर रंग और अपारदर्शीवर्णचित्रण, ऐक्रिलिक रंग और रंगों के अपारंपिक स्त्रोत जैसे सिंदूर, लाल और पीली मिटी, चावल का आटा और उपकरण जैसे जल रंगों और तेल रंगों की चित्रण तूलिकाएं, चित्रण सतह जैसे विविध प्रकार और गुणता के कागज, जैसे चिकना, खुरदरा, मोटा, पतला आदि, चित्रपटी, हार्ड बोड, कागज पर सामान्य वस्त्र आदि।

विविध रंगों के कागजों और रंगीन मुद्रित चित्रों, मैगजीन और समाचारपत्रों से फोटो/चित्रों से समुचित चित्र तथा चित्तिल कार्य।

छापे बनाना : एकल छपाई, काष्ठ ब्लाक से छपाई, लाइनों कट और धातु पर्ण : सेरीग्राफी (रेशम स्क्रीन), स्व निर्मित स्टेन्सिल आदि।

कम्प्यूटर चित्रों का मूलभूत ज्ञान (जहाँ कहीं संभव है)

तीन आयामी या मूर्तिकला सम्बन्धी क्रिया-कलाप

मृत्तिका के मूल विधाओं का अध्ययन

विविध सामग्री जैसे मृत्तिका, पैरिस प्लास्टर, सेलखड़ी (मुलायम पत्थर) काष्ठ (ब्लाक, टहनियां और शाखाएं, जड़ें आदि) धातु कतरनों, प्लास्टिक चादरों, तारधागों, कागज और गत्तों, सब्जियों तथा अन्य ठेंके गए उपलब्ध पदार्थों का अध्ययन।

प्राकृतिक और मानवकृत आकृतियों, मानव आकृति पक्षियों, जीव जंतुओं, वनस्पित और अन्य वस्तु जैसे घरेलू वस्तुएं, भवन या जैसी विद्यार्थियों की इच्छा, का अध्ययन।

दैनन्दिन उपयोग की वस्तुओं का समूह तथा भिन्न दृश्य विधान और विन्यास।

नियत कार्य

भिन्न माध्यमों और तकनीकों में दो और तीन आयामी व्यक्ति निष्ठ विधाओं, उपयोगी और प्रकार्यात्मक कला और शिल्प विधाओं में नियत कार्य चित्र, भित्ति चित्र, आलेख, मृत्तिका प्रतिरूपण, काष्ठ उत्कीर्णन, सेलखड़ी, पैरिस प्लास्टर ईंट निर्माण का खंड, समुचित चित्र, जड़ाऊ काम, मृदभांड और मृत्तिका भांड, मुखौटे, कठपुतिलयां, वस्त्ररूपांकन बंधेज बांधनू और बाटिक, और ब्लाक छपाई सहित पोस्टर रूपांकन, अभिन्यास चित्र तथा फोटोग्राफी आदि।

कला-क्रियाकलाप का विद्यालय के अन्य क्रियाकलापों से सह सम्बन्ध

- कठपुतली बनाना, उनके परिधान बनाना, कठपुतिलयों का कामचलाऊ मंच या रंगमंच, गृहिवज्ञान और कला (नाटक)
 विषयों से सह सम्बन्ध/पास-पड़ोस की भूमि को भूदृश्य निर्माण द्वारा भौतिक पर्यावरण का सौंदर्यपरक संघटन। वृक्ष और
 अन्य फूलों वाले पौधे तथा सिब्जियाँ लगाकर भूदृश्य निर्माण किया जा सकता है तथा इसे कृषि, गृहिवज्ञान और पर्यावरण
 अध्ययन के क्रियाकलापों से जोड़ा जा सकता है।
- मंच विन्यास उपकरणों का निर्माण जैसे परदे पृष्ठ पर मंच प्रकाश, काम चलाऊ फर्नीचर आदि उपयोगी (शिल्प) वस्तुओं का रूपाकंन तथा कार्य शिक्षा के क्रिया-कलापों से सह-संबंध स्थापित करना।

 विद्यालय की पित्रका बुलेटिन बोर्डों का रूपांकन, विद्यालय के उत्सवों के लिए पोस्टर बनाना, बधाई/निमंत्रण पत्र बनाना, संगीत, नृत्य नाटकों के लिए मंच दृश्य बनाना तथा अनुप्रयुक्त कला के क्रियाकलापों से सह सम्बन्ध स्थापित करना।

टिप्पणी : ये क्रियाकलाप तथा अन्य सामूहिक क्रिया-कलापों को परियोजना के रूप में या व्यक्तिगत स्तर पर पूरा किया जा सकता है।

सामूहिक क्रिया कलाप

- छात्रों के आविधक और सत्र कार्य के प्रदर्शन और प्रदर्शनियों का आयोजन।
- उनकी अन्योन्यक्रिया और ज्ञान की सीमा को और अधिक विस्तार देने के लिए अंतर्विद्यालय प्रदर्शनियों का आयोजन करना।
- प्रादेशिक और लोक कला की पारंपरिक विधाओं सिंहत समुदाय के उत्सव और समारोहों, सांस्कृतिक संध्याओं संगीत गोष्ठियों, फिल्म प्रदर्शनों तथा अन्य निष्पादनों का नियोजन और आयोजन।

पर्यावरण और सांस्कृतिक विविधताओं की अधिक जानकारी के लिए संग्रहालयों, वानस्पतिक उद्यानों, चिड़ियाघरों और कला वीथियों और कला संस्थानों की अध्ययन यात्राओं में भागीदारी।

कला और संस्कृति का सैद्धांतिक बोध

- सामाजिक अध्ययन पर आधारित भारतीय कला और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण पक्षों पर संक्षिप्त टिप्पणियां।
 इस प्रकार के आलेखों का आधार पाद्य पुस्तकों में मुद्रित कलाकृतियों का पुनर्मृद्रण हो सकता है।
- किसी भी एक समकालीन कलाकार का योगदान।
- पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान: आकृति संघटन, आलेख, विधा, परिमाण, अंतराल (स्पेस), कांति छापा बनाना, समुच्चित चित्र, अध्यवसायी, उद्भृति का प्रतिरूपण, जडाऊ काम, सुलेखन, विन्यास, पोस्टर और संघटन।

(ख) निष्पादन कलाएँ

संगीत (गायन)

● सिद्धांत

पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान संगीत, नाद, स्वर, शुद्ध , कोमल, तीव्र सप्तक, मद्रं मध्य तार, आरोह, अवरोह, राग, लय, मात्रा. ताल. आवर्तन, समताल।

पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पुरेंदर दास द्वारा निर्धारित स्वर लिपि पद्धति। संगीत के इतिहास की रूपरेखा।

व्यावसायिक क्रियाकलाप।

राष्ट्रगान।

समुदाय में गाने के लिए पंद्रह गीत।

वर्ष के समय का संकेत करते हुए तथा अवसर और उत्सव विशेष से सम्बन्धित विभिन्न प्रदेशों के पाँच लोक गीत या जनजातीय गीत। उसी गीत का अर्थ लिखना तथा लय का ज्ञान।

भारत के संतकवियों के भजन तथा पाँच भिक्त गीत।

टैगोर के गीत सहित मातभाषा के अलावा प्रादेशिक भाषाओं के तीन गीत।

देशभिक्त के तीन गीत या सार्वभौम प्रेम और मैत्री के विषय पर गीत।

- तालबद्ध और अलंकार के द्वारा स्वर और लय के उचित भाव की सुष्टि करना।
- निम्नलिखित में से किन्हीं चार रागों की संरचना से परिचय : यमन, काफी, खमाज, भूपाली, नट, कल्याणी, सवेरी, तोडी (जापुरा तबला या मृदंग की संगत के साथ) गुरुजी को राग और इसके स्वरों के विशिष्ट लक्षणों को इस तरह समझाना चाहिए कि विद्यार्थी राग के गुणों और इसमें विभिन्न स्वरों के योगदान को पहचान सकें।
- निम्नलिखित ताल और उनके ठेके : कहरवा, दादर, तृताल (तीन ताल), झपताल, चौताल, अलंकार ताल

परियोजना कार्य

- महान संगीतकारों के चित्र उनके परिचय की टिप्पणी के साथ एकत्र करना, सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों के फोटो या चित्र तथा उनके बजाने वाले कलाकारों के चित्र भी एकत्र करके कतरन पुस्तिका में चिपकाना।
- रेडियो और टी.वी. पर संगीत के कार्यक्रमों को सुनना तथा उनके निष्पादन पर संक्षिप्त विवरण लिखना और अपनी कतरन पुस्तिका में चिपकाना।

संगीत (रागात्मक वाद्य)

सिद्धान्त

पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान : संगीत, ध्विन, नाद, स्वर (शुद्ध, कोमल, तीव्र) सप्तक (मंद्र मध्य, तार) आरोह, अवरोह, राग, गत, लय, मात्रा, ताल, आवर्तन, समताल, खाली, लघु हुतम्, अनुदुतम्।

पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पुरंदर दास द्वारा निर्धारित स्वर लिपि पद्धित का ज्ञान। कम से कम चार वाद्य यंत्रों, उनके मुख्य अवयवों तथा उनसे निकलने वाली ध्विन (संगीत) पर संक्षिप्त टिप्पणियां।

व्यावहारिक क्रिया कलाप

निम्नलिखित में से किसी एक वाद्य यंत्र के सुर मिलाना तथा बजाना : सितार, सरोद, वायिलन दिलरुबा या इसराज, बांसुरी, जलतरंग, मंडोलिन, गिटार (तबले की संगत के साथ)

 वाद्य यंत्रों को बजाने वाले विद्यार्थियों को समुदाय गायन को चुनने की अनुमित दी जानी चाहिए या वे फिर उन्हें पाठ्यक्रम के दिए गए रागों या सुगम संगीत और लोक धुन पर आधारित वाद्य वृंद की अनुमित होनी चाहिए।

- तालबंध अलंकार के द्वारा स्वर और लय के उचित भाव की सृष्टि करना। विस्तृत विवरण सिंहत निम्नलिखित राग: यमन, खमाज, भुपाली, काफी भोपाली, नटाई, कल्याणी, तोडी, सवेरी (तानपुरे और तबले की संगत के साथ)
- अपने ठेकों सहित निम्नलिखित पांच ताल : कहरवा, दादरा, तृताल (तीन ताल), झपताल, चौताल।

सुजनशील नाटक

यह अवस्था है, जिसमें युवा लोग नाट्यकला और संबंधिात शिल्प से परिचय प्राप्त करते हैं तथा साहित्य के द्वारा नाट्य बोध को विस्तृत करते हैं। सुजनशील नाटक का उनका पूर्व अनुभव निम्नलिखित क्षेत्रों की खोज में सहायक होगा।

• सिद्धान्त

पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान : मूक अभिनय, नाट्य आलेख, संचन, चरित्र चित्रण, मंच, मंच उपकरण, मंच-परिधान, मंच संचलन, मंच प्रकाश एकांकी आदि।

व्यावहारिक क्रिया-कलाप

लयबद्ध संचलन और मुकाभिनय में मंच भय से मुक्ति की तैयारी।

चरित्र चित्रण में अभ्यास। संवाद बोलने का अभ्यास।

- (1) दैनन्दिन जीवन की परिस्थितियों में घटी घटनाएँ।
- (2) पाठ्यपुस्तक की कहानियों या कहानी की पुस्तकों की घटनाएँ।
- (3) शास्त्रीय नाटकों के संक्षिप्त दृश्यों पर आधारित कथावस्तु और संघर्ष की रचना के अभ्यास।

मंच शिल्प

उपकरण सिंहत मंच का नियोजन तथा प्रकाश के स्रोतों का अवस्थापन, रेखांकन द्वारा या प्रतिरूपण द्वारा नाटक के चरित्र के संचालन का नियोजन।

नाटक के चरित्रों के परिधानों का रूपांकन

नाटक-लेखन

बिना आलेख वाले नाटक को अभिनेय आलेख के रूप में लिखना।

टिप्पणी दर्शकों के सामने विधिवत निष्पादन इस अवस्था में अच्छे काम के लिए प्रेरणादायक हो सकता है।

अध्यापकों के लिए संकेत

- विद्यार्थियों को अकले तथा छोटे-छोटे समूह में तथा बालक-बालिकाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- शिक्षार्थियों को महान कलाकारों की तकनीक, प्रक्रिया और काम के विषय में पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

- विद्यार्थियों को नए माध्यमों और उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए।
 इस प्रकार वे अपने सामने वाली विभिन्न समस्या समाधानात्मक स्थितियों की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों को पहल करने तथा अपने काम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- किशोर बालक प्रौढ़ प्रभाव, प्रौढ़ क्रियाकलाप और कार्यशैली से प्रभावित होता है। अत: वह प्रौढ़ क्रिया कलापों और उनकी कार्यशैली का अनुकरण करने लगता है तथा उन्हें आदर्श मान लेता है। इस अवस्था में शिक्षक को चाहिए कि वह किशोर बालक को उसके कार्य की मौलिकता और अद्वितीयता से अवगत करवाए तथा उसे कार्य करने की अपनी पद्धित और शैली विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि प्रौढ़ों के कार्य में बहुत अधिक विविधता और भिन्नता होती है।
- शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहानुभूतिमूलक सम्बन्ध विकसित करने चाहिए तथा उन्हें स्थानीय समुदाय के कलात्मक क्रियाकलापों के विषय में जानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- शिक्षक को विद्यार्थियों की सहायता से स्टूडियो/कला कक्ष/रंगशाला/मंच की स्थापना करनी चाहिए।
- शिक्षक को संग्रहालयों, ऐतिहासिक प्रदर्शनियों, वानस्पितक और प्राणी उद्यानों, नाटक और स्थानीय नाटक के क्रियाकलापों, संगीत और नृत्य गोष्टियों और फिल्म प्रदर्शन में विद्यार्थियों को ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- शिक्षक को, प्रदर्शन और प्रदर्शनियों के तथा महानकलाकारों के संगीत और अन्य निष्पादनों के नियोजन और आयोजन के बच्चों की सहायता करनी चाहिए।
- शिक्षक को अन्य विषयों के शिक्षकों के साथ मिलकर अन्य विषयों से सम्बन्धित कला के क्रियाकलापों की परियोजनाएं विकसित करनी चाहिए।
- शिक्षक का विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय रूप से उपलब्ध कामचलाऊ औजारों और उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- शिक्षण पद्धित आगमनात्मक होनी चाहिए तथा विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीकों में प्रत्यक्ष निर्देशों से बचना चाहिए। उन्हें, सामग्री माध्यम, उपकरण और तकनीक की खोज के द्वारा अपनी शैली और तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

11. शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, छात्र और समुदाय के सम्पूर्ण स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त, शारीरिक स्वास्थ्य में छात्र का मानिसक और भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य की केवल बीमारी या अयोग्यता का न होना ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानिसक और सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित करता है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, छात्र को स्वास्थ्य की उस अवस्था को प्राप्त करने के लायक बनाना है कि यह सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए एक शिक्षा बन जाए।

इस सम्बन्ध में, यह कहना सच है कि स्वास्थ्यप्रद रहन-सहन की आदत शारीरिक शिक्षा के लिए एक नींव का कार्य करेगी। ऐसा माना गया है कि विद्यालय स्तर पर सौन्दर्यपूर्ण मूल्यों को बढ़ावा देने का कोई भी प्रयास, शारीरिक कल्याण के लिए एक स्वाभाविक सम्मान को शामिल करेगा। शरीर की निपुणता, इसकी शिक्तत्यों और गुणों को ज्ञान, प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता है। इसमें कौशल और क्षमताएँ विकसित की जाती हैं, माँसपेशियाँ और तिन्त्रकाएँ प्रशिक्षित की जाती हैं, संवेदनाएँ उत्पन्न की जाती हैं तथा स्वच्छ और उचित खान-पान की आदतें डाली जाती हैं। अत: स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में पहले की तुलना में अधिक प्रणालीबद्ध प्रावमान बनाये जाएँ। सैकेंडरी स्तर पर स्वास्थ्यप्रद रहन-सहन की आदतें तिन्त्रका-तन्त्र और माँसपेशियों के समन्वयन और शारीरिक योग्यता के लिए खेल-कूद और एथलेटिक्स कुछ लक्ष्य हैं, जिन पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का कोई भी पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान देना चाहिए।

शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा के उद्येश्य निम्नलिखित हैं-

मूल्यों की आमूलचूल सजगता, ज्ञान और छात्रों में स्वास्थ्य की दिशा में वाँछित आदतें और दृष्टिकोण उत्पन्न करना तथा उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा उठाना।

छात्रों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से योग्य बनाना और उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों को विकसित करना, जो उन्हें अच्छा मानव बनने में मदद करेंगे।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना।

व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्वास्थ्य की पहचान करना तथा स्वस्थ बने रहने के लिए इन समस्याओं को रोकने तथा नियन्त्रित करने के लिए सुसंगत वैज्ञानिक ज्ञान एवं जानकारी अर्जित करना।

(i) उनके स्वयं के स्वास्थ्य, (ii) उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और (iii) उनके समुदाय में इर्द-गिर्द लोगों के स्वास्थ्य की, जब आवश्यक हो उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों से मदद माँगते हुए, रक्षा करने तथा उन्हें संवर्धित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्यवाही करना।

परिवारों और समुदाय में संविधित निवारक और उत्साहवर्धक स्व-देखभाल आदत को बढ़ावाना देना।

समुदाय में एच.आई.वी., एड्स तथा नशीली दवाओं के बारे में सजगता बढ़ाना।

व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में शारीरिक योग्यता और आंगिक दक्षता के महत्व के बारे में सजगता बढ़ाना।

मौलिक प्रक्रियाओं को अपनी पसन्द की शारीरिक गतिविधियों में बदलने के बारे में जागरूकता पैदा करना।

आत्म-सन्तोष तथा इसे जीवन का अंग बनाने के लिए व्यायाम और खेल-कृद में रुचि बढ़ाना।

अंदरूनी-गुणों को विकसित करने के लिए व्यक्ति विशेष को योग्य बनाना जैसे स्वयं पर नियन्त्रण,

अनुशासन, साहस, विश्वास और दक्षता।

व्यक्ति को जिम्मेदारी की भावना, देश-भक्ति, आत्म-बलिदान दर्शाने तथा बेहतर तरीके से समुदाय की सेवा करने के योग्य बनाना।

आत्म-रक्षा और आत्म-निर्भरता के महत्व की जागरूकता विकसित करना।

एक अच्छी मुद्रा विकसित करने की जागरूकता बढ़ाना ताकि वह अच्छी मुद्रा बनाये रखने के लिए तत्पर रहें।

व्यक्ति को उत्साहवर्धक और सिक्रय जीवन जीने के लिए योग्य बनाना।

व्यक्ति को एक आकर्षक तरीके से सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार प)तियाँ अपनाने के लायक बनाना।

विद्या (सीखने) के निष्कर्ष

इस स्तर पर शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा में पाठ्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित बातें हासिल करना है

 शारीरिक शिक्षा में ज्ञान के निष्कर्ष शिक्षा, अंगों की योग्यता, औपचारिक ज्ञानेन्द्रियाँ तथा सक्षम आंगिक प्रणाली विकसित करते हैं।

वे उचित व्यायाम में संलग्न होने की आदत बनाते हैं, ताकि तत्काल और भावी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वे तिन्त्रका-तन्त्र और माँसपेशी कौशल में वृद्धि करते हैं, जिससे आसानी और सफाई से कार्य करने की क्षमता विकसित होती है।

वे सहयोग, अच्छे खिलाडीपन तथा उचित खेल का दुष्टिकोण विकसित करते हैं।

वे स्व-नियन्त्रण, अनुशासन, साहस और विश्वास जैसे लक्षणों की आदत डालते हैं।

वे देश-भिक्त, आत्म-बलिदान, आत्म-निर्भरता तथा जीवित रहने की इच्छा की भावना विकसित करते हैं।

वे, खेलों में लाभ लेने या खेलकर, उनकी सराहना करके और आनन्द लेकर उनका ज्ञान अर्जित कराके खाली समय उपयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं।

(II) सुझाव योग्य गतिविधियाँ

नृत्य

खेल-कृद (प्रशिक्षण/कोचिंग सहित)

योग

एथलैटिक्स

तैसकी

युद्ध कलाएँ

(III) स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षा के निष्कर्ष

शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना।

वे व्यक्तिग, पारिवारिक और सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करते हैं तथा स्वस्थ बने रहने के लिए इन समस्याओं को रोकने और नियन्त्रित करने के लायक बनाते हैं।

वे स्वयं के स्वास्थ्य, पारिवार के स्वास्थ्य तथा अपने परिवार के इर्द-गिर्द के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उसे संविधित करने के लिए व्यक्तिगत रूप तथा सामृहिक रूप से कार्यवाही करते हैं।

वे, परिवार तथा समुदाय में संविधित निवारक और उत्साहवर्धक स्व-देखभाल आदत विकसित करने के लिए हमें एक तत्पर रहते हैं।

(IV) सुझाव योग्य क्षेत्र

स्वास्थ्य का अर्थ और प्रकृति

पर्यावरण और स्वास्थ्य

बडी-दुर्घटनाएँ, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घातक हो सकती हैं। प्राथमिक उपचार। पोषण

आधुनिकीकरण के स्वास्थ्य-खतरे : नशे की आदत, एच.आई.वी. और एड्स।

संक्रामक और असंक्रामक रोग। हमारे देश में दवाओं की अनुमोदित प्रणालियाँ अपवादी जा रही है।

अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य का महत्व।

शारीरिक शिक्षा की गतिविधियाँ, विद्यालय में और इसके इर्द-गिर्द उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर है। अत: शिक्षक को विद्यालय और समुदाय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम विकसित करने चाहिए।

शारीरिक शिक्षा

कक्षा-IX और X

1. एथलैटिक्स

- (क) दौड़ने वाली प्रतिस्पर्धाएँ तेज दौड़ (बाधा-दौड़ सिहत) तथा मध्यम और लम्बी-दूरी की प्रतिस्पर्धाएँ। पैर टिकाने तथा शरीर को भार सिहत सही शुरूआत, समापन तकनीकों, दौड़ने के एक्शन पर जोर दिया जाए।
- (ख) **कूदने वाली (जिम्पिंग) प्रतिस्पर्धाएँ** लम्बी कूद और ऊँची-कूद तकनीकों बन समेकन तथा ट्रिपल जम्प तथा पोलवाल्ट की आधारभृत बातों की शुरूआत।
- (ग) फेंकने (थ्रोइंग) वाली प्रतिस्पर्धाएं गोला फेंक और चक्का फेंक तकनीकों का समेकन न तथा भाला फेंक तथा हैमर थ्रो की मूलभूत बातों की शुरूआत।
- (घ) विभिन्न सचल घटकों अर्थात् गति, शिक्त, सहनशिक्त, लचीलेपन तथा समन्वयकारी योग्यताओं में सुधार लाने के लिए व्यायाम कार्यक्रम में भागीदारी।
- नोट (i) इस स्तर का लक्ष्य, उसके निष्पादन की प्राप्ति पर होना चाहिए और इसीलिए, विशेषज्ञता के लिए एक खेल का चयन करना चाहिए। एक से अधिक खेलों का चयन तब ही करना चाहिए, जब दोनों के बीच में तार्किक सम्बन्ध हों।
 - (ii) प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित मूलभूत नियमों का परिचय।

2. जिमनास्टिक

क. पुरुष

- (क) पहले से सीखे हुए कौशलों की पुनरावृत्ति
- (ख) कौशल (फर्श के व्यायाम) हैड स्प्रिंग,

राउंड-ऑफ

(ग) वॉल्टिंग होर्स चौड़े घोड़े पर स्ट्रेडल वॉल्ट चौड़े घोड़े पर हैंड स्प्रिंग लंबे घोड़े पर चढ़ना और बैठना लंबे घोडे पर-खडी हुई मुद्रा से स्ट्रेडल

- (घ) समानान्तर बार (डंडे)
 विभिन्न प्रकार की चढ़ाई और उतराई
 एक बार का रॉल
 शोल्डिर स्टैंड
 'एल' स्थिति पकड
- (ड) क्षैतिज (होरिजोंटल) बार
 विभिन्न प्रकार की पकड़
 पीछे से पलटना (बैक टर्नओवर)
 एक टांग पर सर्कल फॉरवार्ड
 साधारण स्विंग

ख. महिला

- (क) पूर्ववर्ती कक्षा में सीखे गये कौशलों की पुनरावृत्ति
- (ख) कौशल (फर्श के व्यायाम)
 एक हाथ से कार्टव्हील
 राउंड ऑफ
- (ग) संतुलन बीम
 नृत्य सम्बन्धी कलाएँ
 मुड़ने वाली मुद्राएँ
 फ्रन्ट रॉल और बैंक रॉल
 विभिन्न सन्तुलन
- (घ) वॉल्टिंग होर्स चौड़े घोड़े पर स्ट्रेडल वॉल्ट वुल्फ वॉल्ट (साइड वॉल्ट) कैट स्प्रिंग और जंप

	(ड) जिमनास्टिक के लिए आवश्यक सचल घटकों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन व्यायाम।
3.	योग
	धनुरासन
	कुक्कुटासन
	मयुरासन
	सुप्तवज्रासन
	वकासन
	गौमुखासन
	सुप्त-पवन मुक्तासन
	हलासन
	शलभासन
	नौकासन
	नौकासन
	शीर्षासन
	सूर्य नमस्कार
4.	प्रमुख खेल
	(निम्नलिखित से किन्हीं दो का चयन किया जाए)
	(क) क्रिकेट
	(ख) फुटबाल
	(ग) हॉकी
	(घ) बास्केट बॉल
	(ड) बॉलीबाल
	(च) हैंडबाल

(छ) खो-खो

- (ज) कबड्डी
- (झ) टेबल-टेनिस
- (झ) बैडमिंटन
- (ण) बैडिमंटन
- (ट) कुश्ती
- (ठ) जूडो

मौलिक कौशलपूर्ण पद्धतियों की सिखलाई के समेकन पर जोर दिया जाए। यदि उपलब्ध हो, तो इन खेलों को पूरे आकार के मैदान में खेला जाए। यदि केवल छोटे आकार का खेल-क्षेत्र उपलब्ध है, तो इन खेलों को रूपांतरित रूप में खेला जाए।

विभिन्न सचल घटकों अर्थात् गति, शक्ति, सहनशक्ति, लचीलापन तथा समन्वयकारी योग्यताओं में सुधार लाने के लिए व्यायाम कार्यक्रमों में भागीदारी।

खेलों से सम्बन्धित मूलभूत नियमों का परिचय।

5. तैराकी

- (क) प्रतिस्पर्धात्मक दूरियों का प्रयोग करते हुए सभी स्ट्रोकों की तकनीकों तथा मौलिक कौशलपूर्ण पद्धितयों की सिखलाई के समेकन पर जोर दिया जाए।
- (ख) तैराकी से सम्बन्धित विभिन्न सचल घटकों में सुधार लाने के लिए व्यायाम कार्यक्रमों में भागीदारी।
- (ग) वाटर-पोलो कौशल और गोताखोरी (डाइव) का समेकन।
- (घ) तैराकी वाटर पोलो तथा गोताखोरी के मौलिक नियमों का परिचय।

नोट इस स्तर पर एक छात्र का लक्ष्य उच्च निष्पादन की प्राप्ति होना चाहिए आरै इसीलिए उसे विशेषता के लिए एक खेल को चुनना चाहिए। एक से अधिक खेल (प्रतिस्पर्धा) को तब ही चुनना चाहिए

जब उनके बीच तार्किक सम्बन्ध हो।

स्वास्थ्य शिक्षा

कक्षा-IX

स्वास्थ्य का अर्थ एवं प्रकृति, स्वास्थ्य की पारिस्थितिकीय अवधारणा, स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आयामों की पारस्परिक निर्भरता, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटक और परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धान्त और प्रणालियाँ, स्वास्थ्य शिक्षा में मीडिया की भूमिका।

लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के सम्बन्ध में गाँवों, कस्बों और झुग्गी-झोंपड़ियों में पर्यावरणीय दशाएँ, त्याज्य निपटान कार्य, प्रदूषण रोकने के उपाय, खाद के गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे, स्वच्छ शोचालय सुरक्षित पेयजल स्त्रोत, नगरपालिका जलापूर्ति प्रणाली, आवासन।

बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, सांस्कृतिक कार्य और स्वास्थ्य सहित व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वास्थ्य आदतों का सम्बन्धा

बड़ी दुर्घटनाएँ, जिनसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दुर्घटनाएँ होती हैं, दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार घटक, आम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामान्य सिद्धान्त, आग जलाने स्टोव/कुिकंग गैस प्रयोग करने बिजली के उपयोग, सीढ़ी-चढ़ने, सड़क पार करने यातायात के साधनों में चढ़ने, साइिकल चलाने, तैराकी, खेलने, दवाएँ और जहरीले रसायन रखने, कलाएँ निष्पादित करने, प्रयोगशालाओं में काम करने तथा इलैक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल गैजेटों तथा मशीनों पर काम करने, दुर्घटना जोखिमों को हटाने के उपायों से सम्बन्धित सुरक्षा नियम।

खरोंच, घाकों, मीच, मांसपेशियों में खिचाव, लगातार-खून बहना, हर्ड्डी टूटना, काटे जाने या डंक मारे जाने पानी में डूबने, बेहोश होने, सदमा, जलने के प्राथमिक उपचार उपाय : प्राथमिक उपचार के सिद्धांत, घरेलू उपचार तथा विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के कौशल।

एक व्यक्ति की पौष्टिक स्थिति को प्रभावित करने वाले घटक और परिस्थितियाँ, कैलोरी और पोषकों के संदर्भ में शरीर की पौष्टिक आवश्यकताएँ, इन पौषकों से भरपूर सस्ता और स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन, आमतौर पर प्रयोग में आने वाले खाद्य-पदार्थों का पौषक-मूल्य, संतुलित आहार-आयु, लिंक, व्यवसाय, गर्भावस्था तथा भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसका महत्व और आवश्यकताएँ, आहार योजना के सिद्धान्त, अल्पता बीमारियों और उनका निवारण।

कक्षा-X

आधुनिकीकरण-प्रदूषण के स्वास्थ्य-जोखिम, स्वास जोखिमों, पारिवारिक तथा सामुदायिक जीवन पर जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव।

संक्रामक और असंक्रामक रोग, सक्रामक रोगों के ठैलने तथा नियन्त्रण करने में मेजबान एजेंट और पर्यावरण की भूमिका शरीर का बचाव, रोग-प्रतिरोधकता-प्राकृतिक और अर्जित, रोगों की रोकथाम के लिए नियमित चिकित्सा-जाँच का महत्व, टीकाकरण कार्यक्रम तथा बूस्टर-खुराकों का महत्व/भारत में मरणशीलता और मृत्युदर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में छात्रों और लोगों की भागीदारी का महत्व, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, अर्थ और क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की स्थापना।

अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य का महत्व, एक देश से दूसरे देश में संक्रामक रोगों के ैलने को रोकने के लिए अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य-उपाय, क्वारेंटाइन उपाय, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके कार्य और गतिविधियाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व। भारत में काम में लाई जा रही अनुमोदित चिकित्सा-प्रणालियाँ, उपलब्ध विशेषज्ञता, सलाह और गैर-सलाह वाली दवाइयाँ, आदत डालने वाली दवाइयाँ, स्व-चिकित्सा के खतरे तथा एक झोला छाप डाक्टर के पास जाना एल्कोहॉल और तम्बाकू के दुष्प्रभाव गाँव, कस्बा, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत

एच.आई.वी. और एड्स की सजगता/स्वच्छंद यौन-व्यवहार तथा बाल और नशीली दवाओं के कदाचार से सम्बन्धित बुराइयों से छात्रों को परिचित कराना। किशोर-शिक्षा तथा यौन-शिक्षा को उचित तरीके से दिया जाए।

स्वयंसेवी एजेन्सियाँ।

12. विशेष प्रौढ साक्षरता अभियान के लिए ढांचा

- प्रौढ़ों में निरक्षता को समाप्त करने संबंधी राष्ट्रीय कार्य में वचनबद्धता और सहायक पद्धितयों के रूप में व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों और स्कूलों का शामिल होना आवश्यक है।
- 2. 'विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान' कार्य अनुभव का आवश्यक संघटक बनेगा। तदनुसार कार्य अनुभव के क्षेत्र की पुर्नसंरचना की गई है और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर पाठ्यक्रम में सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए इस ओर निम्नानुसार बल दिया गया है:
- (क)अनिवार्य क्षेत्र : जिसमें बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दिए गए निर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य, विज्ञान, खाद्य पदार्थ, शरणस्थान, और मनोरंजन आदि शामिल हो सकते हैं। 20%

(ख)विशेष प्रौढ साक्षरता अभियान :

20%

एक अलग और विशेष संघटक के रूप में

(ग)वैकित्पक कार्यकलाप : बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उपलब्ध बहुत से कार्यकलापों में से कोई एक कार्य चुनना होता है।

ऐसे क्षेत्रों में जिनमें 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है, विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के लिए निर्धारित 20% भाग को अनिवार्य क्षेत्र में नमोदिष्ट संघटक के साथ मिला दिया जाएगा। सहवर्ती रूप में, ऐसी परिस्थितियों या क्षेत्रों में अनिवार्य क्षेत्र के संघटक के लिए 40% भाग (विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के 20% सिंहत) और वैकल्पिक क्षेत्र के लिए 60% भाग अपेक्षित होगा।

- 4. विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के तहत कार्य अनुभव के एक भाग के रूप में इसे सौंपे गए 20% भाग के अनुरूप विद्यार्थियों द्वारा किए गए लाभपूर्ण कार्य को स्वीकार करते हुए अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे।
 - 4.1 एक प्रौढ़ (15-35) वर्ष को शिक्षित करना = 15 अंक
 - 4.2 दो प्रौढ़ (15-35) वर्ष को शिक्षित करना = 20 अंक
- 5. उन विद्यार्थियों को जो दो से अधिक प्रौढ़ों को शिक्षित करते हैं, को उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत सुझाए गए अनुसार उसी अनुपात में अतिरिक्त श्रेय दिया जा सकता है, अर्थात, 5.1 3 प्रौढों के लिए अतिरिक्त 15 अंक
 - 5.2 4 प्रौढ़ के लिए अतिरिक्त 20 अंक
- 6. ये अतिरिक्त 20 अंक कार्य अनुभव के अनिवार्य क्षेत्र से लिए जाएंगे, जिस स्कीम में 20% भाग दिया गया है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य क्षेत्र के लिए आबंटित अधिकतम 20 अंकों तथा विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के लिए निर्धारित 20 अंकों को इस कार्यकलाप के निर्धारण के लिए एक साथ मिला दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों को अंक 20 अंकों के स्थान पर जो कि उपर्युक्त 4 के अंतर्गत सामान्य मामलों में होता है, 40 अंकों में से दिए जाएंगे। तीन या अधिक प्रौढ़ों के शिक्षित करने वाले विद्यार्थियों को अनिवार्य क्षेत्र के तहत विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के अंतर्गत को प्रयोग करने वालों के रूप में माना जाएगा।

कार्य अनुभव में उच्चतम ग्रेड पर पहुँचने की दृष्टि से यह सलाह अनिवार्य क्षेत्र, विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान और वैकल्पिक कार्यकलापों के लिए सौंपे गए भागों के अनुसार अंकों के रूप में किया जाएगा। तब संपूर्ण कक्षा के अलग-अलग अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों (तीन संघटकों को जोड़कर) को क्रमवार रखा जाएगा। अधिकतम से न्यूनतम तक जो विद्यार्थी 33% से कम अंक प्राप्त करेंगे उनको असफल माना जाएगा और ग्रेड (ड) दिया जाएगा। शेष सफल अभ्यार्थियों अर्थात् जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 33% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, में से ऊपर के एक से लेकर आठ तक के अभ्यार्थियों को क-। ग्रेड में रखा जाएगा तथा अगले एक से आठ तक के अभ्यार्थियों को लिए ऐसे ही किया जाएगा।

- 7. उन स्कूलों में या ऐसे विद्यार्थियों के मामले में जो संबंधित क्षेत्र की भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं जहाँ पर साक्षरता कार्यक्रम आरंभ किया जाना हो तो अभ्यार्थी को या तो
 - 7.1 इस कार्य से छूट होगी (ऐसे मामले में साधारण परिस्थितियों में 20% भाग के स्थान पर 40% भाग के लिए अनिवार्य क्षेत्र के तहत निर्धारण किया जाएगा।)
 - 7.2 अथवा ऐसे अभ्यार्थियों को प्रौढ़ों को सीधे शिक्षित करने के स्थान पर विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के अन्य संबंधित कार्यकलापों में लगाया जाएगा और उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उन्हें उपयुक्त रूप से अंक दिए जाएंगे।
- 8. विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य को स्वीकार करने की दृष्टि से विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान में भाग लेने के बारे में और ब्लाक अविध के दौरान साक्षरिता किए गए प्रौढ़ों की संख्या के बारे में माध्यमिक और विरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के अन्त में बोर्ड द्वारा जारी किए प्रमाणपत्रों में इस बारे में भी उल्लेख किया जाएगा।
- 9. संस्थाओं द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह आशा की जाती है कि विशेष अभियान के तहत स्कूल ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा 2 व्यक्तियों के शिक्षित करने में सक्षम होंगे जिन्हें माध्यमिक और विरष्ठ माध्यमिक व्यवस्था स्तरों पर प्रति वर्ष बोर्ड की परीक्षा के लिए भेजा जाता है।
- 10. ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी वालंटियर के लिए जो प्रोत्साहन अंकों को उपयोग में लाना चाहता हो, प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कम से कम 100 घंटे लगाना अपेक्षित होगा। इस कार्यकलाप की अनुसूची लचकदार होनी चाहिए जिसे नियमित स्कूल समय के भीतर, स्कूल समय के बाद, छुट्टियों के दौरान या ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान चलाया जा सकता है चूँिक संपूर्ण कार्यक्रम सीखने वालों पर आधारित होता है। यह अनुसूची अलग-अलग हो सकती है। प्रौढ़ों की साक्षरता को एन.एल. एम. और बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार स्कूलों द्वारा परीक्षा के आधार पर प्रमाणित करना होता है।
- 11. विशेष अभियान की एस.ए.एल.डी. राष्ट्रीय आन्दोलन के एक भाग के होने के कारण केवल विद्यार्थियों द्वारा अपने स्तरों पर किए गए कार्य के रूप में नहीं माना जाएगा बिल्क एक पद्धित के रूप में संपूर्ण स्कूल द्वारा आरंभ किया गया माना जाना चाहिए। संस्था के अध्यक्षता में सभी को पूर्णतया शामिल होना चाहिए तािक ऐसे सभी अध्यापकों को शामिल किया जा सके जो इस कार्य का समर्थन और बढ़ावा दे रहे हैं। इस अभियान की सफलता के लिए अभिभावक का शामिल होना भी आवश्यक है। स्कूलों और अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन द्वारा उपयुक्त प्रोत्साहनों के बारे में भी पता लगाया जाना चाहिए।

- 12. स्कूल द्वारा इस कार्य को समयबद्ध और स्थान-विशेष बनाना चाहिए। वे निकट के गाँवों या समुदायों, जैसा भी मामला हो, को ले सकते हैं और निर्धारित समय अर्थात दो या तीन वर्षों के भीतर उनको शिक्षित घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार लक्ष्य को केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बिल्क स्कूल के लिए भी निर्धारित समय अविध के भीतर प्राप्त करना अनिवार्य है। महानगरीय शहरों में ऐसे इलाकों को निकट के क्षेत्रों में पहचान नहीं की जा सकती है। अत: विद्यार्थी परिवारों को चुन सकते हैं।
- 13. विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान की बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मानीटिरंग की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्यों/क्षेत्रों में सामग्री की सप्लाई, शैक्षिक निविष्टियों साधारण समन्वय और कार्यक्रम की समग्र प्रभाविकता के संदर्भ में नामोदिष्ट राज्यों/क्षेत्रों में कार्यक्रम की प्रगित की समीक्षा करने के लिए यह राज्यवार/क्षेत्रवार मानीटिरंग सिमितियां गठित कर सकता है।
- 14. ये मानीटिरिंग सिमितियाँ कार्यकलापों की और कार्यक्रम के सभी संबंधित पहलुओं और स्कूलों द्वारा सीखने वाले प्रौढ़ों के रिकार्ड का अध्ययन करने के लिए प्रित वर्ष फरवरी से अप्रैल तक की अविध के दौरान किसी भी समय पर संबद्ध संस्थाओं का निम्निलिखित दृष्टिकोण से आकस्मिक दौरे कर सकती है:
 - 14.1 यह पता लगाने के लिए िक क्या साक्षर िकए गए प्रौढ़ों को प्रमाण-पत्र देते समय स्कूलों द्वारा उचित मूल्यांकन प्रक्रियाएं अपनायी गई हैं।
 - 14.2 यह देखने के लिए कि क्या विद्यार्थियों द्वारा उतने प्रौढ़ों को शिक्षित किया गया है जैसा कि उन्होंने एक वर्ष के लिए स्कुलों द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट में दावा किया है।
- 15. केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में मानीटिरंग और इनको नियंत्रत करने वाले संबंधित संगठनों द्वारा की जाएगी। तथापि बोर्ड भी इन संस्थाओं की मानीटिरंग करने के लिए अपनी मानीटिरंग सिमितियों को निर्देश दे सकता है जब भी अपेक्षित जांच के लिए आवश्यक समझा जाता है।
- 16. मानीटरिंग के प्रयोजन के लिए स्कूलों को निम्नलिखित कार्य अपेक्षित हैं
 - 16.1 विद्यार्थी-स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन अंक देने के प्रयोजन से दिए गए परिशिष्ट के अनुसार विद्यार्थी स्वयं सेवकों की उपलब्धि रिकार्ड रखना।
 - 16.2 प्रौढ़ नविसिखियों के रिकार्ड तैयार रखना जिसमें स्कूलों द्वारा की जाने वाली परीक्षा प्रौढ़ों की अभ्यास पुस्तकों और विद्यार्थी स्वयं सेवकों द्वारा दी गई दैनिकियाँ शामिल की जा सकती हैं।
 - 16.3 मानीटरिंग सिमिति द्वारा जाँच के लिए उन प्रौढ़ों के पूरे पते और विवरण रखना जिन्हें शिक्षित किया गया है उनके साथ अगले दिनों में बैठक की व्यवस्था की जा सकती है अथवा यदि सिमिति चाहती हो तो उनके स्थानों के दौरों की भी व्यवस्था की जा सकती है।
 - 16.4 प्रतिवर्ष फरवरी के अन्त में पिरिशिष्ट-ख में दिए गए विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान-2 प्रोफार्मा में बोर्ड को वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजना।

विशेष प्रौढ साक्षरता अभियान-1

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

उस साक्षरता कार्यक्रम के अन्य पहलुओं का उल्लेख करें जिसमें स्थानीय भाषा का ज्ञान न होने के कारण वास्तविक शिक्षण के स्थान पर भाग लिया गया।

केन्द्रीय माध्यिमक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

प्रतिवर्ष फरवरी के अन्तिम र जानी है।	सप्ताह तक विद्यार्थिया	का स्वयं क	उपलब्धिया	सहित दो	प्रातया में १	क्षेत्रीय कार्यालय का भेजा
स्कूल						परीक्षा वर्ष
परीक्षार्थियों की संख्या :						स्कूल द्वारा साक्षारित
						किए गए प्रौढ़ों की संख्या
माध्यमिक :						
उच्चतम माध्यमिक						

1. चुने किए क्षेत्र/समुदाय, कुल जनसंख्या, शामिल की गई जनसंख्या का भाग, अभियान की अविधि, के संदर्भ में कार्यक्रम की विवरणात्मक रूप रेखा, उपलब्धि की मात्रा, कमी के कारण, यदि कोई हो, किए जाने वाले कार्य, अपनायी गई पद्धित और योजनाएं, सामने आई किठनाईयां, उनके समाधान जुटाए गए संसाधन कार्यक्रम की विशेष बातों का उल्लेख किया जाएगा। विवरण मद वार दिया जाए ताकि विश्लेषण करने में सुविधा रहे।

टिप्पणियां और सुझाव :

- 2.1 स्कूल के लिए
- 2.2 बोर्ड के लिए
- 2.3 अन्य संपर्क एजेन्सियां

हस्ताक्षर

स्कूल की मोहर

ध्यान दें : यदि स्थान अपर्याप्त हो तो और शीट जोड़ लें।

बोर्ड के प्रकाशनों के लिए

बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों के लिए ऑर्डर निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय को दिया जा सकता है :

- मुख्य सहायक (प्रकाशन स्टोर)
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
 पी.एस-1-2, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
 पटपड्गंज, दिल्ली-110092
- क्षेत्रीय अधिकारी,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
 प्लॉट नं. 1630 ए, 16 मैन रोड़
 अन्ना नगर, (पश्चिम) चैन्नेई-600040
- क्षेत्रीय अधिकारी,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
 राजगढ़ रोड, राजगढ़ तिनाली,
 गुवाहाटी-781003
- क्षेत्रीय अधिकारी,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
 टोडरमल मार्ग,
 अजमेर, (राजस्थान)-305001
- क्षेत्रीय अधिकारी,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
 35-बी, सिविल स्टेशन, एम.जी. मार्ग,
 सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001 (उत्तरप्रदेश)
- क्षेत्रीय अधिकारी,
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
 सेक्टर 5,
 पंचकुला।

अदायगी की पद्धति :

- (i) अदायगियां तत्काल खरीद के लिए या तो नकदी रूप में अथवा सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के नाम से बैंक ड्राट/मनीआर्डर के जरिए स्वीकार की जाती हैं। इन्हें ऑर्डर के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय को भेजा जाना होता है।
- (ii) डाक खर्च प्रत्येक प्रकाशन में उल्लेख किए गए मूल्य से अलग होगा।
- (iii) पैकिंग प्रभार तीन प्रतिशत की दर से अलग से होगी।

छूट : प्रत्येक प्रकाशन की 10 प्रतियों या इससे अधिक प्रतियों के लिए 15% की दर छूट अनुज्ञेय है। कम प्रतियों के लिए कोई छूट नहीं है।